वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2021-22







पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री एस कृष्णन/ Sh. S Krishnan
एम डी एवं सी ई ओ / MD & CEO
(31.05.2022 तक) / (till 31.05.2022)



श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha
एम डी एवं सी ई ओ / MD & CEO
(03.06.2022 से) / (from 03.06.2022)



श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
Sh. Kollegal V Raghavendra
कार्यकारी निदेशक
Executive Director



डॉ. रामजस यादव
Dr. Ram Jass Yadav
कार्यकारी निदेशक
Executive Director



सुश्री एम जी जयश्री
Smt. M G Jayasree
भारत सरकार के नामित निदेशक
GoI Nominee Director
(11.04.2022 से) / (from 11.04.2022)



श्री के पी पटनायक
Sh. K P Patnaik
आर बी आई के नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री टी आर मेन्दीरत्ता
Sh. T R Mendiratta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director



श्री शंकर लाल अग्रवाल
Sh. Shankar Lal Agarwal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director



सुश्री रश्मि खेत्रपाल
Smt. Rshmi Khetrapal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director



श्री एस आर मेहर
Sh. S R Mehar
भारत सरकार के नामित निदेशक
GoI Nominee Director
(10.04.2022 तक) / (till 10.04.2022)

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	उल्लेखनीय तथ्य	2
2.	निदेशक मण्डल	3
3.	एमडी एवं सीईओ का वक्तव्य	4
4.	नोटिस	9
5.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	21
6.	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	31
7.	कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	35
8.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट	74
9.	बेसल–III के अंतर्गत प्रकटीकरण	88
10.	वित्तीय विवरणियां:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	118
	तुलन–पत्र	130
	लाभ–हानि खाता	131
	अनुसूचियाँ	133
	नकदी प्रवाह विवरण–पत्र	188

Contents

		Page No.
1.	Highlights	2
2.	Board of Directors	3
3.	MD & CEOs Statement	7
4.	Notice	190
5.	Director's Report	200
6.	Secretarial Audit Report	210
7.	Corporate Governance Report	213
8.	Business Responsibility Report	249
9.	Disclosure under Basel-III	261
10.	Financial Statements:	
	Independent Auditors' Report	298
	Balance Sheet	308
	Profit & Loss Account	309
	Schedules	311
	Cash Flow Statement	366

उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS

रुपये लाखो में / Rupees in Lacs

दिनांक 31.03.2022 को / As on 31.03.2022

1.	जमा Deposits	10213701
2.	सकल अग्रिम Gross Advances	7038709
3.	प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	3117801
4.	सकल निवेश Gross Investments	4276625
5.	परिचालन लाभ Operating Profit	133009
6.	शुद्ध लाभ Net Profit	103905
7.	आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return of Assets (%)	0.80%
8.	शुद्ध एन.पी.ए अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	2.74%
9.	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (BASEL-III)	18.54%

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री एस कृष्णन/ Sh. S Krishnan
एम डी एवं सी ई ओ / MD & CEO
(31.05.2022 तक) / (till 31.05.2022)

श्री स्वरूप कुमार साहा/ Sh. Swarup Kumar Saha
एम डी एवं सी ई ओ / MD & CEO
(03.06.2022 से) / (from 03.06.2022)

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
Sh. Kollegal V Raghavendra
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

डॉ. रामजस यादव
Dr. Ram Jass Yadav
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

श्री एस आर मेहर
Sh. S R Mehar
भारत सरकार के नामित निदेशक
GoI Nominee Director
(10.04.2022 तक) / (till 10.04.2022)

सुश्री एम जी जयश्री
Smt. M G Jayasree
भारत सरकार के नामित निदेशक
GoI Nominee Director
(11.04.2022 से) / (from 11.04.2022)

श्री के पी पटनायक
Sh. K P Patnaik
आर बी आई के नामित निदेशक
RBI Nominee Director

श्री टी आर मेन्दीरत्ता
Sh. T R Mendiratta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director

श्री शंकर लाल अग्रवाल
Sh. Shankar Lal Agarwal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director

सुश्री रश्मि खेत्रपाल
Smt. Rshmi Khetrapal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director

मुख्य सर्तकता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा (सी वी ओ)
Sh. Ambrish Kumar Mishra (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers

श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
Sh. Vinay Kumar Mehrotra

श्री कामेश सेठी
Sh. Kamesh Sethi

श्री दिनेश कुमार गोयल
Sh. Dinesh Kumar Goyal

श्री एस वी एम कृष्णा राव
Sh. S V M Krishna Rao

श्री रवि मेहरा
Sh. Ravi Mehra

श्री राजेश सी पाण्डेय
Sh. Rajesh C Pandey

श्री पंकज द्विवेदी
Sh. Pankaj Dwivedi

श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar

श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur
(from 03.05.2022)

श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan

श्री राजेंद्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar

श्री चमन लाल शींहमार
Sh. Chaman Lal Shienhmar
(from 30.05.2022)

लेखा परीक्षक / Auditors

मेसर्स घिया एंड कंपनी
M/s. Ghiya & Co.

मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी
M/s. Chaturvedi & Co.

मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स
M/s. Shiv & Associates

मेसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स
M/s. Manohar Chowdhry & Associates

एमडी एवं सीईओ का वक्तव्य

प्रिय हितधारक,

मैं वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

पिछले कुछ वर्ष अत्यधिक कार्रवाई और परावर्तन का समय रहे है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक, समाज और मानव जाति की सेवा में तत्पर है। 114 वर्षों की गौरवशाली विरासत और समाज के प्रति अपने मूल सिद्धांत के रूप में प्रतिबद्धता के साथ, 1526 शाखाओं वाला बैंक निर्बाध *सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की सेवाएं प्रदान कर रहा है* । हमारी टैगलाइन "*जहां सेवा जीवन-ध्येय है*", हमारे निर्माण की मूल रचना में तथा प्रत्येक पीएसबीयन में निहित है ।

हमने वैश्विक महामारी, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, क्रिप्टो करेंसी का जोखिम आदि देखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक बाह्यताओं से अछूती नहीं है। जिंसों की कीमतों में वृद्धि पहले से ही मुद्रास्फीति के जोखिम पैदा कर रही है और आरबीआई को सामान्यीकरण को नीतिगत बनाने के लिए मजबूर कर रही है और जिससे प्रणाली में ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है। हालांकि, तीसरी लहर और टीकाकरण व्याप्ति के विस्तार के साथ-साथ सभी प्रतिबंधों को हटाने के साथ, आर्थिक गतिविधियां बढ़ोतरी की ओर लोट रही है।

जैसे-जैसे धूल जमती है, और आगे की दुनिया की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है, मेरा मानना है कि आपका बैंक वृहत अवसरों और विकास की दहलीज पर खड़ा है। व्यापक परिवर्तन में, आपके बैंक ने उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता दिखाई है, जो वैश्विक वित्तीय संकट या महामारी जैसी भयानक घटनाओं के बाद पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही है। बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक डिजिटल चैनल की पेशकश करने की प्रतिबद्धता की दिशा में, बैंक ने ओमनी चैनल पीएसबी यूनिक - यू एंड आई कनेक्टेड लॉन्च किया है और पंजाब राज्य में तीन ई-लॉबी स्थापित की हैं। पीएसबी यूनिक के साथ, बैंक डिजिटल रूप से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की सेवाओं और उत्पादों की श्रृंखला की पेशकश कर रहा है।

बैंक का मुख्य प्रदर्शन

वर्ष के दौरान, बैंक ने 2021-22 में ₹1039 करोड़ के ऐतिहासिक शुद्ध लाभ के साथ परिवर्तन किया है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में ₹2733 करोड़ की निवल हानि हुई थी। बैंक के व्यवसाय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.25% की वृद्धि हुई। जमा और अग्रिम में क्रमशः 6.27% और 3.80% की वृद्धि हुई। कासा जमाओं और रैम खंड अग्रिमों (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) पर जोर देने से इसके परिणाम सामने आए और उनमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 9.51% और 15.29% की वृद्धि हुई। रैम कंपोजिशन में भी 48% से 51% तक सुधार हुआ है जबकि कॉर्पोरेट अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 52% से घटकर 49% हो गया है। क्षेत्र के विभिन्न खंडों के तहत सभी विनियामक मानदंडों को भी मार्च 2022 तक प्राप्त कर लिया गया है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹1330 करोड़ रहा जबकी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ₹772 करोड़ था, जो 72.28% की वृद्धि दर्शाता है। बैंक की जमा लागत 78 बीपीएस घटकर 4.28% हो गई। शुद्ध ब्याज आय ₹2651 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष ₹2262 करोड़ थी। बैंक का आरओए 0.85% था, जो विचाराधीन वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक था। एनआईएम 2.80% और अग्रिम पर यील्ड 7.20% रहा। बैंक की अन्य आय पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 6.08% अधिक हुई।

प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित अनिवार्य लक्ष्य हासिल किए हैं:

- ✓ प्राथमिकता क्षेत्र में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 50.20% रहा जबकी नियामक लक्ष्य 40% है।
- ✓ छोटे और सीमांत किसानों को ऋण, एएनबीसी का 11.81% रहा, नियामक लक्ष्य 9% है।
- ✓ कमजोर वर्गों को ऋण एएनबीसी का 12.91% रहा, नियामक लक्ष्य 11% है।

बैंक ने 2021-22 में पीएसएलसी को ₹650 करोड़ में विक्रय किया और लगभग ₹12 करोड़ की आय अर्जित की।
मार्च 2022 तक बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹31178 करोड़ पर पहुंच गई, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.45% की वृद्धि दर्ज की गई। एमएसएमई पोर्टफोलियो के तहत बैंक का अग्रिम 13.26% बढ़कर ₹13021 करोड़ हो गया।

सभी परिवारों के लिए उचित मूल्य पर वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंच बनाने के लिए, बैंक सक्रिय रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) के एजेंडे पर नज़र रख रहा है और पीएमजेडीवाई के तहत 15.25 लाख खाते खोले गए तथा मार्च-2022 तक ₹560 करोड़ की कासा जमा राशि जुटाई है।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता

बैंक एनपीए प्रबंधन पर लगातार प्रयास कर रहा है और परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2020 में 13.76% से बढ़कर 12.17% हो गया। इसी तरह, शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) अनुपात मार्च 2022 तक घटकर 2.74% हो गया, जो मार्च 2021 में 4.04% था। प्रावधान मार्च 2022 तक कवरेज अनुपात (पीसीआर) 87.89% है, जो मार्च 2021 में 82.89% था।

बैंक एनपीए प्रबंधन पर लगातार प्रयास कर रहा है और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात सुधरकर 12.17% हो गया जो मार्च 2020 में 13.76% था। इसी तरह, निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) अनुपात मार्च 2022 तक घटकर 2.74% हो गया, जो मार्च 2021 में 4.04% था। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2022 तक 87.89% है, जो मार्च 2021 में 82.89% था।

पूंजी

भारत सरकार द्वारा पूंजी डालने के बाद, सीआरएआर और सीईटी-1 (सीसीबी सहित) विनियामक आवश्यकता से काफी ऊपर हैं और क्रमशः 18.54% और 12.77% पर हैं।

पुरस्कार:

बैंक को निम्न सम्मान प्राप्त हुए है :

- ➢ बैंक ने एपीवाई नामांकन के लिए पीएफआरडीए द्वारा आयोजित अनुकरणीय स्वर्ण पुरस्कार "लीडरशिप कैपिटल (4.0)" अभियान के तहत **पहला स्थान** प्राप्त किया है।
- ➢ आईबीए द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल श्रेणी पुरस्कार में **उपविजेता** घोषित किया गया।
- ➢ ईएएसई 4.0, थीम 3 में अर्थात 31.12.2021 के तहत सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोग करने पर **तीसरा** शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया ।

- पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 01.02.2022 से 02.03.2022 तक शुरू किए गए डीएसबी (डोर स्टेप बैंकिंग) उड़ान अभियान में **तीसरा स्थान** प्राप्त किया।
- बैंक को राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की श्रेणी 'क' में वर्ष 2019-20 में "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (दूसरा)" से सम्मानित किया गया।
- बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 'एसएचजी लिंकेज में 'सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक' के रूप में सम्मानित किया गया ।

आगामी लक्ष्य

भू-राजनीतिक तनाव, इनपुट मूल्य मुद्रास्फीति, कच्चे तेल में वृद्धि और वैश्विक दर वृद्धि चक्र जैसी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जो निकट अवधि में विकास / एनआईएम पर कुछ दबाव डाल सकते हैं । लेकिन सरकार के सुधारवादी रुख के साथ और नियामक द्वारा शुरू किए गए उपायों से, हमें उम्मीद है कि चीजें जल्दी से आसान हो जाएंगी और बैंकिंग क्षेत्र दोहरे अंकों में ऋण और जमा वृद्धि दर्ज कर सकता है।

बैंक ने अपने व्यवसाय को थोक कॉर्पोरेट ऋण से दूर रैम खंड में पुनर्निर्धारित करने के लिए निर्धारित रणनीति, मानव और अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग का लाभ उठाने के लिए संगठनात्मक पुनर्गठन पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है । इसके अलावा, बैंक का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन संरचना, आईटी अवसंरचना, क्रेडिट निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना है ताकि नई गिरावट को कम किया जा सके और परिसंपत्ति की गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके।

बैंक अपने शाखा नेटवर्क, डिजिटल डिलीवरी और बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला के साथ सभी वित्तीय जरूरतों के लिए उद्योग में सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध है।

MD & CEO's Statement

Dear stakeholders,

I place before you the highlights of your Bank's performance for the year FY 2021-22, details of which have been given in the Annual Report.

The past couple of years have been a period of intense action and reflection. Punjab & Sind Bank stands tall in the service of the society and mankind. With the glorifying legacy of 114 years and commitment towards the society as its core principle, the bank with 1526 branches is rendering uninterrupted best-in-class services. Our tagline "Where service is a way of life" is woven to the core of our fabric and inculcated in each and every PSBian.

We have seen a global pandemic, geopolitical tensions, supply chain disruptions, the risk of crypto currency etc. Indian economy is not immune to negative externalities. The surge in commodity prices is already posing inflation risks and forcing RBI to policy normalization and leading to a rise in interest rates in the system. However, with the third wave behind us and, with the removal of all restrictions alongside a broadening of vaccination coverage, economic activity is returning to speed.

As the dust settles, and a clearer picture of the world ahead emerges, I believe your bank is standing at the threshold of great opportunities and growth. In the face of widespread change, your bank has shown remarkable resilience and adaptability, coming out stronger than ever, after terrible events like the global financial crisis or the pandemic. Towards the commitment to offer state-of-the-art digital channel for banking, the Bank has launched Omni channel "PSB UniC – You and I Connected" and set-up three e-lobbies in the state of Punjab. With PSB UniC, the bank is digitally offering range of best-in-class services and products.

KEY PERFORMANCE OF THE BANK

During the year, Bank makes a turnaround with a historic Net Profit of Rs.1039 Cr (FY) against a Net Loss of Rs.2733 Cr for FY 2020-21. The business of the Bank grew by 5.25% on Y-o-Y basis. Deposits and Advances grew by 6.27% and 3.80% respectively. The thrust on CASA deposits and RAM Segment advances (Retail, Agriculture and MSME) bore its results and they grew by 9.51% and 15.29% respectively on Y-o-Y basis. RAM composition has also improved from 48% to 51% while corporate advance has declined from 52% to 49% on Y-o-Y basis. All the regulatory norms under different segments of Priority Sector have also been achieved as on March 2022.

FINANCIAL PERFORMANCE

For the financial year 2021-22, Operating profit of the Bank stood at Rs.1330 crore as compared to Rs.772 crore during 2020-21, showed a growth of 72.28%. The Bank's cost of deposits decreased by 78 bps to 4.28%. The net interest income stood at Rs.2651 crore as against Rs.2262 crore in the last year.

RoA of the Bank stood at 0.85%, highest among public sector banks, for the year under consideration. NIM stood at 2.80% and Yield on Advances at 7.20%. Other Income of the Bank is 6.08% more as compared to that of in previous year i.e. FY 2020-21.

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

During 2021-22, the Bank has achieved the following mandated targets:

- 50.20% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% norm in Priority Sector.
- 11.81% of the ANBC against 9% to Small and Marginal Farmers.
- 12.91% of the ANBC against 11% mandated target to Weaker Sections.

The Bank sold PSLC to the tune of Rs.650 crore in 2021-22 and earned an income of approx. Rs.12 crore.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2022 reached at Rs.31178 crore, recording a Y-o-Y growth of 10.45%. The Bank's advances under MSME portfolio increased by 13.26% to Rs.13021 crore.

To provide access at a reasonable cost for all households to a full range of financial services, Bank is actively tracking the agenda of Financial Inclusion (FI) and opened 15.25 lakh accounts under PMJDY and mobilized a CASA deposit of Rs.560 crore as at March 2022.

ASSET QUALITY

The Bank has been making consistent efforts on NPA management and improved the asset quality. Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio improved to 12.17% from 13.76% as at March 2021. Similarly, Net Non-Performing Assets (NNPA) ratio reduced to 2.74% as at March 2022 down from 4.04% as at March 2021. Provision Coverage Ratio (PCR) stands at 87.89% as at March 2022 against 82.89% as at March 2021.

CAPITAL

With the infusion of Capital by Government of India, CRAR and CET-1 (including CCB) are well above the regulatory requirement and stands at 18.54% and 12.77% respectively.

AWARDS:

Bank has been awarded with

- 1st Position under Exemplary Gold Award "Leadership Capital (4.0)" campaign organised by PFRDA for APY Enrolments
- Runner-up in Best Digital Financial Inclusion Initiative category award declared by IBA.
- 3rd Top Performing Bank in Theme 3 i.e. Collaborating for Synergistic Outcomes under EASE 4.0 as on 31.12.2021.
- 3rd Position in DSB (Door Step Banking) Udaan Campaign launched by PSB Alliance Pvt. Ltd. from 01.02.2022 to 02.03.2022.
- Bank was awarded with "Rajbhasha Kirti Puraskar (Second)" in the year 2019-20 in the category 'B' of Nationalized Banks and Financial Institutions for the best implementation of the Official Language Policy.
- Bank was awarded as 'Best Public Sector Bank in SHG Linkage' for FY 2019-20.

THE ROAD AHEAD

Given the present circumstances like geopolitical tensions, input price inflation, the spike in crude oil and a global rate hike cycle which could put some pressure on growth / NIM in the near term. But with the government's reformative stance and measures initiated by the regulator, we are hopeful that the things will ease out quickly and the banking sector may register double-digit credit and deposit growth.

The Bank has continued its focus on laid down strategy to reorient its business away from wholesale corporate lending to RAM segment, organizational restructuring to leverage optimum utilization of the human and other resources. Besides this, the Bank aims at strengthening the Risk Management architecture, IT Infrastructure, credit monitoring systems to curtail fresh slippages and to improve asset quality further.

The Bank is fully dedicated and committed to provide best in the industry Banking services for all financial needs with our branch network, digital delivery and an array of banking products and services.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय: 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008
https://punjabandsindbank.co.in/

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न सामान्य व्यवसाय (यों) को परिचालित करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 12 वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन **मंगलवार, 12 जुलाई, 2022 को प्रातः 11:00 बजे** किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा) :

1. 31 मार्च 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, लेखा द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकृत करना।

2. वितीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.06.2022

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोट्स

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 12 वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनिमय, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

2. परोक्षी की नियुक्तिः

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगें/ होगीं तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार ,शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार , शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति बैठक की तिथि से 4 दिन पूर्व अर्थात **गुरुवार, 07 जुलाई 2022** को अपराह्न 5:00 बजे या इससे पूर्व प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 के शेयर कक्ष में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण:

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही, **बुधवार, 06 जुलाई 2022** से **मंगलवार, 12 जुलाई 2022** (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

5. लाभांश का भुगतान:

लाभांश भुगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि **मंगलवार, 05 जुलाई 2022** होगी।

12 वीं वार्षिक सामन्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2022 समाप्त वितीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 0.31 के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में शामिल है :

a. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार **मंगलवार, 05 जुलाई 2022** को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या
b. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध पारेषण/ ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात **मंगलवार, 05 जुलाई 2022** को शेयरधारकों के रजिस्टर में, **मंगलवार, 05 जुलाई 2022** को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अतैव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/ अद्यतित करें :

i) यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी (यों) द्वारा आवश्यक हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करके, तथा
ii) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज़ जमा करके :

   a. शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति।
   b. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
   c. निरस्त चेक लीफ

6. लाभांश भुगतान पर कर

i. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2020 से शेयधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसमें संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निक्षेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित करें।
ii. निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15 जी/ 15 एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर की कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौते के अंतर्गत, आवश्यक दस्तावेज जैसे कोई स्थायी अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्र, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 10 एफ, कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा-पत्र को https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर अपलोड करके हितकारी दर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज़/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर उपलब्ध है।

iii. शेयरधारकों से अनुरोध है कि **मंगलवार, 05 जुलाई 2022** को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर उपरोक्त दस्तावेज़ों को जमा करें ताकि बैंक उचित टीडीएस/कर दर रोकने पर कर निर्धारण तथा कर कटौती कर सके।

7. शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2 ई) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पात्र है तथा कार्यसूची की मदों पर दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार के लिए पात्र है।

8. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

i. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44, कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के लिए शेयरधारक की पात्रता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 05 जुलाई, 2022** है।

ii. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

iii. **दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार है :**

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयरधारित व्यतिगत शेयरधारकों के मामले में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

(i) **बुधवार, 06 जुलाई, 2022 को पूर्वाह्न 10.00** बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा **सोमवार, 11 जुलाई 2022 को अपराह्न 05.00** बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 05 जुलाई, 2022** को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।

(ii) शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक स्थान पर मतदान के पात्र नहीं होंगे।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयरधारित व्यतिगत शेयरधारकों के मामले में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मतदान सुविधा पर सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारको के लिए ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login हैं या www.cdslindia.com का अवलोकन करें और लॉगिन आइकन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi का चयन करें। 2) सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-मतदान सेवा प्रदाताओं अर्थात सीडीएसएल/ एनएसडीएल/ कार्वी/ लिंकइनटाइम की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सके। 3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAs' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

	3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। या तो व्यैक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री संख्या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या पर 30 44 22 1800 और 990 1020 1800संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

(v) **डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त भौतिक शेयरधारकों तथा अन्य शेयरधारकों** के लिए ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।

1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।

2. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
   i. सीडीएसएल हेतु : 16अंकों की हिताधिकारी आईडी।
   ii. एनएसडीएल हेतु : 8अंकों की डीपी आईडी के बाद 8अंकों की ग्राहक आईडी।
   iii. भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

4. दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त भौतिक शेयरधारकों तथा अन्य शेयरधारकों
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराय है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों संख्या प्रविष्ट करें ।

(vi) इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।

(vii) सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "Password Creation" मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।

(viii) सदस्य जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं ,इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।

(ix) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।

(x) मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

(xi) यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।

(xii) मतदान करने के संकल्प के चयन पश्चात "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "CANCEL" पर क्लिक करें व तदनुसार अपना मतदान संशोधित करें।

(xiii) संकल्प पर एक बार मतदान की "पुष्टि" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

(xv) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।

(xvi) यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान है, यदि कोई अपलोड है, जोकि सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध होगा।

(xvii) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल दूरस्थ मतदान के लिए**

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगिन में लिंक खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्केन प्रति जिसे उन्होनें अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करनी चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in** को ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्केन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।

2. **डीमेट शेयरधारकों के लिए** – कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।

3. **वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. तत्पश्चात, शेयरधारकों को कैमरा का उपयोग करने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियों घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गडबड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रश्न है **बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से उपयुक्त ढंग से दिया जाएगा।
8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से एजीएम में भाग लेने एवं ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

9. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

10. शेयर अंतरण एजेंट से संचार :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर अपने ईमेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन/ अद्यतन, यदि कोई हो, की सूचना दें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2. एलएससी, सी-1 ब्लॉक,
सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
दूरभाष: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591
ईमेल: delhi@linkintime.co.in

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/ अद्यतन (यदि है) की सूचना अपने निक्षेपागार सहभागियों को दें।

11. अदत्त \अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त पते पर या प्रधान कार्यालय, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 पर बैंक के शेयर कक्ष में बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

12. फोलियो का समेकन :

शेयरधारक, जिनके पास एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को इसकी सूचना दें, शेयर प्रमाण-पत्र (ओं) के साथ इस प्रकार के खातों के खाता-बही पन्ने, बैंक को सभी शेयर पूंजी को एक फोलियो में समेकित करने में सक्षम करते हैं। उचित समय पर आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों को वापस कर दिए जाएंगे।

13. अन्य सूचना

a) उपरोक्त सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात "लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं।

b) एजीएम आयोजन की सूचना बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर अपलोड है। शेयर बाजारों यथा बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी यह सूचना प्राप्त की जा सकती है। सीडीएसएल (एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-मतदान सुविधा तथा ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com पर भी ईजीएम नोटिस को प्रसारित किया गया है।

c) बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडीः delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अनुदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे – बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कूट इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।

14. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित व कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में शेयर कक्ष की स्थापना की है, किसी भी सहायता के लिए शेयरधारक नीचे उल्लिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैः

कंपनी सचिव
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष
लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
दूरभाष : 011-25782926, 25812922, ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in

15. मूर्त शेयरधारिता का अमूर्तीकरण :

सेबी के वर्तमान मानदंडों के अनुपालन में, बैंक मूर्त रूप में शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, मूर्त या अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों का संचरण/ स्थानांतरण केवल अमूर्त रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरण करा लें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15.06.2022

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक रिपोर्ट 2021-22

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2022 के लिए तुलन पत्र तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा सहित बैंक की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार विमर्श तथा विश्लेषण :

2019 में आरंभ हुई कोविड-19 महामारी 21वीं सदी कि अपनी तरह की पहली महामारी है जिसकी दुनिया साक्षी बनी। हमने कोविड के साथ रहना सीखा और आत्मविश्वास तथा साहस के साथ तीन इसकी लहरों का सामना किया ।

दुनियाभर के क्रेंद्रीय बैंकों और सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए संरचनात्मक और वित्तीय सुधार किये हैं। बैंक और मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित नीतियों को आगे बढ़ाने और कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।

इन विपरीत परिस्थितियो में, हमारे बैंक का ₹1039 करोड़ के शुद्ध लाभ की प्राप्ति के साथ उल्लेखनीय प्रदर्शन था।

बैंक के सकारात्मक परिणाम प्रत्येक के सहयोग से संभव हो सका।

वैश्विक परिदृश्य :

वर्तमान में, दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं भू-राजनैतिक संघर्षों, आपूर्ति व्यवधानों और आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से खाद्य एवं उर्जा की बढ़ती कीमतों जैसे कई जोखिमों का सामना कर रहीं है, जिसने दुनियाभर में मुद्रास्फिति के दवाब को बढ़ा दिया है।

वैश्विक वित्तीय स्थिति वैश्विक अनिश्चितता, चलनिधि में कसावट, उच्च मुद्रास्फिति और बढ़ते ब्याज दरों के साथ थोड़ी चरमरायी है। वित्तीय स्थिरता के जोखिम कई स्तरों पर बढ़े हैं, हालांकि अभी तक वित्तीय संस्थानों या बाजारों को प्रभावित करने वाली कोई वैश्विक प्रणालीगत घटना नहीं हुई है।

कई देशों में, मुद्रा स्थिति अब मुख्य चिंता बनी हुई है। सोवियत संघों और कुछ यूरोपीय देशों सहित कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, 40 से अधिक वर्षों में यह अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है। केंद्रीय बैंक वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के संबंध में बड़ी अनिश्चितताओं के समय उच्च रिकॉर्ड मुद्रास्फिति से लड़ने और महामारी के बाद रिकवरी को सुरक्षित रखने के मध्य चुनौतीपूर्ण समझौताकारी समन्वय का सामना कर रहा है। मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाने और मुद्रास्फीति प्रत्याशा को रोकने के लिए एक वित्तीय कमजोरियों के साथ परस्पर क्रिया कर सकने वाली और विकास पर भार डालने वाली वित्तीय स्थितियों को अव्यवस्थित रूप से कसने से रोकते हुए निभाव को हटाने के उत्कृष्ट कार्य की आवश्यकता है।

दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति दर को कम करने के लिए नीति सामान्यीकरण शुरू कर दिया है, लेकिन चल रहे भू राजनैतिक तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रंखला को बाधित किया है और आगत लागत दवाब को बढ़ा दिया है। कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमण पुन: उभरने और संबंधित लॉकडाउन वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और आगत लागत दबावों को और अधिक बढ़ाने का जोखिम उठाते हैं।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में टकराहट और बढ़ती ब्याज दरों के साथ, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी बहिर्वाह में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। वित्तीय स्थितियों को कसते हुए, वस्तुओं के शुद्ध आयातक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे अधिक खुले देशों की मुद्राओं पर नीचे की ओर दबाव डाल रहे हैं।

आगे, बढ़ती मुद्रास्फिति प्रत्याशा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों से अधिक आक्रामक सख्त प्रतिक्रिया का संकेत देती हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रैल-2022 में, वैश्विक विकास में 2021 में 6.1% से 2022 और 2023 में 3.6% की मंदी का अनुमान लगाया है । वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रंखला बाधाओं के साथ मुद्रास्फिति उच्च स्तर पर है, यह 2022 के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं हेतु 5.7% और उभरते बाजारों तथाविकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7% अनुमानित की गयी है।

वैश्विक तरलता बनाए रखने, महामारी प्रोटोकॉल के बाद आर्थिक गतिविधियों को खोलने और द्विपक्षीय वार्ता के साथ युद्ध की समाप्ति जैसे बहुपक्षीय प्रयासों के साथ वैश्विक विकास की गति को फिर से हासिल किया जा सकता है।

घरेलू परिदृश्य :

भारतीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक बाह्य परिदृश्य से अछूता नहीं रहा है। वस्तुओं की बढ़ती कीमतें पहले ही मुद्रास्फिति जोखिम पैदा कर रही है और आरबीआई को नीति सामान्यीकरण हेतु मजबूर कर रही है जिससे व्यवस्था में ब्याजदर में वृद्धि हो रही है।

जनवरी 2022 में ऑमिक्रॉन वेरिएंट के उद्भव के साथ वित्त वर्ष 21-22 की तीसरी तिमाही में घरेलू विकास में मंदी आयी है लेकिन फरवरी में विकास की थोड़ी बड़ी है। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति विवरणी, अप्रैल-2022 में वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% (7.8% से संशोधित) वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान है। आईएमएफ ने यह कहते हुए कि उच्च वस्तुओं की कीमतों का भार निजी खपत और निवेश पर पड़ेगा, अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य अप्रैल-2022 की रिपोर्ट में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के लिए 2022 के 9% से 8.2% के अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया है, भले ही विकास का अनुमान कम कर दिया गया था, भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

तीसरी लहर और टीकाकरण कवरेज के विस्तार के साथ-साथ सभी प्रतिबंधों को हटाने के साथ आर्थिक गतिविधि पटरी पर लौट रही है। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र महामारी के पूर्व स्तर पर पहुंच रहे हैं या पार कर चुके हैं। विशेष रूप से, बैंक ऋण ने गति पकड़ ली है और रोजगार बाजार में तेजी आ रही है। निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी मांग में वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र में लचीलापन, मजबूत निर्यात और प्रेषण, और उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की उम्मीद है।

बैंकिंग क्षेत्र :

2021-22 में बैंकिंग क्षेत्र दूसरी लहर और तीसरी लहर से संबंधित जोखिम से सफलतापूर्वक उभर आया है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बैंकों ने अपेक्षाकृत मजबूत तुलन पत्र, पूंजी के उच्च स्तर और गुणवत्ता के साथ महामारी में प्रवेश किया है तथा सरकारों और केंद्रिय बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए पर्याप्त चलनिधि समय पर उठाए गए उपायों ने भी बैंकों को महामारी का सामना करने में मदद की है।

बैंक की साख वृद्धि और देयता गुणवत्ता मुख्य क्षेत्रों में वृद्धि के साथ सुधरी है। महामारी के बाद सामान्य स्थिति में धीरे-धीरे वापसी के साथ 2021-22 के दौरान क्रेडिट कुल व्यापार बढ़ा है।

बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भू-राजनीतिक तनाव, आगम मूल्य मुद्रास्फीति, कच्चे तेल में वृद्धि और वैश्विक दर वृद्धि चक्र जैसे जोखिमों के साथ प्रवेश किया, जो निकट अवधि में विकास/एनाआईएम पर कुछ दबाव डाल सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स के साथ दोहरे अंकों का क्रेडिट और जमा वृद्धि दर्ज कर सकता है, बशर्ते कि भू-राजनीतिक जोखिम समाप्त हो।

कार्य परिणाम :

बैंक के वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है:

- बैंक का कुल कारोबार 31.03.2022 को 5.25% बढ़कर ₹172524.10 करोड़ हो गया, जो 31.03.2021 में ₹163919.35 करोड़ था।
- कासा जमा में वर्ष दर वर्ष 9.51% की वृद्धि हुई और 31.03.2022 को यह ₹34528.42 करोड़ रही, जबकि 31.03.021 को यह ₹31530.39 करोड़ थी ।
- बैंक की कुल जमा राशि 31.03.2022 को ₹102137.10 करोड़ रही, जबकि 31.03.2021 को यह ₹96108.18 करोड़ थी। बैंक की कुल जमा राशि की औसत लागत पिछले वर्ष 4.28% (वित्त वर्ष 2021-22) की तुलना में 5.06% (वित्त वर्ष 2020-21) रही।
- बैंक के अग्रिमों में 3.80% की वृद्धि दर्ज कर 31.03.2022 को ₹70387.09 करोड़ हो गया जो 31.03.2021 को ₹67811.17 करोड़ था। अग्रिमों पर औसत उपज पिछले वर्ष के दौरान 7.78% (वित्त वर्ष 2020-21) की तुलना में 7.20% (वित्त वर्ष 2021-22) रही।
- कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.2021 को ₹28228 करोड़ (एएनबीसी का 43.95 %) था जो 10.45% वृद्धि के साथ बढ़कर 31.03.2022 को ₹31178 करोड़ (एएनबीसी का 50.20%) हो गया। बैंक का विनियामक उधार लक्ष्य 40% से अधिक हो गया।
- बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2022 को बढ़कर ₹11737 करोड़ हो गया और पिछले वर्ष (₹10180 करोड़) की तुलना में 15.29% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 31.03.2022 को सकल अग्रिमों (₹70387 करोड़) में खुदरा ऋण (₹11737करोड़) का 16.68% हो गया, जो 31.03.2021 को 15.01% था।
- एमएसएमई ऋण 31.03.2021 को ₹11497 करोड़ से 13.25% बढ़कर 31.03.2022 को कुल अग्रिमों में एमएसएमई ऋण का हिस्सा 18.5% था।

वित्तीय मानदण्ड :

- परिचालन लाभ 31.03.2022 को ₹1330.09 करोड़ रहा, जो 31.03.2021 को ₹772.03 करोड़ था।
- शुद्ध लाभ 31.03.2022 को ₹1039.05 करोड़ रहा जबकि निवल हानि 31.03.2021 को ₹2732.90 करोड़ रही।
- आस्तियाँ पर वापसी (आरओए) 0.85% (वित्तीय वर्ष 2021-22) की तुलना में (-) 2.55% (वित्तीय वर्ष 2020-21) रहीं।
- नेटवर्थ ₹5051.90 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को ₹5126.25 रहीं।
- बैकं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III) 31.03.2022 को न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता 18.54% के विरुध 10.875% रहा ।
- बैंक का सकल एनपीए 31.03.2022 को ₹8564.82 करोड़ (12.17%) रहा, जबकि 31.03.2021 को ₹9334.00 करोड़ (13.76%) था।
- बैंक का निवल एनपीए 31.03.2022 को ₹1742.27 करोड़ रहा, जबकि 31.03.2021 को ₹2461.95 करोड़ था।
- निवल एनपीए प्रतिशत सुधरकर 31.03.2022 को 2.74% हो गया, जो 31.03.2021 को 4.04% था।
- बैंक के निदेशक मंडल ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक शेयरधारक को ₹10/- के अंकित मूल्य के ₹0.31 प्रति इक्विटी शेयर (यानी 3.1%) के लाभांश की सिफारिश की है।

वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22
शुद्ध ब्याज आय	2651.32
गैर ब्याज आय	959.38
परिचालन व्यय	2280.61
परिचालन लाभ	1330.09
प्रावधान /आकस्मिकताएं	291.04
शुद्ध लाभ	1039.05
प्रति शेयर आय (₹)	2.56
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	7.54

वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख वित्तीय अनुपात इस प्रकार हैः

(प्रतिशत - %)

विवरण	2021-22
अग्रिम पर प्रतिफल	7.20
निवेश पर प्रतिफल	6.69
जमा पर लागत	4.28
निवल ब्याज मार्जिन	2.80
आय अनुपात पर लागत	63.16

पूँजी और आरक्षित निधिया :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के लिए ₹4600 करोड़ का निवेश किया। तदनुसार, बैंक ने ₹10/- के 2725118483 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक ने ₹16.88 (₹6.88 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर पूरी तरह से भुगतान किया है। परिणामस्वरूप, बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 31 मार्च 2022 तक बढ़कर 98.25% हो गई है।

जारी की दिनांक	शेयर की संख्या	मूल्य	राशि (करोड़)	विवरण
31.03.2022	2725118438	16.88	4600,00,00,000	

पूंजी पर्याप्तता :

- बेसल-III ढ़ांचे के अनुसार, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.54% है जोकि 11.50% की नियामक आवश्यकता से अधिक है।
- पूँजी पर्याप्तता का विवरण (बेसल-III) हैः

(राशि करोड़ में)

विवरण	बेसल – III			
	31.03.2021		31.03.2022	
सीईटी 1 सीआरएआर	6243	12.05%	6307	12.77%
एटी 1 सीआरएआर	1000	1.93%	1000	2.03%
टियर-I पूँजी	7243	13.98%	7307	14.80%
टियर-II पूँजी	1598	3.12%	1849	3.74%

कुल पूँजी	8841	17.06%	9156	18.54%
जोखिम भारिता आस्तियाँ	51790	-	49381	-

व्यावसायिक पहल :

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रस्ताव कार्यान्वित किये है। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है:

- बैंक ने अपनी **13 क्रेडिट योजनाओं को क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल** पर शामिल किया है, जो वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा की गई एक पहल है, ताकि तेजी से क्रेडिट निर्णय लेने और रिपोर्ट के माध्यम से बेहतर निगरानी की जा सके।
- बैंक ने एमएसएमई-एलएपी और आवास ऋण (पीएस) के लिए **गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के साथ सह-ऋण व्यवस्था** शुरू की है।
- बैंक ने निम्न के लिए आईवीआर (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) सुविधाएं आरंभ की हैं:
  i) चेक स्थिति ii) कार्ड हॉट लिस्टिंग iii) पिछले 5 अंतरणों तक छोटी विवरणी
- बैंक ने यूपीआई के लिए **"एकीकृत विवाद और समस्या समाधान" (यूडीआईआर)** कार्यक्षमता कार्यान्वित की है।
- कार्ड और पिन लेनदेन की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए बैंक ने सभी एटीएम को ईएमवी में स्थानांतरित कर दिया है।
- बैंक ने कार्डधारक को नजदीकी पीएसबी एटीएम मशीन विवरण प्रदान करने के लिए दूरस्थ ऑन-अस लेनदेन पर **एसएमएस अलर्ट सेवाएं** लागू की हैं।
- सभी प्रकार के लेन-देन – घरेलु और अंतरराष्ट्रीय के लिए, पीओएस/एटीएम/ऑनलाइन लेनदेन/संपर्क रहित लेनदेन आदि की अंतरण सीमा (बैंक द्वारा निर्धारित समग्र डेबिट कार्ड सीमा के भीतर) **स्विच ऑन/ऑफ और सेट/मोडिफाई** के लिए सुविधा कार्ड अंतरण की सुरक्षा बढ़ाने के लिए **पीएसबी यूनिक ऐप/वेब** के माध्यम से प्रदान की जाती है
- बैंक ने सिंगापुर में एनईटीएस नेटवर्क पर पीओएस टर्मिनलों रुपे डोमेस्टिक कार्ड की और भूटान में आरएमए नेटवर्क पर एटीएम, पीओएस और ईसीओएम पर स्वीकृति को सक्षम किया है।
- वैयक्तिकृत डेबिट कार्ड सीधे ग्राहक के पते पर भेजना।
- बैंक ने सार्वजनिक रूप से विज्ञापन देने और अपनी छवि बनाने के लिए एक मल्टी-मीडिया रणनीति अपनाई। प्रिंट, आउटडोर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार के अलावा, बैंक अपने उत्पादों और योजनाओं के विज्ञापन के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

ग्राहकों को पूर्ण रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान अपने मौजूदा गुलदस्ते में निम्नलिखित उत्पादों और सेवाओं को जोड़ा है:

- निम्न-आय वर्ग के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यानी ₹25000/- से कम के लिए **पीएसबी स्मार्ट वेतन खाता** ।
- ब्याज दर में रियायत सहित आकर्षक विशेषताओं के साथ **रक्षा कर्मियों (पीएसबी अपना घर-गौरव) के लिए विशेष गृह ऋण उत्पाद** ।
- स्वास्थ्य गतिविधियों में लगे विभिन्न हितधारकों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण करने वित्तपोषण के लिए **पीएसबी आरोग्यम** योजना।
- इलेक्ट्रिक कार के वित्तपोषण के लिए अलग से **"पीएसबी ई-वाहन"** योजना । इस योजना में नई इलेक्ट्रिकल कार (ई-वाहन) की खरीद और नई इलेक्ट्रिकल कार की लागत की प्रतिपूर्ति शामिल है (वाहन बीजक की तारीख से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

- ₹5.00 करोड़ तक की बकाया राशि वाले एनपीए (संदिग्ध-2, संदिग्ध-3 और हानि) और टीडब्ल्यूओ खाते के एकमुश्त निपटान के लिए विशेष योजना अर्थात् ऋण समाधान योजना 2022 ।
- खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए नया ओमनी सोल्यूशन (इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के लिए सामान्य प्लेटफॉर्म) "**पीएसबी यूनिक**" और "**पीएसबी यूनिक बिज़**"।
- ग्राहकों के लिए **चैट-बॉट** की सुविधा। यह ग्राहकों को बैंक की विभिन्न सेवाओं/सूचनाओं से संबंधित उनके प्रश्नों का समधान करने में सहायता करता है।
- **पीएम कुसुम** के तहत विकेन्द्रीकृत जमीन पर लगे ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना/2 मेगावाट (घटक ए) तक के व्यक्तिगत संयंत्र आकार के लिए आवश्यक गैजेट की खरीद के लिए **सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना**। यह योजना पीएम कुसुम (घटक बी और सी) के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी के अलावा अन्य हिस्से के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण भी प्रदान करती है।
- एनसीजीटीसी से गारंटी कवरेज के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पात्र परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए **कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस)**।
- किसानों की सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए/निर्माण में पात्र संगठन/ गोदामों, ड्राई वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, साइलो, मार्केट यार्ड जैसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के संचालन के लिए "**भंडारण अवसंरचना के लिए पीएसबी योजना**" ।
- राजस्थान राज्य के लिए स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, और अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों जैसे नाई, रिक्शा-चालक, कुम्हार, बढ़ई, मोची, राजमिस्त्री, दर्जी, धोबी, चित्रकारों, नल-बिजली की मरम्मत करने वाले, आदि तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के पुनर्वास का आरंभ करने के लिए **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना- 2021** ।

पुरस्कार और उपलब्धियां :

बैंक को निम्न सम्मान प्राप्त हुए-

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामांकन के लिए पीएफआरडीए द्वारा आयोजित "**लीडरशिप कैपिटल (4.0)**" अभियान के तहत **अनुकरणीय स्वर्ण पुरस्कार** प्राप्त हुआ।
- आईबीए द्वारा घोषित **सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन** पहल श्रेणी पुरस्कार में **उपविजेता**।
- थीम 3 अर्थात् 31.12.2021 को ईएएसई 4.0 के तहत सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोग करना में **तीसरा शीर्ष प्रदर्शन** करने वाला बैंक ।
- पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 01.02.2022 से 02.03.2022 तक शुरू किए गए **डीएसबी (डोरस्टेप बैंकिंग) उड़ान अभियान में तीसरा स्थान** प्राप्त किया।
- 14.09.2021 को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु सर्वोच्च **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय)**
- संघ की राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से **राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ।
- बैंक की हिंदी पत्रिका '**राजभाषा अंकुर**' को हिंदी गृह पत्रिका की श्रेणी में दिल्ली नराकास द्वारा **प्रोत्साहन पुरस्कार** प्राप्त हुआ।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समयः

क) लागू लेखांकन मानकों का पालन तात्विक विचलन से सबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है, यदि कोई हो

ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि के बारे में उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए थे।

ग) बैंक की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का यथोचित और पर्याप्त संरक्षण किया गया है,

घ) वार्षिक लेखा उन्नतिशील के आधार पर तैयार किए गए हैं,

ङ) बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

च) सभी प्रयोज्य नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढ़ंग से काम कर रही थी।

मानव संसाधन प्रबंधन :

बैंक में सक्रिय मानव संसाधन प्रबंधन कार्यप्रणाली हैं, जहां कार्मिकों को परिसंपत्ति के रूप में समझा जाता है। 31.03.2022 को बैंक में कुल 8735 कार्मिक हैं, जिनमें से 6606 अधिकारी संवर्ग, 1878 लिपिक संवर्ग और 241 अधीनस्थ कर्मचारी हैं। कुल 8735 कार्मिकों में से 2621 महिला कार्मिक हैं।

पदोन्नतियां : बैंक लगभग प्रत्येक वर्ष अपने सभी संवर्गों के कार्मिकों को उनके श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कृत करने और उन्हें उच्च जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम बनाने में नियमित रूप से पदोन्नत दे रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान निम्न पदोन्नतियां की गई हैं :

पदोन्नतियां	उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक	सहा. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक	मुख्य प्रबंधक से सहा. महाप्रबंधक	वरि. प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक	प्रबंधक से वरि. प्रबंधक	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी
कुल	4	15	43	79	148	335	179

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास : वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न माध्यमों (ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड) के माध्यम से अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। इसे ध्यान में रखते हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़ एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट (एनआईबीएससीओएम), नोएडा और स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज (एसटीसी), दिल्ली की विशेषज्ञता का उपयोग करके 282 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, बैंक ने बाहरी संस्थानों की विशेषज्ञता का उपयोग करके वर्तमान वित्त वर्ष में मनोवृत्ति, व्यवहार और अन्य विभिन्न मॉड्यूल पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे।

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 427 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 8067 कार्मिकों ने विभिन्न पाठ्यक्रम मॉड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें से 145 प्रशिक्षण कार्यक्रम शीर्ष संस्थानों (जैसे एनआईबीएम, पुणे, आईडीआरबीटी हैदराबाद, सीएबी) द्वारा आयोजित किए गए थे। पुणे, आदि)। शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों के 756 कार्मिकों (शीर्ष अधिकारियों सहित) ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबिनार में भाग लिया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 02 महाप्रबंधक और 01 उप महाप्रबंधक, आईआईएम, बैंगलोर और बीबीबी के नेतृत्व में विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की । इसके अतिरिक्त, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आईआईबीएफ के 10वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में 09 सहायक महाप्रबंधक और 01 मुख्य प्रबंधक को भी नामित किया गया। साथ ही, बैंक ने आईआईएम-रायपुर द्वारा प्रायौगिक वित्तीय जोखिम प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 11 अधिकारियों (01-महाप्रबंधक, 2-उप महाप्रबंधक और 8-सहायक महाप्रबंधक) को नामित किया।

पीएसबी डिजिटल लर्निंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2020-21 में काम के ज्ञान को बढ़ाने और कार्मिकों के कौशल को डिजिटल रूप से बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह पोर्टल 24*7 आधार पर सभी कार्मिकों (लिपिक और इससे ऊपर) के लिए सुलभ है और वे अपनी सुविधानुसार अपने मोबाइल/लैपटॉप/पीसी के माध्यम से ई-लर्निंग मॉड्यूल में भाग ले सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 60 ई-लर्निंग परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए बैंक ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई), एसबीआई फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीओई ने दिव्यांगजनों (कार्मिकों) के लिए ऑनलाइन वेबिनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

प्रशिक्षण की जरूरतों और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक प्रशिक्षण समीक्षा और सलाहकार समिति (टीआरएसी) गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक (मा.स.) द्वारा की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, टीआरएसी की तीन बैठकें प्रधान कार्यालय में आयोजित की गईं।

जॉब फैमिली के माध्यम से प्रतिभा पूल का निर्माण : विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रतिभा पूल बनाने के लिए बैंक ने कार्मिकों के लिए 11 जॉब फैमिली की पहचान की है, जिसमें वे अपनी पेशेवर / शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और रुचि के आधार पर कार्य हेतु आवेदन कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में, जॉब फैमिली के तहत कार्मिकों से विकल्प मांगे गए और उसके बाद विशेष जॉब फैमिली के तहत उनकी तैनाती से पूर्व आवेदनों की जांच की गई, छांटा गया (साक्षात्कार द्वारा) और संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

भर्ती : बैंक ने लगातार सेवानिवृत्ति, व्यापार वृद्धि और विस्तार की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयास किए है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निम्न कार्मिकों की भर्ती की है:

पद	आवंटित (वि.वर्ष 2021-22 में)	नियुक्त (वि.वर्ष 2021-22 में)
अधीनस्थ स्टाफ़	**00**	**11***
एसडब्लयूओ- सीडब्लयूई- IX (आरक्षित सूची)	**72**	**30**
एसडब्लयूओ- सीडब्लयूई-X	**218**	**139+10***
पीओसीडब्लयूई - X	**228**	**159**
एएफओ	**4**	**4**
आईटी प्रबंधक (स्केल-II)	**16**	**11**
आईटी प्रबंधक (स्केल-III)	**1**	**1**
जोखिम प्रबंधक (स्केल-III)	**2**	**0**
जोखिम प्रबंधक (स्केल-IV)	**2**	**1**
कुल	**543**	**366**

*अनुकम्पा नियुक्ति

औद्योगिक संबंध : बैंक प्रबंधन के साथ सहयोग और सामंजस्यपूर्ण की भावना विकसित करने के लिए बैंक में कार्यरत सभी कामगारों / अधिकारी यूनियनों / यूनियनों के साथ सौहार्दपूर्ण और तालमेल बनाए हुए है। आईआर कक्ष कामगारों और अधिकारी यूनियनों दोनों के साथ त्रैमासिक आईआर बैठकें आयोजित कर रहा है।

आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को रोजगार : बैंक जहां भी आवश्यक हो, भर्ती/पदोन्नति में पदों के आरक्षण के लिए आरक्षण नीति के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों को लागू करता है।

31.03.2022 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कार्मिकों की संख्या क्रमशः 2872, 607, 2382 और 55 थी। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत कार्मिकों की संख्या निम्न है:-

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	पूर्व-एसएम	दिव्यांग
अधिकारी	6606	509	1653	25	72	398
लिपिक	1878	57	494	30	180	90
अधीनस्थ कर्मचारी	241	12	23	0	8	10
कुल	**8725**	**578**	**2170**	**55**	**260**	**498**

कोरोना महामारी पहल: बैंक ने उन कार्मिकों को विभिन्न छूट/प्रोत्साहन प्रदान किए हैं, जो लॉकडाउन चरण के दौरान कार्यालय में आ रहे थे तथा उपस्थित हो रहे थे। उनमें से कुछ थे:

- सभी दुग्धपान कराने वाली माताएं, जिनके 10 महीने तक के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों को किसी भी संक्रमण या प्रकोप से बचाने के लिए एकबारगी विशेष अवकाश स्वीकृत किया गया था।
- आँचलिक कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों को सलाह दी गई थी कि वे अपने कर्मचारियों की संख्या का 40%-50% घर से काम करने के लिए (लॉकडाउन अवधि के दौरान) सुनिश्चित करें।
- कोविड-19 के प्रकोप के दौरान सांतरित काम के घंटों की शुरुआत की गई।
- कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के कारण यदि किसी कार्मिक की मृत्यु (सेवा में रहते हुए) हुई के मामले में वित्तीय सहायता के रूप में कार्मिक के कानूनी वारिसों को ₹20.00 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए पहल की गयी है ।

खेल कक्ष : हमारे बैंक में दो हॉकी टीमें हैं (हॉकी इंडिया से संबद्ध सीनियर पुरुष हॉकी टीम और एक जूनियर हॉकी अकादमी) और वे अपनी-अपनी श्रेणियों के सभी प्रमुख आयोजनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, हमारे बैंक की हॉकी टीम ने सभी प्रमुख टूर्नामेंटों (अखिल भारतीय 38वां सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, 57वां नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, ओबैदुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट, आदि) में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालाँकि, इस वर्ष कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण, बैंक का वार्षिक खेल आयोजन "पीएसबी आओ खेले" आयोजित नहीं कर सका।

CS *Suchitta Koley*
FCS, FICA
Company Secretary

62/12, 2nd Floor, Old Rajendra Nagar
New Delhi - 110060
Mobile: 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

फॉर्म संख्या एमआर – 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

{भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 24 ए के अनुसरण में}

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सदस्य
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली -110 008

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बैंक बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, सांविधिक रजिस्टर, फॉर्म एवं दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भी, हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप-विधि
(iii) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम;
(iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश-

(a) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
(b) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
(c) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018;
(d) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;
(e) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम 2021;
(f) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम 1993;
(g) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम 2021;
(h) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम 2018;
(i) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(v) निम्नलिखित अधिनियम, योजना, विनियम जो लागू हों और अन्य कानून जो विशेष रूप से बैंक के लिए हैं जैसे-

(a) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980
(b) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980
(c) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008

हमारी रिपोर्ट को नीचे उल्लिखित नोटिंग के साथ पढ़ा जाए –

1) सचिवीय अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत अभिव्यक्त करना है।
2) हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों के अंतर्वस्तु की यथार्थता के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के परिलक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है, हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।
3) हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख तथा लेखा बहियों की यथार्थता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4) जहाँ भी आवश्यकता हो, हमने विधि, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

CS *Suchitta Koley* FCS, FICA
Company Secretary

5) कॉरपोरेट तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियमों व विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सिमित थी।

6) हमने, विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य विधि के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।

7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान, बैंक ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं :

1) निम्नांकित पर्यावलोकन के अधीन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के विनियम 17 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया है:

(a) डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यकारी निदेशक) की सेवानिवृत्ति के बाद, केंद्र सरकार ने रिक्ति को भरने के लिए कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। तदनुसार बैंक, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के प्रावधानों का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है।

(b) सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के अनुसार बैंक के पास पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

(c) मद संख्या 1 के मद्देनज़र, निदेशकों की समिति का गठन जिसमें स्वतंत्र निदेशक को अध्यक्ष होने चाहिए, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के अनुसार नहीं है।
बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी तथा बैंक ने सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के से लगातार संपर्क किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल के संघटन में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

2) समस्त निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए यथोचित सूचना दी जाती है और तदनुसार, कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशकों को भेजे गए तथा बैठक से पूर्व और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

CS *Suchitta Koley* FCS, FICA
Company Secretary

3) बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा असहमत सदस्यों के विचार, यदि हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और अभिलेखित किया जाता है।

4) प्रयोज्य विधि, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु बैंक के आकार तथा प्रचालनों के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

5) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान :

(a) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 4600/- करोड़ राशि के सामान्य शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन के लिए ई-मतदान द्वारा बैंक ने विशेष संकल्प पारित किया है।

(b) बैंक ने दिनांक 31.03.2022 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर प्रति ₹ 10/- मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹ 16.88 प्रति शेयर पर कुल 2,72,51,18,483 सामान्य शेयर आबंटित किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने विभिन्न अधिनियमों, नियमों व विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों की अपेक्षाओं का सामान्य तौर पर अनुपालन किया है जो बैंक प्रयोज्य हैं।

सुचिता कोली
कंपनी सचिव
एफसीएस 1647; सीपी संख्या : 714
यूडीआईएन : F001647D000329018

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 मई, 2022

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट (2021-22)

1) अभिशासन संहिता पर बैंक – दर्शन

बैंक, सभी स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेयरधारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक सुदृढ़ कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका पालन भी करेगा। बैंक, अपने समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुचाने हेतु सघन प्रयास करेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निगमित निकाय है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार शेयर बाज़ारों के साथ किए गए सूचीयन करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

2) निदेशक-मंडल

2.1. बोर्ड का संघटन

निदेशक मंडल का गठन, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 तथा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध व विविध प्रावधान) योजना 1980 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

मार्च 31, 2022 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	दिनांक 31.03.2022 को धारित बैंक शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उपसमिति की सदस्यता/अध्यक्षता
1	श्री एस. कृष्णन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	शून्य	10	A	1. प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति 4. जोखिम प्रबंधन समिति 5. ग्राहक सेवा समिति 6. आईटी कार्यनीति समिति 7. एचआर समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति 9. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 10. असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति

2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र कार्यकारी निदेशक	शून्य	8	B	1. प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. आईटी कार्यनीति समिति 6. एचआर समिति 7. वसूली की निगरानी के लिए समिति 8. हितधारक संबंध समिति
3	डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक	शून्य	8	C	1. प्रबंधन समिति 2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 3. बोर्ड की सतर्कता समिति 4. ग्राहक सेवा समिति 5. आईटी कार्यनीति समिति 6. एचआर समिति 7. वसूली की निगरानी के लिए समिति 8. हितधारक संबंध समिति
4	श्री एस आर मेहर निदेशक –एमओएफ नामित	शून्य	8	D	1. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 2. बोर्ड की सतर्कता समिति 3. ग्राहक सेवा समिति 4. आईटी कार्यनीति समिति 5. एचआर समिति 6. वसूली की निगरानी के लिए समिति 7. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 8. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के लिए समिति
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक निदेशक – आरबीआई नामित	शून्य	2	E	1. प्रबंधन समिति 2. बोर्ड की सतर्कता समिति
6	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता गैर-सरकारी निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	7	F	1. प्रबंधन समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. हितधारक संबंध समिति 4. आईटी कार्यनीति समिति 5. एचआर समिति 6. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के लिए समिति 7. असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल गैर-सरकारी निदेशक	शून्य	7	G	1. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति 2. जोखिम प्रबंधन समिति 3. वसूली की निगरानी के लिए समिति 4. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के लिए समिति 5. असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति 6. ग्राहक सेवा समिति 7. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
8	सुश्री रश्मि खेत्रपाल गैर-सरकारी निदेशक	शून्य	0	H	कोई नहीं

A. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 4/2/2018-बीओ.I दिनांकित 03.09.2020 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी अधिवर्षिता (अर्थात् 31.05.2022) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

B. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 4/3/2020-बीओ-I दिनांकित 10.03.2021 की शर्तों के अनुसार कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात् 30.06.2023) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

C. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/2/2021-बीओ-I दिनांकित 21.10.2021 की शर्तों के अनुसार दिनांक 21.10.2021 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात् 30.04.2024) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

D. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ-I दिनांकित 13.07.2018 की शर्तों के अनुसार तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

E. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं.6/3/2011-बीओ-I दिनांकित 13.04.2021 की शर्तों के अनुसार तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

F. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (आई) के अंतर्गत दिनांक 12.05.2021 से 11.05.2024 तक 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 में आयोजित शेयरधारक-निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया को वापस लेने के बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है (आदेश दिनांकित 19/04/2021 के माध्यम से)।

G. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं. 6/6/2021-बीओ-I दिनांकित 21.12.2021 की शर्तों के अनुसार अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

H. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा उपधारा (3 ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 6/6/2021-बीओ-I दिनांकित 21.03.2022 की शर्तों के अनुसार अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.2. वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ समाप्ति :

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

(A) नियुक्ति –

डॉ. रामजस यादव को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 4/2/2021-बीओ-I दिनांकित 21.10.2021 की शर्तों के अनुसार दिनांक 21.10.2021 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात 30.04.2024) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री कमल प्रसाद पटनायक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 6/3/2011-बीओ.I दिनांकित 13.04.2021 की शर्तों के अनुसार तुरंत प्रभाव से तथा आगामी आदेशों तक, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (आई) के अंतर्गत दिनांक 12.05.2021से 11.05.2024 तक 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है।

श्री शंकर लाल अग्रवाल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 6/6/2021-बीओ.I दिनांकित 21.12.2021 की शर्तों के अनुसार अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए या आगमी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री रश्मि खेत्रपाल को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा उपधारा (3 ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 6/6/2021-बीओ.I दिनांकित 21.03.2022 की शर्तों के अनुसार अधिसूचना तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए या आगमी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.3. अन्य सूचीबद्ध इकाइयों की समिति/ बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	पीएसबी में निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जिनमें निदेशक, बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध इकाई में बोर्ड/ समिति का नाम जहाँ निदेशक अध्यक्ष/ सदस्य है		अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक पद की श्रेणी
1	श्री एस. कृष्णन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र कार्यकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
3	डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
4	श्री एस आर मेहर निदेशक –एमओएफ द्वारा नामित	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक निदेशक – आरबीआई नामित	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
6	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता गैर-सरकारी निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

7	श्री शंकर लाल अग्रवाल गैर-सरकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
8	सुश्री रश्मि खेत्रपाल गैर-सरकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

(B) वर्ष के दौरान निवर्तमान निदेशक :

1. श्री बी. पी. विजयेन्द्र, आरबीआई नामित निदेशक, दिनांक 12.04.2021 तक बैंक के बोर्ड में रहे।
2. डॉ. चरन सिंह- गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, दिनांक 22.05.2021 तक बैंक के बोर्ड में रहे।

2.4. वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक

उन्होंने जून 1984 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कैरियर की शुरुआत की। वाणिज्य में स्नातकोत्तर किया है जिसके पश्चात व्यावसायिक योग्यता यथा - आईसीडब्ल्यूए, सीएस, एमबीए और डॉक्टरेट (पीएचडी) को विशेष योग्यता के साथ पूरा किया।

प्रचालन व क्रेडिट प्रबंधक, प्रशिक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, शाखा प्रबंधक, एसएमई-ऋण फैक्ट्री प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, अंचल प्रमुख, कॉर्पोरेट कार्यालय की कार्यविधि, बोर्ड स्तर का एक्सपोजर इत्यादि बैंकिंग उद्योग में उनके व्यापक, गहन और व्यवस्थित व्यवसायिक सुधार के पर्याप्त प्रमाण हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अनेक पुरस्कारों और प्रशंसाओं सहित लखनऊ में देश की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का भी नेतृत्व किया।

बैंकिंग उद्योग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें कई अकादमिक पुरस्कारों के अतिरिक्त बैंकिंग में अपनी प्रमुख भूमिकाओं में उत्कृष्टता के लिए अनेक व्यावसायिक पुरस्कार मिले हैं यथा (क) सीएआईआईबी 1988-1989 में शीर्ष रैंक के लिए नौ विशिष्ट पुरस्कार, (ख) वर्ष 2012-13 में आईआईबीएफ, मुंबई द्वारा "एसएमई वित्त में इश्यू" के लिए मैक्रो रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड, (ग) भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2017 में "समावेशी बैंकिंग" पर पुस्तक लिखने के लिए "राजभाषा गौरव पुरस्कार", (घ) उन्होंने "कृषि और एमएसएमई-आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान" पुस्तक भी लिखी है जिसे 2021 में भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा "गौरव पुरस्कार" से पुरस्कृत किया गया।

श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक

श्री कमल प्रसाद पटनायक (आरबीआई नामित निदेशक), भारतीय रिज़र्व बैंक के जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय में निदेशक हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा से स्नातकोत्तर (राजनीति विज्ञान) किया है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं और उनके पास बैंकिंग रिस्क एंड रेगुलेशन (आईसीबीआरआर) (जीएआरपी, यूएसए) में जीएआरपी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। वह बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के सचिव भी रहे हैं और बेसल III के कार्यान्वयन में भी शामिल थे। उन्हें, भारत और विदेशों में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर 16 वर्षों का ऑनसाइट और ऑफसाइट अनुभव है।

श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता – गैर-सरकारी निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

श्री टी आर मेंदीरत्ता को भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 वर्षों की उनकी सेवा के दौरान वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशासन और सामान्य प्रशासन क्षेत्र का अनुभव है। उन्हें 2017 में बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप निर्वाचित किया गया था तथा उन्होनें दिनांक 30.06.2020 को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने पर पद छोड़ दिया था।

श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर-सरकारी निदेशक

श्री शंकर लाल अग्रवाल, बी कॉम, एलएलबी और अहर्ता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं। मेसर्स एस गर्ग एंड कंपनी के संस्थापक भागीदार होने के नाते, वह 1989 से फर्म के एक वरिष्ठ भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आगे, वह विभिन्न स्तरों में विविध समितियों यथा आईसीएआई के सीआईआरसी के क्षेत्रीय राज्यवार पीडीसी उप समिति राजस्थान में समन्वयक, आईसीएआई के सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा समिति के सदस्य, आईसीएआई की अकादमिक समिति के सदस्य, आईसीएआई की परियोजना समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार की राज्य लोक निवारण और शिकायत समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार के सरकारी उद्यमकर्ता में तकनीकी सलाहकार, राजस्थान सरकार के वैट सलाहकार एवं शिकायत समिति के सदस्य, राजस्थान सरकार के वित्त एवं बजट सलाहकार समिति के सदस्य, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य रहे हैं। वह अप्रैल 2016 से अप्रैल 2019 तक सांभर साल्ट लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में, वह जनवरी, 2021 ले हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड तथा सांभर साल्ट लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक हैं।

उन्होंने विभिन्न अध्ययन समूहों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ताशकंद (उज्बेकिस्तान), बाली (इंडोनेशिया), हांगकांग, मकाऊ, हंगरी (बुडापेस्ट), चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, गर्नमनी आदि का भी दौरा किया है।

इसके अलावा, लेखक और संपादक के रूप में उन्होंने पांचजन्य साप्ताहिक को समाचार और लेख भेजे हैं। वह समाचार जगत दैनिक पत्र के लिए साप्ताहिक आर्थिक विश्लेषण लेखक भी थे। वे विभिन्न पुस्तकों यथा विधानसभा चुनाव 2003 व 2008 के राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव विश्लेषण पुस्तक, लोकसभा चुनाव विश्लेषण (1984-2009), राजस्थान मूल्य वर्धित कर 2006 और लोकसभा चुनाव विश्लेषण (1984-2014) के संपादक भी थे।

सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर-सरकारी निदेशक

सुश्री रश्मि क्षेत्रपाल को दिनांक 21.03.2022 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की स्वतंत्र निदेशक, आईसीएआई की एनआईआरसी की अध्यक्ष, आईसीएआई की एनआईआरसी की वैट समिति तथा आईसीएआई की अन्य समितियों की भी स्वतंत्र निदेशक रही हैं। इन्हें आईसीएआई की एनआईआरसी में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है।

सुश्री क्षेत्रपाल काउंटमैजिक ऑनलाइन सर्विसेज़ जो एमएसएमई के लिए लेखांकन व जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है, की संस्थापक निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त ये सनदी लेखाकार हैं जिसका इन्हें दो दशकों से अधिक का अनुभव है और लेखांकन, वित्त, आंतरिक

लेखा परीक्षा, कराधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्ध्यौगिकी में इन्हें निपुणता प्राप्त हैं। इन्होंने जीएसटी, पेशेवर धोखाधड़ी, आंतरिक नियंत्रण और पीओएसएच के विभिन्न विषयों पर 500 से अधिक संगोष्ठियों में व्याख्यान दिया है।

2.5. बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 19 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई :

05.05.2021	22.05.2021	22.06.2021	08.07.2021	22.07.2021
27.07.2021	29.07.2021	01.09.2021	13.09.2021	29.09.2021
13.10.2021	01.11.2021	11.11.2021	29.12.2021	20.01.2022
07.02.2022	17.02.2022	07.03.2022	29.03.2022	-------

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 20.07.2021 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह- अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	01.04.2021 से 22.05.2021	2	1	अप्रयोज्य
2	श्री एस. कृष्णन – एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	19	19	उपस्थित
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	19	19	उपस्थित
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	08	08	अप्रयोज्य
5	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	19	19	अनुपस्थित
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक	13.04.2021 से 31.03.2022	19	19	अनुपस्थित
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021 से 31.03.2022	6	6	अप्रयोज्य
8	सुश्री रश्मि खेतपाल - गैर-सरकारी निदेशक	21.03.2022 से 31.03.2022	1	1	अप्रयोज्य
9	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	12.05.2021 से 31.03.2022	18	18	उपस्थित

2.6. आचार संहिता

शेयर बाजार सहित सेबी (सूचीबद्धता बाध्ताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (5) के अनुपालन में निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् निदेशकों व समस्त महाप्रबंधकों को समाविष्ट करते हुए निदेशक से एक श्रेणी नीचे के लिए आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की बेबसाइट https://www.punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित है। निदेशक मंडल के समस्त सदस्यों तथा महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त की है।

3) साधारण सभा बैठक

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण सभा बैठक/ डाक मतपत्र का विवरण नीचे दिया गया है :

स्वरूप	दिन व तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
नौवीं सामान्य बैठक	गुरुवार, 11 जुलाई, 2019	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्लॉट संख्या 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	- 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए।
असाधारण सामान्य बैठक	सोमवार, 11 नवंबर, 2019	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्लॉट संख्या 3, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	- विशेष संकल्प के माध्यम से नगद के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 787/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹ 79.50 (₹ 69.50 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर कुल 9,89,93,710 इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटित करने हेतु अनुमोदन किया गया।
डाक मतपत्र	गुरुवार, 25 जून, 2020	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	- अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से ₹ 500 करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- अंकित मूल्य वाले नए इक्विटी शेयर सृजित, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटित करना।
दसवीं सामान्य बैठक	मंगलवार, 11 अगस्त, 2020	प्रातः 10.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से दो निदेशकों का चुनाव करना।
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 25 मार्च, 2021	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- विशेष संकल्प के माध्यम से नगद के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 5500/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹ 16.41 (₹ 6.41 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर कुल 3,35,16,14,868 इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटित करने हेतु अनुमोदन किया गया।
असाधारण सामान्य बैठक	सोमवार, 17 मई, 2021	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना। (श्री टी आर मेन्दीरत्ता

				को एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण तुरंत निर्वाचित किया गया और बैठक रद्द कर दी गई)
ग्यारहवीं सामान्य बैठक	मंगलवार, 20 जुलाई, 2021	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 31 मार्च, 2021 को ₹ 3577,54,66,746.23 की संचित हानियों को विनियोजित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन।
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 31 मार्च, 2022	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- नगद के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 4600/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹ 16.88 (₹ 6.88 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर कुल 2,72,51,18,483 इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटित करने हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदन किया गया।

4) निदेशकों की समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने सामरिक महत्व के क्षेत्रों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड/ समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/आईआर के प्रचालन निष्पादन व विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, खंड/ उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार है :

क्र. सं.	समिति का नाम
1	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी)
2	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
3	वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति
4	बोर्ड की सतर्कता समिति
5	जोखिम प्रबंधन समिति
6	ग्राहक सेवा समिति
7	हितधारक संबंध समिति
8	एचआर समिति
9	आईटी कार्यनीति समिति

10	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति
11	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
13	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
14	गैर-सहकारी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
15	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
16	शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान
17	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. सं. 16/22/2019-बीओ. I (भाग) दिनांकित 25.01.2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के पैरा 14 के पश्चात निम्नांकित पैरा को अतः स्थापित किया है।

"जहाँ किसी राष्ट्रीय बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारणा, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा गतिविधि को कर सकेगा।"

उपरोक्त के अनुरूप, बोर्ड ऐसी किसी समिति के कार्य को समाविष्ट कर सकता है जहाँ ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है।

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में बोर्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मसलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/ बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक/कों और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा धारा 9 (3) की उपधारा (डी) (ई) (एफ) (एच) व (आई) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2022 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक

4	श्री कमल प्रसाद पटनायक - निदेशक (आरबीआई नामिति)
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों पर दस (10) बैठकें हुई :

07.06.2021	22.07.2021	29.09.2021	10.11.2021	04.12.2021
29.12.2021	20.01.2022	28.02.2022	07.03.2022	23.03.2022

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान, समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	10	10
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	10	10
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	07	07
4	श्री कमल प्रसाद पटनायक – आरबीआई नामित निदेशक	13.04.2021 से 31.03.2022	10	09
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	12.05.2021 से 31.03.2022	10	10

4.2 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी):

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष तथा बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक के सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा व आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उसके अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षक/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह आगे बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा समिति तिमाही/इयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यकारी निदेशक) की सेवानिवृत्ति के बाद, गणपूर्ति के अभाव में एसीबी का पुनर्गठन नहीं हो सका। इसके बाद, राष्ट्रीयकृत बैंक के (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) के प्रावधान 14 ए के अनुसार बोर्ड द्वारा अपने संकल्प संख्या 25668 दिनांकित 08.07.2021 के माध्यम से एसीबी के कार्यकरण को समाविष्ट किया गया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) की निम्न तिथि पर एक (01) बैठक हुई :

22.05.2021

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉचरन सिंह . - अध्यक्ष (गैरकार्यकारी-)	01.04.2021 से 22.05.2021	1	1
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	1	1
3	श्री एस आर मेहर -एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	1	1
4	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक	13.04.2021 से 31.03.2022	1	1

4.3 वृहत् मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) सं. 1004/23.04.01ए/2003-4 दिनांकित 14.01.2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे जांच, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि में देरी के विषय में सूचित किया था। अत: यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप-समिति गठित की जाए जो पूरी तरह से ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामले की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्यत: धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करती रहेगी।

समिति के प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि के धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है जिससे :

(a) प्रणालीगत कमियों (यदि हो) जिससे धोखाधड़ी कृत्य में सुविधा होती है, का पता लगाया जा सके और उन्हें रोकने के लिए उपाय किए जा सके।

(b) धोखाधड़ी (यदि हो) का पता लगाने में देरी के लिए कारणों की पहचान तथा बैंक व आरबीआई के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग।

(c) सीबीआई/ पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली स्थिति की निगरानी।

(d) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और यदि आवश्यक होने पर समय गवाए बिना स्टाफ पर तुरंत कार्रवाई हो।

(e) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की कार्यकुशलता यथा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की समीक्षा तथा

(f) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारण उपायों को सशक्त करने हेतु प्रसांगिक माने जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस. कृष्णन- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस. आर. मेहर- निदेशक (एमओएफ नामिति)
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल (गैर-सरकारी निदेशक)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की छह (06) बार बैठकें आयोजित हुई :

08.06.2021	24.09.2021	16.12.2021
13.01.2022	28.02.2022	24.03.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	06	06
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	06	06
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	04	04
4	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	06	06
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	21.12.2021 से 31.03.2022	03	03

4.4 बोर्ड की सतर्कता समिति

वित्त मंत्रालय के पत्रांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनज़र सतर्कता अनुशासन प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में बैंक ने बोर्ड की सतर्कता समिति गठित की है।

दिनांक 31.03.2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक – (आरबीआई नामित निदेशक)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुई :

21.06.2021	13.10.2021	10.11.2021	29.03.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	2	2
4	श्री एस. आर. मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक – आरबीआई नामित निदेशक	13.04.2021 से 31.03.2022	4	4

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है तथा विषय पर समन्वित विचार करती है और आवश्यक होने पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है।

डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यकारी निदेशक) की सेवानिवृत्ति के बाद, गणपूर्ति के अभाव में आरएमसी का पुनर्गठन नहीं हो सका और राष्ट्रीयकृत बैंक के (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) के प्रावधान 14 ए के अनुसार बोर्ड द्वारा अपने संकल्प संख्या 25668 दिनांकित 08.07.2021 के माध्यम से आरएमसी के कार्यकरण को समाविष्ट किया गया।

इसके बाद, भारत सरकार वित्त मंत्रालय पत्रांक एफ. सं. 6/6/2021-बीओ.I दिनांकित 21 दिसंबर, 2021 के अनुसार श्री शंकर लाल अग्रवाल (गैर-सरकारी निदेशक) की नियुक्ति पश्चात, दिनांक 29.12.2021 से आरएमसी का पुनर्गठन किया गया था ।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक
2	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक **11.02.2022** को समिति की एक (01) बैठक आयोजित हुई।

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	**निदेशक का नाम**	**अवधि**	**उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें**	**बैठकों में उपस्थिति**
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	1	1
2	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	21.12.2021 से 31.03.2022	1	1
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	12.05.2021 से 31.03.2022	1	1

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियो अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंध, निगरानी व नियंत्रण की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक प्रचालन में निरंतर स्थिरता व कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

4.6 ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने बोर्ड की एक उपसमिति का गठन किया है जिसे "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2022 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ (अध्यक्ष)
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस. आर. मेहर – एमओएफ नामित निदेशक
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए सुझाव और नवोन्मेषी उपायों हेतु प्लेटफॉर्म बनाना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

i) ग्राहक-सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना तथा ग्राहक-सेवा पर स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की अनुशंसा का भी अनुपालन करना।
ii) अधिनिर्णय की तारीख से तीन महिने से अधिक अवधि व्यतीत होन जाने पर भी कार्यान्वयित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
iii) ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों के ग्राहक वर्ग के लिए ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुई :

09.06.2021	24.09.2021	16.12.2021	11.02.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	2	2
4	श्री एस. आर. मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	21.12.2021 से 31.03.2022	1	1

4.7 हितधारक संबंध समिति

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20 के अनुसार समिति का गठन किया गया है। शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण-तंत्र की जांच-पड़ताल का कार्य समिति करती है।

31 मार्च 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री टी आर मेन्दीरत्ता (अध्यक्ष)
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की बैठकें आयोजित हुई :

21.06.2021	24.09.2021	10.11.2021	10.02.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 29.12.2021	3	3
2	श्री टी आर मेन्दीरत्ता –शेयरधारक निदेशक	12.05.2021 से 31.03.2022	4	4
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	4	4
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	2	2

समिति, निवेशकों की शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध तरीके से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त व निराकरण किए गए अनुरोध/ शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:

01.04.2021 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निराकरण	31.03.2022 को लंबित
शून्य	3	3	शून्य

31.03.2022 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं रही। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को "अनुपालन अधिकारी" के नामित किया गया है।

4.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति

विकासशील एचआर योजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न यूनियन व संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बीआर संख्या 19841 दिनांकित 05.05.2012 के माध्यम से एचआर समिति का गठन किया गया है। आवश्यकतानुसार लेकिन तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। 31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता –शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की पाँच (05) बैठकें हुई :

14.06.2021	28.09.2021	21.12.2021	10.02.2022	25.03.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस कृष्णन - एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	5	5
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	5	5
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	3	3
4	श्री एस. आर. मेहर - एमओएफ नामित	01.04.2021 से 31.03.2022	5	5
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	29.12.2021 से 31.03.2022	2	2

4.9 बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति

आईटी पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक (दिनांक 23.05.2021 से अध्यक्ष)
2	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
5	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की आठ (08) बैठकें हुई :

09.06.2021	31.08.2021	28.09.2021	10.11.2021
30.12.2021	28.01.2022	10.02.2022	30.03.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	8	8
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	8	8
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	5	5
4	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)	01.04.2021 से 31.03.2022	8	8
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	23.05.2021 से 31.03.2022	8	8

4.10 अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति

अनुशासनात्मक प्रकरणों की अपील तथा समीक्षा याचिका में निर्णय के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 22389 दिनांकित 10.08.2016 के माध्यम से अपील और समीक्षा प्रकरणों से संबंधित समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.11 वसूली की निगरानी के लिए समितिः

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. सं. 7/112/2012-बीओए दिनांकित 21.11.2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक को शामिल करते हुए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार हैः

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एवं सीईओ
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस. आर. मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की ग्यारह (11) बैठकें आयोजित हुई:

26.04.2021	21.06.2021	22.07.2021	31.08.2021	28.09.2021	27.10.2021
29.11.2021	21.12.2021	28.01.2022	28.02.2022	24.03.2022	

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	11	11
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	11	11
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.03.2022	6	6
4	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	11	11
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	29.12.2021 से 31.03.2022	3	3

4.12 इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति

पक्षकार को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए ईडी द्वारा समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित है।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एण्ड सीईओ (अध्यक्ष)
2	श्री एस आर मेहर – निदेशक (एमओएफ नामित)
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की दो (02) बैठकें आयोजित हुई :

08.06.2021	24.09.2021

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	2	2
2	श्री एस आर मेहर – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	2	2
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	12.05.2021 से 28.12.2021	2	2

4.13 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

'बोर्ड की नामांकन समिति' तथा 'बोर्ड की पारिश्रमिक समिति' दोनों के स्थान पर डीएफएस अधिसूचना एफ. सं. 19/19/2019-बीओ.I दिनांकित 30.08.2019 के माध्यम से 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' के नाम से एकल समिति का गठन किया गया था।

आरबीआई द्वारा 'उचित और उपयुक्त' मानदंड के अनुसार नामांकन, अनुवीक्षण के आवश्यक प्रक्रिया के लिए समुचित सावधानी प्रारंभ करने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 24521 दिनांकित 18.09.2019 के माध्यम से न्यूनतम तीन सदस्यों के साथ 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' का पुनर्गठन किया गया है।

गणपूर्ति के अभाव में समिति का गठन नहीं हो सका। तत्पश्चात, बोर्ड द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की शक्तियों को समाविष्ट किया गया था तथा बोर्ड द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति के समक्ष रखे जाने वाले विषयों को स्वीकार किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.14 असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/2014-15/362 बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.54/20.16.064/2014-15 दिनांकित 22.12.2014 के अनुसार, किसी उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति गठित की गई थी।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति की दिनांक **11.02.2022** को एक (01) बैठक आयोजित हुई।

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	29.12.2021 से 31.03.2022	1	1
2	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	29.12.2021 से 31.03.2022	1	1
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	29.12.2021 से 31.03.2022	1	1

4.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए समिति (एमडी एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए) :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों (आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी) के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अभिलेखबद्ध करने के लिए वित्त मंत्रालय, डीएफएस पत्रांक एफ. सं. 9/5/2009-एचआर दिनांकित 30.08.2019 के अनुसार कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए) गठित की गई थी।

वर्ष के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.16 शेयरधारक निदेशक का चुनाव समिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मतदान :

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांकित 03.04.2012 के मामले में विभिन्न कंपनी, वित्तीय संस्थाओं तथा पीएसयू बैंकों में शेयरधारक निदेशक के रूप में चुनाव में उम्मीदवार के समर्थन पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 19840 दिनांकित 05.05.2012 के अनुसार बोर्ड की समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.17 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध व विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के खंड 13 के अनुसरण में, दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के विभिन्न ऋण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एवं सीईओ
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक

3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक
4	श्री वी. के. मेहरोत्रा – मुख्य वित्तीय अधिकारी
5	श्री अमित श्रीवास्तव – मुख्य जोखिम अधिकारी
6	श्री राजेश पांडेय - महाप्रबंधक (ऋण)
7	श्री प्रवीण के अरोड़ा – उप महाप्रबंधक (कोष)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नांकित तिथियों पर चौबीस (24) बैठकें आयोजित हुई :

03.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	12.05.2021	18.05.2021	19.05.2021
04.06.2021	11.06.2021	24.06.2021	29.06.2021	14.07.2021	15.07.2021
21.08.2021	24.09.2021	30.10.2021	13.12.2021	30.12.2021	31.12.2021
07.01.2022	03.02.2022	23.02.2022	09.03.2022	17.03.2022	30.03.2022

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एस. कृष्णन – एमडी एवं सीईओ	01.04.2021 से 31.03.2022	24	24
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2021 से 31.03.2022	24	24
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	21.10.2021 से 31.3.2022	10	10
4	श्री वी. के. मेहरोत्रा – मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2021 से 31.03.2022	24	21
5	श्री पंकज द्विवेदी – महाप्रबंधक	01.04.2021 से 28.02.2021	21	21
6	श्री अमित श्रीवास्तव – मुख्य जोखिम अधिकारी	01.04.2021 से 31.03.2022	24	21
7	श्री राजेश पांडेय - महाप्रबंधक (ऋण)	18.09.2021 से 31.03.2022	11	11
8	श्री प्रवीण के अरोड़ा – उप महाप्रबंधक (कोष)	01.03.2022 से 31.03.2022	3	3

4.18 शेयर अंतरण समिति :

संयोजक के रूप में कंपनी सचिव सहित जीएम, डीजीएम/ एजीएम को शामिल करते हुए अधिकारियों की समिति पखवाड़े में न्यूनतम एक बार बैठक करती है। शेयर अंतरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेयर अंतरण समिति के 26 बैठकें की गई।

4.19 अन्य प्रकटीकरण :

i) निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है। निदेशकों का परस्पर कोई संबंध नहीं है।

ii) स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य-पद्धति कार्यक्रम का विवरण बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर 'निवेशकों के लिए सूचना' शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

5) निदेशक-मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्र/आव्यूह :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अनुसार, किसी निदेशक के पास कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशकों की श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
1	श्री एस. कृष्णन	एमडी एवं सीईओ	लागत लेखाकार, सीएआईआईबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विधि स्नातक, सीएआईआईबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में 39 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
3	डॉ. रामजस यादव	कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विशेष योग्यता सहित व्यावसायिक योग्यता यथा - आईसीडब्ल्यूए, सीएस, एमबीए और डॉक्टरेट (पीएचडी)। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
4	श्री एस आर मेहर	भारत सरकार नामित निदेशक	स्नातकोत्तर तथा विभिन्न स्तरों में और अलग-अलग क्षमताओं पर व्यापक प्रशासनिक अनुभव।	प्रशासन एवं प्रबंधन
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक	भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक	भारतीय रिज़र्व बैंक में क्षेत्रीय निदेशक। एम ए (राजनीति विज्ञान), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी और बैंकिंग जोखिम तथा विनियमन (आईसीबीआरआर) (जीएआरपी, यूएसए) में जीएआरपी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट धारक। भारत तथा विदेशों में बैंकिंग पर्यवेक्षण में 16 वर्षों का ऑफ-साइट व ऑन-साइट अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता	गैर सरकारी निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशामन तथा सामान्य प्रशासन। वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 वर्षों का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल	गैर सरकारी निदेशक	बी. कॉम, एल.एल.बी तथा अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार। वर्ष 1989 से फर्म के वरिष्ठ भागीदार के रूप में कार्यरत।	बैंकिंग एवं वित्त
8	सुश्री रश्मि खेत्रपाल	गैर सरकारी निदेशक	दो दशकों से अधिक का सनदी लेखाकार अनुभव तथा लेखा, वित्त, आंतरिक लेखापरीक्षा, कराधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता	बैंकिंग एवं वित्त

आगे, यह है:

i. पुष्टि की जाती है कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी एलओडीआर विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं तथा

ii. सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई प्रकरण नहीं है।

6) निदेशकों का पारिश्रमिक :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 17 के निबंधन के अनुसार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार गैर सरकारी निदेशकों को यात्रा और ठहराव खर्चों सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (ओं) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :

A. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदत्त बकाया सहित वेतन का भुगतान :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	श्री एस. कृष्णन	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	33.08
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	कार्यकारी निदेशक	27.26
3	डॉ. रामजस यादव	कार्यकारी निदेशक	12.82
कुल			73.16

B. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार है (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है) :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	डॉ. चरन सिंह	0.75
2	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता	13.40
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल	4.25
4	सुश्री रश्मि खेत्रपाल	0.40
कुल		18.80

7) **अदावी लाभांश :**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, बैंक को संबंधित असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित लाभांश राशि जो अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त/अदावाकृत हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक है।

क्रम संख्या	अदावी लाभांश का विवरण	दिनांक 31.03.2022 को शेष
1	लाभांश 2014-15	512907.60
2	लाभांश 2015-16	1420508.10

8) **प्रकटीकरण :**

a) सार-रूप में कोई विशेष संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं है जिसका व्यापक रूप से बैंक हितों के साथ टकराव की संभावना हो सकती है।
b) बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy पर संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति उपलब्ध है।
c) पूंजी-बाजार से संबंधित किसी विषयों पर किसी विधि, दिशानिर्देश तथा निदेशों के गैर-अनुपालन के लिए शेयर बाजारों तथा/या सेबी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान बैंक पर कोई मौद्रिक दंड तथा आक्षेप नहीं लगाया गया है।
d) बैंक की पर्दाफाश नीति है और किसी भी कर्मचारी को इसे प्राप्त करने से वंचित नहीं किया गया है।
e) व्यवसायिक जवाबदेही रिपोर्ट बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy पर उपलब्ध है।
f) लाभांश आबंटन नीति बैंक वेबसाइट पर https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy पर उपलब्ध है।
g) अधिमान्य आबंटन के माध्यम बैंक द्वारा जुटाए गए धनराशि का उपयोग सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया है।
h) कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है।
i) वित्तीय वर्ष के दौरान कमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां लागू नहीं है।

9) **कंपनी अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण :**

रजि. सं.	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
17 व 17 A	निदेशक-मंडल	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारा बैंक तदनुरूप नया बैंक है। शेयरधारक निदेशक के अतिरिक्त बैंक के समस्त निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित हैं। डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यकारी निदेशक) की सेवानिवृत्ति के बाद, रिक्ति को भरने के लिए कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है। तदनुसार बैंक, विनियम 17 के प्रावधानों का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं है।

		बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड विचार-विमर्श का अधिकांश समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, अभिशासन और जोखिम प्रोफाइल पर व्यतीत किया किया जाता है। बोर्ड के कार्यकरण में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
18	लेखापरीक्षा समिति	दिनांक 22.05.2021 को डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यकारी निदेशक) की सेवानिवृत्ति के बाद, गणपूर्ति के अभाव मेंबोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं हो सका और उसके बाद बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की बैठक नहीं हो सकी। तथापि सुश्री रश्मि खेत्रपाल की नियुक्ति पश्चात, दिनांक 01.04.2022 से समिति का पुनर्गठन किया गया है।
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	दिनांक 22.05.2021 को डॉ. चरन सिंह (गैर-कार्यकारी निदेशक) की सेवानिवृत्ति के बाद, गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं हो सका और उसके बाद बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हो सकी। तथापि सुश्री रश्मि खेत्रपाल की नियुक्ति पश्चात, दिनांक 01.04.2022 से समिति का पुनर्गठन किया गया है।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया।
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया।
22	विजिल तंत्र	अनुपालन किया गया।
23	संबंधित पक्ष लेनदेन	अनुपालन किया गया।
24	सूचीबद्ध इकाई की सहायक के संबंध में कंपनी अभिशासन की आवश्यकताएं	अप्रयोज्य
24 A	सचिवीय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया।
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएं	ऊपर विनियम 17 के अनुसार
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों तथा प्रवर्तकों सहित कार्मिकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
27	अन्य कंपनी अभिशासन आवश्यकताएं	अनुपालन किया गया।
46 (2) (b) से (f)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया।

10) अनिवार्य और विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के अनुसार लागू अज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची II {विनियम 27 (1)} के भाग-ई के अनुसार विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का विस्तार-क्षेत्र इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवेकाधीन अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	**बोर्ड** – गैर कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को अनुरक्षित करने का पात्र है तथा उसे अपने कर्तव्य-निर्वहन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।	दिनांक 22.05.2021 को कार्यकाल की समाप्ति पर डॉ. चरन सिंह, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सेवानिवृत्त हुए। दिनांक 31.03.2022 को बैंक के बोर्ड में कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है।
2	**शेयरधारकों का अधिकार** – विगत छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयरबाजारों को भेजे जाते हैं, प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों के सूचनार्थ बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित किया जाता है।
3	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत** – कंपनी, असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणी की व्यवस्था का चयन कर सकती है।	लेखापरीक्षकों ने बैंक के वित्तीय विवरण पर असंशोधित राय व्यक्त की है।
4	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** – आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

11) संचार के माध्यम :

बैंक, वर्तमान उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार साधनों के माध्यम से अपने शेयरधारकों तथा हितधारकों को उनके हितों से संबंधित जानकारियों के विषय में अवगत कराते रहने की आवश्यकता को समझता है।

अनुमोदन पश्चात बोर्ड बैठक की समाप्ति पर तत्काल बैंक के वित्तीय परिणाम उन शेयर बाजारों को प्रस्तुत की जाती है जहाँ बैंक की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध है। परिणाम, अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक अखबार जो पूरे भारत में या पर्याप्त रूप से प्रसारित है, में भी तथा बैंक के पंजीकृत कार्यालय अर्थात दिल्ली की राज्यभाषा में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं। बैंक, वित्तीय परिणामों और प्रबंधन दृष्टिकोण पर विश्लेषक बैठक, निवेशकों/ विश्लेषकों आदि के साथ बैठकें भी आयोजित करता है।

बैंक की तिमाही/ इयर-टू-डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रेस-विज्ञप्ति और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुति की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाओं को बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक का इक्विटी शेयर, भारत के निम्नांकित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है :

i) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजाभॉय टॉवर, 25 वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई-400 001
बीएसई कोड : 533295

ii) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
"एक्सचेंज प्लाजा", बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
एनएसई कोड : PSB-EQ

एक्सचेंज (ओं) के साथ सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में एनएसडीएल, सीएसडीएल को अभिरक्षा शुल्क तथा बीएसई, एनएसई को सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

बैंक द्वारा निर्गम टीयर II बांडस के संबंध में सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013 दिनांकित 29.10.2013 तथा ऋण सूचीयन करार के खंड 2 ए की शर्तों के अनुरूप डिबेंचर ट्रस्टी का प्रकटीकरण

बांडधारकों के लिए ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय
एशियन बिल्डिंग, भूतल
17, आर कमानी मार्ग
बलार्ड इस्टेट
मुंबई – 400 001
दूरभाष संख्या (022) 40807000
फैक्स संख्या 91-22-66311776/40807080
ई-मेल:itsl@idbitrustee.com

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड
एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर
पांडुरंग बुद्धकर मार्ग
वर्ली, मुंबई - 400 025
दूरभाष: +91 22 6226 0054/ 6226 0050
ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.com

विस्तरा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
द आईएल एण्ड एफएस वित्तीय केंद्र
प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, सातवाँ तल
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
दूरभाष : +91 22 2659 3535
फैक्स : +91 22 2653 3297
ई-मेल : mumbai@vistra.com

11.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण :

सेबी की अनिवार्य डीमेट सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए नैशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करा सकते हैं।

नीचे दिए गए विवरण अनुसार 31 मार्च 2022 को बैंक के पास 6,77,77,86,447 इक्विटी शेयर हैं जिनमें से 6,77,77,01,318 शेयर अमूर्त रूप में है।

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	85,129	0.0013
अमूर्त		
एनएसडीएल	8,29,62,141	1.2240
सीडीएसएल*	6,69,47,39,177	98.7747
कुल योग	**6,77,77,86,447**	**100.0000**

*इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 6,65,90,51,093 सामान्य शेयर शामिल हैं।

11.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं, भुगतान की आधुनिक पद्धति है जहाँ लाभांश/ब्याज इत्यादि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा की जाती है। ईसीएस/एनईसीएस सुविधा के अंतर्गत बैंक ने शेयरधारकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रक्षित सभी केंद्रों पर इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।

11.3 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निराकरण :

बैंक के शेयर, बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार होते हैं। नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंकों के शेयर्स को अमूर्त रूप में रखने वाले दो डिपॉजिटरी हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेख में अद्यतन हेतु सीधे अपने डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को सूचित करें।

शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती है तथा वह निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

बैंक ने अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया है।

निवेशक, शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नांकित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
(यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)
नोबेल हाइट्स, प्रथम तल
प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी
सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी
नई दिल्ली-110058
दूरभाष : (011) 41410592 to 0594
फैक्स : (011) 41410591
ई-मेल : delhi@linkintime.co.in

बैंक ने प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 पर शेयर कक्ष की स्थापना की है जहाँ शेयरधारक अपने सुझाव/ शिकायतों के निराकरण के लिए नीचे दिए गए पर मेल कर सकते हैं :

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय : लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)
21, राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल
नई दिल्ली 110 008
दूरभाष संख्या : (011) 25782926, 25728930, 25812922
फैक्स : (011) 25781639
ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय 2015 के विनिमय 6 (2) (डी) के अनुसार उपर्युक्त ई-मेल आई डी, निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

12) निलंब खाते में आबंटितीयों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2022) :

क्र. सं.	ब्यौरा	एनएसडीएल IN301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1	वर्ष के प्रारंभ में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2	शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या तथा उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उंचत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

*प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के मताधिकार पर तब तक रोक रहेगी जब तक इन शेयरों का वास्तविक स्वामी दावा नहीं करते हैं।

13) बैंक द्वारा प्राप्त ऋण पात्रता निर्धारण :

श्रेणी निर्धारक एजेंसी	टीयर-II बांड के लिए श्रेणी निर्धारण	अतिरिक्त टीयर-I बांड के लिए श्रेणी निर्धारण
सीएआरए	सीएआरई एए – नकारात्मक (पुनः पुष्टि की गई)	सीएआरई ए – नकारात्मक (पुनः पुष्टि की गई)
क्रिसिल	क्रिसिल एए नकारात्मक (पुनः पुष्टि की गई)	-
आईसीआरए	-	आईसीआरए ए - नकारात्मक (पुनः पुष्टि की गई)
ब्रिकवर्क	बीडब्ल्यूआर एए नकारात्मक (पुनः पुष्टि की गई)	-

14) सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण :

प्रकृति	राशि
सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक	8,37,54,385
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	1,49,79,322

15) कंपनी अभिशासन :

बैंक ने उन पद्धतियों, परिपाटियों व संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो जमाकर्ताओं सहित अपने वित्तीय हितधारकों को गुणवत्तापूर्वक कंपनी अभिशासन पर उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक में पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुपरिभाषित कार्यकारी प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड व वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति व कार्यों में पारदर्शिता तथा इसके निरीक्षण विभाग व स्वतंत्र लेखापरीक्षक फर्मों दोनों द्वारा संपन्न विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली विद्यमान है।

16) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण :

01.04.2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या	0
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	4
वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	2
31.03.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या	2

17) वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022	
12 वें वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	बैंक के 12 वें एजीएम का आयोजन वीसी के माध्यम से मंगलवार, 12 जुलाई 2022 को प्रातः 11.00 बजे किया जाएगा तथा बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बुक संवरण तिथियां	बुधवार, 06 जुलाई 2022 से मंगलवार, 12 जुलाई 2022
लाभांश के लिए निर्दिष्ट तारीख/ अंतिम तिथि	05 जुलाई 2022
लाभांश भुगतान तिथि	12 वें वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर

18) 31 मार्च, 2022 को शेयरधारिता प्रतिरूप :

क्र. सं.	वर्णन	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1	समाशोधनकर्ता सदस्य	87	456562	0.01
2	अन्य कॉरपोरेट निकाय	304	4970045	0.07
3	वित्तीय संस्थाएं	1	25000	0.00
4	हिंदू अविभक्त परिवार	5391	3107555	0.05
5	पारस्परिक निधि	3	1065618	0.02
6	राष्ट्रीयकृत बैंक	2	18050	0.00
7	गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	1	7946	0.00
8	अनिवासी भारतीय	527	1033764	0.02
9	अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	455	690810	0.01

10	सार्वजनिक	125905	64597758	0.95
11	न्यास	7	106450	0.00
12	भारत के राष्ट्रपति	1	6659051093	98.25
13	बीमा कंपनी	7	42208235	0.62
14	निगमित निकाय – सीमित देयता साझेदारी	11	130062	0.00
15	अदावी शेयर्स	2	2402	0.00
16	विदेशी संविभाग निवेशक (सामूहिक)	2	315097	0.00
कुल		**132706**	**6777786447**	**100.00**

19) 31 मार्च, 2022 को शेयरधारिता (शेयर) का संवितरण – श्रेणीवार :

शेयर की शेयरधारिता	प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों का प्रतिशत	कुल शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1 – 500	114772	86.49	10762152	0.16
501 – 1000	7239	5.45	5996494	0.09
1001 – 2000	3969	2.99	6094159	0.09
2001 – 3000	1908	1.44	4788906	0.07
3001 – 4000	740	0.56	2669083	0.04
4001 – 5000	1506	1.13	6808269	0.10
5001 – 10000	1783	1.34	12353873	0.18
10001 व उससे अधिक	789	0.59	6728313511	99.27
कुल	132706	100	6777786447	100.00

20) शेयर बाज़ारों में शेयर का मूल्य, व्यापारित शेयरों की मात्रा (01.04.2021 से 31.03.2022 तक) :

माह	नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)					बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)				
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बंद	बंद	उच्च (₹)	निम्न (₹)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	सेंसेक्स बंद	बंद
अप्रैल 2021	19.70	16.50	20051340	14631.10	18.20	19.65	16.15	2548379	48782.36	18.25
मई 2021	22.50	17.70	35784880	15582.80	20.15	22.35	17.85	4170364	51937.44	20.15
जून 2021	22.70	18.40	50729307	15721.50	21.85	22.65	18.05	5830139	52482.71	21.85
जुलाई 2021	22.05	17.95	17470450	15763.05	19.95	22.15	17.95	1595128	52586.84	19.95
अगस्त 2021	20.20	15.35	10147813	17132.20	16.90	20.45	15.40	1093238	57552.39	16.95
सितंबर 2021	19.00	16.45	12893335	17618.15	17.55	18.95	16.30	1643759	59126.36	17.50
अक्टूबर 2021	19.95	17.25	21269515	17671.65	17.80	19.80	17.20	2010534	59306.93	17.80
नबंवर 2021	19.15	15.05	13030074	16983.20	16.50	19.15	15.30	1266465	57064.87	16.45
दिसंबर 2021	17.80	15.60	9010299	17354.05	16.10	17.60	15.50	1157374	58253.82	16.10
जनवरी 2022	17.70	15.70	10228454	17339.85	17.35	17.70	15.35	1620986	58014.17	17.25
फरवरी 2022	18.10	14.60	17476556	16793.90	15.35	18.05	14.65	1670380	56247.28	15.35
मार्च 2022	17.55	14.50	6489643	17464.75	15.45	17.10	14.95	1143582	58568.51	15.45

21) बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक शेयर के प्रदर्शन का आलेखी वर्णन नीचे दिया गया है

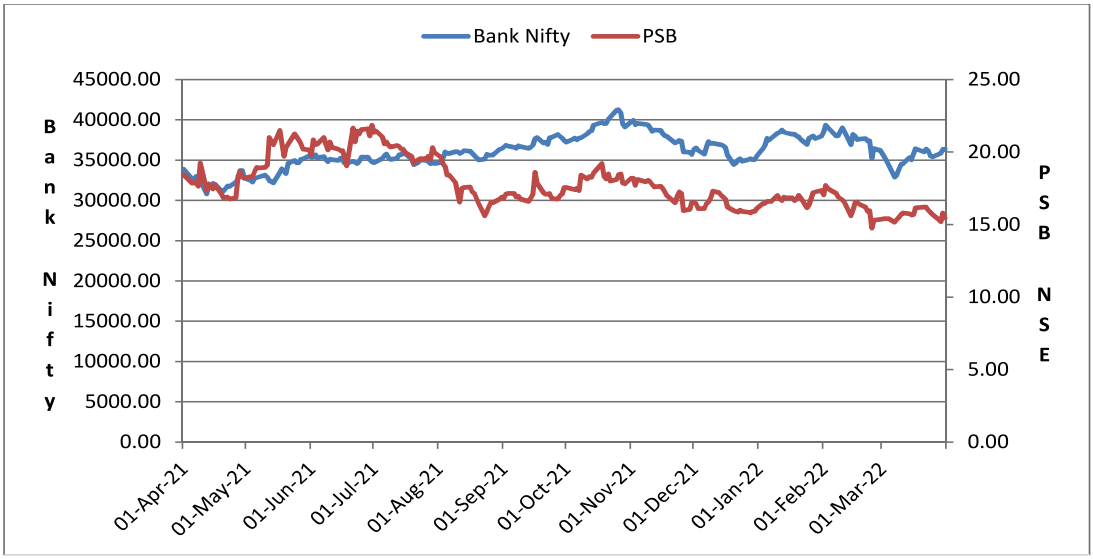

22) 31 मार्च, 2022 को शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्यवार) वितरण :

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	प्रतिशत*
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11	393	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6005	3246591	0.05
3	अरूणाचल प्रदेश	135	43105	0.00
4	असम	835	262129	0.00
5	बिहार	2377	1448294	0.01
6	चंडीगढ़	862	1021716	0.02
7	छत्तीसगढ़	831	555186	0.01
8	दादर नगर हवेली	20	6469	0.00
9	दमन व दीव	10	852	0.00
10	दिल्ली	12331	6667322639	98.37
11	गोवा	212	102952	0.00
12	गुजरात	20505	8857556	0.13
13	हरियाणा	5142	3375477	0.05
14	हिमाचल प्रदेश	523	434009	0.01
15	जम्मू व कश्मीर	388	266730	0.00
16	झारखंड	1446	952648	0.01
17	कर्नाटक	5642	2605453	0.04
18	केरल	1633	1043303	0.02
19	मध्यप्रदेश	4221	2120032	0.03
20	महाराष्ट्र	23628	57548560	0.85

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	प्रतिशत*
21	मणिपुर	60	95220	0.00
22	मेघालय	24	8640	0.00
23	मिजोरम	7	10693	0.00
24	नागालैंड	33	18923	0.00
25	ओड़िसा	1247	685002	0.01
26	अन्य	1281	1676155	0.02
27	पंडुचेरी	73	46231	0.00
28	पंजाब	6448	5299203	0.08
29	राजस्थान	11723	4496316	0.07
30	सिक्किम	8	1912	0.00
31	तमिलनाडु	6169	2476941	0.04
32	त्रिपुरा	59	57568	0.00
33	उत्तरप्रदेश	9599	5934054	0.09
34	उत्तराखण्ड	932	588208	0.01
35	पश्चिम बंगाल	8286	5177287	0.08
कुल		**132706**	**6777786447**	**100.00**

***0.00% उन मूल्यों को संदर्भित करता है जो 0.01% से कम है।**

23) कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है तथा नीचे दिया गया है :

CS *Suchitta Koley* FCS,
FICA
Company Secretary

62/12, 2nd Floor, Old Rajendra Nagar
New Delhi - 110060
Mobile: 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

{सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 (3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10) (i) के अनुसरण में}

सदस्य
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली -110 008

हमने, पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों तथा प्रकटनों की जांच की है जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10) (i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों {पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित} एवं बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताए गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

नियुक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने/बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखने का उत्तरदायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करें। यह प्रमाण-पत्र भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

सुचिता कोली
कंपनी सचिव
एफसीएस 1647; सीपी संख्या : 714
यूडीआईएन : **F001647D000328886**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : **16** मई, 2022

कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार के मामले में हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार में अनुबंद्ध अनुसार कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबंधित है।

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001088C

सीए आशीष घिया
पार्टनर
एम. नं. 427062
यूडीआईएन : 22427062AJFWPA6880
स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 009989N

सीए मनीष गुप्ता
पार्टनर
एम. नं. 095518
यूडीआईएन : 22095518AJFZEZ4548
स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 302137E

सीए आर के नंदा
पार्टनर
एम. नं. 510574
यूडीआईएन : 22510574AJFVWH2712
स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001997S

सीए संदीप मोगोलापल्ली
पार्टनर
एम. नं. 221848
यूडीआईएन : 22221848AJGAYR6193
स्थान : नई दिल्ली

दिनांकित : 19 मई, 2022
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषयः सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए घोषणा।

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों तथा उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने शेयर बाज़ारों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची-V के प्रसंग में किए गए सूचीयन करार के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2022

(एस. कृष्णन)
एमडी एवं सीईओ

सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषयः वर्ष 2021-22 के लिए सीएफओ/ सीईओ प्रमाणीकरण।

सेबी (एलओडीआर) 2015 के कंपनी अभिशासन की अनुसूची-II के अनुपालन प्रमाणपत्र के पार्ट-बी की अनुपालना में, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

A. हमने वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार -
   1) इन विवरणियों में कोई भी विषयगत असत्य कथन नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया नहीं गया है या भ्रामक विवरणियों को शामिल नहीं किया गया है।
   2) ये अभिकथन/ विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों व विनियमों के अनुरूप है।
B. हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो या बैंक के आचार संहिता के विरुद्ध हो।
C. हम वित्तीय सूचना देने के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने व बनाए रखने के लिए दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय विवरण से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकर के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व संचालन में कमियों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में है तथा हमने इन कमियों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, के विषय में लेखापरीक्षकों व लेखा परीक्षा समिति को बताया है।
D. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्न के विषय में अवगत कराया है :
   1) वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
   2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव तथा इसका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट में कर दिया गया है; तथा
   3) हमारे संज्ञान में आए विशिष्ट धोखाधड़ी के दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता (यदि हो) जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका है।

कृते **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**

(विनय कुमार मेहरोत्रा)
मुख्य वित्त अधिकारी

कृते **पंजाब एण्ड सिंध बैंक**

(एस. कृष्णन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2022

व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खंड ए : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	अप्रयोज्य
2	कंपनी का नाम	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3	पंजीकृत पता	बैंक हाउस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
4	वेबसाइट	https://punjabandsindbank.co.in/
5	ई-मेल आईडी	complianceofficer@psb.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2021-22
7	क्षेत्र (ओं) जिनमें कंपनी प्रवृत्त है (औद्योगित गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्त
8	तीन प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं की सूची, जो कंपनी उत्पादन करती है/ उपलब्ध कराती है (जैसा कि तुलन पत्र में दिया गया है)	जमाराशि ऋण व अग्रिम प्रत्येषण व संग्रहण
9	स्थानों की संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है: a) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख पाँच स्थानों का विवरण) b) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	a) शून्य b) 01 क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय, 24 अंचल कार्यालय तथा 1530 शाखाएं
10	कंपनी द्वारा बाज़ारों में प्रदान की जा रही सेवा – स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड बी : कंपनी का वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (₹ में)	₹ 6,777.79 करोड़
2	कुल व्यवसाय (₹ में)	₹ 1,72,524.10 करोड़
3	कर पश्चात कुल लाभ (₹ में)	₹ 1,039.05 करोड़
4	कर के पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	0.06%
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उक्त 4 में व्यय किया गया है :	कृपया नीचे तालिका का संदर्भ लें।

क्र.सं.	गतिविधियां	राशि
1	चंडीगढ़ अंचल द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीमीटर और मेडिकल/ पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए फेस मास्क की खरीददारी के लिए एसएलबीसी, एचपी को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 50,000/-
2	अटल इनक्यूबेशन सेंटर – रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी (एआईसीआरएमपी) को न्यू इंडिया हेतु न्यू एज़ इंटरप्रेनर का पोषण, सहारा तथा समर्थन करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 25,00,000/-
3	एफजीएम चंडीगढ़ के अंतर्गत शाखा कार्यालय सांगरूर, पटियाला अंचल द्वारा 2 व्हील चेयर दान करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 10,000/-

4	टीकाकरण शिविर के लिए अग्रणी बैंक उत्तर पूर्व जिला, दिल्ली को अंशदान भुगतान के रूप में दिल्ली-I अंचल को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 10,343/-
5	नगर निगम, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित 'आज़ादी का अमृत महोत्व @ 75 वर्ष' कार्यक्रम के लिए एफजीएम चंडीगढ़ को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 3,04,230/-
6	65 इंच के एलसीडी इंफ्रारेड ऑप्टिकल पैनल और एसेसरीज़ के अंशदान के लिए केंद्रीय विद्यालय, आर के पुरम, नई दिल्ली को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 2,10,170/-
7	एसजीपीसी, एफजीएम, चंडीगढ़ द्वारा प्रबंधित विद्यालयों के रखरखाव के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सीआरएस निधि का आबंटन	₹ 10,00,000/-
8	एफजीएम चंडीगढ़ द्वारा चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर 4 वाटर एटीएम लगाने के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का आबंटन	₹ 20,00,000/-
कुल		**₹ 60,84,743/-**

खंड सी : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है?	**नहीं**
2	क्या अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां, मूल कंपनी के व्यवसायिक दायित्व पहल में सहभागिता करते हैं? यदि हाँ तो, ऐसी अनुषंगी कंपनी (यों) की संख्या इंगित करें।	**अप्रयोज्य**
3	क्या कोई अन्य संस्था/ संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के व्यवसायिक उत्तरदायित्व में सहभागिता करती है? यदि हाँ तो इस प्रकार की कंपनी/ कंपनियों का प्रतिशत दर्शाएं। (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)	**अप्रयोज्य**

खंड डी : व्यवसायिक उत्तरदायित्व जानकारी

1. व्यवसायिक दायित्वों हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

a) व्यवसायिक दायित्व नीति/ नितियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/ निदेशकों का विवरण :

क्र.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या	अप्रयोज्य
2	नाम	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
3	पदनाम	कार्यकारी निदेशक

b) व्यवसायिक दायित्व प्रमुख का विवरण :

क्र.	**ब्यौरा**	**विवरण**
1.	डीआईएन संख्या	अप्रयोज्य
2.	नाम	श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
3.	पदनाम	महाप्रबंधक
4.	दूरभाष नंबर	011-25782928
5.	ई-मेल आईडी	gmaccounts@psb.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी अनुसार) व्यवसायिक दायित्व नीति/ नीतियां :

a) अनुपालन का विवरण (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास इसके लिए नीति/नीतियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ तो निर्दिष्ट करें (50 शब्दों में) #	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ तो क्या वह प्रबंध निदेशक/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की एक विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑन-लाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं।	https://punjabandsindbank.co.in/								
7	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य शेयरधारकों को औपचारिक तरीके से नीति के विषय में सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यप्रणाली का स्वतंत्र लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही सभी नीतियाँ आरबीआई, वित्त मंत्रालय, भारतीय संविधान, विधि अधिनियम इत्यादि के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इसलिए वे राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती हैं।

* बैंक की नीतियां आंतरिक दस्तावेज हैं और जनता के लिए अभिगम्य नहीं हैं।

b) यदि क्रम संख्या 1 के प्रश्नों में किसी भी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है तो कारण स्पष्ट करें : **दो विकल्पों तक चिन्हित करें)**

क्र.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी सिद्धांतों को समझ नहीं पाई।	अप्रयोज्य								
2	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि वह विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन कर सके।									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय तथा श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है।									
4	इसे आगामी छह माह में संपन्न किए जाने की योजना है।									
5	इसे आगामी एक वर्ष में संपन्न किए जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया विवरण दें)									

3. व्यवसायिक दायित्वों से संबंधित अभिशासन

a)	निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कम्पनी के व्यावसायिक दायित्व कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए संबंधित आवधिकता का उल्लेख करें। 3 माह के भीतर, 3 से 6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	बैंक के बीआर कार्य-निष्पादव का आकलन सालाना किया जाता है।
b)	क्या कंपनी, व्यवसायिक दायित्व या प्रतिधारण रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन हेतु हाईपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?	बैंक, वार्षिक आधार पर बीआर रिपोर्ट का प्रकाशन करता है और इसका अवलोकन करने हेतु हाईपरलिंक https://punjabandsindbank.co.in/ है।

खंड ई : सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1

व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ व्यवहृत और संचालित करना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को रक्षित करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ, यह केवल बैंक को रक्षित करता है। बैंक, सरकार तथा सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है। यह वर्ष 1908 था जब देश के निम्नतम व्यक्ति के उत्थान के लिए भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार तरलोचन सिंह जैसे दिग्गजों के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ पंजाब एण्ड सिंध बैंक का जन्म हुआ था। बैंक की स्थापना, सामाजिक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर आर्थिक प्रयासों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु की गई थी।

		हालांकि दशकों निकल गए हैं लेकिन आज भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक, संस्थापक जन्मदाताओं की सामाजिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक में भ्रष्टाचार, अनाचार, गबन की घटनाओं तथा निधियों के दुर्विनियोजन की रोकथाम के लिए सतर्कता संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था है: 1) अधिकारियो द्वारा वार्षिक सम्पत्ति विवरणी (एपीआर) भरी जाती है तथा इसकी 100% संवीक्षा की जाती है। 2) प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों, जिनकी निष्ठा संदिग्ध एवं संदेहास्पद है, की सर्वसम्मत सूची तैयार की जाती है। 3) मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त सूचियों में शामिल अधिकारियों की नियुक्ति संवेदनशील जगहों पर न हो। सतर्कता विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।
	क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य तक विस्तृत है?	अप्रयोज्य
2	विगत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से निराकरण किया गया है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें।	वित्तीय वर्ष 2021-22 में 24069 हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 99.16% शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया।

सिद्धांत 2

व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और उनके जीवन-चक्र में दीर्घकालीन योगदान करती है :

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	अपने 3 उन उत्पादों एवं सेवाओं का उल्लेख करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरण के उद्देश्यों, जोखिमों तथा/ अथवा अवसरों की दृष्टि से निगमित किया गया है।	बैंक ने वंचित और अयोग्य वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन को लागू किया है और बैंक का प्रयास इन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने अर्थात् "बहिष्कृत का समावेश" और उन्हें समाज में उत्पादक आस्ति बनाने का रहा है। बैंक के प्रमुख पहल इस प्रकार हैं: **1)** बैंक को कुल 3192 गाँव आबंटित किए गए हैं। सभी 3192 गांवों को रक्षित करने के लिए समस्त 961 सब सर्विस एरिया (एसएसए) का गठन किया गया था। सभी एसएसए या तो बैंक द्वारा नियमित रूप से साधारण शाखाएं खोलकर या सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं।

		2) अंचल कार्यालयों/ शाखाओं के माध्यम से आज दिनांक तक 357 बीसी नियुक्त हैं और बैंक द्वारा उन्हें माइक्रो-एटीएम प्रदान किया है और मेसर्स टीसीएस के माध्यम से वित्तीय समावेशन गेटवे लागू किया गया है। बीसी वाले स्थानों पर ई-केवाईसी को लागू किया गया है, जिसने ग्राहकों को आधार आधारित खाते खोलने और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सहायता से विभिन्न आधार आधारित संव्यवहार (अर्थात जमा/ आहरण/ निधि अंतरण) करने में सुगमता होती है। 3) बैंक ने 151 आधार नामांकन केंद्र (एईसी) (अर्थात् अपनी 10% शाखाओं में) स्थापित किए हैं। ये 151 आधार नामांकन केंद्र सामान्य जन को आधार बनवाने/ अद्यतन करने की सेवा प्रदान करते हैं।
2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, प्रति यूनिट उत्पाद (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: a) पूरे मूल्य श्रृंखला में विगत वर्ष से प्राप्त साधनों/ उत्पादन/ वितरण के दौरान उपयोगिता में अपचयन? b) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) में अपचयन ?	**अप्रयोज्य**
3	क्या कंपनी के पास दीर्घकालिक सोर्सिंग (परिवहन व्यवस्था सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं a) यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थाई रूप से प्राप्त किया गया था? इसके अलावा लगभग 50 शब्दों में, विवरण प्रदान करें ।	**अप्रयोज्य**
4	क्या कंपनी ने स्थानीय और लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं? क) यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	**अप्रयोज्य**
5	क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं की पुनर्निर्माण की प्रणाली है? यदि हाँ, तो उत्पादों तथा बेकार वस्तुओं के पुनर्निर्माण का प्रतिशत क्या है (<5%,5-10%, >10% के रूप में अलग-अलग)? साथ ही 50 शब्दों में इसका विवरण उपलब्ध कराएं।	**अप्रयोज्य**

सिद्धांत 3

व्यवसाय से समस्त कार्मिकों का हित संवर्धन होना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	कृपया कार्मिकों की कुल संख्या दर्शाएं।	8725 (लिपिक व उनसे ऊपर के कार्मिक 8484)
2	कृपया अस्थाई/ संविदा/ आकस्मिक आधार पर लिए गए कार्मिकों की संख्या दर्शाएं ।	1
3	कृपया स्थाई महिला कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।	2621 (लिपिक व उनसे ऊपर के कार्मिक 2584)
4	कृपया स्थाई दिव्यांग कार्मिकों की संख्या दर्शाएं।	249 (लिपिक व उनसे ऊपर के कार्मिक 244)
5	क्या आपके पास कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन से मान्यता प्राप्त है ?	जी हां, • ऑल इंडिया पीएसबी स्टाफ ऑर्गनाइजेशन • ऑल इंडिया पीएसबी ऑफिसर्स फेडरेशन
6	आपके स्थाई कार्मिकों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं	• ऑल इंडिया पीएसबी स्टाफ ऑर्गनाइजेशन - 78.48% • ऑल इंडिया पीएसबी ऑफिसर्स फेडरेशन – 66.80%
7	कृपया विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित बाल मजदूरी, बेगारी, अनैच्छिक श्रम, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएं :	
8	विगत वर्ष के दौरान आपके अंतर्गत उल्लिखित कार्मिकों में से कितने प्रतिशत कार्मिकों को सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया? a) स्थाई कार्मिक b) स्थाई महिला कार्मिक c) आकस्मिक/ अस्थाई/ संविदा कार्मिक d) दिव्यांग कार्मिक	 59.31% (5032/8484) 61.49% (1589/2584) शून्य 59.01% (144/244)

क्र.सं	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/ बेगारी/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	लैंगिक उत्पीड़न	4	2
3.	विभेदक नियोजन	शून्य	शून्य

सिद्धांत 4

व्यवसाय को समस्त हितधारकों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति विशेषकर जो वंचित, कमजोर और लाभांश रहित हैं, उत्तरदायी होना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित किए हैं? हाँ/नही	जी हां, बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारक सुनिश्चित कर लिए हैं। बैंक ने वंचित, कमजोर और लाभांश रहित हितधारकों तक लाभ पहुंचाने और विस्तारित करने के लिए अनेक पहल किए हैं।

2	उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और लाभांश रहित हितधारकों की पहचान की है?	जी हां। बैंक लाभांश रहित, सीमांत तथा कमजोर हितधारकों तक वित्तीय सेवाओं और बीमा कवर पहुँच को सुगम बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण, कमजोर वर्ग को ऋण, स्वयं सहायता समूह आदि को ऋण पर तथा भारत सरकार के नेतृत्व में किए गए पहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।
3	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और लाभांश रहित हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	**आंतरिक हितधारक:** **i. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिक:** बैंक अपने कर्मचारियों के साथ जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर भेदभाव न करते हुए समान व्यवहार भावना की नीति का आचरण करता है। बैंक अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के कार्मिकों हेतु कुछ विशिष्ट लाभ/ सुविधाएं/ सहायता उपलब्ध कराता है यथा : a. शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। b. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति प्रक्रिया में सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण/ छूट दी गई है। c. अनुसूचित जाति/ जनजाति कार्मिकों के शिकायतों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई के लिए प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक पद के स्तर का अधिकारी बैंक में मुख्य समन्वयक अधिकारी हैं। ii. **दिव्यांग व्यक्ति :** नियोक्ता के रूप में बैंक अपने सभी कार्मिकों को एक समान अवसर प्रदान करता है। दिव्यांग कर्मचारियों को अन्य कार्मिकों के समान ही भत्ता/ वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांग व्यक्ति को कार्य सौंपते समय इसका उचित ध्यान रखा जाता है कि अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी वे सौंपा गया कार्य सरलता से कर सकें। दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष रूप से कुछ लाभ/ अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं यथा नियुक्ति का सुविधाजनक स्थान, ग्रामीण/ अर्ध-शहरी नियुक्ति से छूट, वाहन भत्ते का भुगतान आदि। **दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति :** दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि काम का वातावरण दिव्यांगजन के विरुद्ध किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्रवाई करता है कि दिव्यांगजनों को उनकी भूमिका निभाने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। प्रणाली और प्रक्रिया यह सुनिश्चित करते हैं कि :

		• दिव्यांगजन कार्मिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है वे स्वाभिमान के साथ रहते हैं तथा अन्य कार्मिकों की भांति उन्हें अपनी निष्ठा के लिए सम्मान प्राप्त हो रहा है। • उचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांग कार्मिकों के सामर्थ्य का उपयोग करना। • किसी भी दिव्यांग कार्मिक के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह संज्ञान में नहीं आता कि आपेक्षित कृत्य या चूक किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है। • कोई भी व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। • बैंक, दिव्यांगजन के लिए व्यावहारिक और स्वास्थ्यकर कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। **बाह्य हितधारक:** बैंक द्वारा वंचित, कमजोर और लाभांश रहित हितधारकों तक अपना ऋण विस्तारित करने के लिए किए गए विभिन्न पहल निम्नानुसार है : • बैंक ने केसीसी योजना के अंतर्गत फसल ऋण पर स्वीकृति/ नवीकरण के समय प्रसंस्करण शुल्क में ₹ 3.00 लाख तक की छूट दी है तथा केसीसी के वार्षिक नवीकरण प्रभार को भी तर्कसंगत बनाया है। • बैंक में लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में तीन आरएसईटीआई (RSETIs) हैं जो बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कृषि और ग्रामीण रोजगार के विकास के लिए पीएसबी ट्रस्ट, आरएसईटीआई के सभी प्रशिक्षण खर्चों को वहन करता है। • आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 24 एफएलसी केंद्र हैं। आरबीआई और एसएलबीसी उनके कार्य-निष्पादन की तिमाही आधार पर पर्यवेक्षण करते हैं। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को नि:शुल्क साक्षरता/ शिक्षा उपलब्ध कराना एफएलसी का मुख्य उद्देश्य है। • वित्तीय समावेशन गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक ने बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/. पर एफएलसी/ आरएसईटीआई वेब पोर्टल प्रारंभ किया है।

सिद्धांत 5

व्यवसाय को मानवाधिकारों का आदर एवं संवर्धन करना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी से सम्बद्ध है या इसमें समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/अन्य शामिल है।	मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाली बैंक की विभिन्न नीतियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केवल बैंक प्रचालनों को रक्षित करती हैं। लैंगिक **उत्पीडन की रोकथामः** बैंक, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को निषेध करता है और बैंक द्वारा महिला कार्मिकों की शिकायतों का त्वरित एवं ध्रुत गति से निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, बैंक ने प्रत्येक अंचल में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण बैंक की इंट्रानेट साईट पर भी उपलब्ध है। प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए विशेष महिला कक्ष का सृजन किया गया है ताकि वे मुख्य धारा में सहभागिता कर सकें और उनको उच्च दायित्व स्वीकार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
2	विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारियों से शिकायतें प्राप्त हुई है और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्ण ढ़ंग से निराकरण किया गया ?	वर्ष 2021-22 के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में कोई हितधारक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6

व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण एवं पुनरुद्धार करने का प्रयास करना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कंपनी के सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को रक्षित करती है या इसमें समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार/ एनजीओ/ अन्य शामिल है ?	यह नीति केवल बैंक को रक्षित करती है।
2	क्या कंपनी के पास भूमंडलीय पर्यावरण संबंधी मामलों जैसे वातावरण में परिवर्तन,भूमंडलीय ताप वृद्धि इत्यादि के लिए रणनीति है/ कंपनी ने कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो वेब पेज इत्यादि के लिए हाईपरलिंक दें।	जी हाँ, बैंक द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों में पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-मेल, कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आदि के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। बैंक, डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसके अलावा, इस संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त कदम भी उठाए गए हैं :

		• बैंक की ऋण नीति के निर्देशानुसार हमारा बैंक ओजोन क्षयकारी पदार्थों का खपत/ उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान नहीं कर रहा है। • बैंक निर्धारित और सुनिश्चित करता है कि जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाली विनिर्माण इकाइयों के मामले में उधारकर्ता ग्राहक, केंद्रीय/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करे। • बैंक, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। • बैंक विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाता है। • बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोसाइटी सफाई अभियान चलाया। • उधारकर्ताओं को भुगतान/ ऋण का संवितरण, आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा किया जा रहा है ताकि कागज की खपत को कम किया जा सके। इसके अलावा, कार्मिकों से संबंधित भुगतान जैसे वेतन, लाभ, दावे आदि ऑनलाइन किए जाते हैं जिससे कागज की खपत कम हो।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोखिम का निर्धारण/ आकलन करती है? हाँ/नहीं	जी हाँ। टीईवी अध्ययन/ परियोजना मूल्यांकन में पर्यावरणीय जोखिम पर विधिवत विचार किया जाता है और संस्वीकृति के समय भी इस पर विचार किया जाता है। इसके अलावा समस्त ऋणों के लिए समुचित सावधानी बरती गई।
4	क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास प्रणाली संबंधी कोई परियोजना है? अगर है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें और यदि हाँ तो क्या पर्यावरण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?	बैंक द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों में पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-मेल, कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आदि के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। बैंक, डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
5	क्या कम्पनी ने प्रदूषण रहित तकनीक, उर्जा दक्षता, नवीकरण उर्जा इत्यादि के लिए कोई पहल की है? यदि हाँ तो वेब पेज इत्यादि के लिए हायपरलिंक दें।	बैंक की ऐसी कोई प्रत्यक्ष योजना नही है लेकिन बैंक ने कई ऊर्जा नवीकरण परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं जिनमें सौर ऊर्जा, पवन चक्की तथा जल विद्युत परियोजना शामिल हैं।
6	क्या कंपनी में उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट, वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर बै तथा इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है?	बैंक सेवा उद्योग में है और इसलिए किसी प्रकार के जहरीले/ खतरनाक प्रदूषण उत्पन्न नही करता है। परियोजना ऋणों को वित्त पोषित करते समय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ऋण संस्वीकृति की हमारी प्रमुख शर्तों में से एक है।
7	वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात संतोषजनक रूप से निराकरण नहीं किए गए) कारण बताओ/ विधिक नोटिस की कुल संख्या।	नीति केवल बैंक को रक्षित करती है।

सिद्धांत 7

व्यवसाय, जब जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करता हो, तो उसे उत्तरदायीपूर्वक सम्पन्न किया जाना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड और चेम्बर या संगठन की सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से सिर्फ प्रमुख संगठनों के नाम जिनके साथ आपका व्यवसाय संबद्ध है।	जी हाँ। 1. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़) 3. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 4. राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम) 5. राष्ट्रीय बैंकिंग शिक्षण एवं कार्पोरेट प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएससीओएम) 6. बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी)
2	क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की प्रगति या सुधार के लिए समर्थन/ प्रचार किया है? हाँ/ नहीं यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र का उल्लेख करें (ड्राप बाक्स : जैसे शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समग्र विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)।	बैंक, इन संगठनों के सदस्य होने के नाते नीति-निर्धारकों एवं नीति निर्धारक संगठनों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, विशेष रूप से उन नीतियों को विकसित करने में जो बैंकिंग उद्योग की कार्यपद्धति और विनियम तथा बैंकिंग उद्योग के दीर्घकालिक विकास नियंत्रित करती हैं।

सिद्धांत 8

व्यवसाय को समावेशी विकास तथा साम्यिक उत्थान का समर्थक होना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीतियों का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल/ परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।	बैंक ने समावेशी विकास तथा साम्यिक उत्थान के लिए अनेक पहल/ परियोजनाएं आरंभ किए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: **1. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान** (RSETIs) : बैंक की पंजाब राज्य में लुधियाना, मोगा और फरीदकोट जिले में तीन आरसेटी (RSETIs) हैं जो बैंक के न्यास अर्थात **कृषि विकास एवं ग्रामीण रोज़गार हेतु पीएसबी ट्रस्ट (डीएआरई हेतु पीएसबी ट्रस्ट)** के अधीन स्थापित हैं जोकि बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। मोगा, फरीदकोट और लुधियाना जिले की आरएसईडीआई (RSETIs) अपने परिसर में संचालित हैं। आरएसईडीआई (RSETIs) के प्रशिक्षण संबंधी व्ययों का वहन **कृषि विकास एवं ग्रामीण रोजगार हेतु पीएसबी** ट्रस्ट करता है।

		2. वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) : आमजन में वित्तीय साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से, जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोले गए हैं। वर्तमान में, हमारे बैंक के 24 एफएलसी केंद्र हैं। आरबीआई और एसएलबीसी उनके कार्य-निष्पादन की तिमाही आधार पर पर्यवेक्षण करते हैं। औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को नि:शुल्क साक्षरता/ शिक्षा उपलब्ध कराना एफएलसी का मुख्य उद्देश्य है। एफएलसी, संकटग्रस्त ऋणियों की ऋण पुनर्संरचना योजना बनाकर उनकी सहायता करती है और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से इसके लिए अनुशंसा भी करती है। परामर्शदाता, बीमा पॉलिसियों में निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों के मूल्य, प्रतिभूतियों की खरीद/ बिक्री आदि के संबंध में विपणन/ परामर्श देने से विरत रहते हैं या केवल बैंक के अपने उत्पादों में निवेश का संवर्धन करते हैं। बैंक ने पारंपरिक और भौतिक शाखा रहित स्थानों पर आईसीटी आधारित तकनीक के माध्यम से सभी (बैंक ग्राहकों के साथ-साथ सामान्य जन) को मूल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 357 बैंक मित्र प्रवृत्त किए हैं। ये बैंक मित्र, स्थानीय ग्राहकों से अग्रिम (अर्थात केसीसी/ जीसीसी) प्राप्त करने तथा सावधि जमा (एफडी/आरडी) स्वीकार करने में भी सक्षम हैं।
2	क्या इस कार्यक्रम /परियोजना को आंतरिक टीम/ अपनी संस्था/ बाह्य एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाया जाता है?	कृषि विकास एवं ग्रामीण रोज़गार हेतु पीएसबी ट्रस्ट (डीएआरई हेतु पीएसबी ट्रस्ट), ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां करता है। डेयरी फार्मिंग में नवीनतम तकनीक के विषय में किसानों को प्रशिक्षित करने, ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमिता जैसे ड्रेस डिजायनिंग एवं कढ़ाई कार्य, टाई एवं डाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्यूटी पॉर्लर, जैम एवं आचार बनाने आदि को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संपूर्ण व्यय का वहन पीएसबी टीडीएआरई (TDARE) द्वारा किया जाता है। बैंक ने बैंक-मित्र प्रवृत्त करने के लिए इन-हाउस मॉडल को अपनाया है। बैंक मित्र का चयन एवं प्रशिक्षण केवल बैंक के क्षेत्र कार्याधिकारियों द्वारा किया जाता है।
3	क्या आपने कभी अपनी पहलों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है?	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे आरएसईटीआई (RSETIs) ने 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें **1728** उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। **1728** उम्मीदवारों में से **1326** उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग, **908** बीपीएल और **1508** उम्मीदवार महिला लाभार्थी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1728 आरएसईटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 1050 उम्मीदवार स्थापित हो गए हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से **558** उम्मीदवार स्थापित हुए हैं। बैंक ने 24 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के समन्वय से गाँवों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करके ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने की पहल की है जहाँ अन्य वित्तीय योजनाओं यथा पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई,

		पीएमएसबीवाई, एपीवाई, ओडी, डिजिटल बैंकिंग इत्यादि के साथ मूल बैंकिंग सेवाओं पर चर्चा की जाती है ताकि वे आवश्यकतानुसार इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 515 शिविर आयोजित किए गए जिसमें 8874 लोगों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की। बैंक मित्रों की भागीदारी ने बैंक के लिए विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार के नए अवसर प्रदान किए हैं जो पूर्व में रक्षित नहीं थे। बैंक मित्र, विभिन्न प्रमुख बैंकिंग सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं यथा सूक्ष्म बीमा और एपीवाई प्रदान करने में सक्षम रहे हैं।
4	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है? - राशि ₹ में एवं प्रारंभ की गई परियोजनाओं का विवरण दें।	ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियाँ आयोजित करने लिए बैंक अपनी सीएसआर निधि से पीएसबी टीडीएआरई को अंशदान देता है। अब तक बैंक ने आरएसईटीआई (RSETIs) भवन के निर्माण हेतु ₹ 1.15 करोड़ तथा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के लिए आरएसईटीआई (RSETIs) में विभिन्न अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 41.81 लाख का अंशदान दिया है।
5	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को लोगो ने सफलतापूर्वक अपनाया है? यदि हाँ तो कृपया 50 शब्दों में विवरण दें।	बैंक ने आरएसईटीआई (RSETIs) से प्रशिक्षित आवेदकों को या तो स्वरोजगार के माध्यम से या क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन प्रदान करने की बैंक की पहल ग्रामीणों के बीच लोकप्रिय रही है।

सिद्धांत 9

व्यवसाय को अपने ग्राहकों व उपभोक्ताओं के साथ उत्तरदायी तरीके से प्रवृत्त रहना चाहिए तथा उन्हें महत्व देना चाहिए।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले लंबित है?	वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 0.83% अर्थात 202 शिकायतें, संवरण के लिए लंबित है।
2	क्या कंपनी स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की जानकारी को उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित करती है? हाँ/ नहीं/ अप्रयोज्य. टिप्पणी (अतिरिक्त विवरण)	बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के विषय में जानकारी पत्रक और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध कराई जाती है और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाती है।
3	क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान किसी हितधारक ने कम्पनी के विरुद्ध अनुचित कार्य प्रणाली, अनुत्तरदायी विज्ञापन तथा/ या अवैध व्यापार, गैर जिम्मेंदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज किया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है ? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।	**शून्य**
4	क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रुझान कराया है ?	जी हाँ। रुझान जानने के लिए बैंक, ग्राहकों की संतुष्टि पर एक सर्वेक्षण कर रहा है।

बेसल-III प्रकटीकरण-31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही

तालिका डीएफ 1 - अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक-प्रकटीकरण क) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	अप्रयोज्य
मात्रात्मक-प्रकटीकरण ग) ऐसी ग्रुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	अप्रयोज्य
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है ।	अप्रयोज्य
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य, जो जोखिम भारित हैं)	अप्रयोज्य
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	अप्रयोज्य

तालिका डीएफ 2 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने बेसल-III की रूपरेखा के अनुरूप जोख़िम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है।

बेसल-III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोख़िम प्रबंधन की व्यापक सरंचना कार्यरत है। जोख़िम भारित आस्तियों, बाजार जोख़िम तथा प्रचालन जोख़िम में वृद्धि के आसार के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं के आकलन के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।
बैंक हितधारकों, विशेषकर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु जोखिम, व्यवसायों आदि के मूल्य में हानि के जोखिम के लिए पूंजी को कुशन के रूप में रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ-1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बेसल-II के स्तम्भ-2 एवं बेसल-III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूँजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने बेसल-III को लागू करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों को अपनाया है :-

- ऋण जोख़िम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण
- परिचालनात्मक जोख़िम के लिए मूल सूचक दृष्टिकोण
- बाजार जोख़िम के लिए मानक अवधि दृष्टिकोण

हालांकि बैंक ने क्रेडिट जोखिम के मानकीकृत दृष्टिकोण को लागू किया है, फिर भी बैंक आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में अग्रसर रहेगा।

बैंक ने टीयर-II बांडों को अधीनस्थ ऋणों के रूप में वार्षिक/अर्ध-वार्षिक देय कूपन पर वचन पत्र/डिबेंचर के रूप में जारी किया है। ये बांड घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा विधिवत रेटिंग प्राप्त करने के बाद जारी किए गए हैं। सभी बकाया बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। इन बांडों की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- बांड की अवधि जारी होने की तारीख से 118 महीने से लेकर 127 महीने तक होती है।

- ये प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं
- ये प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पांच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टीयर-II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर-I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।

ऋण जोख़िम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं:

(राशि लाख में)

➢ 9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	378299.84
➢ प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

(राशि लाख में)

सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार	
➢ ब्याज दर जोखिम	17416.03
➢ विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	225.00
➢ इक्विटी जोखिम	1985.60

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं

(राशि लाख में)

मूल सूचक दृष्टिकोण	30185.00

बैंक के लिए कुल और टीयर-1 पूंजी अनुपात

बेसल-III के अनुसार कुल पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात	18.54%
बेसल-III के अनुसार सामान्य इक्विटी टीयर-I पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात	12.77%
बेसल-III के अनुसार टीयर-I पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात	14.80%

तालिका डीएफ 3 – ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

क) मियादी ऋण के संबंध में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती हो।

ख) यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से 90 दिन से अधिक समय तक निरंतर अधिक रहती हैं तथा/अथवा अधिविकर्ष/नकद ऋण ओ.डी./सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

घ) अल्पावधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

ङ) दीर्घावधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहती हैं।

यहां 'अनियमित' से अभिप्रायः एक खाते को 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया राशि, संस्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से निरंतर अधिक रहती है। उन मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत लिमिट/आहरण शक्ति से कम रहता है लेकिन उसमें तुलन पत्र की तिथि के 90 दिनों तक कोई जमाएं नहीं की जाती हैं या इस अवधि में जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज को वसूल करने के लिए कम हैं तो इन खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

यहां 'अतिदेय' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, जिसका बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर, भुगतान नहीं होता है।

उक्त के अतिरिक्त, एक खाते को निम्न शर्तों के अनुसार भी अनर्जक (एन.पी.ए.) वर्गीकृत किया जा सकता है:

अस्थायी कमियों/अनियमितताओं के साथ खाता (आरबीआई एमसी बिंदु 4.2.4 देखें)

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और उससे बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एक आस्ति का गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को एक अग्रिम खाते का वर्गीकरण केवल कुछ विसंगतियों के होने पर नहीं करना चाहिए जोकि स्वरूप में अस्थायी होती हैं जैसे अंतिम उपलब्ध स्टॉक विवरणी के आधार पर पर्याप्त आहरण शक्ति का उपलब्ध नहीं होना, अस्थायी रूप से लिमिट से अधिक बकाया शेष होना, स्टॉक विवरणी को प्रस्तुत नहीं करना तथा देय तिथि पर लिमिट का गैर-नवीनीकरण आदि। खातों की ऐसी विसंगतियों के साथ वर्गीकरण के मामले में, बैंक निम्न दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं:

i) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में आहरण को चालू आस्तियों की पर्याप्तता से कवर किया जाए जैसा कि आपदा के समय चालू आस्तियों को पहले समायोजित किया जाता है। वर्तमान स्टॉक विवरणी पर आहरण शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। तथापि, बड़े ऋणियों की कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आहरण शक्ति का निर्धारण करते समय, स्टॉक विवरणियां तीन महीने से अधिक पुरानी नही होनी चाहिए। तीन महीने से अधिक पुरानी स्टॉक विवरणी पर निर्धारित आहरण शक्ति पर आधारित बकाया राशि के निर्धारण को अनियमित माना जायगा।

   एक कार्यशील पूंजी खाता गैर-निष्पादक हो जाएगा यदि खाते में लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी अनियमित आहरण शक्ति की स्वीकृति दी जाती है चाहे इकाई कार्य कर रही हो अथवा ऋणी की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ii) नियमित तथा एकमुश्त ऋण सीमाओं को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से तीन महीने पहले पुनर्समीक्षा/नियमित किया जाना आवश्यक है। व्यवधानों के मामले में जैसे ऋणियों से वित्तीय विवरणीयों की और अन्य आंकड़ों की अनुपलब्धता पर शाखा को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि ऋण लिमिटों का नवीनीकरण/समीक्षा पहले से ही चल रही है और उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जायगा। किसी भी मामले में, सामान्य अनुशासन के तौर पर, छः महीने से अधिक का विलंब अपेक्षित नही है। अतः, एक खाते में जहाँ नियमित/एकमुश्त लिमिटों को देय तिथि/एकमुश्त संस्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के अंदर पुनर्समीक्षा/नवीनीकरण नही किया गया है, को गैर-निष्पादक आस्ति माना जायगा।

उक्त के अतिरिक्त, बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संरचित खाते (ख) कालातीत अवधि की कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ढ) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

ख. ऋण जोख़िम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग का मुख्य उद्देश्य बैंक के ऋण जोख़िम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोख़िम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोख़िम दर्शन का लक्ष्य जोख़िम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि हितधारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोख़िम

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबद्ध जोख़िम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित दिशानिर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोख़िम प्रबंधन सगठनात्मक ढ़ाँचा :

- ऋण जोख़िम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ांचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोख़िम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोख़िम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में निदेशक-मण्डल की उप समिति है, ऋण जोख़िम सहित समन्वित जोख़िम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोख़िम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक-मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोख़िम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोख़िम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोख़िम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोख़िम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोख़िमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोख़िम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक-मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोख़िम का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक-मण्डल/जोख़िम प्रबंधन समिति/ऋण जोख़िम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोख़िम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोख़िम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोख़िम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोख़िम प्रबंधन कक्ष तथा संचालनगत जोख़िम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ ऋण निगरानी विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोख़िम प्रबंधन / अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी-शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोख़िम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोख़िम, रेटिंग/मूल्यांकन - बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोख़िम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- बैंक ऋण जोखिमों, जिनके विरुद्ध वे अनावृत्त हैं, को कम करने के लिए कई प्रकार की संपार्श्विकों और तकनीकों को स्वीकार करता है, बशर्ते संपार्श्विक कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं तथा बाध्यताधारी की चूक या ऋण विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने के मामले में संपार्श्विक आस्तियों को बेचने के बाद प्राप्त होने वाली प्राप्तियों पर बैंक को दावा करने की प्राथमिकता है।

जोख़िम आंकलन

वर्तमान में ऋण जोख़िम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोख़िम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोख़िम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

क्र.सं.	श्रेणी	राशि लाख में
1	निधि आधारित ऋण	7038708.60
2	गैर निधि आधारित ऋण	366236.58

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

क्र.सं.	श्रेणी	राशि लाख में
1	विदेशी	शून्य
	- निधि आधारित ऋण	
	- गैर निधि आधारित ऋण	शून्य
2	देशी	
	- निधि आधारित ऋण	7038708.60
	- गैर निधि आधारित ऋण	366236.58

ऋण का उद्योगवार वितरण

(राशि लाख में)

उद्योग	निधिक	गैर निधि
क. खाघान्न तथा उत्खनन	2121.62	18876.29
ख. खाद्य प्रसंस्करण	77073.02	3092.93
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	13887.63	459.44
घ. कपड़ा उद्योग	154828.49	1927.94
ड़. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	12866.51	24.13
च.लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	10481.84	1795.34
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	13746.32	181.03
ज. पैट्रो/ कोयला/नाभकीय ईंधन	4376.02	466.91
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	38133.66	239.24
ट. रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	17680.23	735.14
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	2441.48	81.14
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	4667.97	6015.94

उद्योग	निधिक	गैर निधि
ढ़. मूल धातू-धातू उत्पाद	83126.73	8993.51
ण. समस्त इंजीनियरिंग	49175.32	10133.77
त. वाहन/वाहन कलपुर्जे/टीपीटी औजार	23911.07	8694.51
थ. रतन और आभूषण	3154.72	0.00
द. निर्माण	47037.88	23597.42
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	1594863.98	165470.21
न. अन्य उद्योग	14663.58	1408.20
प. अवशिष्ट	2603355.37	114043.50
कुल	**4771593.44**	**366236.59**

उल्लेखनीय एक्सपोज़र:

उद्योग जहां कुल आधारित एक्सपोज़र, कुल निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	उद्योग	राशि
1	आधारभूत संरचना	2096698.65

आस्तियों का अविशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

(राशि लाख में)

परिपक्वता पैटर्न (समय बकेट)	जमा राशियां	ऋण एवं जोखिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताए	आस्तिया
पहला दिन	43927.00	152093.00	0.00	0.00	1833.00	21740.00
2 से 7 दिन	142193.00	54868.00	8355.00	0.00	44.00	3237.00
8 से 14 दिन	123323.00	48579.00	9643.00	0.00	183.00	5209.00
15 से 30 दिन	132207.00	150806.00	5000.00	0.00	388.00	9809.00
31 दिनों से 2 माह	669990.00	67750.00	51869.00	100136.00	1184.00	15199.00
2 माह से अधिक 3 माह तक	664130.00	131583.00	35009.00	1150.00	710.00	9815.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	1351591.00	266378.00	50349.00	2520.00	3222.00	7802.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	2311605.00	312180.00	159203.00	4490.00	5007.00	195.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	2212964.00	972101.00	415010.00	12337.00	7265.00	1675.00
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	1342251.00	1030989.00	492270.00	50000.00	1796.00	10133.00
5 वर्ष से अधिक	1219520.00	3175328.00	3001379.00	73730.00	0.00	0.00
कुल	**10213701.00**	**6362655.00**	**4228087.00**	**244363.00**	**21632.00**	**84814.00**

31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए नियत वित्त विधि अनुपालन

एकमुश्त/एकबार प्रकटीकरण

लाख रुपयों में

क्र.सं.	श्रेणी	पहिचाना गया	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल योग
1	पूंजी (2+3)	1488963	0	0	123758	1582185
2	नियामक पूंजी	1488963	0	0	123758	1582185
3	अन्य पूंजी निवेश	-	-	-	-	-
4	लघु व्यावसायिक इकाइयों से खुदरा बकाए एवं व्यावसायिक (5+6)	3387777	1590694	1505429	299781	6783681
5	निवेश बकाए	2587	774453	20201	15423	812664
6	अन्य विविध बकाए	3385380	1565311	1485319	774358	6970968
7	पोर्टफोलियो (8+9)	1859065	1966477	881803	2213619	14880649
8	पोर्टफोलियो बकाए	0	0	0	0	-
9	अन्य पोर्टफोलियो	1859065	1966477	881803	2213619	14880649
10	अन्य ईकाइयां (11+12)	0	0	64637	11818	118206
11	एकमुश्तार प्रकटीकरण बकाए	0	0	64637	0	0
12	अन्य सभी ऐसी और इकाइयों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है				11818	118206
13	कुल एक्सपोजर (1+4+7+10)	8931385	5331170	2251769	3186948	19620156
अतिरिक्त नोट्स						
14	कुल एक्सपोजर्स अन्य तुलनपत्र प्रकारित्तर आस्तियां (वर्गीकृत)					140841
15	पोर्टफोलियो इकाइयों के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधानों से आच्छादित	0	0	0	0	0
16	**कुल और पोर्टफोलियो का निष्पादन** (17+18+19+21+23)	0	1824309	1830815	4165133	17256666
17	क्रम 1 एकमुश्तार द्वारा चिह्नित वित्तीय आस्तियों के लिए कुल	0	0	0	0	0
18	वि. क्रम 1 एकमुश्तार द्वारा चिह्नित वित्तीय आस्तियों को छान हेतु और वित्तीय आस्तियों को अद्यतनित विश्लेषण कम	0	0	151439	0	837127
19	वि. वित्तीय आस्तियां, कारकर्ज, खुदरा एवं लघु व्यावसायिक स्वरूप की छान,अन्य विवेकी, वैयक्तिक बैंकों और कार्पोरेशन उपक्रमों को छान, जिसमें है:	0	1817460	1695233	2519993	31870069
20	क्रेडिट जोखिम के लिए प्रोवजन (1) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 33% से कम पर उसके बराबर के जोखिम भार के छान				293565	1908617
21	आकस्मिक संपत्ति (क्रेडिट) जिसमें है		6863	44627	458734	3029960
22	क्रेडिट जोखिम के लिए प्रोवजन (1) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 33% से कम पर उसके बराबर के जोखिम भार के छान				416781	2706894
23	पोर्टफोलियो जो वित्तीयन नहीं है और एकमुश्तार-प्रेरित इकाइयों सहित एकमुश्तार के रूप में घोषित नहीं है				1388412	11801350
24	अन्य आस्तियां (पोर्टफोलियो का योग 15 से 23)	0	270219	137353	3024939	32208759
25	ऐसी प्रदत्त पोर्टफोलियो आस्तियां कहां कहां	0				
26	लघुतम अनुपातों के लिए पर्याप्तता प्रोवजन के रूप में घोषित की गई आस्तियों और प्रोवजनों के विवरणात्मक तथ्य में प्रोवजनन				62300	444500
27	एकमुश्तारकरण लघुतम आस्तियां				0	
28	प्रोवजन लिए गए विवरण प्रोवजन की आस्तियों से कुल एकमुश्तारकरण लघुतम देयताएं				0	
29	अन्य सभी आस्तियों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है		270219	137353	2672603	31794231
30	वर्तमान कुल्लक पात्र नहीं				1823452	85270
31	कुल आस्तियां (14+15+16+24+30)	0	1284327	1772367	9018495	81700387
32	नियमन विवेक वित्तीय अनुपात (%)					117.81

गैर निष्पादित आस्तियों (सकल)

क्र. सं.	श्रेणी	राशि लाख में
1	अवस्तरीय	83313.01
2	संदिग्ध 1	188308.19
3	संदिग्ध 2	153605.11
4	संदिग्ध 3	214969.90
5	हानि	216286.25
	कुल	**856482.46**

निवल गैर निष्पादित आस्तियां

(राशि लाख में)

निवल एनपीए	174227.00

गैर निष्पादित आस्तियों अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम के लिए सकल एनपीए	12.17%
2	निवल अग्रिम के लिए निवल एनपीए	2.74%

गैर निष्पादित आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव 31.03.2022 (लेखापरीक्षित)

(राशि लाख में)

प्रारंभिक शेष (मार्च'21)	933399.90
जमा	206462.86
कमी	283380.30
इतिशेष	**856482.46**

गैर निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(राशि लाख में)

क्र. सं.	प्रावधान	एनपीए के लिए प्रावधान
	प्रारंभिक शेष (मार्च'21)	681670.04
जमा	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (क)	196475.08
घटाएं	अपग्रेड किए गए खाते	7463.33
	अतिरिक्त प्रावधानो को वापिस लेना/ बट्टे खाते में डालना	104943.08
	बंद (एनपीए) खातों में व्युत्क्रम	34468.19
	अन्य	55647.91
	उप-योग (ख)	202522.51
	इतिशेष	**675622.61**

बट्टे खाते में डाले गए तथा वसूलियों का विवरण जो आय विवरणी में सीधे बुक किए गए

(राशि लाख में)

तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज	7641.08
विविध आय – तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	26146.74

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

(राशि लाख में)

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	43810.95

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

(राशि लाख में)

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	43341.95

निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

(राशि लाख में)

01.01.2022 को अथ शेष	4709.11
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	498.99
बट्टे खाते में डाले गए	0.00
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	12.07
इतिशेष	5196.03

शीर्ष उद्योगों में गैर-निष्पादित आस्तियों का विश्लेषण

(राशि लाख में)

उद्योग	सकल एनपीए	एनपीए के लिए प्रावधान
ऊर्जा	65475.07	61853.41
परिवहन	80713.05	57359.22
जल स्वच्छता	379.88	336.72
सामाजिक और संचार अवसंरचना	34912.19	31215.26
वस्त्रोद्योग	19066.22	13235.47

गैर-निष्पादित आस्तियों तथा प्रावधान का भूगोल वार वितरण

(राशि लाख में)

उद्योग	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान
घरेलू	856482.46	675622.62	71461.62
विदेशी	0.00	0.00	0.00

तालिका डीएफ 4 - ऋण जोख़िम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉर्पोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।

   भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेंसियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बशर्ते बेसल-III के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा हो।

2. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जिनका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। संबंधित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।

3. जहाँ प्रत्येक ऋण जोख़िम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोख़िम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोख़िमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।

4. जोख़िम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोख़िम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोख़िम भार के लिए कॉर्पोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

5. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

6. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150% जोख़िम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150% जोख़िम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोख़िम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।

7. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा अल्पावधि श्रेणी निर्धारण को अल्पावधि ऋण जोख़िम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोख़िम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है।
   भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए जोखिम भार मानचित्रण के रूप में भी इसी तर्ज पर बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अल्पावधि श्रेणी के साथ (1 वर्ष तक) के अल्पावधि ऋण के आंतरिक मूल्यांकन की मैपिंग के लिए एक तंत्र है, हमारे बैंक में प्रचलन में पहले से ही है।

8. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो तदनुरूपी निम्नतम जोख़िम भारों की श्रेणी निर्धारण के संदर्भ में तथा इन दोनों जोख़िम भारों में उच्चतर जोखिम भार को लागू किया गया है, अर्थात दूसरा सबसे न्यूनतम जोखिम भार।

9. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोख़िम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं:
   i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोख़िम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोख़िम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत

ऋण से अधिक है तथा गैर-निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।

ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोख़िम भार से अधिक या उसके बराबर जोख़िम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोख़िम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोख़िम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोख़िम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

(राशि लाख में)

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100 % जोखिम भार से कम	4137675.00
100 % जोखिम भार	707560.00
100% जोखिम भार से अधिक	317681.00
कटौती	0.00
कुल	**5162917.00**

तालिका डीएफ 5 - ऋण जोख़िम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोख़िम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोख़िमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोख़िम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। बेसल-III के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स (सीआरएम) इस प्रकार हैं:

   → संपार्श्विकृत संव्यवहार

   → ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

   → गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ :

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोख़िम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

i. नकदी और जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित ।
ii. सोना : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित।
iii. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
iv. किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
v. जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
vi. ऋण-प्रतिभूतियाँ : श्रेणाकृत शर्त्तों के अध्यधीन।
vii. बैंक द्वारा शर्त्तों के अधीन जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।
viii. म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स शर्त्तों के अध्यधीन।
ix. पुनः प्रत्याभूतिकरण (रीसिक्यूरिटाइजेशन्ज), क्रेडिट रेंटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोख़िम के रूप में मान्य) और जमाओं (सांपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. **गारंटियाँ :** जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बेसल-III के अनुसार पात्र गारंटरों/प्रति गारंटरों के वर्ग में ये शामिल हैं :
   i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबीएस, ईसीजीसी एवं सीजीटीएसआई, सीआरजीएफटीएलआईएच सम्मिलित हैं), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी हैं।
   ii. किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल हैं जब वे आभारी से कम ज़ोखिम भार पर हों।
   iii. ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित है बीबीबी-अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए-अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम ज़ोखिम भार पर हों।

बैंक एक्सपोज़र के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बेसल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोख़िमों का समंजन से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोख़िम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोख़िम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोख़िम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिमः पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त - ₹253501.45 लाख है।

तालिका डीएफ 6 - प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

1. संसाधनों को बढ़ाने हेतु

1.1. उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
1.2. जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
1.3. बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करना ।
1.4. पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन करना।
1.5. निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
1.6. प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
1.7. ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।

2. **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन** : पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।

मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) - ₹40454.93 लाख है।

तालिका डीएफ 7 – लेन-देन बही में बाज़ार जोख़िम

<u>गुणात्मक प्रकटीकरण</u>

बाजार जोख़िम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोख़िम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों तथा बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वितीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोख़िम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न है :

- चलनिधि का प्रबंधन
- ब्याज दर ज़ोखिम एवं विनिमय दर जोख़िम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थो की पर्याप्त एवं उचित रिर्पोटिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि लाख में
ब्याज दर जोख़िम	33770.93
ईक्विटी जोख़िम	7043.26
विदेशी विनिमय जोख़िम	225.00

तालिका डीएफ 8 – परिचालनात्मक जोख़िम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने "परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन" और "व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी प्रबंधन" पर नीतियां तैयार की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक अंचल कार्यालय/ प्रधान कार्यालय से "हानि आंकड़ों" एकत्र कर रहा है और यह तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है।

बैंक के पास बैंक के समग्र परिचालन जोखिम के प्रबंधन को लागू करने के लिए लॉस डाटा प्रबंधन ढ़ाचा है। बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरसीएसए ढांचे के अनुसार किसी विशेष उत्पाद या गतिविधि से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) कार्यशाला आयोजित कर रहा है। आरसीएसए कार्यशाला का परिणाम समीक्षा के लिए ओआरएमसी के समक्ष रखा जा रहा है। आगे बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए तिमाही आधार पर पहचाने गए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी कर रहा है और इसलिए अंतर्निहित मुद्दों और संभावित हानियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित/कम करने की कोशिश कर रहा है जो केआरआई ढांचे के उद्देश्यों में से एक है।

परिचालनात्मक जोख़िम सम्बन्धी नीति के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोख़िम प्रबंधन समिति(ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। शाखाओं की ऑन साईट जोख़िम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है।

हाउस कीपिंग, समायोजन एवं धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमश: निरीक्षण विभाग, समायोजन विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोख़िम तथा व्यवसाय निरंतरता योजना से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक बेसिक इंडिकेटर एप्रोच का अनुपालन कर रहा है।

तालिका डीएफ 9 - बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोख़िम (आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोख़िम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोख़िम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोख़िम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डीएफ-7 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोख़िम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवदेनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोख़िम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विच्च्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल-चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नही।

3. आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोख़िम पर आय

(राशि लाख में)

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	6850

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई) - 10.55%

तालिका डीएफ 10 - प्रतिपक्षी ऋण जोख़िम संबंधित अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोख़िम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन-देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोख़िम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन.देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन-देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है।

बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है। रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(राशि लाख में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	606822.55	2284.29

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोज़र)/लेन-देन नहीं है।

तालिका डीएफ 11 - पूंजी का विन्यास

(राशि लाख में)

बेसल-III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग 31 मार्च, 2017 से किया जाएगा		
क्र.सं.	**समान इक्विटी टीयर 1 पूँजीः लिखत एवं आरक्षित निधियाँ**	
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	990976.50
2	प्रतिधारित उपार्जन	0
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	316502.46
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू) सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	अप्रयोज्य
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी 1 में स्वीकृत राशि)	अप्रयोज्य
6	**विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूँजी**	**1307478.96**
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	-
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्ते (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00
10	आस्थगित कर आस्तियां	6916.71
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित निधि	-
12	अपेक्षित हानि के प्रावधानों में कमी	-
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानियाँ	-
15	परिनिश्चित – लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां	18947.00
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन पत्र में यदि पूर्व में प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)	-
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	1000.00
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कंपनियों के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूँजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कंपनियों के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	अप्रयोज्य
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	अप्रयोज्य
21	अस्थायी अंतरों के कारण हुए आस्थगित कर आस्तियाँ (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	अप्रयोज्य
22	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि	अप्रयोज्य
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	अप्रयोज्य

बेसल-III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग 31 मार्च, 2017 से किया जाएगा		
क्र.सं.	**समान इक्विटी टीयर 1 पूँजीः लिखत एवं आरक्षित निधियाँ**	
24	जिसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	अप्रयोज्य
25	जिसमें से: अस्थायी अन्तरों के कारण हुए आस्थगित कर आस्तियाँ	अप्रयोज्य
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	अप्रयोज्य
26ए	अवांछित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	अप्रयोज्य
26बी	असंगठित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	अप्रयोज्य
26सी	बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी, जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	अप्रयोज्य
26डी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	अप्रयोज्य
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	अप्रयोज्य
28	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पर कुल विनियामकीय समाशोधन	739380.96
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूँजी (सीईटी1)**	11,98,759.00
30	प्रत्यक्ष जारी पात्र अतिरिक्त टीयर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0.00
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	0.00
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	0.00
33	अतिरिक्त टीयर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखतें (एवं सीईटी 1 में लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)	0.00
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।	0.00
36	**विनियामकीय समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी**	0.00
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 के लिखतों में निवेश	0.00
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में परस्परिक प्रतिधारिता	0.00
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा सामान्य शेयर पूँजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00
40	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं के पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)	0.00
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00
41ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के अतिरिक्त टीयर I पूंजी में निवेश	0.00
41बी	जिसमें से: बैंक में समेकित नहीं किए गए सर्वाधिक स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी	0.00
42	कटौतियों को पुरा करने के लिए अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन	0.00
43	अतिरिक्ति टीयर 1 पूँजी पर कुल विनियामकीय समायोजन	0.00
44	अतिरिक्त टीयर 1 पूँजी (एटी1)	100000.00
45	(टीयर-1 पूँजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (पंक्ति 29+पंक्ति 44)	7,30,661.00
	टीयर-2 पूँजीः लिखते एवं प्रावधान	
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टीयर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	113730.00
47	टीयर 2 में से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	
48	टीयर 2 लिखत (एवं पंक्ति 5 या 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो अनुषंगी कंपनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (समूह टीयर 2 हेतु स्वीकृत राशि)	अप्रयोज्य

बेसल-III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग 31 मार्च, 2017 से किया जाएगा		
क्र.सं.	**समान इक्विटी टीयर 1 पूँजीः लिखत एवं आरक्षित निधियाँ**	
49	जिसमें से : निकाले गए लिखत जो अनुषंगी कंपनियों द्वारा ज़ारी किए गए हों	अप्रयोज्य
50	प्रावधान	52541.64
51	विनियामकीय समायोजन से पूर्व टीयर-2 पूँजी	**184913.72**
52	स्वयं के टीयर 2 लिखत में निवेश	0
53	टीयर 2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
55	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)	
56ए	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों के टीयर II पूंजी में निवेश	
56बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियाँ, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई, के टीयर 2 पूंजी में कमी	
57	टीयर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	
58	टीयर 2 पूँजी (टी2)	184913.72
59	कुल पूँजी (टीसी=टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58)	915574.73
60	कुल ज़ोख़िम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	
60ए	जिसमें से : कुल ऋण ज़ोख़िम भारित आस्तियां	4203331.60
60बी	जिसमें से : कुल बाजार जोख़िम भारित आस्तियां	357405.91
60सी	जिसमें से : कुल परिचालित जोख़िम भारित आस्तियां	377316.00
	पूँजी अनुपात व बफ़र	
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.77%
62	टीयर 1 (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.80%
63	कुल पूँजी (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिषत के रूप में)	18.54%
64	संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी अभिरूपता और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकताएं, जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	8.00
65	जिसमें से : पूँजी अभिरूपता बफ़र आवश्यकता	2.50
66	जिसमें से : बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.00
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00
68	बफ़र की पुर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (जोख़िम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.27
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	5.50
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.00
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	9.00
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0.00
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)	0.00
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्तिगत कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00
	टीयर 2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा	

बेसल-III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का उपयोग 31 मार्च, 2017 से किया जाएगा		
क्र.सं.	**समान इक्विटी टीयर 1 पूँजीः लिखत एवं आरक्षित निधियाँ**	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में समेकन हेतु प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	अप्रयोज्य
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समेकन की सीमा	अप्रयोज्य
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में समेकन हेतु प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	अप्रयोज्य
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टीयर 2 में प्रावधान के समेकन हेतु सीमा	अप्रयोज्य
	फ़ेज आउट की व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	
80	फ़ेज आउट की व्यवस्था के अधीन सीईटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	अप्रयोज्य
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	
82	फ़ेज आउट की व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	
84	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर टी 2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	

तालिका डीएफ 12 – पूँजी का विनयास – समाधान अपेक्षाएं

अप्रयोज्य है क्योंकि वितीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र समान हैं।

तालिका डीएफ 13 - विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

क्र. सं.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	सीरीज–XIV= ₹500 करोड़	पीएसबी एटी-1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV = ₹237.30 करोड़	सीरीज–XVI = ₹500 करोड़
1	जारी कर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2	यूनिक पहचानकर्ता (अर्थात निजी प्लेसमेंट हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई608ए08017	आईएनई608ए08025	आईएनई608ए08033	आईएनई608ए08041
3	लिखत के शासी नियम	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014	परिपत्र दिनांक 06 जून, 2008 संख्या Lad-Nro/Gn/2008/13/127878 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) अधिनियम, 2008 जोकि परिपत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 संख्या Lad-Nro/Gn/2012-13/19/5392 द्वारा यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) अधिनियम, 2012 यथा संशोधित और दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 का परिपत्र संख्या CIR/IMD/DF/18/2013) तथा परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 संख्या Lad-Nro/Gn/2013-14/43/207 द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 मार्च, 2015 संख्या Lad-Nro/Gn/2014-15/25/539 यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) (संशोधन) अधिनियम,2015 और भा.रि. बैंक दिनांक 01.07.2015 संख्या RBI/2015-16/58 DBR. No.BP.BC1/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 संख्या RBI/2015-16/285 DBR.No.BP.BC.71/21.06.201/2015-16, अधिसूचना दिनांक 01.03.2016 संख्या RBI/2015-16/331 DBR.NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 तथा अधिसूचना दिनांक 02.02.2017 संख्या NO.DBR BP. BC NO./ 50/ 21.06.201/2016-17	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014	दिनांक 06 जून, 2008 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/13/127878 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) अधिनियम, 2008 और दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2012 तथा दिनांक 31 जनवरी, 2014 के परिपत्र संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/43/207 यथा संशोधित द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीबद्ध) (संशोधित) अधिनियम, 2014
	विनियामक उपचार				
4	सक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर 2	टीयर 1	टीयर 2	टीयर 2
5	सक्रमणकाल उपरांत बेसल III नियम	टीयर 2	टीयर 1	टीयर 2	टीयर 2
6	एकल/समूह/ समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टीयर II ऋण लिखत	टीयर I ऋण लिखत	टीयर II ऋण लिखत	टीयर I लिखित
8	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि (करोड़ रूपयों में)	500	1000	237.30	500

क्र. सं.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	सीरीज–XIV= ₹500 करोड़	पीएसबी एटी-1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV = ₹237.30 करोड़	सीरीज–XVI = ₹500 करोड़
9	लिखत का सममूल्य	₹1000000	₹1000000	₹1000000	₹1000000
10	लेखांकन वर्गीकरण	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)	देयता (ऋण)
11	ज़ारी करने की मूल तिथि	19.10.2016	08.05.2017	27.06.2019	04.11.2019
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	सतत	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	19.10.2026	अप्रयोज्य	26.10.2029	03.12.2029
14	ज़ारी कर्ता की कॉल, पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी हां - लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है जोकि भा.रि. बैंक की पूर्व अनुमति की शर्त के अधीन है।	जी नहीं	जी नहीं
15	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	अप्रयोज्य	लिखित के न्यूनतम 5 वर्ष तक चलने के बाद लिखित पर कॉल का विकल्प स्वीकार्य है।	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
16	आगामी काल की तिथियाँ (यदि लागू हो)	अप्रयोज्य	किसी भी कूपन तिथि पर उसके पश्चात।	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांष				
17	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश /कूपन	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित	निर्धारित
18	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	7.99%	10.90%	9.50%	8.67%
19	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हाँ
20	पूर्णत: विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्णत: विवेकानुसार	अनिवार्य	अनिवार्य
21	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णत: अथवा आंशिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विर्निदिष्ट करें	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के ज़ारीकर्ता को विर्निदिष्ट करें।	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

क्र. सं.	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	सीरीज–XIV= ₹500 करोड़	पीएसबी एटी-1 बॉण्ड सीरीज 1	सीरीज-XV = ₹237.30 करोड़	सीरीज–XVI = ₹500 करोड़
30	अवलेखन के लक्षण	ख़ारिज करना लागू हैं	ख़ारिज करना लागू हैं	ख़ारिज करना लागू हैं	ख़ारिज करना लागू हैं
31	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की दिशा-निर्देशानुसार में लिखा हैं	31 मार्च, 2019 से पहले जारी किए गए बाण्डों अर्थात बेसल III को पूर्णतयाः लागू करने से पहले दो पूर्व-निर्धारित ट्रिगर होंगे। सीईटी 1 पर आर.डब्लू.ए. का 5.5% पूर्व-निर्धारित लोअर ट्रिगर लागू होगा तथा 31 मार्च, 2019 से पहले तक प्रभावी रहेगा। ऐसे सभी बाण्डों के लिए इस तिथि से सीईटी पर आर.डब्लू.ए. के 6.125% के ट्रिगर में वृद्धि की जाएगी।	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की guidelines में लिखा हैं	पी.ओ.एन.वी ट्रिगर जैसा की RBI की दिशा-निर्देशानुसार में लिखा हैं
32	अवलेखन की दशा में पूर्णत: अथवा आंशिक	पूर्णत: अथवा आंशिक	पूर्णत: अथवा आंशिक	पूर्णत: अथवा आंशिक	पूर्णत: अथवा आंशिक
33	अवलेखन की दशा में स्थायी हैं अथवा अस्थायी	स्थायी	बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार अवलेखन प्रणाली अस्थायी अथवा स्थायी हो सकती है।	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	अप्रयोज्य	परिवर्तन और स्थायी अवलेखन से एक अस्थायी अवलेखन से भिन्न है अर्थात् मूल लिखित को पूर्णतयाः समाप्त नहीं किया जा सकता है। सामान्यतयाः आकस्मिक ट्रिगर की पुनरावर्ती होने पर लिखित के सम-मूल्य का अवलेखन (गिरावट) किया जाता है और जिसको भविष्य में भा.रि. बैंक के बॉसल III के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों की संपुष्टि करते हुए इसके मूल मूल्य में प्रतिलेखन (वृद्धि) की जा सकती है। बाण्डों के विस्तृत लक्षणों तथा प्रचलित लेखांकन मानकों पर अस्थायी अवलेखन के बाद तुलन पत्र में दर्शायी गई राशि निर्भर कर सकती है।	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
35	परिसमापन की दशा में - प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विर्निदिष्ट करें।)	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	दावों के अधीन (क) सभी जमाकर्ता (ख) आम ऋणी और (ग) बैंक के टीयर I पूंजी के तौर पर अहर्ता प्राप्त गौण ऋणों के अतिरिक्त गौण ऋण (जैसा कि बॉसल III के दिशा-निर्देशों में परिभाषित है); (घ) बैंक द्वारा जारी तथा भविष्य में जारी किए जाने वाली टीयर 2 पूंजी में सम्मिलित होने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखित; (ङ) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर; (च) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर; (छ) टीयर 2 पूंजी में सम्मिलित करने हेतु पात्र बैंक द्वारा जारी और भविष्य में जारी किए जाने वाले प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर।	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों	सभी जमाकर्ताओं के दावों और बैंक के सामान्य लेनदारों
36	संक्रमणकालीन अननुपालन स्वरूप	अप्रयोज्य	नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
37	यदि हाँ तो अननुपालन का स्वरूप विहित करें।	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

तालिका डीएफ 14 - विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1. बॉण्ड निर्गमन-XIV ₹500 करोड़

संक्षिप्त शर्त तालिका

जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	₹500 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मज़बूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूँजी को बढ़ाया जाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णत: चुकता बेसल III कॉंप्लाएंट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बांडधारकों के दावों में यह होगा कि : (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जो कि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए\नकारात्मक" और केयर द्वारा "केयर एए\नकारात्मक"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	₹10,00,000/- प्रति बॉंड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (₹10,00,000/- प्रति बॉण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (₹10,00,000/- प्रति बॉण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) ब तथा उसके बाद 1 (एक) बांड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीम्ड दिनांक से 10 साल
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	19 अक्तूबर 2026
कूपन दर*	7.99% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	बॉंड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्तूबर वार्षिक
न्यासी	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	इश्यू में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, एप्लीकेशन मनी पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जो कि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बॉण्ड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीम्ड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटिती को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्याज या प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/ खाते में सीधे जमा/ एनईसीएस/आरटीजीएस/ एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।

अंशदान का माध्यम	चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक एकाउंट" के पक्ष में "केवल अदाता के खाते में" रेखांकित किया गया हो और जिस स्थान/ केंद्र में आवेदन पत्र जमा करवाया गया हो वहाँ पर सममूल्य पर देय अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक IFSC कोड PSIB0000606, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली के खाते में जमा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फंड ट्रांस्फर/ आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
इश्यू के खुलने की तिथि	05.10.2016
इश्यू के बंद होने की तिथि	05.10.2016
पे-इन तिथि	19.10.2016
आबंटन की मानी गई तिथि	19.10.2016

2. पीएसबी एटी-1 बॉण्ड श्रंख्ला-I ₹1000 करोड़

संक्षिप्त शर्त तालिका

जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	₹1000 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	दीर्घावधि के स्रोत मे वृद्धि करने तथा भविष्य के विकास हेतु बेसल III के अनुसार इसकी अपनी पूंजी पर्याप्यता को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक की समग्र पूंजी मे वृद्धि करना।
लिखत	डिबेंचर के रूप मे वचनपत्र ("बाण्ड") असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमियादी कर योग्य बांड जो टीयर 1 पूंजी के रूप मे मान्य होगे (जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक के बेसल III की शर्तो में परिभाषित है)
लिखत की प्रकृति	बांड न तो सुरक्षित हैं, ना ही निर्गमकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही संबंधित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर बांड धारकों के दावो की विरिष्ठता मे वृद्धि करता है ("बांड धारकों") अर्थात निर्गमकर्ता के अन्य ऋणदाता। बांड धारकों के दावे इस प्रकार होगे : (i) इक्विटी शेयरों मे निवेशकों तथा बैंक के बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयरो, यदि कोई हैं, के दावों पर अधिमान पाएंगे; (ii) जमाकर्ताओं के दावों, आम ऋणदाताओं तथा टीयर 1 पूंजी के तौर पर गौण ऋणो (जैसा की बेसल III की शर्त में परिभाषित है) के अतिरिक्त बैंक के गौण ऋणो से गौण होगे; (iii) ना तो रक्षित हैं, ना ही निर्गमकर्ता की गारंटी के अधीन हैं, ना ही संबंधित संस्था या व्यवस्था जो कानूनी रूप या आर्थिक तौर पर दावों की वरिष्ठता में वृद्धि करता है अर्थात बैंक के अन्य ऋणदाता। (iv) अधिमान के बगैर समान रूप रखते हैं; (v) यदि बैंक द्वारा तत्पश्चात जारी किए गए बांड/डिबेंचरों (ए.टी.आई. लिखित की प्रकृति अनुसार) की शर्तो में उल्लेखित नही किया जाता है कि ऐसे बांड धारकों के दावों को अधिमान दी जाएगी या इस प्रकटन प्रलेख के अंतर्गत जारी किए बांड से गौण होगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अपने दशा-निर्देशो मे अन्यथा निर्धारित नही करता है, बैंक के ऐसे डिबेंचरों/बांड के धारकों के दावो के समरूप बांड धारकों के दावे होंगे।;
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	आईसीआरए द्वारा "आईसीआरए ए\नकारात्मक" और केयर द्वारा "केयर ए\नकारात्मक"।
प्रतिभूति	प्रतिभूति रहित
अंकित मूल्य	₹10,00,000/- प्रति बॉंड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (₹10,00,000/- प्रवत बांड)
प्रतिदेय मूल्य	सममूल्य पर (₹10,00,000/- प्रवत बांड)
न्यूनतम आवेदन	दस (10) बांड और उसके बाद 1(एक) के गुणांक में बांड
कार्यकाल	बेमियादी
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	लिखित की कम से कम पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर काल विकल्प की अनुमति है।

प्रतिदेयता/ परिपक्वता	सम मूल्य पर
प्रतिदेयता तिथि	बेमियादी
कूपन दर*	10.90% वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष 08 मई को वार्षिक
न्यासी	विस्तारा आई.टी.सी.एलि. (इंडिया) लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर ब्याज (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की शर्तो के अंतर्गत आय कर की कटौती या कोई संविधानिक संशोधन अथवा पुनः क्रियाशील करना जैसा भी लागू हो) का भुगतान सभी आवेदकों को बांड की आवेदन राशि पर चैक (ओ)/डिमांड ड्राफ्ट(ओ) के पास होने की तिथि से किया जाएगा और आर.टी.जी.एस./अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरण के मामलो मे, निधियों की प्राप्ति होने पर आवेदन की अनुमानित तिथि से एक दिन पहले ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वास्तविक दिन के गणना की परंपरा/वास्तविकता के अनुसार आवेदन राशी पर गणना की जाएगी। सभी वैध आवेदनों पर जिसमे रिफंड भी शामिल हैं, ऐसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आवेदन राशि जिसको वापिस लौटाया गया है, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान रिफंड आदेश के साथ लौटाया जाएगा और आवेदन राशी जिसके विरुद्ध बांड को आबंटित किया गया है, आबंटन की अनुमानित तिथि से आवेदन राशि पर ब्याज 10 कार्य दिवसों के अंदर अदा किया जाएगा। जहाँ एक आवेदक को आवेदित बांड से कम संख्या में बांड का आबंटन किया जाता है, आवेदक को आवेदन पर अदा की गई अतिरिक्त राशि के साथ वापस की गई राशि पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। आवेदन राशि पर ब्याज पर लागू दर पर स्रोत पर आय कर कटौती (टी.डी.एस.) की जाएगी।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की अदायगी बैंक द्वारा चैक/ ब्याज/प्रतिदेयता वारंट/ मांग ड्राफ्ट/खाते में सीधे जमा/एनईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी तंत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य किसी भी के ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
अंशदान का माध्यम	विप्रेषण को या तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष मे आहरित "केवल अदाता के खाते मे" क्रास चैक(ओ)/मांग पत्र(ओ) जो की सम मूल्य पर देय हो जिन स्थानों/केद्रों पर आवेदन पत्र जमा किया गया हो और निधि अंतरण/आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अंतरण "पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 21, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली के लिए आईएफएससी कूट संख्या "PSIB0000606" में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि	02.05.2017
इश्यू के बंद होने की तिथि	02.05.2017
पे-इन तिथि	08.05.2017
आबंटन की मानी गई तिथि	08.05.2017

3. बॉण्ड निर्गमन-XII ₹237.30 करोड़

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गतकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गत का आकार	₹237.30 करोड़
निर्गत का उद्देश्य	बेसल III के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मज़बूत बनाने के लिए, भविष्य की प्रगति तथा दीर्घावधि स्रोतों को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा अपनी समग्र पूँजी को बढ़ाया जाना

लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णत: चुकता बेसल III कॉप्लाएंट टीयर 2 बांड (सीरीज XIV) टीयर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में ("बांड")
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से असुरक्षित, भुगतान किए जाएंगे। बांडधारक के दावे इस प्रकार होंगे: (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने के लिए योग्य उपकरणों में निवेशकों के दावों के लिए वरिष्ठ; (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ; और (ग) बैंक या संबंधित इकाई की गारंटी या कानूनी रूप से या आर्थिक रूप से दावे की वरिष्ठता को बढ़ाता है कि बैंक या संबंधित इकाई की गारंटी द्वारा न तो सुरक्षित है और न ही कवर किया गया है।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	ब्रीकवर्क द्वारा "ब्रीकवर्क एए\नकारात्मक" और केयर द्वारा "केयर एए\नकारात्मक"।
प्रतिभूति	असुरक्षित और अधीनस्थ
अंकित मूल्य	₹10,00,000/- प्रति बांड
निर्गत मूल्य	सम मूल्य पर (₹10,00,000/- प्रति बांड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (Rs 10,00,000/- प्रति बांड)
न्यूनतम आवेदन	1 (एक) बांड और उसके बाद गुणकों में
कार्यकाल	आवंटन के विचारित तिथि से 10 वर्ष 4 माह
पुट विकल्प	कोई नहीं
कॉल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आवंटन के विचारित तिथि से 10 वर्ष 4 माह के अंत पर
प्रतिदेयता तिथि	अक्तूबरr 26, 2029
कूपन दर	9.50% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथि	बांड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 19 अक्तूबर वार्षिक
न्यासी	विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल")
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज	बांड का आवंटन प्राप्त करने वाले आवेदकों के संबंध में, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान कूपन दर (आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आयकर में कटौती के अधीन, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या फिर से किया जाएगा) जारी करने के लिए (जैसा कि लागू हो) बांड की कुल अंकित मूल्य राशि से शुरू होने वाली अवधि के लिए और जारीकर्ता के खाते में आवेदन राशि की प्राप्ति की तारीख सहित, लेकिन आबंटित की जमा तिथि को छोड़कर। आवंटन की राशि पर इस तरह का ब्याज आबंटक द्वारा आबंटित की गई दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर आवंटियों को भुगतान किया जाएगा।
निपटान	ब्याज का भुगतान तथा मूल राशि की पुनर्अदायगी आरटीजीएस/ एनीएफटी तंत्र के द्वारा या ऐसी ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी जिसको आरबीआई मान्य करेगा॥
इश्यू के खुलने की तिथि	25.06.2019
इश्यू के बंद होने की तिथि	25.06.2019
पे-इन डेटस	27.06.2019
आबंटन की मानी गई तिथि	27.06.2019

4. बाण्ड निर्गमन- XVI ₹500 करोड़

संक्षिप्त शर्त तालिका

निर्गतकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
निर्गत का आकार	₹500 करोड़
निर्गत का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टीयर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	सूचीबद्ध, रेटेड, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय पूर्णत: चुकता बेसल III कॉप्लाएंट टीयर 2 बाण्ड (सीरीज XIV) टीचर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए डिबेंचर की प्रकृति में (बाण्ड)
लिखत की प्रकृति	ये बांड पूरी तरह से पेड अप, असुरक्षित होंगे। बॉडधारकों के दावों में यह होगा कि: (क) बैंक की टीयर 1 पूंजी में शामिल करने योग्य लिखितों में निवेशकों के दावों के लिए प्राथमिकता (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं के दावों हेतु गौण तथा (ग) न तो सुरक्षित है और न ही इसे बैंक की गारंटी द्वारा कवर किया गया है अथवा संबंधित संस्था या अन्य कोई व्यवस्था है जोकि कानूनी तौर पर या आर्थिक रूप से लेनदारों की तुलना में दावों को प्राथमिकता देता है।
ज़ारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा "क्रिसिल एए\नकारात्मक" और केयर द्वारा "केयर एए\नकारात्मक"।
प्रतिभूति	प्रतिभूतिरहित और गौण
अंकित मूल्य	₹10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गत मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात ₹10,00,000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात ₹10,00,000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	आबंटन की डीम्ड दिनांक से 10 वर्ष 1 महीना
पुट विकल्प	कोई नहीं
कॉल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	आबंटन की अनुमानित दिनांक से 10 वर्ष 1 महीना के अंत में
प्रतिदेयता तिथि	03 दिसंबर 2029
कूपन दर	8.67% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथि	बॉंड की परिपक्वता तक प्रति वर्ष 08 मई वार्षिक
न्यासी	आईडीबीआई ट्रस्टीसिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)
पंजीयक	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट
आवेदन राशि पर ब्याज	इश्यू में जिन आवेदकों को बांड आबंटित किए गए हैं, आवेदन राशि पर ब्याज का भुगतान कुल कूपन मूल्य दर पर दिया जाएगा (आयकर अधिनियम, 1961, या किसी अन्य सांविधिक संशोधन या उसके पुनर्धिनियमन के प्रावधानों के तहत आयकर की कटौती के अधीन लागू हो) जोकि जारीकर्ता के खाते में जारी होने की तिथि से लेकर आवेदन धन की प्राप्ति की तिथि की अवधि के लिए बॉण्ड की कुल अंकित मूल्य राशि पर होगा किंतु आबंटन की डीम्ड दिनांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आबंटिती को जारीकर्ता द्वारा आवेदन राशि पर इस तरह के ब्याज का भुगतान आबंटन की अनुमानित दिनांक से 15 (पंद्रह) दिन के भीतर किया जाएगा।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी आरटीजीएस प्रणाली/एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्य अन्य ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
इश्यू के खुलने की तिथि	31.10.2019

इश्यू के बंद होने की तिथि	31.10.2019
पे-इन डेटस	04.11.2019
आबंटन की मानी गई तिथि	04.11.2019

तालिका डीएफ 15 - पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

तालिका डीएफ 16 - बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण

• धारिताओं में भेदभाव, जिस पर पूँजीगत लाभ अपेक्षित हैं और जिसे संबंधों तथा नीतिगत कारणों सहित लक्ष्यों के अंतर्गत लिया गया है।	बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नीतिगत उद्देश्य से आरआरबी में रखा गया है। बैंक पूँजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग बही में इक्विटी निवेश नहीं रखता है।
• बैंकिंग बही में इक्विटी धारिताओ के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें महत्वपूर्ण पूर्व-धारणाओं तथा मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली प्रथाओ तथा इन प्रथाओ में हुए महत्वपूर्ण बदलावों सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीके और मूल्यांकन प्रणालिया शामिल होनी चाहिए।	ऐसे निवेश, जिसे परिक्वता तक रखा जाना अभिप्रेत है, एचटीएम प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत हैं। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिह्नित नहीं किया गया है तथा उपार्जन लागत पर रखा गया है। निवेश मूल्य में अस्थाई ह्रास के अलावा किसी भी प्रकार के ह्रास का प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री संबंधी किसी भी हानि की पहचान लाभ-हानि खाता में की जाती है तथा उसे भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निवल कर एवं सांविधिक आरक्षितियों के पश्चात "आरक्षित पूँजी" से समायोजित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि लाख में)

1	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों की उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य भिन्न है।	
2	निवेशों के प्रकार और स्वरुप, जिसमे निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि शामिल है: • सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए; तथा • निजी रूप से धारित।	
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा परिसमापन से उत्पन्न संचयी लाभ प्राप्ति (हानि)	
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानि)	
5	कुल प्रकट प्रच्छन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	
6	उपरोक्त में से टीयर I तथा/या टीयर II में शामिल की गयी पूंजी	
7	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा विभाजित पूंजी अपेक्षाए और सकल राशियाँ तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूंजी अपेक्षाओ के संबंध में किन्ही पर्यवेक्षी सक्रमण या ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन हो	आरआरबी में एचटीएम इक्विटी निवेश,को मास्टर परिपत्र बेसल III पूँजी विनियमनों के पैरा 4.4.9.2 के अनुसार उपचारित किया गया है।

तालिका डीएफ 17 – लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों की तुलनात्मक सारांस यथा 31.03.2022

	मद	(राशि करोड़ में)	(राशि लाख में)
1	कुल समेकित आस्तियाँ	121067.55	12106754.64
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या व्यापारिक संस्थाओं में निवेश हेतु समायोजन जो कि लेखांकन उद्देश्यों से परंतु विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर समेकित की गई हैं।		
3	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपायों के अतिरिक्त प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र में मान्य प्रत्ययी आस्तियों का समायोजन।		
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों का समायोजन	1334.55	133454.67
5	प्रतिभूति वित्तीय लेन-देनों का समायोजन (यथा रेपो तथा समान प्रतिभूतिकृत ऋण)	1540.00	154000.00
6	तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली मदों का समायोजन (यथा तुलन-पत्र के अलावा एक्सपोजर के समतुल्य राशि जमा करने हेतु रूपांतरण)	5487.66	548765.92
7	अन्य समायोजन		
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	**127889.76**	**12788975.22**

तालिका डीएफ 18 : लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टैंपलेट

			31.03.2022
लीवरेज अनुपात मद संरचना		(राशि करोड़ में)	(राशि लाख में)
	तुलन-पत्र एक्सपोजर		
1	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	119527.55	11952754.64
2	(बेसल III टीयर 1 पूँजी निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	-6768.18	-676817.95
3	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	112759.37	11275936.68
	डेरिवेटिव एक्सपोजर		
4	सभी डेरिवेटिव लेन-देनों में शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी परिवर्तन मार्जिन का कुल जोड़)	1334.55	133454.67
5	सभी डेरिवेटिव लेन-देन में शामिल पीएफई हेतु पूरक राशि		
6	सकल डेरिवेटिव संपार्श्विक बशर्ते जिसमें प्रवर्तनशील लेखा संरचना के आधार पर तुलन-पत्र आस्तियों से कटौती की गई है।		
7	(डेरिवेटिव लेन-देनों मे दर्शाए गये नकदी घट-बढ़ मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौतियाँ)		
8	(ग्राहक- समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग		
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि		
10	लिखत ऋण डेरिवेटिव् हेतु समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियाँ		
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	**1334.55**	**133454.67**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेन-देन एक्सपोजर		
	सकल एसएफटी आस्तियाँ (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखाकन लेन-देनों के समायोजन उपरांत		
12	(सकल एसएफटी आस्तियों की देय नकदी तथा प्राप्य नकदी की निवल राशि)	1540.00	154000.00
	एसएफटी आस्तियों हेतु सीसीआर एक्सपोजर		
13	एजेंट लेन-देन एक्सपोजर		
14	कुल प्रतिभूति वित्तापोषण लेनदेन एक्सपोज़र (प्रतिभूति पंक्तियों 12 से 15 का कुल जोड़)		

15	अन्य तुलनपत्रेतर से एक्सपोजर		
16	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण हेतु समायोजन)	1540.00	154000.00
	तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति 17 तथा 18 का जोड़)		
17	पूँजी तथा कुल एक्सपोजर	20407.70	2040769.68
18	टीयर 1 पूँजी कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का जोड़)	-14920.04	-1492003.76
19	लीवरेज अनुपात	5487.66	548765.92
	तुलन-पत्र एक्सपोजर		
20	टीयर 1 पूँजी	7306.61	730661.01
21	तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त परंतु संपार्श्विक सहित)	121121.57	12112157.27
	(निर्धारक बेसल III टीयर 1 पूँजी में घटाई गई आस्तियों की राशि)		
22	कुल तुलन-पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव तथा एसएफटी के अतिरिक्त) (पंक्ति 1 व 2 का जोड़)	6.03%	6.03%

मेसर्स घिया एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** घिया अस्पताल कॉम्प्लेक्स ई-68, सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर – 302017	**मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** 103, 105, प्लॉट संख्या 1, वर्धमान इंद्रप्रस्थ प्लाजा, आई पी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092	**मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी** **सनदी लेखाकार** पार्क सेंटर, 24, पार्क स्ट्रीट कोलकाता-700016	**मेसर्स मनोहर चौधारी एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** 27, सुब्रमण्यम स्ट्रीट, अब्राहिमपुरा, चेन्नई, तमिलनाडु-600018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** ('बैंक') की वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2022 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है जिनमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं और ट्रेजरी विभाग तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 780 शाखाएं और 26 कार्यालय/ प्रसंस्करण केंद्र के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वित्तीय विवरणियों में बैंक की उन 730 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल है जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से अग्रिम का 9.82 प्रतिशत, जमाराशियों का 26.78 प्रतिशत, ब्याज आय का 6.88 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 25.15 प्रतिशत भाग संबंधित है।

2. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा यथाआवश्यक अनुसार बैंक के अनुरूप जानकारी देती है और यह भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

   a) टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2022 को बैंक की क्रियाकलापों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है;
   b) टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, **लाभ** का वास्तविक संतुलन प्रदर्शित करता है ; और
   c) नकदी प्रवाह विवरणी, उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह प्रस्तुत करती है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खंड में वर्णित किया गया है। नैतिक अपेक्षाएं जो सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक तथा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र तथा

दिशानिर्देश शामिल हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

तथ्यों का प्रभाव

4. हम आपका ध्यान निम्न की ओर आकर्षित करना चाहते हैं :

a) वित्तीय विवरणियों की अनुसूची संख्या 18 (नोट संख्या 20), जो कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रकोप के कारण हुई अनिश्चितताओं और बैंक के व्यवसाय संचालन पर इसके प्रभाव का प्रबंधन मूल्यांकन की व्याख्या करता है।

b) ₹ 236.84 करोड़ राशि के परिवार पेंशन में संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरणियों की अनुसूची संख्या 18 {नोट संख्या 14 (i) }। जैसा कि वहाँ अवस्थित है, बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते में ₹ 47.37 करोड़ की राशि प्रभारित की है तथा ₹ 189.47 करोड़ राशि के शेष गैर-परिशोधित व्यय को तुलन-पत्र में अग्रेषित किया गया है।

उक्त वर्णित मामले के संबंध में हमारे अभिमत को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

5. वर्तमान अवधि के लिए वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों में हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों का निर्धारण किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा में मामले के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की गई
अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और प्रावधानन **(वित्तीय विवरण की अनुसूची 9 का संदर्भ लें)** अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो आय अभिनिर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानन (आईआरएसी) मानदंडों और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं। वर्गीकरण और प्रावधानन, बैंक के आईटी सॉफ्टवेयर द्वारा अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत किए जाते हैं। पहचान किए गए एनपीए के लिए प्रावधान समय बढ़ने और एनपीए	हमने आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानन के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आरबीआई के दिशा-निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक निदेशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है। हमारे लेखा परीक्षण का दृष्टिकोण, अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए प्रणाली के अभिकल्प की जांच करना है ताकि मामले में आरबीआई के दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा मूल्यांकन की नमूना जांच सुनिश्चित हो सके। हमने किसी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या अशक्ति का पता लगाने के लिए बड़े एवं दबावग्रस्त ऋणों की नमूना जांच के आधार पर प्रलेखीकरण, परिचालनों/ निष्पादनों की पुनर्समीक्षा की है ताकि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसरण में इनका वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके। अन्य शाखा सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा

के वर्गीकरण, वसूली अनुमान, प्रतिभूति के मूल्य पर आधारित है और आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों/ नियामक आवश्यकताओं के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के गलत मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का आवर्ती मूल्य, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मूर्त रूप में खराब हो सकता है और वित्तीय वक्तव्यों में अग्रिमों की राशि के महत्व के मद्देनजर, अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधानन को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हम उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं और सुनिश्चित किया कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को यथाआश्यक विधिवत रूप से लागू किया गया। हमने ऋण लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, नियामक लेखापरीक्षा के रिपोर्ट की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की है ताकि किसी भी प्रतिकूल विशेषताओं/ टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाया जा सके और बैंक प्रणाली से व्युत्पन्न रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके। हमने आरबीआई मास्टर परिपत्र/ दिशानिर्देश/ न्यायिक कथनों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की पुनर्समीक्षा की है। लेखापरीक्षा के दौरान जहां कहीं आवश्यक था, आवश्यक परिवर्तन किए गए और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।
निवेश अभिज्ञान का वर्गीकरण और मूल्यांकन तथा अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधानन **(वित्तीय विवरण की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)** बैंक के निवेश संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्ड्स, ऋण पत्र, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ आरबीआई के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। मूल्यांकन में शामिल निर्णय, लेनदेन की मात्रा, हाथ में निवेश, नियामक आवश्यकताओं और वित्तीय विवरण में निवेश की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने चालू वर्ष के लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में इसकी पहचान की है।	आरबीआई परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में रूपरेखा की समीक्षा और परीक्षण, आंतरिक नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश का अभिनर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में विशेष्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमने, आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा उसे समझा है। हमने, एनपीआई के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया तथा अप्राप्त आय का तदनुरूप व्युत्क्रम और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया है। हमने, आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित करने और मूल्यह्रास के प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नमूने के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार अनुरक्षण के प्रावधान की पुनर्गणना की है; लेखापरीक्षा के दौरान यथास्थान आवश्यक परिवर्तन किए गए और उसके प्रभाव को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों में विधिवत रूप से सम्मिलित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन बैंक का आईटी वातावरण जटिल है और इसमें बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अंतर-निर्भर आईटी सिस्टम शामिल हैं जिनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के संचालन में किया जाता है। परिणामस्वरूप, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर उच्च स्तर की निर्भरता है। उपयुक्त आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ऐसी आईटी प्रणालियां, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह सटीक और आवश्यक डेटा को संसाधित करने में सक्षम हैं। आईटी, लेनदेन की रिकार्डिंग पर नियंत्रण रखता है, आरबीआई के दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। इसकी रिपोर्टिंग बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्य पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी सत्यापन में विफलताओं, गलत इनपुट डाटा और डाटा के गलत निष्कर्षण से प्रबंधन और नियामकों को डेटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। बैंक, अपने सभी अग्रिमों से संबंधित लेनदेन के लिए खाते, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) में रखता है अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) जो यह चिह्नांकन करता है कि अग्रिम सही हैं या गैर-निष्पादित हैं और उन पर प्रावधान की गणना करता है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर आईटी सिस्टम और संबंधित नियंत्रण वातावरण के प्रभाव के महत्व के कारण, हमने चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए इस प्रकार के आईटी प्रणाली तथा उससे संबंधित नियंत्रण वातावरण के परीक्षण को महत्वपूर्ण मामले के रूप में चिह्नित किया है।	हमने, बैंक द्वारा अपनाई गई सीबीएस प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा है। हमने, विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के भीतर प्रमुख स्वचालित नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता का आकलन किया। इसमें सिस्टम इंटरफेस की पूर्णता का परीक्षण, डाटा की पूर्णता और सटीकता, प्रणाली समायोजन नियंत्रण और स्वचालित गणना शामिल है। हमने, प्रणाली में डाटा की प्रविष्टि का आकलन किया और बैंक में विद्यमान आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और विवरणियां निकालने का अध्ययन किया। नमूना आधार पर सिस्टम द्वारा दी गई आउटपुट और तैयार किए गए रिपोर्ट की समीक्षा की। जहां कमियों की पहचान की गई थी, हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या वैकल्पिक प्रक्रियाओं का परीक्षण किया। प्रणाली से इनपुट/ आउटपुट डाटा की कमियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी प्रभावकारिता हेतु सिस्टम को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
आकस्मिक देयताएं तथा दावे आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होन पर आकस्मिकता होती है। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगों सहित इस तरह के दावे और मुकदमे अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित हैं। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते	हमने बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थायित्व, हाल के आदेशों की जांच और/ या विभिन्न कर प्राधिकारियों/ न्यायिक न्यायाधिकरण से प्राप्त संचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा उपलब्ध अभिलेखों और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/ मुकदमों के परिणामिक दायित्व में बदलने की संभाव्यता की समीक्षा के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।

हुए, जिसके लिए कानून के संदर्भ में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	

6. वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी अभिशासन रिपोर्ट (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की है, तथा उसमें निदेशकों की रिपोर्ट, व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नकों सहित, यदि हो), जिसे उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है, समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणियों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारी तथा बासल III के अंतर्गत स्तंभ 3 शामिल नहीं है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणियों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारियों का अध्ययन करना है तथा ऐसा करते समय विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी, वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा के दौरान में आए हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं।

लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में वस्तुगत गलती है, तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट तथा निदेशक रिपोर्ट को उसके अनुलग्नकों सहित, यदि कोई हो, पढ़ते हैं तथा यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी गलत है तो हमसे उक्त मामले में प्रशासन प्रभारी से संपर्क करने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नगदी प्रवाह की वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों; उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, के अनुसरण में उपयुक्त लेखांकन अभिलेखों को अनुरक्षित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा भी लागू है, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न

करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण, समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आंकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी में षड़यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन पद्धतियों को उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करना।

उपर्युक्त प्रसंगों में परिमाण (मेटेरिएलिटी), वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी का स्तर है जो अकेले या समग्र रूप से ऐसी स्थिति पैदा करने की संभावना रखता है कि वित्तीय विवरणी के पर्याप्त जानकार प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं हम, (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य की योजनाओं तथा उसके परिणाम के मूल्यांकन में एवं (ii) वित्तीय विवरण में पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करने में परिणात्मक महत्ता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषयों के साथ लेखापरीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचान की गई किसी महत्वपूर्ण अनियमितताओं सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अभिशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों व अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू है, का अनुपालन किया है।

अभिशासन को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से अधिक ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने, बैंक की वित्तीय विवरणों में समाविष्ट 780 शाखाओं तथा 26 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी, दिनांक 31.03.2022 को ₹ 27,606.82 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1093.18 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो वित्तीय विवरणी में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारे अभिमत में जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारे अभिमत को आशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तैयार किए गए हैं।

11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 9 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

    (a) हमने अपने लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, वे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार है और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;

    (b) हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेनदेन, बैंक के विवेकाधिकार में हैं ; और

    (c) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त हैं।

12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं" पर आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक मई 19, 2020 के साथ पठित आरबीआई पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. नं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित मार्च 17, 2020 की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते हैं कि :

(a) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के "अनुबंध ए" में दी गई है। 31 मार्च 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी रिपोर्ट असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।

(b) यथा दिनांक 31.03.2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, बैंक के निदेशक में से किसी को भी यथा दिनांक 31.03.2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(c) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यावलोकन या टिप्पणी नहीं है जो बैंक के कार्यकरण पर कोई विपरित प्रभाव डालते हो।

(d) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई विशिष्टता, संदेह अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

(a) हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां उचित रूप से बैंक में रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।

(b) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।

(c) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षित किए गए शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है ; और

(d) हमारे अभिमत में, तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नगदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखांकन मानकों का, आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 001088C **सीए आशीष घिया** **पार्टनर** एम. नं. 427062 यूडीआईएन : 22427062AJGVJF1516 स्थान : नई दिल्ली	**कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 009989N **सीए मनीष गुप्ता** **पार्टनर** एम. नं. 095518 यूडीआईएन : 22095518AJGVQU7465 स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 302137E **सीए आर. के. नंदा** **पार्टनर** एम. नं. 510574 यूडीआईएन : 22510574AJGVVT3539 स्थान : नई दिल्ली	**कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 001997S **सीए संदीप मोगालापल्ली** **पार्टनर** एम. नं. 221848 यूडीआईएन : 22221848AJGVWD9697 स्थान : नई दिल्ली

दिनांकित : 19 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 12 (a) के अंतर्गत "अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताएं पर रिपोर्ट' का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने, संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (**"संबंधित बैंक"**) की वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा से संयोजन में 31 मार्च, 2022 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा-परीक्षित किया है जिसमें चयनित बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधड़ियों एवं गलतियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई'") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट ("गाइडेंस नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एसए), प्रयोज्य सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त निर्देशन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व अनुरक्षित किया गया है और यदि ऐसे सभी नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पक्षों में प्रभावी ढंग से प्रचालित है।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई महत्वपूर्ण दोष विद्यमान है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के निर्णय के ऊपर आश्रित होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि निम्नलिखित "अन्य मामले" शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) अभिलेख के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या प्रवृत्ति की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान इस जोखिमों के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

मत

हमारे मत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे के अन्य मामले शीर्षक के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा संदर्भित रिपोर्टों के आलोक में बैंक ने, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण पक्षों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानदण्ड के अनुसार यथा 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा था।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहाँ तक 37 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, वह रिपोर्ट उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 001088C **सीए आशीष घिया** **पार्टनर** एम. नं. 427062 यूडीआईएन : 22427062AJGVJF1516 स्थान : नई दिल्ली	**कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 009989N **सीए मनीष गुप्ता** **पार्टनर** एम. नं. 095518 यूडीआईएन : 22095518AJGVQU7465 स्थान : नई दिल्ली
कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 302137E **सीए आर. के. नंदा** **पार्टनर** एम. नं. 510574 यूडीआईएन : 22510574AJGVVT3539 स्थान : नई दिल्ली	**कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 001997S **सीए संदीप मोगालापल्ली** **पार्टनर** एम. नं. 221848 यूडीआईएन : 22221848AJGVWD9697 स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 मई, 2022

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2022 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		₹	₹
पूंजी एवं देयताएं	**अनुसूची**	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखा परीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखा परीक्षित]**
पूंजी	1	67777864	40526680
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	72328029	43103461
जमाराशियां	3	1021370140	961081796
उधार	4	24436325	26435500
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	24763106	33671416
कुल		**1210675464**	**1104818853**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	6	61392384	72085155
बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	1489858	11309329
निवेश	8	422808739	320227734
अग्रिम	9	636265621	609417022
अचल आस्तियां	10	15774435	15849119
अन्य आस्तियां	11	72944427	75930494
कुल		**1210675464**	**1104818853**
आकस्मिक देयताएं	12	99122954	62998743
वसूली के लिए बिल		8998817	8454006
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
अनुसूची 1 से 18 फार्म खातों के महत्वपूर्ण अंग हैं			

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

			₹	₹
			31.03.22 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	**31.03.21 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]**
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	70958102	69739143
	अन्य आय	14	9593786	9036140
	कुल		**80551888**	**78775283**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	44444954	47119993
	परिचालन व्यय	16	22806029	23934965
	आकस्मिक व्यय एवं प्रावधान		2910359	35049329
	कुल		**70161342**	**106104287**
III.	**लाभ/हानि**			
	अवधि के लिए निवल लाभ/ हानि (-)		10390546	-27329004
	अग्रानीत लाभ/ हानि(-)		-35775467	-7492325
	शेयर प्रीमियम		35775467	0
	सांविधिक आरक्षित निधि से आहरण		1090000	0
	कुल		**11480546**	**-34821329**
	मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)		2.56	-35.71
IV.	**विनियोजन**			
	अंतरण: सांविधिक आरक्षित निधि		2600000	0
	पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]		669880	1033277
	धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		86176	-87260
	निवेश आरक्षित निधि		0	8121
	निवेश उच्चावचन आरक्षित निधियां		1864208	0
	शेष को तुलन पत्र में ले जाया गया		6260282	-35775467
	कुल		**11480546**	**-34821329**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
	खातों पर टिप्पणियां	18		
	अनुसूची 1 से 18 फार्म खातों के महत्वपूर्ण अंग हैं			

वी.के. मेहरोत्रा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

तीरथ राज मेंदीरत्ता
निदेशक

रश्मि क्षेत्रपाल
निदेशक

शंकर लाल अग्रवाल
निदेशक

के.पी. पटनायक
निदेशक

एम.जी. जयश्री
निदेशक

डॉ. रामजस यादव
कार्यकारी निदेशक

कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र
कार्यकारी निदेशक

एस. कृष्णन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते घीया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001088C

(आशीष घीया)
एम. सं. 427062
स्थान: नई दिल्ली

कृते शिव एण्ड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 009989N

(मनीष गुप्ता)
एम.सं. 095518
स्थान: नई दिल्ली

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 302137E

(आर.के.नंदा)
एम.सं. 510574
स्थान: नई दिल्ली

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स्
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001997S

(संदीप मोगलापल्ली)
एम. सं. 221848
स्थान: नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक :19 मई, 2022

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 1-पूंजी	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
	प्राधिकृत पूँजी:		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी	100000000	100000000
		100000000	100000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी:		
I.	प्रत्येक ₹ 10/- के 6,77,77,86,447 इक्विटी शेयर पूंजी (विगत वर्ष 4,05,26,67,964) [केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 6,65,90,51,093 (विगत वर्ष 3,93,39,32,610) शेयर सहित]	67777864	40526680
	कुल	**67777864**	**40526680**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि**		
	अथशेष	10936906	10936906
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	2600000	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-1090000	0
	उप-योग I	**12446906**	**10936906**
II.	**पूंजी आरक्षित निधि:**		
	a. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (अचल आस्तियाँ):		
	अथशेष	9184403	9241274
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	89861	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-75250	-56871
	उप-योग II. a	**9199014**	**9184403**
	b. पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]		
	अथशेष	6789354	5756077
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	669880	1033277
	उप-योग II. b	**7459234**	**6789354**
III.	**शेयर प्रीमियम:**		
	अथशेष	48351091	26872069

	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	18748816	21483850
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-35780122	-4828
	उप-योग III	**31319785**	**48351091**
IV.	**राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि**		
	a). सामान्य आरक्षित निधि		
	अथशेष	1089003	1089003
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग IV. a	**1089003**	**1089003**
	b). राजस्व आरक्षित निधि:		
	अथशेष	276311	219440
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	75250	56871
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उप-योग IV. b	**351561**	**276311**
	c). धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि :		
	अथशेष	1918642	2005902
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	86176	-87260
	उप-योग IV. c	**2004818**	**1918642**
	d). निवेश आरक्षित निधि		
	अथशेष	333218	325097
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	8121
	उप योग IV. d	**333218**	**333218**
	e). निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
	अथशेष	0	**0**
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1864208	**0**
	उप-योग IV. e	1864208	**0**
V.	**लाभ एवं हानि खाते का शेष**	6260282	-35775467
	कुल [I से V]	**72328029**	**43103461**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 3 – जमाराशियां	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
A	**I. मांग जमाराशियां**		
	i. बैंकों से	589421	451001
	ii. अन्यों से	40946334	40783129
	II. बचत बैंक जमाराशियां	303748441	274069790
	III. आवधिक जमाराशियां		
	i. बैंकों से	1330704	5619536
	ii. अन्यों से	674755240	640158340
	कुल [I+II+III]	**1021370140**	**961081796**
B	**भारत में शाखाओं की जमाराशियां**	**1021370140**	**961081796**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 4 – उधार	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
	I. भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	0
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	2063325	1062500
	iv) अतिरिक्त टीयर - I बॉन्ड	10000000	10000000
	v) गौण ऋण	12373000	15373000
	II. भारत के बाहर उधार राशियां	0	0
	कुल [I व II]	**24436325**	**26435500**
	उपरोक्त I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	2063325	1062500

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
	I. देय बिल	2680828	2179547
	II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	1401546	1146400
	III. प्रोदभूत ब्याज	6876615	7362198
	IV. आस्थगित कर देयता	0	0
	V. अन्य (प्रावधान सहित)	13804117	22983271
	कुल	**24763106**	**33671416**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
	I. रोकड़ शेष [विदेशी करेंसी नोट सहित]	2798992	2475204
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
	i) चालू खातों में	43193392	33609951
	ii) अन्य खातों में	15400000	36000000
	कुल [I व II]	**61392384**	**72085155**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
	I. भारत में		
	i) बैंकों में शेष राशि		
	a) चालू खातों में	143177	249263
	b) अन्य जमाराशि खातों में	0	2000000
	ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		

	a) बैंक के साथ	0	8000000
	b) अन्य संस्थाओं के साथ	0	0
	उप-योग [I]	**143177**	**10249263**
	II. भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	1346681	1060066
	ii) अन्य जमाराशि खातों में	0	0
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	0	0
	उप-योग [II]	1346681	**1060066**
	कुल [I व II]	**1489858**	**11309329**
			(000 छोड़कर)
		₹	₹
	अनुसूची 8 - निवेश	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]**
	I. भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ * *	270727122	193245712
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	14928
	iii) शेयर	1529966	1217073
	iv) डिबेंचर तथा बांड्स	147004167	105623670
	v) सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	0	0
	vi) अन्य:		
	a) वाणिज्यिक पत्र/ सीडी/ प्रतिभूति रसीदें/ आरआईडीएफ	3265117	20003210
	b) यूटीआई के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड	282367	123141
	उप-योग [I]	**422808739**	**320227734**
	II. भारत के बाहर निवेश	शून्य	शून्य
	कुल [I + II]	**422808739**	**320227734**
	कुल मूल्य	427662537	325184098
	मूल्य ह्रास का प्रावधान [-]	4853798	4956364
	निवल निवेश	**422808739**	**320227734**

* * इनमें ₹ 510.66 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं (अंकित मूल्य ₹ 524.60 करोड़)। पिछले वर्ष यह ₹ 232.90 करोड़ (अंकित मूल्य ₹ 239.10 करोड़) था।

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 9 - अग्रिम	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
A	i) क्रय किए गए तथा बट्टाकृत बिल	6141153	4307067
	ii) कैश क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार	219198688	237045110
	iii) आवधिक ऋण	410925780	368064845
	कुल	**636265621**	**609417022**
B	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ सहित अग्रिम)	489473388	484649643
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वार अनुरक्षित	127027702	109463415
	iii) अप्रतिभूत	19764531	15303964
	कुल	**636265621**	**609417022**
C	**भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिक क्षेत्र	270615503	251089558
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	145973298	146273291
	iii) बैंक	13000000	0
	iv) अन्य	206676820	212054173
	कुल	**636265621**	**609417022**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित**	**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित**
	I. परिसर		
	लागत (अथशेष)	4185371	1529157
	पुनर्मूल्यन के कारण लागत-वृद्धि	9355015	9355015
	उप-योग	13540386	**10884172**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	वास्तविक लागत	30068	2656283
	पुनर्मूल्यन लागत	9274264	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
	वास्तविक लागत		-70
	पुनर्मूल्यन लागत	-9355014	0
	घटाएं: इस तिथि को मूल्यह्रास		
	वास्तविक लागत	-302863	-227054
	पुनर्मूल्यन लागत	-75250	-170611
	कुल-I	**13111591**	**13142720**
	II. अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा जुड़नार सहित)		
	लागत (अथशेष)	7450085	5743434
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1188710	1807995
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-39113	-101343
	इस तिथि को मूल्यह्रास	-5936838	-4743687
	कुल II	**2662844**	**2706399**
	कुल I व II	**15774435**	**15849119**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
	II. प्रोदभूत ब्याज	6218050	5480131
	III. अग्रिम में अदा किया गया कर/ स्रोत पर काटा गया कर	4603797	3918463
	IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	47058	56927
	V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
	VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	21683448	23159777
	VII. अन्य $$	40392074	43315196
	कुल	**72944427**	**75930494**
$$ आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि ₹ 2759.23 करोड [पिछले वर्ष ₹ 3318.05 करोड]			

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	67830	71685
	II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	558055	746957
	III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	60682255	25747667
	IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी		
	a) भारत में	26124279	25982873
	b) भारत के बाहर	0	0
	V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1972002	1328705
	VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	9718533	9120856
	कुल	**99122954**	**62998743**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	47784124	48654523
	II. निवेशों पर आय	20946587	18736718
	III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	1184293	1140592
	IV. अन्य	1043098	1207310
	कुल	**70958102**	**69739143**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 14 – अन्य आय	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	1005837	924742
	II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	3314714	4151028
	III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-608071	8121
	IV. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	-1582	-95
	IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	561466	274710
	V. विविध आय	5321422	3677634
	कुल	**9593786**	**9036140**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. जमाराशियों पर ब्याज	42077019	44526485
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	24948	118849
	III. अन्य	2342987	2474659
	कुल	**44444954**	**47119993**

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	**31.03.22 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**	**31.03.21 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)**
	I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	14533858	16880659
	II. किराया, कर और लाइटिंग	1459762	1396901
	III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	105087	68294
	IV. विज्ञापन और प्रचार	38716	27179
	V. बैंक की सम्पति पर मूल्यह्रास	1370904	1021333
	घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षति निधि से अंतरण	0	0
		1370904	**1021333**
	VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	2023	5372
	VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क व भत्ते सहित)	85900	113800
	VIII. विधि प्रभार	139733	137832
	IX. डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन इत्यादि	116946	77017
	X. मरम्मत एवं रखरखाव	256196	203085
	XI. बीमा	1297940	1087933
	XII. अन्य व्यय	3398964	2915560
	कुल	**22806029**	**23934965**

अनुसूची – 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1 **सामान्य**

मूलभूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनी (लेखा मापदंडों) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों की प्रयोज्य सीमा तक तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग के वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राक्कलन का आधार

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी हेतु प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए सूचित आय और व्यय के अनुसार रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों में आंकलन करने और विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं।

2 **विदेशी मुद्रा लेनदेन**

2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडाई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।

2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को वायदा की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना, दिनांक 31.03.2022 को फैड़ाई द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई दिशा-निर्देशों और एएस 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसरण में की गई है।

2.3 विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित आय और व्यय की मदें, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर अभिलिखित की जाती है।

2.4 विदेशी मुद्रा में गारंटी व साख-पत्र सहित स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन दिनांक 31.03.2022 को फैडाई द्वारा प्रकाशित दरों के अनुसार किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3 **निवेश**

3.1 निवेश का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन, आरबीआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/ दिशा-निर्देशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा ''व्यापार के लिए धारित'' जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों में किया गया है:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii. शेयर
iv. ऋण-पत्र
v. सहायक ईकाइयां/ संयुक्त उपक्रम तथा
vi. अन्य

3.3 **वर्गीकरण का आधार**

i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुन: विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
iv. निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यत: बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/ बहीमूल्य/ बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास,यदि कोई हो, पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।

3.4 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि गत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वत: परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है, (एक नेटिंग आइटम के रूप में)। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में (अस्थाई प्रकृति के अतिरिक्त) किसी प्रकार की कमी, प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग ह्रास का प्रावधान किया जाता है।

3.5 'बिक्री हेतु उपलब्ध' के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप वार किया गया है तथा ह्रास/वृद्धि को श्रेणीवार पृथक किया गया है। निवल वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

3.6 'व्यापार के लिए धारित प्रतिभूतियों' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक श्रेणी में निवल मूल्यह्रास को लगाया गया है तथा निवल वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।

3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।

3.8 **लेखा पद्धति – निपटान तिथि लेखांकन**

निपटान तिथि लेखांकन का अभिप्राय है (क) किसी आस्ति का अभिज्ञान जिस दिन वह संस्था द्वारा प्राप्त की जाती है, और (ख) किसी आस्ति का अभिज्ञान समाप्त करना तथा इकाई द्वारा इसकी सुपुर्दगी दिवस को निस्तारण पर किसी लाभ या हानि का अभिज्ञान।

तदनुसार, संपूर्ण संविभाग, एसएलआर के साथ-साथ गैर-एसएलआर के लिए बैंक, निपटान तिथि लेखांकन का अनुसरण करता है। निवेश की लागत, भारित औसत लागत पद्धति श्रेणीवार पर आधारित है।

3.9 'बिक्री हेतु उपलब्ध' एवं 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी के अंतर्गत शामिल निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए 'बाजार मूल्य', शेयर बाजारों पर ट्रेडों से उपलब्ध स्क्रिप का बाजार मूल्य, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से घोषित मूल्य है।

गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्नानुसार है:

a	भारत सरकार की प्रतिभूतियां: और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	फिम्डा/ पीडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा दी गई दरों पर।
b	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान्य शेयर्स, ऋण-पत्रों तथा पीएसयू बाण्ड्स	आरबीआई या फिम्डा/ पीडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा ऐसे कीमत-लागत अंतर सहित फिम्डा/ पीडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा निर्धारित दर पर परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर।
c	ईक्विटी शेयर:	उद्धृत शेयर के लिए एनएसई और बीएसई से लिए गए बाजार मूल्य पर। गैर- उद्धृत के लिए, नवीनतम तुलन-पत्र के आधार पर विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पर विचार किए बिना) पर, जो विचारित मूल्यांकन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य ₹ 1/- प्रति कंपनी माना गया है।
d	म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उद्यम पूंजी निधि तथा प्रतिभूति रसीद	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
e	राजकोष, नगद प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनर्पूजीकरण बॉड्स, सहायक, संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान	शुद्ध लागत पर।

3.10 **निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण:**

a. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
b. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/ कमीशन/ स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
c. निवेशों के अधिग्रहण पर प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते के नामे किया गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज आय माना गया है।

3.11 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि, 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ की स्थिति में, लाभ के समतुल्य राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

3.12 **अनर्जक निवेश:**

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार ऐसी प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

3.13 शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय की गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है।

3.14 किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों में एमटीएम खाते पर किया गया मूल्यह्रास किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाया जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातें में जमा कर दिया जाता है और उसके समतुल्य राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातें – "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

4. अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान किया है:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	जमानती एक्सपोज़र पर 15% गैर जमानती* एक्सपोज़र पर 25% गैर जमानती* एक्सपोज़र पर 20% आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में, जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान जैसे निलंब खाते उपलब्ध हैं।
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बही बकाया का 100%

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक/ अनुमोदित मूल्यांकक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित अनुसार प्रतिभूति का प्राप्य मूल्य, बकाया एक्सपोज़र के आरंभ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

4.2 अग्रिमों को गैर-अभिज्ञापित ब्याज और गैर-निष्पादित अग्रिमों के संबंध में किए गए प्रावधानों/ तकनीकी बट्टे खाते को घटाकर वर्णित किया गया है। डीआईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई/ ईसीजीसी से प्राप्त दावों को ऐसे अग्रिमों से समायोजित/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक कम नहीं किया गया है जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।

4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

4.4 पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारिक अग्रिमों के लिए प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया जाता हैं।

4.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की गणना की जाती है:

i. जब बैंक प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
ii. यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री के वर्ष के लाभ-हानि खाते से डेबिट किया जाता है।
iii. यदि बिक्री का मूल्य, कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

5 अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों का सृजन करने और उसका उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है।

6 अचल आस्तियां

6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत/ पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अंतर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।

6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है।

7 अचल संपत्तियों पर मूल्यहास

7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है :

7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 % परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।

7.1.2 संपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास, मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रभारित किया गया है। वर्ष के दौरान इसके परिवर्धन की तिथि के बावजूद पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास किया जाता है। उपयोगी जीवन तथा मूल्यहास दर नीचे इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	उपयोग की अवधि	मूल्यह्रास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर और जुड़नार	10	9.50%
3	संयंत्र तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्रित मूल्य पर लिया गया है।

7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/ निपटाई गई आस्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते से राजस्व आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है।

8 राजस्व निर्धारण

8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लिया गया है।

8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में अनर्जक परिसंपत्तियों पर होने वाली आय का निर्धारण प्राप्य आधार पर किया गया है।

8.3 अनर्जक परिसंपत्तियों में आंशिक वसूली को पहले मूलराशि तथा उसके पश्चात ब्याज में समायोजित किया गया है।

8.4 आरबीआई द्वारा शुरु की गई विशेष योजनाओं यथा दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के दीर्घकालिक संरचना हेतु योजना, नीतिगत ऋण पुनर्निर्धारण, दीर्घकालिक परियोजना ऋण की नम्य संरचना (5/25), उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनर्निर्धारण योजना के परे), जहाँ खाता तदंतर एनपीए हो जाता है, कोई वसूली इत्यादि के अंतर्गत रक्षित मामलों के लिए पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज जमा किया जाएगा। इसके बाद, वसूली राशि को खाते में बकाया मूलराशि के लिए विनियोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सभी खातों में लेखांकन प्रक्रिया एक समान और सुसंगत होगी।

8.5 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, शेयरों पर लाभांश, आयकर वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड पर कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन का संवितरण, म्यूचुअल फण्ड उत्पाद की इकाइयों से आय तथा एटीएम प्रचालनों से आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

8.6 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने पर खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।

8.7 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमाराशि पर लागू ब्याज दर पर की गई है।

8.8 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।

8.9 टीयर - II पूँजी में उन्नयन के कारण बाँड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते रखा जाना है।

8.10 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9 कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 उपदान निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि, रजत जयंती बोनस तथा सेवानिवृत्ति उपहार में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

9.2 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत रक्षित किया जा रहा है।

10 आस्तियों का ह्रास

अचल संपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई हो) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों का ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित की जाती है।

11 आय पर कर

11.1 चालू आयकर को लागू कर दरों तथा अनुकूल न्यायिक निर्णयों/ विधिक पर विचार करते हुए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार पर आंका गया है।

11.2 एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर जिसमें अवधि के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच समयांतर का कर प्रभाव सम्मिलित है, का निर्धारण आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं के संबंध में विवेक के विचार को ध्यान में रखकर किया गया है।

अनुसूची- 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियां

A) बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

i. कतिपय शाखाओं में, नियंत्रण खातों का सहायक बही खातों के साथ मिलान/ समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।

ii. सीबीएस सिस्टम से पहले, अंतर बैंक खाते (आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट व क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान होता है। दिनांक 31.03.2022 तक समायोजन (पुराने बकाया प्रविष्टियों सहित) कर लिया गया है और समायोजन प्रक्रिया में है।

iii. देय ड्राफ्टों, प्राप्य/देय नामे नोट, आरटीजीएस/ एनईएफटी (उचंत) के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान कर दिया है। 31 मार्च, 2022 तक के नोस्ट्रो खातों का समायोजन कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते तथा तुलन-पत्र पर उक्त पैरा (i) से (iii) का प्रभाव, यदि कोई है, हालांकि मात्रात्मक नहीं है, तो नगण्य होगा।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 30.09.2021 तक की अवधि और 31.03.2022 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरुप या तो कतिपय शीर्ष में निवल डेबिट या अन्य शीर्ष में निवल क्रेडिट है। छः महीनों से अधिक के अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

v. विविध लेनदार अदावी (निरुद्ध) खाते, निरुद्ध नोस्ट्रो विविध खाता तथा निरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए निरुद्ध खाता) में दर्शित नोस्ट्रो खातों में 01.10.2011 से 31.12.2011 तक बकाया जमा-प्रविष्टियाँ राशि ₹ 27,310/- को दिसंबर 2021 तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है। दिनांक 01.01.2012 से 31.03.2012 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए अवरुद्ध खाता) में बकाया जमा-प्रविष्टि ₹ 31191/- की राशि मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त 10 वर्षों से अधिक से संबंधित असमायोजित प्रविष्टियों को बैंक तिमाही आधार पर डीईएएफ खाते में अंतरित कर रहा है।
दिनांक 31.03.2022 को, दिनांक 01.01.2012 से 31.03.2016 तक की अवधि से संबंधित असमायोजित जमा-प्रविष्टियाँ राशि ₹ 52.26 लाख हैं तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है और इसलिए इसे निरुद्ध अदावा जमाराशि खाते (नए निरुद्ध खाता) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

B) 31.03.2022 को ₹ 2.87 करोड़ की मूल लागत तथा ₹ 62.98 करोड़ की पुनर्मूल्यांकन राशि वाली 02 बैंक की संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकता को पूरा किया जाना शेष है ।

C) **पूंजी**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के लिए ₹ 4600 करोड़ का निवेश किया है। तदनुसार, बैंक ने ₹ 10/- के 2,72,51,18,483 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक को ₹ 16.88 के निर्गम मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर ₹ 6.88 के प्रीमियम सहित) पर पूरी तरह से भुगतान किया गया है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 98.25% हो गई है।

1. नियामक पूंजी

a) नियामक पूंजी की संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	6307	6243
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1000	1000
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	7307	7243
(iv)	टियर 2 पूंजी	1849	1598
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	9156	8841
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	49381	51790
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	12.77*	12.05%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी)	14.80%	13.98%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी)	3.74%	3.08%
(x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	18.54%*	17.06%
(xi)	उत्तोलन अनुपात	6.03%	6.38%
(xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	98.25	97.07
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	2725.12	3351.61

*पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड्स के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार किए बिना निकाला जाता है। 31 मार्च 2022 तक सीआरएआर 30.05% (सीईटी 1 अनुपात 24.48%) है। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है।

b) **आरक्षित निधि से आहरण**

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि से शून्य रुपये की राशि निकाली गई है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

a) 31.03.2022 को आस्ति एवं देयता कुछ वस्तुओं की परिपक्वता प्रकार:

(राशि करोड़ में)

परिपक्वता प्रकार (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियां
1 दिन	439.27	1520.93	0.00	0.00	18.33	217.40
2-7 दिन	1421.93	548.68	83.55	0.00	0.44	32.37
8-14 दिन	1233.23	485.79	96.43	0.00	1.83	52.09
15-30 दिन	1322.07	1508.06	50.00	0.00	3.88	98.09
31 दिन से 02 महीने	6699.90	677.50	518.69	1001.36	11.84	151.99
2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	6641.30	1315.83	350.09	11.50	7.10	98.15
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	13515.91	2663.78	503.49	25.20	32.22	78.02
6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	23116.05	3121.80	1592.03	44.90	50.07	1.95
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	22129.64	9721.01	4150.10	123.37	72.65	16.75
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	13422.51	10309.89	4922.70	500.00	17.96	101.33
5 वर्ष से अधिक	12195.20	31753.28	30013.79	737.30	0.00	0.00
कुल	**102137.01**	**63626.55**	**42280.87**	2443.63	**216.32**	**848.14**

b) चलनिधि कवरेज अनुपात

राशि करोड़ में

		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021		31.03.2022	
		कुल अनिधार्रित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिधार्रित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिधार्रित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिधार्रित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत))
उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां									
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
नकदी प्रवाह									
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों कि जिसमें से	60694.60	6023.22	61885.56	6141.23	63756.78	6326.75	65024.49	6465.25
(i)	स्थिर जमाराशियां	924.70	46.23	946.46	47.32	978.53	48.93	744.00	37.20
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	59769.90	5976.99	60939.10	6093.91	62778.25	6277.82	64280.49	6428.05
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से	10267.32	4779.67	9706.98	4646.79	8726.35	4112.48	9766.76	4535.15
(i)	प्रचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	10267.32	4779.67	9706.98	4646.79	8726.35	4112.48	9766.76	4535.15
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जमानती थोक निधियन		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	3066.67	657.59	3348.07	824.28	4217.73	1049.33	3653.48	986.73
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन व संपार्श्विक आवश्यकताएं	509.76	509.76	682.16	682.16	868.18	868.18	842.44	842.44
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं	2556.91	147.83	2665.91	142.12	3349.55	181.15	2811.04	144.29
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	9403.00	397.90	9241.83	390.98	9295.83	392.69	10992.04	478.81
8	कुल नकदी बहिर्गमन		11858.38		12003.28		11881.25		12465.94
नकदी अंतर्वाह									

9	प्रत्याभूत उधार (उदाः रिवर्स रेपो)	1363.63	0	2871.53	0	3213.04	0	3077.76	0
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	1566.03	814.40	1328.17	813.05	1117.89	817.45	1027.39	662.36
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	706.54	706.54	532.07	532.07	613.53	613.53	566.77	566.77
12	कुल नकटी अंतर्वाह	3636.20	1520.94	4731.77	1345.12	4944.46	1430.98	4671.92	1229.13
13	कुल एच.क्यू.एल.ए.		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		10337.44		10658.16		10450.27		11236.81
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपाल (%)		215.52%		250.51%		270.86%		254.45%
		100% की नियामक आवश्यकता के विरुद्ध 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 215.52% है । (01.04.2021 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान किए गए दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसत के आधार पर)		100% की नियामक आवश्यकता के विरुद्ध 30.09.2021 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 250.51% है । (01.07.2021 से 30.09.2021 की अवधि के दौरान किए गए दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसत के आधार पर)		100% की नियामक आवश्यकता के विरुद्ध 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 270.86% है । (01.10.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान किए गए दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसत के आधार पर)		100% की नियामक आवश्यकता के विरुद्ध 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 254.45% है । (01.01.20222 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान किए गए दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसत के आधार पर)	

c) निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
	विवरण	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता संख्या*	< 6 महीने	6 महीने से <1वर्ष	≥1 वर्ष	
उपलब्ध स्थिर निधि						
1	पूंजी : (2+3)	14686.63	0	0	1237.30	15923.93
2	नियामक पूंजी	14686.63	0	0	1237.30	15923.93
3	अन्य पूंजी उपकरण	-	-	-	-	.
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमाराशियाँ और जमाराशियाँ : (5+6)	32877.77	15906.94	15054.20	7897.81	65378.86
5	स्थिर जमाराशियाँ	23.87	274.83	222.01	154.23	648.90
6	कम स्थिर जमाराशियाँ	32853.90	15632.11	14832.19	7743.58	64729.96
7	थोक निधियन : (8+9)	1650.65	19604.77	6816.83	2416.10	14840.49
8	परिचालनगत जमाराशियाँ	0	0	0	0	.
9	अन्य थोक निधियन	1650.65	19604.77	6816.83	2416.10	14840.49
10	अन्य देयता : (11+12)	0	0	646.57	118.28	118.28
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता	0	0	646.57	0	0
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	0	0	0	118.28	118.28
13	**कुल एएसएफ** (1+4+7+10)	49215.05	35511.71	22517.60	11669.49	96261.56
आवश्यक स्थिर निधि						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)					1400.42
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	0	0	0	0	0
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन : (17+18+19+21+23)	0	10243.08	16360.15	41621.35	47259.06
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा रक्षित वित्तीय संस्थानों के लिए निष्पादित ऋण	0	0	0	0	0
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0	0	1314.55	0	657.28
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से:	0	10174.40	14952.33	23169.93	31670.68
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	0	0	2935.65	1908.17
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से	0	68.67	93.27	4567.29	3129.60
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0	0	0	4167.83	2709.09
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0	0	0	13884.12	11801.50
24	अन्य आस्तियाँ: (पंक्तियों का योग 25 से 29)	0	2702.19	1373.53	30249.39	32208.79
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0	0	0	0	
26	डेरीवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियाँ और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान	0	0	0	523.03	444.58
27	एनएसएफआर डेरीवेटिव आस्तियाँ	0	0	0	0	
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	0	0	0	0	
29	अन्य सभी आस्तियाँ जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	0	2702.19	1373.53	29726.35	31764.21
30	तुलन पत्र में शामिल न होने वाली मदें	0	0	0	18234.22	837.70
31	कुल आरएसएफ	0	12945.27	17733.68	90104.96	81705.97
32	निवल स्थिर निधि अनुपात (%)				.	117.81%

3. निवेश

a) दिनांक 31.03.2022 को निवेश संविभाग की संरचना

(राशि करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर तथा बॉंड	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय अधिकारियों सहित)	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	21629.25	0.00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33445.21
घटा: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	21629.25	0.00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33445.21
बिक्री हेतु उपलब्ध												
सकल	5443.46	0.00	354.13	3195.20	0.00	328.24	9321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9321.04
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	201.14	283.77	0.00	0.47	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
निवल	5443.46	0.00	152.99	2911.43	0.00	327.77	8835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8835.66
कारोबार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	**27072.71**	**0.00**	**354.13**	**14984.19**	**0.00**	**355.22**	**42766.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	42766.25
घटा: गैर-निष्पादन निवेश के लिए प्रावधान	0.00	0.00	189.64	243.78	0.00	0.00	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	433.42
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	11.50	39.99	0.00	0.47	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
निवल	**27072.71**	**0.00**	**153.00**	**14700.42**	**0.00**	**354.75**	**42280.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42280.87**

दिनांक **31.03.2021 को निवेश संविभाग की संरचना**

(राशि करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर तथा बॉड	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय अधिकारियों सहित)	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	11385.62	0.00	0.00	7620.18	0.00	10.52	19016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19016.32
घटा: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	11385.62	0.00	0.00	7620.18	0.00	10.52	19016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19016.32
बिक्री हेतु उपलब्ध												
सकल	7938.95	1.49	321.41	3237.83	0.00	2002.42	13502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13502.09
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	199.70	295.64	0.00	0.30	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	495.64
निवल	7938.95	1.49	121.71	2942.19	0.00	2002.12	13006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13006.46
कोराबार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	**19324.57**	**1.49**	**321.41**	**10858.01**	**0.00**	**2012.93**	**32518.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32518.41**
घटा: गैर-निष्पादन के लिए प्रावधान	0.00	0.00	189.64	295.64	0.00	0.00	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	485.28
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.30	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
निवल	**19324.57**	**1.49**	**121.71**	**10562.37**	**0.00**	**2012.64**	**32022.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32022.77**

b) मूल्यह्रास और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित के प्रावधानों का संचालन

b) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित के प्रावधानों का संचलन			
			(राशि करोड़ में)
	विवरण	**2021-22**	**2020-21**
i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	495.64	394.28
	b) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	86.01	102.30
	c) घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	96.27	0.94
	d) अंतिम शेष	485.38	495.64
ii)	**निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित का संचलन**		
	a) आरंभिक शेष	0.00	0.00
	b) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	186.42	0.00
	c) घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे में डालना/प्रतिलेखन	0.00	0.00
	d) अंतिम शेष	186.42#	0.00
iii)	**एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश* के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि**	2%	0.00

*वहन मूल्य घटा शुद्ध मूल्यह्रास (निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा करना) अर्थात तुलन-पत्र में परिलक्षित शुद्ध राशि।

वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित में स्थानांतरित राशि ₹ 186,42,07,781.00 है।

c) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और अंतरण

i. मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक ने "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" से "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" श्रेणी में ₹ 1972.66 करोड़ (अंकित मूल्य) (₹ 1951.78 करोड़ बी.वी.) तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" से "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी में ₹ 1769.31 करोड़ (अंकित मूल्य) (₹ 1808.59 करोड़ बी.वी.) की सरकारी प्रतिभूतियां स्थानांतरित की है। इस अवधि के दौरान, एएफएस से एचटीएम में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर एमटीएम का ₹ 19.21 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि, एचटीएम से एएफएस में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर लाभ को अग्रिम रूप से बुक नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान की गई थी।

ii. वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरण/ बिक्री का मूल्य (वर्ष की शुरुआत में एकमुश्त स्थानांतरण और पूर्व-घोषित ओएमओ नीलामियों के तहत बिक्री के अतिरिक्त), वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही-मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

iii. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की बिक्री पर सकल लाभ (कर निर्धारण के बिना) को आरक्षित पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है।

d) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
a)	आरंभिक शेष	485.28	468.36
b)	अप्रैल से 1वर्ष के दौरान परिवर्धन	34.97	17.05
c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	86.83	0.14
d)	अंतिम शेष	433.42	485.28
e)	धारित कुल प्रावधान	433.42	485.28

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी तौर पर शेयर आबंटन		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति आबंटन		'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन		'असूचीबद्ध' प्रतिभूति का आबंटन	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
a)	सार्वजनिक उपक्रम	12996.1	8615.9	12764.62	8331.36	0.00	0.00	12787.48	8353.55	12596.83	8073.94
b)	वित्तीय संस्थाएं	630.70	951.73	14.60	14.6	0.00	0.00	46.66	46.66	14.60	14.60
c)	बैंक	390.32	1525.02	0.00	0.00	0.00	0.00	270.41	24.90	247.56	0.00
d)	निजी कॉरपोरेट	1615.85	2049.79	485.23	238.64	494.33	549.60	374.32	286.53	367.76	614.29
e)	अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	अन्य	60.50	49.91	60.50	49.91	31.79	37.29	60.50	49.91	60.50	49.91
g)	मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान (एनपीए सहित)	-485.38	-495.64	-273.16	-229.12	-448.22	-495.64	-263.75	-258.97	-262.96	-258.18
	कुल	**15208.16**	**12696.71**	**13051.79**	**8405.39**	**77.90**	**91.25**	**13275.62**	**8502.58**	**13024.29**	**8494.56**

e) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य पर)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2022 तक बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	4700.00	2982.49	1540.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-

4. आस्ति गुणवत्ता

a) दिनांक 31.03.2022 को धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव- मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	58477.17	1501.48	4743.66	3088.86	9334.00	67811.17
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन	23737.40	778.54	1264.58	21.51	2064.63	
घटा : वर्ष के दौरान कमी	20392.31	785.39	819.77	1228.65	2833.81	
अंतिम शेष	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.00
सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन		647.79	40.30	0.92	689.01	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)		137.40	679.64	194.21	1011.26	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना		0.00	16.29	1033.14	1049.43	
iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना		0.20	83.53	0.38	84.11	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक संतुलन	1594.32				6816.70	8411.02
जमाः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	295.13				1964.75	2259.88
घटा : उत्क्रम अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण	1177.75				2025.22	3202.97
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	711.70				6756.23	7467.93
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					2461.95	
जमा : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					597.96	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती					1317.64	
अंतिम शेष					1742.27	
चल प्रावधान						
प्रारंभिक शेष	**शून्य**					
जमा : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटा : वर्ष के दौरान आहरित राशि						
अचल प्रावधानों का अंतिम संतुलन						

तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली			
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष		5058.57	
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना		1049.43	
घटा : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली		287.05	
अंतिम शेष		5820.95	

4. **आस्ति गुणवत्ता**

a) दिनांक 31.03.2021 को धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

	मानक	अनर्जक				
	कुल मानक अग्रिम	अव- मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	53689.63	2562.35	6006.49	305.73	8874.57	62564.20
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन	17406.09	1486.69	66.96	3.06	1556.71	
घटा : वर्ष के दौरान कमी	12618.54	321.83	657.29	118.16	1097.28	
अंतिम शेष	58477.18	1501.48	4743.66	3088.86	9334.00	67811.18
सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन		106.67	41.40	0.00	148.07	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)		214.80	545.70	118.14	878.64	
iii) तकनीकी /प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना		0.00	0.00	0.00	0.00	
iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना		0.36	70.20	0.01	70.57	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	309.96				4138.79	4448.75
जमा : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	1284.45				3101.96	4386.41
घटा : उत्क्रम अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गए ऋण	0.09				424.05	424.14
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	1594.32				6816.70	8411.02
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					4684.15	
जमा : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					1244.79	
घटा : वर्ष के दौरान कटौती					3466.99	
अंतिम शेष					2461.95	

चल प्रावधान			
प्रारंभिक शेष	शून्य		
जमा : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान			
घटा : वर्ष के दौरान आहरित राशि			
अचल प्रावधानों का अंतिम संतुलन			
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली			
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष		5210.17	
जमा : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना		0.00	
घटा : वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली		151.60	
अंतिम शेष		5058.57	

अनुपात (प्रतिशत में)	2021-22	2020-21
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	12.17%	13.76%
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	2.74%	4.04%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ के साथ)	87.89%	82.89%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ के बिना)	79.66%	73.62%

b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2021-22			2020-21		
		बकाया कुल अग्रिमों	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिमों	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत प्रतिशत
i)	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**	29068.76	3127.63	11%	27039.94	3454.13	13%
a)	कृषि एवं संबंधित	10933.87	944.05	9%	10637.51	917.79	9%
b)	प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	4874.73	715.84	15%	4351.80	849.22	20%
c)	सेवाएं	8698.56	1122.19	0%	7208.23	1253.02	17%
g)	व्यक्तिगत ऋण	4561.60	345.55	8%	4842.40	434.10	9%
	उप योग (i)	29068.76	3127.63	11%	27039.94	3454.13	13%
ii)	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**	41318.32	5437.19	13%	40771.23	5879.87	14%
a)	प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	0	0	0	0	0	0
b)	उद्योग	17762.36	2028.41	11%	16338.44	2545.11	16%
c)	सेवाएं	16380.28	3157.40	19%	20142.82	3093.44	15%
d)	व्यक्तिगत ऋण	7175.68	251.38	4%	4289.97	241.32	6%
	उप योग (ii)	41318.32	5437.19	13%	40771.23	5879.87	14%
	कुल (i +ii)	**70387.08**	**8564.82**	**12%**	**67811.17**	**9334.00**	**14%**

c) विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
कुल आस्तियां	134.67	106.00
कुल एनपीए	0	0
कुल राजस्व	0.28	0.31

d) संकल्प योजना और पुनर्गठन का विवरण

आरबीआई के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांकित 7 जून, 2019 अनुसार बैंक के पास "दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण रूपरेखा" पर ₹ 53.70 करोड़ की राशि है। जिसका विवरण इस प्रकार है :

(राशि करोड़ में)

भा.रि.बैं. के परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि (क)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋण की राशि (ख)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से 31.03.2022 को ऋण की राशि (ग)	आरबीआई परिपत्र के तहत कवर किए गए ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (घ)	(घ) में से प्रावधान 31.03.2022 तक पहले ही किया जा चुका है। (घ)
152.37	-	-	53.70	53.70

e) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन

आरबीआई के परिपत्र संख्या बीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल 2017 और डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल के अनुरूप 2019 और सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/ सीएफडी/ सीएमडी/80/2017 दिनांक 18 जुलाई, 2017 के अनुसार वर्ष 2020-21 को समाप्ति के लिए जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को रिपोर्ट के अनुसार विधिवत वर्गीकृत किया गया है और अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आवश्यक प्रकटीकरण का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	9333.99
2	31 मार्च 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा मूल्यांकित सकल एनपीए	9362.99
3	सकल एनपीए में डाइवर्जेंस (2-1)	29.00
4	31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए	2461.95
5	31 मार्च 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा मूल्यांकित निवल एनपीए	2473.95
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	12.00
7	31 मार्च 2021 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किये गए एनपीए के लिए प्रावधान	6816.70
8	31 मार्च 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा मूल्यांकित एनपीए के लिए प्रावधान	6833.70
9	प्रावधानीकरण के लिए विचलन (8-7)	17.00
10	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले लाभ की रिपोर्ट	772.03
11	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीटीए)	-2732.90
12	प्रावधानीकरण में विचलन को ध्यान में रखने के बाद 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (आनुमानिक) कर पश्चात लाभ (पीटीए)	-2749.90

* 31 मार्च, 2021 को अवधि समाप्त है जिसके संबंध में विचलन का मूल्यांकन किया गया है।

f) **ऋण जोखिम के अंतरण का प्रकटीकरण**

दबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण या अधिग्रहण के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वर्ष के दौरान स्थानांतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण (एनपीए और एसएमए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए अलग से बनाया जाना है)			
(सभी राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत अंतरित करने वालों के लिए	अन्य हस्तांतरिती के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातो की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य
विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल की गई अतिरिक्त राशि	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण		
(सभी राशि करोड़ में)	**हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से**	**एआरसी से**
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान	शून्य	शून्य
अधिग्रहित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य

आरबीआई परिपत्र संख्या.डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित ऋणों के विवरण के संबंध में बैंक ने एनपीए और विशेष उल्लिखित खाते को अंतरित और अधिग्रहण नहीं किया है।

31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण:

वसूली रेटिंग बैंड	**बही मूल्य (राशि करोड़ में)**
RR1+	शून्य
RR1	31.79
RR2	शून्य
RR3	शून्य
RR4	शून्य
RR5	शून्य
रेटिंग आहरण	शून्य
कुल	31.79

g) धोखाधड़ी खाते

विवरण	2021-22	2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	159	144
धोखाधड़ी में शामिल राशि (राशि करोड़ में)	454.59	3825.86
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (राशि करोड़ में)*	238.73	3804.08
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि (राशि करोड़ में)	0.00	0.00

*पिछले वर्ष में ₹ 215.17 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका है।

h) कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

समाधान ढांचे के तहत 6 अगस्त, 2020 के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 के माध्यम से एक विशेष विंडो को विस्तारित किया गया था ताकि ऐसे निवेश को मानक के रूप में वर्गीकृत करते समय ऋणदाताओं को पात्र कॉर्पोरेट निवेश और व्यक्तिगत ऋण के संबंध में एक विभेदन योजना को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। बैंक प्रत्येक छमाही अर्थात 30 सितंबर और 31 मार्च को वित्तीय विवरणों में, 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली छमाही से शुरू होने वाले सभी निवेश तक, जिस पर विभेदन योजना लागू की गई थी या तो पूरी तरह से समाप्त हो गयी है अथवा पूरी तरह से एनपीए में स्थानांतरित हो गयी है, जो भी पहले हो का नीचे दिए निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे।

आरबीआई परिपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वयनित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है (तालिका-ए): -

उधारकर्ता के प्रकार	(A) खातों की संख्या जहां इस विंडो के अंतर्गत समाधान योजना कार्यान्वित की गई	(B) योजना को लागू करने से पहले (A) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर (राशि करोड़ में)	(C) (B) कर्ज की कुल राशि जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित की गई थी (राशि करोड़ में)	(D) योजना को लागू तथा कार्यान्वयनवित करने सहित, अतिरिक्त वित्त मंजूरी, यदि कोई हो (राशि करोड़ में)	(E) समाधान के कार्यान्वयन के कारण प्रावधान में वृद्धि (राशि करोड़ में)
(i) व्यक्तिगत ऋण*	4824	447.81	-	-	54.40
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति	4585	743.29	-	-	172.53
जिसमें से एमएसएमई	4565	275.86	-	-	25.86
(iii) अन्य	522	31.60	-	-	3.75
कुल	9931	1222.70	-	-	230.68

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार खातों की स्थिति तालिका-ए में नीचे दी गई है:

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर- इस छमाही के अंत तक स्थिति
(i) व्यक्तिगत ऋण	460.57	82.02	0	18.49	363.45
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति #	1337.47	72.92	0	57.02	1277.21
जिसमें से एमएसएमई	338.18	72.92	0	10.16	255.91
(iii) अन्य	34.53	5.62	0	1.76	26.60
कुल	1832.57	160.56	0	77.27	1667.26
#जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है					

* जहाँ समाधान योजनाओं को लागू किया गया है, वहाँ शून्य ऋणी खाते थे और अब 5 मई, 2021 को आरबीआई के संकल्प फेमवर्क 2.0 के अंतर्गत संशोधन किया गया है।

ii) भारतीय रिजर्व बैंक के संकल्प ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण-2.0 : 5 मई, 2021 को व्यक्तियों और लघु व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित तनाव का समाधान नीचे दिया गया है :

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	व्यक्तिगत उधारकर्ता		लघु व्यवसाय
		व्यक्तिगत ऋण	व्यवसाय ऋण	
(A)	भाग ए के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या	9791	-	-
(B)	खातों की संख्या जहां इस विंडो के अंतर्गत समाधान योजना कार्यान्वित की गई	7415	-	-
(C)	योजना को लागू करने से पहले (B) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर (राशि करोड़ में)	648.08	-	-
(D)	C का , ऋण की कुल राशि जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित की गई थी (राशि करोड़ में)	-	-	-
(E)	योजना को लागू तथा कार्यान्वयनवित करने सहित, अतिरिक्त वित्त मंजूरी, यदि कोई हो (राशि करोड़ में)	-	-	-
(F)	समाधान के कार्यान्वयन के कारण प्रावधान में वृद्धि (राशि करोड़ में)	87.63	-	-

5. निवेश :

a) रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

	श्रेणी	**2021-22**	**2020-21**
i) प्रत्यक्ष निवेश			
(a)	आवासीय बंधक		
i.	आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा अरिक्त है या अरिक्त किया जाएगा या किराए पर दिया है।	7354.21	7084.69
ii.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण	4105.23	4542.00
	एक्सपोज़र में गैर-निधि आधारित भी शामिल होगा		
(b)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट		
	वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय भवन, रिटेल जगह, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी फैमिली आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल-गोदाम जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी।	1242.12	1833.36
(c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश	-	-
	a. आवासीय	-	-
	b. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	-	-
ii) अप्रत्यक्ष निवेश			
	[नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर]	2858.43*	3209.37*
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	11454.76	12127.42

* इसमें एनएचबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश के रूप में ₹ 1019.83 करोड़ (विगत वर्ष 1040.67 करोड़) शामिल हैं।

b) पूंजी बाजार हेतु निवेश

(राशि करोड़ में)

	विवरण	**2021-22**	**2020-21**
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तन बॉण्ड, परिवर्तन डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	374.92	342.20
2	शेयर/ बॉण्डों/ डिबेंचरों/ अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	1.72	-
3	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचूअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-

	4	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूत शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम ;	-	-
	5	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ	-	7.35
	6	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	-	-
	7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को अंतरिम ऋण;	-	-
	8	शेयर या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
	9	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	-	-
	10	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	28.71	12.61
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		**405.35**	**362.16**

c) जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

प्रत्येक देश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में बैंक का शुद्ध देश-वार वित्त पोषित एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% के अंतर्गत है। इसलिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

d) गैर जमानती अग्रिम

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम		481.30
उपरोक्त में से, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां के विरूद्ध अग्रिम की राशि जैसे अधिकार, अनुज्ञाप्ति, प्राधिकारी इत्यादि पर ऋण भार	0	477.29
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य अर्थात अधिकार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकारी इत्यादि पर ऋण भार।	0	477.29

e) फेक्टोरिंग एक्सपोजर : शून्य

f) **इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर**

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22		2020-21	
		स्वीकृति ऋण/ सीमा	बकाया शेष	स्वीकृति ऋण/सीमा	बकाया शेष
(a)	इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(b)	शीर्ष-20 इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(d)	इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर पर सीमाओं के उल्लंघन के ब्यौरे और उन पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

g) **अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 15 जनवरी 2014 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 के संदर्भ में हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2022 तक ₹ 0.097 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

6. a) **जमाराशियों का संकेद्रण**

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल राशियां	18724.52	14835.83
बैंक की कुल जमाराशियां में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	18.33%	15.44%

b) **अग्रिमों का संकेद्रण**

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	15873.10	15380.41
बैंक की कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	22.55%	22.68%

c) **एक्सपोज़र का संकेंद्रण***

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	16907.74	21125.35
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	19.53%	27.35%

*केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की गारंटी के लिए एक्सपोजर को बाहर रखा गया है।

d) एनपीए संकेद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
बीस शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	4109.52	4211.80
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए ऋण के ऋण का प्रतिशत	47.98%	45.12%

7. डेरिवेटिव

व्युत्पन्न खंड में, बैंक केवल व्यापारिक वायदा संविदा में व्यापार करता है और बकाया वायदा संविदा का मूल्य ₹ 1334.54 करोड़ है।

a) वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	स्वैप अनुबंध की आनुमानिक मूल राशि	-	-
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	-	-
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	-	-
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	-	-

b) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	वर्ष के दौरान लिए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	-	-
ii)	यथा 31 मार्च 2022 को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव को कल्पित मूल (लिखत वार)	-	-
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज पर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो "उच्च प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	-	-
iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो "बहुत प्रभावी" नहीं हो (लिखत वार)	-	-

c) व्युत्पन्न में जोखिम निवेश पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने वर्ष 2021-22 के दौरान वायदा दर करार/ ब्याज दरों की अदलाबदली/ विनिमय ट्रेडिड ब्याज दर व्युत्पन्न के संबंध में किसी भी व्युत्पन्न अंतरण की प्रविष्टी नहीं की है। तदनुसार, व्युत्पन्न अंतरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

i) **मात्रात्मक प्रकटीकरण**

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22		2020-21	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
a)	व्युत्पन्न (अनुमानिक मूलधन राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) वित्तीय हानि से बचाव हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
b)	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) आस्ति(+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) देयता(-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
c)	क्रेडिट निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
d)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) व्युपन्न वित्तीय हानि से बचाव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) व्यापार व्युत्पन पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
e)	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी 01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) वित्तीय हानि से बचाव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

d) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने किसी क्रेडिट स्वैप में प्रविष्टी नहीं की है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/ राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण			2021-22	2020-21
1.	प्रवर्तक द्वारा किए गए प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीई की संख्या (*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण निवेश से संबंधित एसपीवी को यहां रिपोर्ट किया जाना है*)				शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की कुल राशि				शून्य	शून्य
3.	तुलनपत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रोके गए निवेश की कुल राशि				शून्य	शून्य
	a)	ऑफ-तुलनपत्र निवेश			शून्य	शून्य
		*	प्रथम हानि		शून्य	शून्य
		*	अन्य		शून्य	शून्य
	b)	ऑन - तुलनपत्र निवेश			शून्य	शून्य
		*	प्रथम हानि		शून्य	शून्य
		*	अन्य		शून्य	शून्य
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूत अंतरण के निवेश की राशि				शून्य	शून्य
		ऑफ-तुलनपत्र निवेश			शून्य	शून्य

	a)	i)	स्वयं की प्रतिभूतियों का निवेश		शून्य	शून्य
			*	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			*	अन्य	शून्य	शून्य
		ii)	अन्य पार्टी प्रतिभूत का निवेश		शून्य	शून्य
			*	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			*	अन्य	शून्य	शून्य
	b)	ऑन - तुलनपत्र निवेश			शून्य	शून्य
		i)	स्वयं की प्रतिभूतियों का निवेश		शून्य	शून्य
			*	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			*	अन्य	शून्य	शून्य
		ii)	अन्य पार्टी प्रतिभूत का निवेश		शून्य	शून्य
			*	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			*	अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि				शून्य	शून्य
6.	ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आकार और माला (बकाया मूल्य)				शून्य	शून्य
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा जैसे क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट आदि हेतु अलग से प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य को कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाएं। a) भुगतान की गई राशि b) प्राप्त पुनर्भुगताम c) बकाया राशि				शून्य	शून्य
8.	अतीत में अनुसरण की गई निवेश सूची की औसत डिफॉल्ट दर। कृपया प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।				शून्य	शून्य
9.	एक जैसी अंतर्निहित आस्ति पर दिए अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।				शून्य	शून्य
10.	निवेशकर्ता शिकायतें a) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष प्राप्त तथा ; b) बकया शिकायतें				3	5

9. ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

(राशि करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
घरेलू		**विदेशी**	
31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि)			
			(राशि करोड़ में)
क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	डीईएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	316.65	215.37
ii)	जमा : वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	117.46	103.42
iii)	घटा : दावों के तहत डीईए फंड द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	4.08*	2.14*
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	430.03	316.65

*मूलधन

11. शिकायतों का प्रकटीकरण				
a) ग्राहकों तथा बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूची का सार*				
क्र. सं.		विवरण	2021-22	2020-21
	अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें			
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	96	139
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	23973	14449
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	23867	14492
	3.1	उनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	186	248
4		वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	202	96
	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त रखरकाव योग्य शिकायतें			
5		बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	655	793
	5.1.	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	620	731
	5.2	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारी जारी समझौता/ मध्यस्थता/ एडवायजरी के माध्यम से समाधान की गई शिकायतें	27	45
	5.3	5 में से, बैंक के विरूद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6		निर्धारित समय में कार्यान्वयन न किए गए निर्णयों की संख्या (अपील न किए गए से भिन्न)	शून्य	शून्य

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शीर्ष पाँच प्रकार की शिकायतें					
शिकायत का आधार (अर्थात शिकायत किससे संबंधित है)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
	2021-22				
ग्राउंड -1 इंटरनेट/ मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	8	10287	381%	119	2
ग्राउंड – 2 एटीएम/ डेबिट कार्ड	62	10151	14.90%	32	3
ग्राउंड – 3 ऋण और अग्रिम	4	717	51.60%	18	6

ग्राउंड-4 बिना किसी पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोजर प्रभारों के प्रभार लगाना	शून्य	193	188%	5	शून्य
ग्राउंड - 5 कर्मचारी व्यवहार	3	118	-26.70%	5	1
अन्य	19	2507	-7.20%	23	2
कुल	96	23973	65.90%	202	14
	2020-21				
ग्राउंड – 1 एटीएम/ डेबिट कार्ड	39	8831	-51.11%	62	3
ग्राउंड -2 इंटरनेट/ मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	25	2138	73.96%	8	2
ग्राउंड – 3 ऋण और अग्रिम	17	473	5.58%	4	1
ग्राउंड - 5 कर्मचारी व्यवहार	2	161	-13.44%	3	शून्य
ग्राउंड - 5 चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	1	143	217.77%	0	शून्य
अन्य	55	2703	16.82%	19	12
कुल	139	14449	-35.18%	96	18

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
A) आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन में स्वीकृत अग्रिमों के कारण एनबीएफसी द्वारा समूह कंपनियों / सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को आगे उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड	1.00	0.00
B) असामान्य साइबर सुरक्षा और संदिग्ध अनधिकृत इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन की घटनाओं के कारण आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड	0.25	0.00

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण – अप्रयोज्य

14. अन्य प्रकटन

a) कारोबार अनुपात

(राशि करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
i) कार्यशील निधियों में प्रतिशत में ब्याज आय	5.80	6.52
ii) कार्यशील निधियों में प्रतिशत में गैर-ब्याज आय	0.78	0.84
iii) जमा लागत	4.28	5.06
iv) निवल ब्याज मार्जिन	2.80	2.62
v) कार्यशील निधियों में प्रतिशत में परिचालन लाभ	1.09	0.72
vi) आस्तियों पर प्रतिफल	0.85%	-2.55%
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा और अग्रिम)	19.75	18.49
viii) प्रति कर्मचारी लाभ	0.12	-0.31

b) बैंक-बीमा के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटन

(राशि करोड़ में)

	2021-22	2020-21
A) जीवन बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	13.14	9.20
B) सामान्य बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	3.08	2.67
C) एपीवाई पर कमीशन	0.80	1.33

c) विपणन और संवितरण समारोह के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का प्रकटीकरण (बैंक एश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर)

(राशि करोड़ में)

	2021-22	2020-21
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर कमीशन	0.85	0.79

d) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों में ₹ 650 करोड़ रुपये की 2600 इकाइयां बेची हैं और 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 12.30 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

e) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि करोड़ में)

लाभ और हानि खाते के नामे किया गया प्रावधान	2021-22	2020-21
एनपीआई के लिए प्रावधान	-51.86	102.17
एनपीए के लिए प्रावधान	988.96	2677.9
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	147.63	-671.34
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)	-793.69	1396.20

f) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (आईएनडी एएस)

आईएनडी-एएस को लागू करने के लिए बैंकों की रणनीति के भाग के रूप में, बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुभव सलाहकार नियुक्त किया था। नियुक्ति की शर्तें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें आईएनडी-एएस से संबंधित मामलों में बैंक को मार्गदर्शन करने और आईएनडी-एएस के संबंध में वैधानिक प्राधिकरणों के प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन में बैंक की सहायता करने की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी योजना है ताकि प्रासंगिक विशेषज्ञता का निर्माण किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप अंतत: आईएनडी-एएस के सुचारू कार्यान्वयन के रूप में जब भी लागू किया जाएगा।

g) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	136.06	116.01
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0	0

h) **अप्रयोज्य।**

i) **बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण**

पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त पेंशन देयता ₹ 236.84 करोड़ थी। आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के माध्यम से भारतीय बैंक संघ के सभी सदस्य बैंकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पाँच साल से अधिक, हर साल चार्ज की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 हिस्सा, उक्त अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है। बैंक उक्त देयता को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए परिशोधित करेगा, जो प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ₹ 47.37 करोड़ के अधीन होगा। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 47.37 करोड़ की राशि का शुल्क लिया है और शेष ₹ 189.47 करोड़ की बकाया राशि को आगे बढ़ाया गया है।

15. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण

15.1 अवधि के लिए एएस-5 निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

15.1.1 नोट में अन्यत्र उद्घाटित को छोड़कर आरबीआई निर्देशों के साथ पठित एएस-5 के अनुसार लाभ और हानि खाते में पूर्व अवधि के कोई मामले शामिल नहीं है जिन्हे प्रकट करने की आवश्यकता है।

15.2 एएस-9 राजस्व अभिज्ञान

आय की कतिपय मदों को **अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों** के "राजस्व अभिज्ञान" जैसा कि बिंदु संख्या 8 में उद्घाटित है उगाही के आधार पर स्वीकार किया गया है। हालाकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है।

15.3 **एएस-10 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण**

वर्ष 31.03.2022 के दौरान, बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। दिनांक 31.03.2022 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का अंतिम शेष (राजस्व आरक्षित में हस्तांतरित राशि का शुद्ध) ₹ 919.90 करोड़ है। (विगत वर्ष ₹ 918.44 करोड़)

बैंक के स्वामित्व वाली 59 संपत्तियों में से (30 साल तक की पट्टा अवधि वाली पट्टाधृति संपत्तियों को छोड़कर), 38 संपत्तियों की लागत को भूमि और अधिरचना में पृथक किया गया है।

15.4 एएस **15 – कर्मचारी लाभ**

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक (एएस-15) के अनुसार पेंशन, उत्पाद, अवकाश, नकदीकरण तथा अन्य दीर्घकालीन लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

लाभ व हानि खाते तथा तुलन पत्र में अभिज्ञात नियोजन पश्चाल लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1 अप्रैल को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4199.43	3629.86	324.96	278.57	227.27	186.59
ब्याज लागत	265.98	216.20	21.71	17.73	15.41	12.04
गत सेवा लागत	0	0	0	0	0	0
वर्तमान सेवा लागत	173.47	167.10	22.47	30.76	21.61	16.69
प्रदत्त लाभ	(459.09)	(385.24)	(50.96)	(46.23)	(29.36)	(26.25)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	431.16	571.51	1.40	44.13	23.00	38.20
31 मार्च को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4610.95	4199.43	319.58	324.96	257.93	227.27

योजना आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1 अप्रैल को प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	3952.38	3603.70	313.18	275.19	219.38	145.20
प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	317.77	295.86	25.37	21.90	15.84	10.53
अंशदान	546.16	436.27	36.73	60.34	55.15	85.55
प्रदत्त लाभ	(459.09)	(385.24)	(50.96)	(46.23)	(29.36)	(26.25)
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(34.24)	1.79	(3.24)	1.98	1.40	4.35
31 मार्च को प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	4322.98	3952.38	321.08	313.18	262.41	219.38
प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	283.53	297.65	22.13	23.88	17.24	14.88

निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
दायित्व (ए) पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	431.16	571.51	1.40	44.13	23.00	38.20
प्लान एसेट्स (बी) पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	34.24	(1.79)	3.24	(1.98)	(1.40)	(4.35)
निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)	465.40	569.72	4.64	42.15	21.60	33.85
अवधि में अभिज्ञात बीमांकिक हानि/ (लाभ)	465.40	569.72	4.64	42.15	21.60	33.85
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक हानि/ (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र में अभिज्ञात राशि

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
31 मार्च को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	4610.95	4199.43	319.58	324.96	257.93	227.27

घटा : 31 मार्च को प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	4322.98	3952.38	321.08	313.18	262.41	219.38
अतिरिक्त निवल आस्ति (अनफंडेड देयताएं) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	(287.97)	(247.05)	1.50	(11.78)	4.48	(7.89)
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	---	---	---	---	----	---
अमान्य परिवर्ती देयता	---	---	---	---	---	---
अतिरिक्त निवल आस्ति (अनफंडेड देयताएं) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	(287.97)	(247.05)	1.50	(11.78)	4.48	(7.89)

लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात व्यय

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
वर्तमान सेवा लागत	173.47	167.10	22.47	30.76	21.61	16.69
विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
ब्याज लागत	265.98	216.20	21.71	17.73	15.41	12.04
प्लान एसेट्स पर अनुमानित प्रतिफल	(317.77)	(295.86)	(25.37)	(21.90)	(15.84)	(10.53)
वर्ष के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	465.40	569.72	4.64	42.15	21.60	33.85
आस्थगित पेंशन व्यय	(189.47)	--	--	--	--	--
निवल (लाभ)/व्यय	397.61	657.16	23.45	68.74	42.78	52.05

तुलन-पत्र में अभिज्ञात देयताओं में उतार-चढ़ाव

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
प्रारंभिक निवल देयता/ (आस्ति)	247.05	26.16	11.78	3.38	7.89	41.39
जमा : आस्थगित पेंशन व्यय	189.47	--	--	--	--	--
जमा : निवल लाभ व्यय	397.61	657.16	23.45	68.74	42.78	52.05
घटा : प्रदत्त अंशदान	546.16	436.27	36.73	60.34	55.15	85.55
समापन देयता/ (आस्ति)	287.97	247.05	(1.50)	11.78	(4.48)	7.89
जमा : रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समापन देयताएं/ (आस्ति)	287.97	247.05	(1.50)	11.78	(4.48)	7.89

न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	**पेंशन (निधिक)**		**उपदान (निधिक)**		**अवकाश नगदीकरण (निधिक)**	
	2021-22	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**	**2021-22**	**2020-21**
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	8.04	10.40	--	--	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	16.10	23.95	21.65	22.77	शून्य	शून्य
उच्च सुरक्षा बॉंड/ टीडीआरएस	11.71	23.15	21.53	31.20	81.53	100.00
अन्य निवेश	64.15	42.50	56.82	46.03	18.47	शून्य

तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
बट्टा दर	6.70	6.29	7.25	6.94	7.25	6.94
प्लान एसेट्स पर अनुमानित प्रतिफल दर	8.04	8.21	8.10	7.96	7.22	7.25
वेतनवृद्धि की दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ह्रास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मार्टेलिटी तालिका	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

बीमांकिक पूर्वानुमानों का आधार

विवरण	पूर्वानुमान का आधार
बट्टा दर	देयता के अनुमानित आधार पर शासकीय बॉडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि को बाजार लाभ के संदर्भ में छूट दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान एसेट्स पर अनुमानित प्रतिफल दर	संबंधित देयता की संपूर्ण कार्यकाल पर प्रतिफल के लिए, प्लान एसेट्स पर प्रतिफल अवधि के प्रारंभ में बाजार की प्रत्याशा पर आधारित है।
वेतनवृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य के वेतन-वृद्धि का मूल्यांकन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा प्रासंगिक कारकों यथा कर्मचारी बाजार में मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।
ह्रास-दर	ह्रास-दर का निर्धारण विगत और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के द्वारा किया गया है तथा इसमें मृत्यु के अतिरिक्त समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन दिव्यांगत कारक शामिल है।
मार्टेलिटी तालिका	मार्टेलिटी तालिका, जिसे जीवन तालिका या बीमांकिक तालिका के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान एक परिभाषित जनसंख्या में होने वाली मृत्यु की दर या जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने की दर को दर्शाता है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नगदीकरण*		रजत जयंती बोनस		चिकित्सा लाभ*		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
देयता का वर्तमान मूल्य	6.77	6.37	1.23	1.26	0.77	0.76	1.29	1.39
परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मान्य देयता	6.77	6.37	1.23	1.26	0.77	0.76	1.29	1.39

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा आंकलन किया गया ।

15.5 एएस- 17 – खंड रिपोर्ट करना

भाग ए : कारोबार खंड

(राशि करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.22 (लेखापरीक्षित)	31.03.21 (लेखापरीक्षित)
1. **राजस्व खंड**		
a) राजकोष	2365.32	2289.58
b) कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	3179.63	3282.31
c) खुदरा बैंकिंग	2493.31	2292.62
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	16.93	13.02
कुल	**8055.19**	**7877.53**
2. **परिणाम खंड**		
a) राजकोष	1014.08	963.08
b) कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	474.00	284.56
c) खुदरा बैंकिंग	371.69	198.76
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	16.93	13.02
कुल	**1876.70**	**1459.42**
3. गैर-आबंटित व्यय	546.61	687.39
4. परिचालन लाभ	**1330.09**	**772.03**
5. प्रावधान व आकस्मिकताएं	143.40	4176.26
6. आयकर	147.64	-671.33
7. असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00
8. **निवल लाभ**	**1039.05**	**-2732.90**
अन्य जानकारी		
9. **खंड आस्तियां**		
a) राजकोष	42863.74	32515.17
b) कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	41987.21	44309.60
c) खुदरा बैंकिंग	32924.40	30949.29
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित आस्ति	3292.20	2707.83
कुल आस्ति	**121067.55**	**110481.89**
10. **देयताएं खंड**		
a) राजकोष	38911.83	30774.43
b) कॉरपोरेट/ समष्टिगत बैंकिंग	38116.11	41937.43
c) खुदरा बैंकिंग	29888.87	29292.38
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित देयताएं	140.15	114.64
कुल देयताएं	**107056.96**	**102118.88**

नोट : आईसीएआई के एएस-17 की शर्तों के अनुसार तथा आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए बैंक के व्यवसाय को चार खंडों यथा a) राजकोष परिचालन, b) कॉरपोरेट/समष्टिगत बैंकिंग, c) खुदरा बैंकिंग तथा d) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है।

कॉरपोरेट/ समष्टिगत तथा खुदरा बैंकिंग के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति व देयताएओं को इन खंडों के एक्सपोज़र के आधार पर विभाजित किया गया है।

भाग बी – भौगोलिक खंड

अभी तक बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

15.6 एएस 18 – संबंधित पक्षकार प्रकटन

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

श्री एस. कृष्णन	दिनांक 04.09.2020 से प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	दिनांक 10.03.2021 से कार्यकारी निदेशक
डॉ. रामजस यादव	दिनांक 21.10.2021 से कार्यकारी निदेशक
श्री अजित कुमार दास	दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021तक कार्यकारी निदेशक
श्री एस. हरिसंकर	दिनाकं 20.09.2018 से 03.09.2020 तक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
डॉ. फरीद अहमद	दिनाकं 17.02.2017 से 31.07.2020 तक कार्यकारी निदेशक

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिकः

(राशि लाख में)

नाम एवं पदनाम	2021-22	2020-21
श्री एस. कृष्णन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	33.08	16.58
श्री कोल्लेगाल वी राघवेनद्र, कार्यकारी निदेशक	27.26	1.47
डॉ. रामजस यादव, कार्यकारी निदेशक	12.82	अप्रयोज्य
श्री अजित कुमार दास, कार्यकारी निदेशक	अप्रयोज्य	26.15
श्री एस. हरिसंकर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अप्रयोज्य	12.78
डॉ. फरीद अहमद, कार्यकारी निदेशक	अप्रयोज्य	9.12

(राशि लाख में)

मद/ संबंधित पक्षकार	मुख्य प्रबंधन कार्मिक* (2021-22)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक * (2020-21)
उधार	शून्य	शून्य
जमाराशियां	52.69	134.23
वर्ष के दौरान अधिकतम	57.51	213.78
जमाराशियों का प्लेसमेंट	शून्य	शून्य
अग्रिम	शून्य	शून्य
निवेश	शून्य	शून्य
गैर निधिक प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य
प्राप्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य
प्रदत्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की खरीद	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की बिक्री	शून्य	शून्य

प्रदत्त ब्याज	2.06	3.71
प्राप्त ब्याज	शून्य	शून्य
समर्पित सेवाएं	शून्य	शून्य
सेवाओं की प्राप्ति	शून्य	शून्य
प्रबंधन अनुबंध	शून्य	शून्य

a) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनके संबंधियों को स्वीकृत ऋणः

विवरण	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

15.7 एएस 20 – प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2021-22	2020-21
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ में)	1039.05	-2732.90
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	406.01	76.53
मूलभूत एवं तनुकृत आय (₹)	2.56	-35.71
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

15.8 एएस 21 – समेकन वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 21 लागू नहीं है।

15.9 एएस 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

15.9.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुपालन में बैंक ने आयकर के लिए लेखांकन किया गया है।

15.9.2 आस्थगित कर आस्तियां/ देयताओं के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :

(राशि करोड़ में)

शीर्ष		आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	-	-	20.36	19.43
2	धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षतियां	-	-	70.06	67.05
3	निवेश पर एनपीए के लिए प्रावधान	151.45	169.58	-	-
4	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (एनपीए) के लिए प्रावधान	2033.75	1964.86	-	-
5	पुनर्संरचित आस्तियों के एफवाई में ह्रास के लिए प्रावधान	1.50	18.44	-	-
6	संचित हानि	72.05	249.58	-	-
कुल		**2258.75**	**2402.46**	**90.42**	**86.48**

15.9.3 बैंक द्वारा धारित आयकर तथा आस्थगित कर के लिए प्रावधान को विधि विशेषज्ञों के अभिमत तथा अनुकूल न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

15.9.4 भविष्य की कर योग्य आय की उपलब्धता की तार्किक निश्चितता पर बैंक द्वारा की गई समीक्षा, जिसमें अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के प्रावधान के कारण उत्पन्न होने वाले समयांतर को महसूस किया जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त समयांतर पर बैंक नें ₹ 68.89 करोड़ के आस्थिगत कर को अभिज्ञात किया है।

15.9.5 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय/ न्यायिक घोषणाओं/ विधि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर ₹ 541.82 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 595.48 करोड़) के आय के विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

15.9.6 भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से धारा 115 बीएए सम्मिलित किया है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया और पूर्व में के गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए आय पर कर के मान्यता को जारी रखने का विकल्प चुना है।

15.10 एएस 23 – समेकित वित्तीय विवरणों मे सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 23 लागू नहीं है।

15.11 एएस 26 – अमूर्त आस्तियां

बैंक में उपयोग में आनो वाले सॉफ्टवेयर आंतरिक तंत्र में ही विकसित किए गए हैं तथा समय के साथ विकसित हुए हैं। इसलिए, सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय यथा वेतन का अनिवार्य हिस्सा है और इसी प्रकार लाभ व हानि खाते के संबंधित शीर्ष से प्रभारित किया जाता है।

15.12 एएस 28 – आस्तियों की क्षीणता

बैंक के पास मौजूद अचल संपत्तियों को एस-28 में परिभाषित अनुसार 'निगमित आस्तियों' के रूप में माना गया है न कि 'नगद उत्पादक इकाइयों' के रूप में । प्रबंधन की राय में, 31.03.2022 तक भौतिक राशि के 'अचल संपत्ति' की कोई क्षीणता, आईसीएआई द्वार जारी एएस-28 की शर्तों में अभिज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वार निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अन्य आस्तियों की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

15.13 लेखा मानक 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

15.13.1 लेखा मानक 29- के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार, बैंक ने निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है –

a) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटित होना या न होना भविष्य पर होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या

b) पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचान नहीं गया है क्योकि :
   - यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके, या
   - देयता राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में अभिलिखित किया गया है। इसका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं का केवल वह भाग जिसमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

15.13.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि करोड़ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथ शेष	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	24.58	24.35	1.02	0.93	0.07	0.70	25.53	24.58
इन्वोक्ड बैंक गारंटी	7.62	7.62	0.01	शून्य	शून्य	शून्य	7.63	7.62
एल.सी. डेवोल्वेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15.14 अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लेखों के अंतर्गत टिप्पणियों में में उपयुक्त स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है।

16. अतिरिक्त प्रकटीकरण:

(राशि करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधानों एवं आकस्मिक व्यय' का ब्यौरा	2021-22	2020-21
अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान	988.96	2677.90
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	-882.61	1284.36
एफवी पुनर्गठन (मानक) में ह्रास के लिए प्रावधान	-48.47	39.27
गैर निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान	-51.86	102.17
निवेध के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	0	0
अन्य प्रावधान	137.39	72.57
कर के लिए प्रावधान:		
वर्तमान कर	37.76	0
आस्थगित कर	147.63	-565.71
एमएटी क्रेडिट पात्रता–वर्तमान वर्ष	-37.76	-105.63
एमएटी उत्क्रमित क्रेडिट पात्रता	0	0
पिछला वर्ष कर व्यय	0	0
कुल	**291.04**	**3504.93**

17. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खरीदारी के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुपालन किया गया तथा अधिनियम के अनुसार समय में वेंडर को भुगतान किया गया। जैसा कि भुगतान में कोई विलंब नहीं हुआ इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दंड ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

18. 'बासल III पूंजी पर्याप्तता' पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16, दिनांक 1 जुलाई, 2015, और 'पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश एवं तरलता मानक संशोधन' पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुसार, बैंकों को बासल III ढांचे के अनुसार नियंत्रित अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित स्तंभ 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है जिसे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। प्रकटीकरण बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है। यह जानकारी हमारे बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in पर उपलब्ध कराई गई है।

19. पत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 23 जून, 2017 और डीबीआर सं. बीपी: 15199/21.04.048/2016-17 दिनांक 28 अगस्त 2017 के माध्यम से दिवालियापन प्रक्रिया-प्रावधान मानक आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने उपरोक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट एनपीए उधार के संबंध में 31 मार्च, 2022 को ₹281.56 करोड़ (विगत वर्ष ₹481.59 करोड़) के बकाया शेष के विरुद्ध ₹281.56 करोड़ (विगत वर्ष ₹481.59 करोड़) का प्रावधान किया है।

20. विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है। इस स्थिति में, बैंक इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी क्षेत्रों में तैयारी कर रहा है। बैंक के लिए विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्र, घटती-बढ़ती नकदी प्रवाह प्रवृति और संभावित रूप से उधारकर्ताओं द्वारा उनकी पुनर्भुगतान देयताओं की अक्षमता मुख्य चुनौतियां है। कोविड-19 के प्रभाव का निश्चित मूल्यांकन परिस्थितियों और अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है क्योंकि वे बाद अवधि में प्रस्तुत हुए है। आगामी तिमाहियों में अपने लाभ और हानि खाते में प्रभाव के आघात को आमेलित करने के लिए बैंक ने सक्रिय रूप से 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹70.65 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। उपरोक्त प्रावधान ऋण प्रावधान के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों के अतिरिक्त है।

21. बैंक द्वारा विस्तारित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने निम्न प्रकरणों में एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता की आरबीआई द्वारा निर्धारित एलईएफ सीमा का विस्तार किया है :-

उधारकर्ता का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा	एलईएफ (%) के अनुसार ऋण सीमा	31.03.2022 को सीमा/ देयता	31.03.2021 को टीयर 1 पूंजी के संबंध में ऋण जोखिम (%)
शून्य				

22. वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 दिनांक 23 मार्च, 2020 राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के अनुसार, बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का पालन करने और सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दिनांक 23.08.2021 को अपने उपलब्ध शेयर प्रीमियम खाते से ₹3577.55 करोड़ के संचित हानि को विनियोजित किया है।

23. मार्च 31, 2022 वर्ष की समाप्ति के दौरान, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना सं.एन.न. 4 (17)-बी (डब्ल्यू एण्ड एम)/ 2020 दिनांक 23.02.2022 के माध्यम से इक्विटी कैपिटल शेयर के अधिमानी आबंटन के लिए ₹ 4600 करोड़ का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त बैंक ने गैर-ब्याज वाली (गैर-हस्तांतरणीय) भारत सरकार प्रतिभूति विशेष के लिए सम मूल्य पर राशि का अभिदान लिया है जो दिनांक 24 फरवरी, 2032 से 24 फरवरी, 2037 की परिपक्वता तिथि में है और भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.02.2022 के अनुसार एचटीएम श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त प्रतिभूतियों को एक योग्य निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसे बैंक को किसी भी वैधानिक प्रावधान या बैंक पर लागू निर्देशों में प्रतिभूतियों में बनाना आवश्यक है।

24. बैंक के एक खाते में ₹ 75.10 करोड़ का निवेश है जिस पर मुकदमा चल रहा है तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डाउनग्रेडिंग पर रोक लगा दी है। बैंक ने खाते के लिए जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों से अधिक है, के लिए 25% का प्रावधान किया है।

25. जहां जानकारी उपलब्ध नहीं थी, के अतिरिक्त यथाआवश्यक विगत वर्ष के आकंड़ों को पुन: समूहित/ पुन: व्यवस्थित किया गया है।

	दिनांक 31.03.2022 को पुनर्गठित खातों के प्रकटीकरण का विवरण																		राशि करोड़ में				
क्र. सं.	पुनर्गठान का प्रकार -->		सीडीआर प्रणाली के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रणाली के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्त वर्ष यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (आरंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	7329	734	125	2	8190	5322	1161	24	3	6510	12651	1895	149	5	14700
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	556.91	81.59	13.52	0.02	652.04	1037.88	120.50	30.60	0.04	1189.02	1594.79	202.09	44.12	0.06	1841.06
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	45.41	14.88	4.71	0.02	65.02	116.24	24.70	29.70	0.04	170.68	161.65	39.58	34.41	0.06	235.70
2#	वर्ष के दौरान नए पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	2869	369	88	3	3329	6025	298	111	5	6439	8894	667	199	8	9768
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	475.94	27.3	6.68	2.28	512.2	1367.86	29.58	17.81	3.60	1418.85	1843.8	56.88	24.49	5.88	1931.05
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	46.32	4.49	2.48	2.28	55.57	189.41	5.15	6.02	3.60	204.18	235.73	9.64	8.5	5.88	259.75
3#	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानग श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	155	-155			0	424	-424			0	579	-579			0
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	22.36	-22.36			0	49.75	-49.75			0	72.11	-72.11			0.00
		उस पर प्रावधान						1.35	-1.35			0	4.96	-4.96			0	6.31	-6.31			0.00
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन पर वित्त वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार लगाना बंद है तथा इसलिए उन्हें आगामी वित्त वर्ष के आरंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5#	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-1563	1514	31	18	0	-480	455	22	3	0	-2043	1969	53	21	0
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-62.11	56.41	2.90	2.80	0	-33.12	31.95	1.15	0.02	0	-95.23	88.36	4.05	2.82	0.00
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-13.66	10	0.86	2.8	0	-5.86	5.30	0.54	0.02	0	-19.52	15.3	1.4	2.82	0.00
6#	वित्त वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खातों में डालना *	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-1422	-556	410	2	-1566	-1036	-716	535	2	-1215	-2458	-1272	945	4	-2781
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-195.32	-51.49	31.72	2.44	-212.65	-229.75	-67.73	56.45	3.81	-237.22	-425.07	-119.22	88.17	6.25	-449.87
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-13.01	-11.99	16.59	2.44	-5.97	-33.10	-19.17	19.18	3.81	-29.30	-46.11	-31.16	35.77	6.25	-35.27
7	वित्त वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	7368	1906	654	25	9953	10255	774	692	13	11734	17623	2680	1346	38	21687
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	797.78	91.45	54.82	7.54	951.59	2192.62	64.55	106.01	7.47	2370.65	2990.40	156.00	160.83	15.01	3322.24
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	66.41	16.03	24.64	7.54	114.62	271.65	11.02	55.44	7.47	345.58	338.06	27.05	80.08	15.01	460.20

उन मानक पुनर्गठित अग्रिम के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है जो उच्च प्रावधान या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं । (यदि लागू हो)

* बट्टे खाते में बंद खाते, बट्टे खाते और वसूली के कारण घटौती शामिल है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 छोड़कर)

विवरण	2021-22	2020-21
(ए) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	10390546	-27329004
समायोजन हेतु:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	2910359	35049329
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	1370904	1021333
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1582	95
बांड पर ब्याज	2313978	2444149
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**16987369**	**11185902**
समायोजन हेतु:		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	60288344	64406262
उधारों में वृद्धि/(कमी)	1000825	-3695000
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-124722	539795
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-102552600	-75728453
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-37094573	-53175386
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-7029853	225852
प्रत्यक्ष कर भुगतान (वापसी को घटाकर)	8539541	-2235780
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (ए)	**-59985669**	**-58476808**
(बी) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-1206359	-4462179
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1582	-95
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (बी)	**-1207941**	**-4462274**
(सी) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकद हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम	27251185	33516149
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	18748816	21483850
अधिमान्य निर्गम व्यय	-4655	-4828
गौड बॉंड्स का मोचन	-3000000	-2000000
बॉंड्स पर ब्याज	-2313978	-2444149
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (सी)	**40681368**	**50551022**
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-59985669	-58476808
निवेश गतिविधियों से नकदी	-1207941	-4462274
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	40681368	50551022
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	**-20512242**	**-12388060**
नगदी व बैंक शेष (प्रारंभिक)	**83394484**	**95782544**
नगदी व बैंक शेष (अंतिम)	**62882242**	**83394484**

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 001088C **सीए आशीष घिया** **पार्टनर** एम. नं. 427062 यूडीआईएन : 22427062AJGVJF1516 स्थान : नई दिल्ली	**कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 009989N **सीए मनीष गुप्ता** **पार्टनर** एम. नं. 095518 यूडीआईएन : 22095518AJGVQU7465 स्थान : नई दिल्ली
कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 302137E **सीए आर. के. नंदा** **पार्टनर** एम. नं. 510574 यूडीआईएन : 22510574AJGVVT3539 स्थान : नई दिल्ली	**कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** एफआरएन : 001997S **सीए संदीप मोगालापल्ली** **पार्टनर** एम. नं. 221848 यूडीआईएन : 22221848AJGVWD9697 स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 मई, 2022

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008
https://punjabandsindbank.co.in/

NOTICE

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, the 12th July, 2022 at 11.00 a.m.** (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following ordinary business (es):

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the Financial Year 2021-22.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 15.06.2022

Swarup Kumar Saha
Managing Director & CEO

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs the 12th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 12th AGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. APPOINTMENT OF PROXIES:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):**

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before **5.00 p.m. on Thursday, 07th July 2022.**

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 06, 2022 to Tuesday, July 12,2022** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. **PAYMENT OF DIVIDEND:**

The Record date for payment of Dividend will be **Tuesday, July 05, 2022**.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.31 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2022, subject to the approval of shareholders at the 12th Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:

a. As beneficial owners as at the close of business hours on **Tuesday, July 05, 2022** as per the records of NSDL / CDSL in respect of the shares held in electronic form, or

b. In the Register of Shareholders as on **Tuesday, July 05, 2022**, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of **Tuesday, July 05, 2022**

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 12th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

i) With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms an documents as may be required by the Depository Participant (s), and

ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:

a. Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)

b. Self-attested copy of the PAN card, and

c. Cancelled cheque leaf.

6. **TAX ON DIVIDEND PAYMENT**

i. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

ii. A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/.

iii. The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), **Tuesday, 05th July, 2022** on the website of the RTA viz. https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

7. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM) and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

8. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Tuesday, 05th July, 2022**.

II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

III. **The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:**

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

i. The remote e-voting period begins at **10:00 a.m. on Friday, 08th July, 2022** and ends at **05:00 p.m. on Monday, 11th July, 2022**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of **Tuesday, 05th July, 2022**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

iii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants.** Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

iv. In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi /Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/Evoting Login The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

v. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
2. Click on "Shareholders" module.
3. Now enter your User ID
   i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
   ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
   iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

vi. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

vii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

viii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

ix. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.

x. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

xi. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

xiii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xiv. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

xv. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

xvi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

xvii. **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping
- It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **48 hours prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1-800-22-5533.

9. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Private Limited.
Unit: Punjab & Sind Bank
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

11. **UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

12. **CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

13. **OTHER INFORMATION**

a) In compliance with the aforesaid SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2021-22 containing the Notice of the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e."Link Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).

b) The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

14. **SHARES CELL**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance.

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008
Telephone: 011-25782926, 25812922
E-mail: complianceofficer@psb.co.in

15. **DEMATERILAISATION OF PHYSICAL SHAREHOLDINGS:**

In compliance of extant SEBI norms, the Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further, transmission / transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. Accordingly, the shareholder(s) holding shares in physical form are requested to get his/her shares dematerialized.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 15.06.2022

Swarup Kumar Saha
Managing Director & CEO

DIRECTORS' REPORT 2021-22

The Board of Directors has the pleasure of presenting the 12th Annual Report of the Bank together with the Balance Sheet as on 31st March 2022 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2022.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

The COVID-19 pandemic that started in 2019 has been the first of its kind the world has witnessed in the 21st century. We all learnt to live with the Covid and faced three waves with self-belief and courage.

Central Banks and Governments around the world have taken structural and financial reforms to save their economies. Banks especially public sector banks played a major role in carrying forward and implementing the policies announced by the Government and central bank.

In this unfavourable situation, our bank's performance was remarkable and achieved a net profit of Rs.1039 crore.

The positive bank results are possible only with the contribution of each and every one.

GLOBAL OUTLOOK:

At present, economies around the world are facing multiple risks like geopolitical conflicts, supply disruptions, and mounting commodity prices, especially of food and energy, which have fuelled inflationary pressures around the World.

Global financial conditions are a bit fragile with the global uncertainties, liquidity tightening, higher inflation, and rising interest rates. Financial stability risks have risen on several fronts, even though so far, no global systemic event affecting financial institutions or markets has materialized.

In many countries, inflation has become a central concern. In some advanced economies, including the United States and some European countries, it has reached its highest level in more than 40 years. Central banks are facing a challenging trade-off between fighting record-high inflation and safeguarding the post-pandemic recovery at a time of heightened uncertainty about prospects for the global economy. Bringing inflation back down to the target and preventing an unmooring of inflation expectations require a delicate act of removing accommodation while preventing a disorderly tightening of financial conditions that could interact with financial vulnerabilities and weigh on growth.

Central banks of major economies around the world have started policy normalisation to lower the inflation rate, but the ongoing geopolitical tension disrupted the global supply chains and has increased input cost pressure. The resurgence of COVID-19 infections in some major economies and the associated lockdowns run the risk of further aggravating the global supply bottlenecks and input cost pressures.

With the invasion and rising interest rates in developed economies, capital outflows increased markedly from emerging market and developing economies. Tightening financial conditions, net importers of commodities is putting downward pressure on the currencies of the most exposed countries to the developed economies.

Going forward, rising inflation expectations prompts a more aggressive tightening response from central banks in emerging markets and developing economies.

International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook April 2022, projected a slowdown in global growth from an estimated 6.1% in 2021 to 3.6% in 2022 and 2023. Inflation is projected on the higher side with rising commodity prices and supply-chain bottlenecks, it is projected at 5.7 % in advanced economies and 8.7 % in emerging market and developing economies for 2022.

Global growth momentum can be regained with multilateral efforts like maintaining global liquidity, opening economic activities following pandemic protocols, and end of the war as early as possible with bilateral talk.

Domestic Outlook:

The Indian economy is not immune to negative externalities. The surge in commodity prices is already posing inflation risks and forcing RBI to policy normalization and leading to a rise in interest rates in the system.

Domestic growth momentum slowed down a bit in Q3 of FY21-22 with the emergence of the Omicron variant in January 2022 but Growth momentum picked up in February itself. RBI in its Monetary Policy Statement, April 2022 projected real GDP growth of 7.2% in FY2022-23 (revised from 7.8%). IMF, in its World Economic Outlook April 2022 report, has slashed its forecast for India's gross domestic product growth to 8.2 % from 9% for 2022, saying that higher commodity prices will weigh on private consumption and investment. Even though the growth forecast was reduced, India is still the fastest growing major economy in the World.

With the third wave behind us and, with the removal of all restrictions alongside a broadening of vaccination coverage, economic activity is returning to speed. Most sectors of the economy are reaching or have exceeded pre-pandemic levels. Notably, bank credit has gathered pace and the job market is gathering steam. There is acceleration in the travel and hospitality sectors. The construction and real estate sectors have also registered a pick-up.

Indian economy is expected to expand in FY 2022-23 with rise in rural and urban demand, financial sector resilience, robust export and remittances, and higher Government capital expenditure.

BANKING SECTOR:

Banking sector successfully overcame the second wave and third wave related risks in 2021-22. This is possible because banks entered the pandemic with relatively strong balance sheets, higher levels and quality of capital and ample liquidity. Timely measures took by governments and central banks to support the economy also helped the banks to face the pandemic.

Bank's Credit growth and asset quality improved with the growth in key sectors. Credit off-take picked up during 2021-22, with the gradual return of normalcy after the pandemic.

Banks entered the financial year 2022 -23 with risks like geopolitical tensions, input price inflation, the spike in crude oil and a global rate hike cycle which could put some pressure on growth / NIMs in the near term.

During the financial year 2022-23, the banking sector may register double-digit credit and deposit growth with the green shoots in the economy provided geopolitical risk ends.

WORKING RESULTS:

Highlights of Bank's financial performance are given below:

- Total business of the Bank increased by 5.25% reached at Rs.172524.10 crore as on 31.03.2022, from Rs. 163919.35 crore as on 31.03.2021.
- CASA deposits increased by 9.51% on Y – o – Y and stood at Rs.34528.42 crore as on 31.03.2022, as compared to Rs. 31530.39 crore as on 31.03.2021.
- Total deposits of the Bank stood at Rs.102137.10 crore as on 31.03.2022 as compared to Rs. 96108.18 crore as on 31.03.2021. The average cost of deposits of the bank stood at 4.28% (FY 2021-22) as compared to 5.06% (FY 2020-21) in previous year.
- Bank's Advances registered a growth of 3.80% from Rs. 67811.17 crore as on 31.03.2021 to Rs.70387.09 crore as on 31.03.2022. The average yield on Advances stood at 7.20% (FY 2021-22) as compared to 7.78% (FY 2020-21) during the last year.
- Total Priority Sector Advances increased from Rs. 28228 Crore (43.95% of ANBC) as on 31.03.2021 to Rs.31178 crore (50.20% of ANBC) as on 31.03.2022, registering a growth of 10.45 %. Bank has also surpassed regulatory lending target of 40 %.
- Retail Lending portfolio of the Bank grew to Rs.11737 crore as on 31.03.2022 and registered a growth of 15.29 % over the previous year (Rs. 10180 crore).
- The percentage of Retail credit (Rs.11737 crore) to Gross Advances (Rs.70387 crore) was 16.68 % as on 31.03.2022 compared to 15.01 % as on 31.03.2021.
- MSME Credit grew by 13.25% from Rs. 11497 crore as on 31.03.2021 to Rs. 13021 crore as on 31.03.2022. The share of MSME Credit to total Advances was 18.5 % as on 31.03.2022.

FINANCIAL PARAMETERS:

- Operating profit stood at Rs.1330.09 crore as on 31.03.2022 against Rs. 772.03 crore as on 31.03.2021.
- Net profit stood at Rs. 1039.05 crore as on 31.03.2022 as compared to a Net Loss of Rs. 2732.90 crore as on 31.03.2021.
- Return on Assets (ROA) stood at 0.85% (FY 2021-22) as compared to that at (-2.55)% (FY 2020-21).
- The Net Worth of the Bank stood at Rs.5051.90 crore as compared to Rs. 5126.25 crore as on 31.03.2021.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 18.54 % as on 31.03.2022 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.
- Gross NPAs of the Bank is Rs. 8564.82 crore (12.17%) as on 31.03.2022 as compared to Rs. 9334.00 crore (13.76%) as on 31.03.2021
- Net NPA of the Bank is Rs.1742.27 crore as on 31.03.2022 as compared to Rs. 2461.95 crore as on 31.03.2021.
- Net NPA percentage improved to 2.74% as on 31.03.2022 from 4.04% as on 31.03.2021
- The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.0.31 per equity share (i.e. 3.1%) of face value of Rs.10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

The Financial performance of the Bank for the year 2021–22 is summarized below:

(Rs. Crore)

Particulars	2021-22
Net Interest Income	2651.32
Non-Interest Income	959.38
Operating Expenses	2280.61
Operating Profit	1330.09
Provisions / Contingencies	291.04
Net Profit	1039.05
Earnings per share (Rs.)	2.56
Book Value per share (Rs.)	7.54

Key Financial Ratios for the year 2021-22 are as under:

(Percentage - %)

Particulars	2021-22
Yield on Advances	7.20
Yield on Investments	6.69
Cost of Deposits	4.28
Net Interest Margin	2.80
Cost to Income Ratio	63.16

Capital and Reserves:

During the financial year 2021-22 Government of India infused Rs.4600.00 crore towards preferential allotment of Equity shares. Accordingly, the bank has allotted 2725118483 equity shares of Rs.10/- each fully paid up at an issue price of Rs.16.88 (including a premium of Rs.6.88 per equity share) consequently, the Government of India's holding in the bank has increased to 98.25% as on 31st March 2022.

Date of issue	No. of shares	Price	Amount (Crores)	Details
31.03.2022	2725118438	16.88 (including premium of Rs. 6.88 per equity share)	4600	Preferential issue to the Govt. of India

Capital Adequacy

- As per the Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio is 18.54% which is higher than the regulatory requirement of 11.50%
- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are:

(Rs. In Crore)

Particulars	BASEL – III			
	31.03.2021		31.03.2022	
CET 1 CRAR	6243	12.05%	6307	12.77%
AT1 CRAR	1000	1.93%	1000	2.03%
TIER I Capital	7243	13.98%	7307	14.80%
TIER II Capital	1598	3.12%	1849	3.74%
Total Capital	8841	17.06%	9156	18.54%
Risk Weighted Assets	51790		49381	

Business Initiatives:

During the current financial year, Bank has implemented various initiatives to enhance customer convenience and boost its competitive edge. Some of the important among them are:

- Bank has on-boarded its **13 credit schemes on National Portal for Credit Linked Government Schemes,** an initiative taken by the Department of Financial Services (DFS), for faster credit decisions and better monitoring through reports.
- The bank has started a **Co-lending arrangement with Non-Banking Financial Institutions** for MSME-LAP and Housing Loan (PS).
- Bank has started **IVR (Interactive Voice Response)** facilities for:

  i) Cheque status ii) Card Hot listing iii) Mini Statement up to last 5 transactions
- Bank has implemented **"Unified Dispute & Issue Resolution" (UDIR)** functionality for UPI.
- Bank has migrated all the **ATMs to EMV** for enabling the acceptance of card plus PIN transactions.
- Bank has implemented **SMS Alert services** on remote On-Us transactions to provide nearby PSB ATM Machine details to Cardholder.
- Facility to **switch on / off and set/modify transaction limits** (within the overall Debit card limit set by the bank) for all types of transactions - domestic and international, at PoS / ATMs / online transactions / contactless transactions, etc. is provided **through PSB UnIC App/Web** to enhance Security of Card Transactions.

- Bank has enabled the acceptance of **Rupay Domestic Cards** at POS terminals at NETS network in Singapore & ATM, POS and ECOM at RMA network in Bhutan.
- Dispatch of **Personalized Debit Cards** directly to the customer's address.
- The Bank adopted a **Multi-Media Strategy** to advertise and build up its image in public. Besides publicity through print, outdoor and electronic media, the Bank has been using social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, and LinkedIn to advertise its products and schemes.

To offer a full range of services to customers Bank has added the following products and services during the year to its existing bouquet:-

- **PSB SMART Salary Account** for salaried employees of lower-income bracket i.e. below Rs.25000/-.
- Special **Home Loan product for Defence personnel (PSB Apna Ghar- गौरव)** with attractive features including concession in ROI.
- **PSB Aarogyam** scheme for financing various stakeholders engaged in healthcare activities for meeting their working capital requirement and acquisition of fixed assets.
- Separate scheme **"PSB E-Vahan"** for the financing of Electric Car. The scheme covers the purchase of a new electrical car (e-vehicle) and reimbursement of the cost of a new electrical car (vehicle should not be older than 3 months from the date of invoice)
- Special scheme for **One Time Settlement of NPA (Doubtful 2, Doubtful 3 & Loss) and TWO Accounts** with Book Outstanding up to Rs.5.00 Cr i.e. PSB Rin Samadhan Scheme 2022.
- New OMNI Solution (common platform for Internet Banking, Mobile Banking, and UPI) **"PSB UnIC**" and **"PSB UnIC Biz"** for retail and corporate customers.
- **Chat-Bot facility for customers.** It assists customers in resolving their queries related to the bank's various services/information.
- **Scheme for Financing Solar Power Projects Under PM KUSUM** for setting up decentralized ground-mounted grid-connected solar power plants/procuring necessary gadgets for individual plant sizes up to 2 MW (Component A). The scheme also provides collateral-free credit for the portion other than a subsidy to the beneficiaries under PM KUSUM (Components B and C).
- **Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS)** for providing finance to eligible projects in the healthcare sector with guarantee coverage from NCGTC.
- **PSB Scheme for Storage Infrastructure"** to meet term loan and working capital requirements of the farmers/ eligible organizations in the construction/ running of Scientific Storage Facilities such as Godowns, Dry Warehouse, Cold Storage, Cold Chain, Silos, Market Yards.
- **Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme- 2021 for the State of Rajasthan** for providing financial assistance to Street vendors, and people providing essential services in the informal sector such as hairdressers, rickshaw-pullers, potters, carpenters, cobblers, masons, tailors, washermen, painters, tap-electricity repairmen, etc.& unemployed youth in the urban area for their rehabilitation.

AWARDS & ACHIEVEMENTS

Bank has been awarded with

- **Exemplary Gold Award under "Leadership Capital (4.0)"** campaign organised by PFRDA for Atal Pension Yojna (APY) Enrolments.
- **Runner-up in Best digital Financial Inclusion Initiative** category award declared by IBA.
- **3rd Top Performing Bank** in Theme 3 i.e. Collaborating for synergistic outcomes under EASE 4.0 as on 31.12.2021
- **3rd Position in DSB (Doorstep Banking) Udaan Campaign** launched by PSB Alliance Pvt. Ltd. From 01.02.2022 to 02.03.2022
- Highest **Rajbhasha Kirti Puraskar (Second)** of the Official Language for the best implementation of Official Language Policy 14.09.2021
- **Third prize in the Rajbhasha Shield Competition** from Delhi Town Official Language Implementation Committee for the best implementation of the Official Language Policy of the Union.
- Bank's Hindi magazine **'Rajbhasha Ankur'** got the **Incentive Award** in the category of Hindi home magazine by the Delhi TOLIC.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2022:

a) The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts along with proper explanation relating to material departures, if any

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2022.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The Bank is having proactive HR management practices where Employees are considered as Assets. The Bank is having Total of 8735 Employees as on 31.03.2022 out of which 6606 are in Officer Cadre, 1878 are in Clerical cadre and 241 are Sub-staff. Out of total 8735 employees 2621 employees are women Employees.

Promotions: Bank is regularly promoting its employees almost in all the cadres every year to keep on rewarding its top performers and enabling them to assume higher responsibilities. Following promotions have been effected during the year 2021-22:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFF to MGR	CLK to OFF
Total	4	15	43	79	148	335	179

Training & Human Resources Development: The Bank endeavored to provide maximum trainings to its employees through various modes (Online, Offline & Hybrid Modes) during the Financial Year 2021-22. With this in view, 282 Training programmes were conducted by using expertise of National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM), Noida & Staff Training College (STC), Delhi. Also, Bank had conducted specialized training programmes on Attitude, Behaviour and other various modules in the current FY by using expertise of external institutions.

A total of 8067 staff members have attended the training programmes on different course modules from 1st April 2021 to 31st March 2022 through 427 Training Programmes, out of which, 145 Training programmes were conducted by Apex Institutions (like NIBM, Pune, IDRBT Hyderabad, CAB Pune, etc). 756 staff members (including top executives) have attended training programmes/webinars from Apex Training Institutions.

In FY 2021-22, Two General Managers & 1 Deputy General Manager were undergoing the Leadership Development Programme from IIM, Bangalore and BBB. Further, the department has also nominated 9 AGMs & 1 CM in the 10th Advanced Management Programme of IIBF in FY2021-22. Also, Bank had nominated 11 officers (1GM, 2 DGM and 8 AGMs) in Online Training Programme on Applied Financial Risk Management by IIM-Raipur

The PSB Digital Learning Portal was launched in FY 2020-21 to increase Job knowledge and enhance skills of staff members digitally. This portal is accessible to all the Staff Members (Clerks & Above) on 24*7 basis and they can appear in E-Learning modules through their mobiles/laptop/PC as per their convenience. In FY 2021-22 we have conducted 60 E-Learning tests.

The bank has renewed its MoU with Centre of Excellence (CoE), SBI Foundation to empower Persons with Disabilities. In FY 2020-21 CoE has conducted online webinars/workshops for Divyangjans (staff members).

To review training needs and course curriculum of trainings a Training Review and Advisory Committee (TRAC) is constituted at Head Office Level which is headed by Executive Director (HR). In FY 2021-22 three meetings of TRAC were conducted at Head Office.

Creation of Talent Pool through Job Families: In order to create talent pool in different verticals, bank has identified 11 job families for the staff members wherein they can apply to work, on the basis of their professional/academic qualification, experience and are of interest. In FY 2020-21, options were called from Staff members under Job Family and thereafter applications were scrutinized, screened (by interview) and were imparted trainings in the respected field, before their postings under specialized Job Family.

Recruitment: Bank has consistently looked to address the challenges of superannuation, business growth and expansion. To meet this challenge, Bank has recruited following staff members during financial year 2020-21:

POST	Allotted (in FY 2021-22)	Joined (in FY 2021-22)
SUB-STAFF	00	11*
SWO- CWE-IX (Reserved List)	72	30
SWO- CWE-X	218	139+10*
PO- CWE-X	228	159
AFO	4	4
IT Manager (Scale-II)	16	11
IT Manager (Scale-III)	1	1
Risk Manager (Scale-III)	2	0
Risk Manager (Scale-IV)	2	1
TOTAL	543	366

*Compassionate Appointment.

Industrial Relations: Bank is maintaining cordial & harmonious relations with all the workmen/ officers unions/ associations operating in the Bank to develop the spirit of co-operation and understanding with the management. IR Cell is conducting Quarterly IR Meetings with both Workmen & Officer unions.

Employment to Reserved Category Employees: The Bank implements all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of posts in recruitments/promotions, wherever applicable.

The staff strength of SC, ST, OBC & EWS employees stood at 2872, 607, 2382 & 55 respectively on 31.03.2022. The staff strength under various reserved categories is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EWS	EX-SM	PWD
OFFICERS	6606	509	1653	25	72	398
CLERKS	1878	57	494	30	180	90
SUB-STAFF	241	12	23	0	8	10
TOTAL	8725	578	2170	55	260	498

Corona Pandemic Initiatives: Bank has provided various relaxations/incentives to staff members who were coming and attending the office during the lockdown phase. Some of them were:

- All lactating mothers having infants up to 10 months, pregnant ladies and Divyangjan Employee were sanctioned onetime special leave to insulate them from any infection or outbreak.
- Zonal Offices/Administrative Offices were advised to ensure 40%-50% of their staff strength to work from home (during lockdown period).
- Introduction of staggered working hours during Covid-19 outbreak.
- An initiative is taken to pay an amount of Rs. 20.00 lakhs to the legal heirs of the employee, as financial assistance in case of death (while in service) of an employee due to infection of Corona Virus (COVID-19).

Sports Cell:

Our Bank is having two Hockey teams (Senior Men's Hockey Team, affiliated with Hockey India and one Junior Hockey Academy) and they are performing well in all the major events of their respective categories. In FY 2020-21, our Bank's Hockey Team has done well in all the major Tournaments (All India 38th Surjit Hockey Tournament, 57th Nehru Hockey Tournament, National Championship, Obaidullah Khan Hockey Tournament, etc.). However, this year due to COVID-19 restrictions, Bank could not organize "PSB AAO KHELEIN," an annual sports event of the Bank.

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary

62/12 ,2nd Floor, Old Rajendra Nagar,
New Delhi- 110060
Mobile:; 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2022

The Members,
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 110 008

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2022, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2022 according to the provisions of:

(I) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021;

(e) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

(i) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary

(v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -
(a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980
(b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980
(c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008
Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; Our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors as per Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, and Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) subject to the following observations:

a) After the retirement of Dr. Charan Singh (Non-Executive Chairman), Central Government has not appointed any director to fill the vacancy. Accordingly, Bank is not in a position to comply with the provisions of Regulation 17 of SEBI (LODR).

b) The Bank does not have sufficient number of Independent Directors as per Regulation 17 of SEBI (LODR).

c) In view of point no. 1, the constitution of committee of Directors where Independent Director should be the Chairman is not as per Regulation 17 of SEBI (LODR).

As explained by the Bank, the appointment of Directors shall be made by Government of India, and the Bank frequently communicated with Central Government to appoint adequate number of Independent Directors to comply with the provisions of SEBI (LODR).

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

5. During the year under review:

   a) The Bank has passed the Special resolution by way of e-voting to create, offer, issue and allot equity shares up to an amount of Rs. 4600 crore on preferential basis to Government of India.

   b) The Bank has allotted 2,72,51,18,483 Equity shares of Rs. 10/- each at issue price of Rs. 16.88 per share on preferential basis to the President of India (Govt. of India) on 31st March 2022.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

Suchitta Koley
Company Secretary
FCS 1647; CP No.: 714
UDIN: F001647D000329018

Place: New Delhi
Date: 16th May 2022

Report on Corporate Governance (2021-22)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest, by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2022 is as under:

Sr. No.	Name	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2022	No. of member ship in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
1.	Sh. S Krishnan Managing Director & Chief Executive Officer	NIL	10	A	1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of Board 4. Risk Management Committee 5. Customer Service Committee 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Wilful Defaulter 10. Review Committee for Non Co-operative Borrower
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	NIL	8	B	1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of Board 4. Customer Service Committee 5. IT Strategy Committee 6. HR Committee 7. Committee for Monitoring of Recovery 8. Stakeholder Relationship Committee

Sr. No.	Name	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2022	No. of member ship in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
3.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	NIL	8	C	1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of Board 4. Customer Service Committee 5. IT Strategy Committee 6. HR Committee 7. Committee for Monitoring of Recovery 8. Stakeholder Relationship Committee
4.	Sh. S R Mehar Director – MOF Nominee	NIL	8	D	1. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 2. Vigilance Committee of the Board 3. Customer Service Committee 4. IT Strategy Committee 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Review Committee for Wilful Defaulter 8. Committee for dealing with the case of appeals and review
5.	Sh. Kamal Prasad Patnaik Director – RBI Nominee	NIL	2	E	1. Management Committee 2. Vigilance Committee of Board
6.	Sh Tirath Raj Mendiratta Non-Official Director (Shareholder Director)	100	7	F	1. Management Committee 2. Risk Management Committee 3. Stakeholder Relationship Committee 4. IT Strategy Committee 5. HR Committee 6. Committee for dealing with the case of appeals and review 7. Review Committee for Non Co-operative Borrower
7.	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	NIL	7	G	1. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 2. Risk Management Committee 3. Committee for Monitoring of Recovery 4. Committee for dealing with the case of appeals and review 5. Review Committee for Non Co-operative Borrower 6. Customer Service Committee 7. Review Committee for Wilful Defaulter
8.	Ms. Rshmi Khetrapal Non-Official Director	NIL	0	H	NIL

a) Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 3rd September 2020 as Managing Director & Chief Executive Officer w.e.f. the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e, 31st May 2022), or until further orders, whichever is earlier.

b) Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/3/2020 -BO.I dated 10th March,2021 as Executive Director w.e.f. the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30th June 2023) or until further orders, whichever is earlier.

c). Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/2/2021-BO.I dated 21st October 2021 as Executive Director with effect from 21st October 2021 till the superannuation, (i.e. 30th April 2024) or until further orders, whichever is earlier.

d). Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 13th July 2018 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

e). Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO.I dated 13th April 2021 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

f) Elected as shareholder director w.e.f 12th May 2021 under clause (i) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for period of 3(Three) years till 11th May 2024. His appointment is subject to the final decision of the Hon'ble Delhi High Court in the writ petition challenging the decision of the Bank to withdraw the election process of shareholder-directors conducted in 2020 (vide order dated 19/04/2021).

g) Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st December 2021 under clause (h) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of 3(Three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

h). Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st March 2022 under clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of 3(Three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2021-2022:

[A] Appointment:

Dr. Ram Jass Yadav has been appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/2/2021-BO.I dated 21st October 2021 as Executive Director with effect from 21.10.2021 till the superannuation, (i.e. 30.04.2024) or until further orders, whichever is earlier.

Sh Kamal Prasad Patnaik has been appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO.I dated 13th April 2021 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

Sh Tirath Raj Mendiratta has been elected as shareholder director w.e.f 12.05.2021 under clause (i) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for period of 3(Three) years till 11.05.2024.

Sh. Shankar Lal Agarwal has been appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st December 2021 under clause (h) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of 3(Three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

Ms. Rshmi Khetrapal has been appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st March 2022 under clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of 3(Three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

2.3. Details of membership / chairmanship of Directors in the Committee / Board of other listed entities

Sr. No.	Name of Director in PSB	Name of the other listed entity in which the Director is a member of the Board	Name of the Board / Committee in other listed entity where the Director is Chairman / Member		Category of Directorship in other listed entity
1.	Sh.S Krishnan Managing Director & Chief Executive Officer	Nil	NA	NA	NA
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	Nil	NA	NA	NA
3.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	Nil	NA	NA	NA
4.	Sh. S R Mehar Director – MOF Nominee	Nil	NA	NA	NA
5.	Sh. Kamal Prasad Patnaik Director – RBI Nominee	Nil	NA	NA	NA
6.	Sh Tirath Raj Mendiratta Non-Official Director (Shareholder Director)	Nil	NA	NA	NA
7.	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	Nil	NA	NA	NA
8.	Ms. Rshmi Khetrapal Non-Official Director	Nil	NA	NA	NA

[B] Outgoing Directors during the year:

1. Sh. B P Vijayendra, RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 12.04.2021.

2. Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman was on the Board of the Bank up to 22.05.2021

2.4. Profile of Directors appointed during 2021-22:

Dr Ram Jass Yadav – Executive Director

He started his career with Bank of Baroda in June 1984. Has done post-graduation in Commerce, post which also accomplished professional qualifications ie. ICWA, CS, MBA and Doctorate (Ph. D) examinations, all with distinction.

His experience of Operation & Credit Manager, Trainer, Internal Auditor, Branch Head, SME-Loan Factory Head, Regional Head, Zonal Head, Corporate Ofice functions, Board level exposure are ample evidence of his wide, intensive and systematic professional grooming in banking industry. He also led the largest State Level Bankers Committee (SLBC) of the country at Lucknow with many awards and accolades by the Chief Minister and Governor of the State.

He has several Business Awards for Excellence in his leading roles in the Banking in addition to many academic accolades for his outstanding achievements in Banking Industry viz. (a) Nine distinction awards for Top Rank in CAIIB 1988-89 (b) Macro Research Project award for "Issues in SME Finance" by IIBF, Mumbai in year 2012-13 (c) "Rajbhasha Gaurav Puraskar" for authoring a book on "Inclusive Banking" in 2017 by Hon'ble President of India (d) He has also authored book "Agriculture & MSME - Significant contribution to Self-Reliant India" that is also awarded with "Gaurav Puraskar" by Hon'ble Union Home Minister of India in 2021.

Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director

Sh Kamal Prasad Patnaik, RBI Nominee Director is Regional Director in Reserve Bank of India, Jammu. He completed his M.A. (Pol. Science) from Utkal University, Odisha. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers and holds GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) (GARP, USA). He has also been Secretary on the Advisory Board on Bank Frauds and was also involved in the implementation of BASEL III guidelines. He has 16 years on-site and off-site experience in Banking Supervision in India and Abroad.

Sh T R Mendiratta- Non-Official Director

Sh T R Mendiratta has experience in the field of Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration during his service of 30 years in LIC of India. He was elected as shareholder director of the Bank in 2017 and demitted office upon completing his tenure of three years on 30.06.2020.

Sh. Shankar Lal Agarwal - Non-Official Director

Sh Shankar Lal Agarwal is B.Com, L.L.B and a qualified Chartered Accountant. Being a founding partner of M/s S Garg & Company, he has been practicing as a senior partner of the firm since 1989.

Further, he has also been a member of various committees in different capacities such as Co-ordinator in Regional State-wise PDC Sub-Committee Rajasthan of CIRC of ICAI, member of committee on Public Finance and Government Accounting of ICAI, member of Academic Committee for ICAI, member of Project Committee for ICAI, member of State Public Grievance & Redressal Committee Government of Rajasthan, Technical Advisor Government Entrepreneurs Government of Rajasthan, member of Vat Advisory & Grievance Committee Government of Rajasthan, member of Finance and Budget Advisory Committee Government of Rajasthan, Executive member of Rajasthan Tax Consultants Association. He was appointed as Independent Director of Sambhar Salt Limited, a Government of India undertaking from April 2016 to April 2019. Presently, he is an Independent Director in Hindustan Salt Limited and Sambhar Salt Limited from 21st January 2020.

He has also visited USA, Canada, UAE, Thailand, Malaysia, Singapore, Tashkent (Uzbekistan), Bali (Indonesia), Hongkong, Makau, Hungary (Budapest), Czech Republic, Slovakia, Austria, Gernmany, etc in various study groups.

Further, as a writer and editor he has sent news and articles to Panchjanya Weekly. He was also the weekly economic analysis writer for Samachar Jagat daily paper. He was also the editor of various books such as Rajasthan State Assembly Election Analysis Book of Assembly Election 2003 & 2008, Lok Sabha Election Analysis (1984-2009), Rajasthan Value Added Tax 2006 and Lok Sabha Election Analysis (1984-2014).

Ms. Rshmi Khetrapal – Non-Official Director

Ms. Rshmi Khetrapal was appointed as the Non- Official Director on the Board of Punjab and Sind Bank w.e.f 21.03.2022. Prior to this, she was independent director of Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corp (HSIIDC), Chairperson of NISACA of ICAI, VAT committee of NIRC of ICAI, and other committees of ICAI as well. She was awarded for her excellent contribution to the profession in NIRC of ICAI.

Ms. Khetrapal is the founder Director of Countmagic Online services; a company developing software in accounting & GST for MSMEs, besides this, she is a Chartered Accountant with experience of more than two decades and has expertise in Accounting, Finance, Internal Audit, Taxation, and Information Technology. She has also addressed more than 500 seminars on various topics of GST, Occupational frauds, internal controls and POSH.

2.5. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2021-22, total 19 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

05.05.2021	22.05.2021	22.06.2021	08.07.2021	22.07.2021
27.07.2021	29.07.2021	01.09.2021	13.09.2021	29.09.2021
13.10.2021	01.11.2021	11.11.2021	29.12.2021	20.01.2022
07.02.2022	17.02.2022	07.03.2022	29.03.2022	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 20.07.2021
1	Dr. Charan Singh Chairman (Non-Executive)	01.04.2021 to 22.05.2021	2	1	NA
2	Sh. S.Krishnan MD& CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	19	19	Attended
3	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	19	19	Attended
4	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	08	08	NA
5	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	19	19	Not Attended
6	Sh Kamal Prasad Patnaik RBI Nominee Director	13.04.2021 to 31.03.2022	19	19	Not Attended
7	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	21.12.2021 to 31.03.2022	6	6	NA
8	Ms. Rshmi Khetrapal Non-Official Director	21.03.2022 to 31.03.2022	1	1	NA
9	Sh. T.R.Mendiratta- Shareholder Director	12.05.2021 to 31.03.2022	18	18	Attended

2.6. Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. General Body Meeting:

Details of the General Body Meetings held / postal ballot conducted during the last three years are given below:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
9th Annual General Meeting	Monday, 11th November 2019	10:00 a.m	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini New Delhi – 110085	- Approved by way of Special Resolution to create, offer, issue and allot 9,89,93,710 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.79.50 each (including premium of Rs.69.50 per equity share) aggregating to Rs.787 crore for cash to Government of India on Preferential Basis.
Extraordinary General Meeting	Thursday, 25th June 2020	N/A	N/A	To create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of face Value of Rs10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.500 crore by way of Qualified Institutional Placement. However, the capital raising could not be proceeded with due to adverse market conditions.
Postal Ballot	Tuesday, 11th August 2020	10:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2020 - To elect TWO Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government)
10th Annual General Meeting Extraordinary	Thursday, 25th March 2021	11:00 a.m	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- Approved by way of Special Resolution To create, offer, issue and allot 3,35,16,14,868 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.41 each (including premium of Rs.6.41 per equity share) aggregating to Rs.5500 crore for cash to Government of India on Preferential Basis.

Extraordinary General Meeting	Monday, 17th May 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To elect One Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) (Sh T R Mendiratta, being the only candidate, was elected forthwith and the meeting was cancelled).
11th Annual General Meeting	Tuesday, 20th July 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2021 - Approval by way of special resolution for Appropriation of accumulated losses of Rs.3577,54,66,746.23 as at 31st March 2021 from Share Premium Account of the Bank during the current financial year 2021-22.
Extraordinary General Meeting	Thursday, 31st March 2022	11:00 a.m	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- Approved by way of Special Resolution To create, offer, issue and allot 2,72,51,18,483 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.88 each (including premium of Rs.6.88 per equity share) aggregating to Rs.4600 crore for cash to Government of India on Preferential Basis.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR/IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

S.No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	IT Strategy Committee
10.	Committee for dealing with the case of appeals and review

S.No	Name of the Committee
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Review Committee for Willful Defaulter
13.	Nomination & Remuneration Committee
14.	Review Committee for Non-Co-Operative Borrower.
15.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs)
16.	Election of Shareholder Director Committee – Voting by Public Sector Bank
17.	Credit Approval Committee of Board

Government of India, vide Gazette Notification No. F. No. 16/22/2019-BO.I(Part) dated 25.01.2021 has added the following paragraph below paragraph 14 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing"

In line with the above, Board may subsume the function of any such committee where the quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (d), (e), (f), (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2022 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav- Executive Director
4.	Sh. Kamal Prasad Patnaik - Director (RBI Nominee)
5.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

During the Financial Year 2021-22, the Management Committee of the Board met on Ten (10) occasions on the following dates:

07.06.2021	22.07.2021	29.09.2021	10.11.2021	04.12.2021
29.12.2021	20.01.2022	28.02.2022	07.03.2022	23.03.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S.Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	10	10
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	10	10
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	07	07
4	Sh Kamal Prasad Patnaik RBI Nominee Director	13.04.2021 to 31.03.2022	10	09
5	Sh. T.R.Mendiratta Shareholder Director	12.05.2021 to 31.03.2022	10	10

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

After the retirement of Dr. Charan Singh (Non-Executive Director), the ACB could not be reconstituted due to want of the quorum. Subsequently, the functioning of the ACB was subsumed by the Board vide its resolution no.- 25668 dated 08-07-2021 in terms of Provision 14A of Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision Scheme, 1980).

During the Financial Year 2021-22, the Audit Committee of the Board (ACB) met on one (01) occasion on:

25.05.2021

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh Chairman (Non-Executive)	01.04.2021 to 22.05.2021	1	1
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	1	1
3	Sh.S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	1	1
4	Sh Kamal Prasad Patnaik RBI Nominee Director	13.04.2021 to 31.03.2022	1	1

4.3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

(a)Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

(b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI

(c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position

(d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time

(e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and

(f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S. Krishnan – MD&CEO (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar- MOF Nominee Director
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non-Official Director

The Committee met six (06) times during the Financial Year 2021-22 as per the details below:

08.06.2021	24.09.2021	16.12.2021
13.01.2022	28.02.2022	24.03.2022

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	06	06
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	06	06
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	04	04
4	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	06	06
5	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	21.12.2021 to 31.03.2022	03	03

4.4. Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav- Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar - MOF Nominee Director
5.	Sh. Kamal Prasad Patnaik - RBI Nominee Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2021-22 as per the details below:

21.06.2021	13.10.2021	10.11.2021	29.03.2022

The Committee met six (06) times during the Financial Year 2021-22 as per the details below:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S.Krishnan MD & CEO (Chairperson)	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	2	2
4	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
5	Sh. Kamal Prasad Patnaik RBI Nominee Director	13.04.2021 to 31.03.2022	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

After the retirement of Dr. Charan Singh (Non- Executive Director), the RMC could not be reconstituted due to want of the quorum; and the functioning of the RMC was subsumed by the Board vide its resolution no-25668 dated 08-07-2021 in terms of Provision 14A of Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision Scheme, 1980).

Subsequently, After the appointment of Sh. Shankar Lal Agarwal- Non-Official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st December 2021, RMC was reconstituted on and w.e.f 29.12.2021.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Shankar Lal Agarwal- Non-Official Director
3.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	1	1
2	Sh Shankar Lal Agarwal Non Official Director	21.12.2021 to 31.03.2022	1	1
3	Sh. T R Mendiratta Shareholder Director	12.05.2021 to 31.03.2022	1	1

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6. Customer Service Committee:

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2022:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav- Executive Director
4.	Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non-Official Director.

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).

ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.

iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2021-22, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

09.06.2021	24.09.2021	16.12.2021	11.02.2022

The details of attendance of the Directors are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	2	2
4	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
5	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director.	21.12.2021 to 31.03.2022	1	1

4.7. Stakeholders Relationship Committee:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015. The committee looks into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, bond holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. T R Mendiratta - Shareholder Director (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav- Executive Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2021-22

21.06.2021	24.09.2021	10.11.2021	10.02.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh S Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 29.12.2021	3	3
2	Sh. T R Mendiratta Shareholder Director	12.05.2021 to 31.03.2022	4	4
3	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	4	4
4	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	2	2

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2021	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2022
NIL	3	3	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2022. Shri Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8. Human Resource Management Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)
5.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met on five (05) occasions during the Financial Year 2021-22 as per details given below:

14.06.2021	28.09.2021	21.12.2021	10.02.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	5	5
2	Sh Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	5	5
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	3	3
4	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	5	5
5	Sh T R Mendiratta Shareholder Director	29.12.2021 to 31.03.2022	2	2

4.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director (Chairperson w.e.f 23.05.2021)
2.	Sh. S. Krishnan - MD&CEO
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar- MOF Nominee Director

The Committee met on eight (08) occasions during the Financial Year 2021-22 as per details below:

09.06.2021	31.08.2021	28.09.2021	10.11.2021
30.12.2021	28.01.2022	10.02.2022	30.03.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD&CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	8	8
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	8	8
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	5	5
4	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	8	8
5	Sh T R Mendiratta Shareholder Director	23.05.2021 to 31.03.2022	8	8

4.10. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

No meeting was held during the year.

4.11. Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012- BOA dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan - MD & CEO
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal- Non- Official Director

The Committee met on eleven (11) occasions during the Financial Year 2021-22 as per details below:

26.04.2021	21.06.2021	22.07.2021	31.08.2021	28.09.2021	27.10.2021
29.11.2021	21.12.2021	28.01.2022	28.02.2022	24.03.2022	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	11	11
2	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	11	11
3	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	6	6
4	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	11	11
5	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	29.12.2021 to 31.03.2022	3	3

4.12. Review Committee for Willful Defaulter:

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March, 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan – MD&CEO (Chairperson)
2.	Sh. S.R. Mehar- Director (MOF Nominee)
3.	Sh. Shankar Lal Agarwal- Non Official Director

The Committee met on two (02) occasions during the Financial Year 2021-22 as per details below:

08.06.2021	24.09.2021

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	2	2
2	Sh. S R Mehar MOF Nominee Director	01.04.2021 to 31.03.2022	2	2
3	Sh T R Mendiratta Shareholder Director	12.05.2021 to 28.12.2021	2	2

4.13. Nomination & Remuneration Committee

A single committee named 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 in place of separate 'Nomination Committee of Board' and 'Remuneration Committee of Board'.

'Nomination & Remuneration Committee' with minimum three members has been re-constituted vide Board Resolution No. 24521 Dated 18.09.2019 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

The committee could not be constituted due to lack of quorum. Subsequently, the powers of Nomination and Remuneration Committee were subsumed by the Board and the matters to be placed before the Nomination and Remuneration Committee were taken up by the Board.

No meetings were held during the year.

4.14. Review Committee for Non Co-operative Borrower

Review Committee for Non-Co-Operative Borrower was constituted in terms of RBI notification no RBI/2014-15/362 DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22 Dec 2014, for review of the orders of the Committee headed by ED for declaration of the party as Non-Co-Operative Borrower.

The composition of the Committee as on 31st March 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S Krishnan – MD&CEO (Chairperson)
2.	Sh. Shankar Lal Agarwal- Non Official Director
3.	Sh T R Mendiratta- Shareholder Director.

During the Financial Year 2021-22, the Review Committee for Non-Co-Operative Borrower met on one (01) occasion on 11.02.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. S Krishnan MD & CEO (Chairperson)	29.12.2021 to 31.03.2022	1	1
2	Sh. Shankar Lal Agarwal Non Official Director	29.12.2021 to 31.03.2022	1	1
3	Sh T R Mendiratta Shareholder Director.	29.12.2021 to 31.03.2022	1	1

4.15. Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs)

Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO, EDs and GMs) was constituted in terms of Ministry of Finance, DFS letter F.No.9/5/2009-HR dated 30.08.2019 for recording of Annual Performance Appraisal Report (APARs) of Managing Director & CEO, Executive Directors and General Managers (in-charge of internal control functions) of Nationalized Banks.

No meeting was held during the year.

4.16. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

No meeting was held during the year.

4.17. Credit Approval Committee of Board (CACB)

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Credit Approval Committee of the Board has been constituted to consider various credit proposals up to the two hundred fifty crore rupees.

The composition of the Committee as on 31st March 2022 is as under:

S. No	Name of the Director
1.	Sh. S. Krishnan – MD & CEO
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. V. K. Mehrotra – Chief Financial Officer
5.	Sh. Amit Srivastava – Chief Risk Officer
6.	Sh. Rajesh Pandey – General Manager (Credit)
7.	Sh. Pravin K Arora – Deputy General Manager (Treasury)

During the Financial Year 2021-22, the **Credit Approval Committee** of Board met on Twenty Four (24) occasions on following dates:

03.04.2021	23.04.2021	30.04.2021	12.05.2021	18.05.2021	19.05.2021
04.06.2021	11.06.2021	24.06.2021	29.06.2021	14.07.2021	15.07.2021
21.08.2021	24.09.2021	30.10.2021	13.12.2021	30.12.2021	31.12.2021
07.01.2022	03.02.2022	23.02.2022	09.03.2022	17.03.2022	30.03.2022

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Sh. S. Krishnan MD & CEO	01.04.2021 to 31.03.2022	24	24
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2021 to 31.03.2022	24	24
3.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	21.10.2021 to 31.03.2022	10	10
4.	Sh. V. K. Mehrotra Chief Financial Officer	01.04.2021 to 31.03.2022	24	21
5.	Sh. Pankaj Dwivedi General Manager	01.04.2021 to 28.02.2021	21	21
6.	Sh. Amit Srivastava Chief Risk Officer	01.04.2021 to 31.03.2022	24	21
7.	Sh. Rajesh Pandey General Manager (Credit)	18.09.2021 to 31.03.2022	11	11
8.	Sh. Pravin K Arora Deputy General Manager (Treasury)	01.03.2022 to 31.03.2022	3	3

4.18. Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of GMs, DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty Six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2021-22.

4.19. Other Disclosures:

i) The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.

ii) The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website https://punjabandsindbank.co.in/ under head of "Investors Information".

5. **Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors**

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc.

S. No	Name of Director	Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
1	Sh.S Krishnan	MD & CEO	Cost Accountant, CAIIB and over 31 years experience in Nationalised Banks	Banking and Finance
2	Sh. Kollegal V Raghavendra	Executive Director	Post Graduate in Commerce, Law Graduate, CAIIB and over 39 years experience in Nationalised Banks	Banking and Finance
3.	Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director	Post-graduate in Commerce, post which also accomplished professional qualifications ie. ICWA, CS, MBA and Doctorate (Ph. D) examinations, all with distinction. Over 37 years experience in Nationalized Banks	Banking and Finance
4.	Sh. S R Mehar	Government of India Nominee Director	Post Graduate and has vast administrative experience at various levels and in different capacities	Administration and Management
5.	Sh. Kamal Prasad Patnaik	Reserve Bank of India Nominee Director	Regional Director in Reserve Bank of India, Jammu. M.A. (Pol. Science), Certified Associate of Indian Institute of Bankers and holds GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) (GARP, USA). He has 16 years on-site and off-site experience in Banking Supervision in India and Abroad	Banking and Finance
6.	Sh Tirath Raj Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration. 30 years in LIC of India in the field of Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration	Banking and Finance
7.	Sh. Shankar Lal Agarwal	Non-Official Director	B.Com, L.L.B and a qualified Chartered Accountant. practicing as a senior partner of the firm since 1989	Banking and Finance
8.	Ms. Rshmi Khetrapal	Non-Official Director	Chartered Accountant with experience of more than two decades and has expertise in Accounting, Finance, Internal Audit,	Banking and Finance

Further, it is:

i. Confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the management, and

ii. Informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure.

6. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended).

The Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2021-22:

S. No	Name	Designation	Amount Paid in Rs Lacs
1	Shri S Krishnan	Managing Director & CEO	33.08
2	Shri Kollegal V Raghavendra	Executive Director	27.26
3	Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director	12.82
		TOTAL	**73.16**

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2021-22 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India):

S. No	Name of Director	Amount Paid in Rs Lacs
1	Dr. Charan Singh	0.75
2	Sh Tirath Raj Mendiratta	13.40
3	Sh. Shankar Lal Agarwal	4.25
4	Ms. Rshmi Khetrapal	0.40

7. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

S. No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2022
1	Dividend 2014-15	512907.60
2	Dividend 2015-16	1420508.10

8. DISCLOSURES:

a. There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

b. Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy.

c. No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.

d. Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.

e. Business Responsibility Report is available on the website of the bank https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy

f. Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy

g. The Funds raised by the Bank by way of Preferential allotment have been utilized for the general business purpose.

h. A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

i. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.

9. Disclosure of compliance with corporate Governance requirements

Reg No.	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	Our Bank is a Corresponding New Bank constituted under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. All Directors of the Bank, other than Shareholder Director, are appointed/ nominated by the Central Government in terms of Sec 9(3) of the Act. After the retirement of Dr. Charan Singh (Non-Executive Chairman), no director has been appointed to fill the vacancy. Accordingly, Bank is ot in a position to comply with the provisions of Regulation 17. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank. Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	After the retirement of Dr. Charan Singh (Non-Executive Chairman) on 22.05.2021, the Audit Committee of the Board could not be constituted due to lack of quorum and no meetings of the Audit Committee of the Board could be held thereafter. However, after the appointment of Ms.Rshmi Khetrapal, the committees have been econstituted w.e.f 01.04.2022.
19	Nomination and Remuneration Committee	After the retirement of Dr. Charan Singh (Non-Executive Chairman) on 22.05.2021, the Nomination and Remuneration Committee of the Board could not be constituted due to lack of quorum and no meetings of the Nomination and Remuneration Committee of the Board could be held thereafter. However, after the appointment of Ms.Rshmi Khetrapal, the committees have been reconstituted w.e.f 01.04.2022.
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with

25	Obligations with respect to independent directors	As per Regulation 17 above
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (f)	Website	Complied with

10. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1	**The Board –** A Non-executive Chairman may be entitled to maintain Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Dr Charan Singh, non-Executive Chairman retired on 22.05.2021 on completion of tenure. There is no Non-executive Chairman on the Board of the Bank as on 31.03.2022
2	**Shareholders Rights** – Half – Yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial Results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/ for information of the shareholders.
3	**Modified Opinion(s) in audit report** – Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Auditors have expressed an Unmodified opinion on the financial statements of the Bank.
4	**Reporting of internal auditor** – The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

11. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Delhi. The Bank also organizes analyst meets, meetings with investors / analysts etc on the Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to date / Annual Financial Results of the Bank, Press Release and the copy of the presentation made to the Analysts and other official announcements are posted on the Banks website https://punjabandsindbank.co.in/.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE CODE: PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

IDBI trustee

IDBI Trusteeship Services Ltd

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Registered Office
Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg
Ballard Estate, Mumbai – 400 001
Tel No. (022) 40807000
Fax No. 91-22-66311776 / 40807080
E-mail:itsl[at]idbitrustee.com

AXIS TRUSTEE

Axis Trustee Services Limited
Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400 025
Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050
Email: debenturetrustee[at]axistrustee.in

VISTRA ITCL

Vistra ITCL (India) Limited
The IL&FS Financial Center
Plot No. C–22, G Block, 7th Floor
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Tel: +91 22 2659 3535
Fax : +91 22 2653 3297
Email: mumbai[at]vistra.com

11.1. Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2022 the Bank has 6,77,77,86,447 Number of Equity Shares of which 6,77,77,01,318 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below

Nature of Holding	Number of Share	Percentage
Physical	85,129	0.0013
Dematerialized		
NSDL	8,29,62,141	1.2240
CDSL *	6,69,47,39,177	98.7747
Grand Total	**6,77,77,86,447**	**100.0000**

* includes 6,65,90,51,093 equity shares held by the Government of India

11.2. Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

11.3. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) are the two depositories holding the Banks shares in Demat Form.

Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.

The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances..

The Bank has appointed Link Intime India Pvt. Ltd as its Share Transfer Agent.

The Investors may contact the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

Noble Heights, 1st Floor,

Plot NH 2, C-1 Block LSC,

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi – 110058

Phone: (011) 41410592 to 0594

Fax: (011) 41410591

E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office: Accounts & Audit Department (Shares Cell),

21, Rajendra Place, 1st Floor,

New Delhi -110 008.

Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922

Fax : (011) 25781639

E-mail : **complianceofficer@psb.co.in**

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

12. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2022):

S. No	Particular	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	–	–
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

13. Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Additional Tier I Bonds
CARE	CARE AA- Negative (reaffirmed)	CARE A Negative (reaffirmed)
CRISIL	CRISIL AA Negative (reaffirmed)	-
ICRA	-	ICRA A- Negative (reaffirmed)
Brickwork	BWR AA Negative (reaffirmed)	-

14. Details of fees paid to statutory auditors

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	8,37,54,385
Statutory Central Auditors	1,49,79,322

15. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

16. Disclosures in relation to the Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints pending as on 01.04.2021	0
Number of complaints filed during the Financial Year under Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	4
Number of complaints disposed off during the year	2
Number of complaints pending as on 31.03.2022	2

17. Financial Calendar:

Financial Year 1st April, 2021 to 31st March, 2022	
Date, Time and Venue of Twelfth Annual General Meeting	12th AGM of the Bank will be held through VC at 11:00 a.m. on Tuesday, July 12, 2022 and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank.
Book Closure dates	Wednesday, July 06, 2022 to Tuesday, July 12, 2022
Cut-off date for dividend	05th July 2022
Dividend payment date	Within 30 days from the date of the 12th Annual General Meeting

18. Shareholding Pattern as on 31st March 2022

S. No	Category	No of Shareholders	Shares	% To Equity
1	Clearing Members	87	456562	0.01
2	Other Bodies Corporate	304	4970045	0.07
3	Financial Institutions	1	25000	0.00
4	Hindu Undivided Family	5391	3107555	0.05
5	Mutual Funds	3	1065618	0.02

S. No	Category	No of Shareholders	Shares	% To Equity
6	Nationalised Banks	2	18050	0.00
7	Non Nationalised Banks	1	7946	0.00
8	Non Resident Indians	527	1033764	0.02
9	Non Resident (Non Repatriable)	455	690810	0.01
10	Public	125905	64597758	0.95
11	Trusts	7	106450	0.00
12	President Of India*	1	6659051093	98.25
13	Insurance Companies	7	42208235	0.62
14	Body Corporate - Ltd Liability Partnership	11	130062	0.00
15	Unclaimed Shares	2	2402	0.00
16	Foreign Portfolio Investors (Corporate)	2	315097	0.00
	TOTAL	**132706**	**6777786447**	**100.00**

* includes 2725118483 equity shares of Rs.10 each allotted to Government of India on 31.03.2022.

19. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2022

Holding of Share	No of Shareholders	% of Shareholders	Total Share	% of Share
1 – 500	114772	86.49	10762152	0.16
501 – 1000	7239	5.45	5996494	0.09
1001 – 2000	3969	2.99	6094159	0.09
2001 – 3000	1908	1.44	4788906	0.07
3001 – 4000	740	0.56	2669083	0.04
4001 – 5000	1506	1.13	6808269	0.10
5001 – 10000	1783	1.34	12353873	0.18
10001 & Above	789	0.59	6728313511	99.27
TOTAL	**132706**	**100**	**6777786447**	**100.00**

20. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2021 to 31.03.2022)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)					Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)				
	High	Low	Volume (Traded Nos)	Nifty Close	Close	High	Low	Volume (Traded Nos)	Sensex Close	Close
APR 2021	19.70	16.50	20051340	14631.10	18.20	19.65	16.15	2548379	48782.36	18.25
MAY 2021	22.50	17.70	35784880	15582.80	20.15	22.35	17.85	4170364	51937.44	20.15
JUN 2021	22.70	18.40	50729307	15721.50	21.85	22.65	18.05	5830139	52482.71	21.85
JUL 2021	22.05	17.95	17470450	15763.05	19.95	22.15	17.95	1595128	52586.84	19.95
AUG 2021	20.20	15.35	10147813	17132.20	16.90	20.45	15.40	1093238	57552.39	16.95

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)					Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)				
	High	Low	Volume (Traded Nos)	Nifty Close	Close	High	Low	Volume (Traded Nos)	Sensex Close	Close
SEP 2021	19.00	16.45	12893335	17618.15	17.55	18.95	16.30	1643759	59126.36	17.50
OCT 2021	19.95	17.25	21269515	17671.65	17.80	19.80	17.20	2010534	59306.93	17.80
NOV 2021	19.15	15.05	13030074	16983.20	16.50	19.15	15.30	1266465	57064.87	16.45
DEC 2021	17.80	15.60	9010299	17354.05	16.10	17.60	15.50	1157374	58253.82	16.10
JAN 2022	17.70	15.70	10228454	17339.85	17.35	17.70	15.35	1620986	58014.17	17.25
FEB 2022	18.10	14.60	17476556	16793.90	15.35	18.05	14.65	1670380	56247.28	15.35
MAR 2022	17.55	14.50	6489643	17464.75	15.45	17.10	14.95	1143582	58568.51	15.45

21. The graphical depiction of performance of Banks share vis-à-vis Bank Nifty is given below

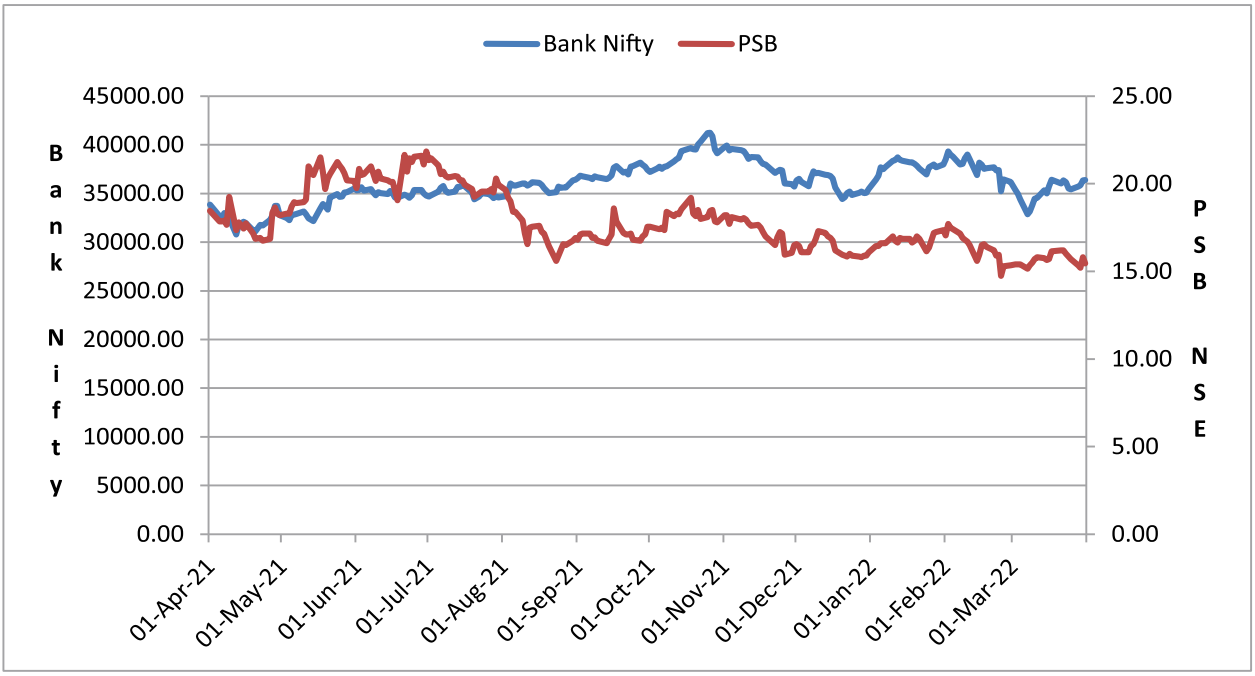

22. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2022

Sr No.	State	No of Shareholders	Share helds	Percentage*
1	Andaman and Nicobar Islands	11	393	0.00
2	Andhra Pradesh	6005	3246591	0.05
3	Arunachal Pradesh	135	43105	0.00
4	Assam	835	262129	0.00
5	Bihar	2377	1448294	0.01
6	Chandigarh	862	1021716	0.02
7	Chhattisgarh	831	555186	0.01
8	Dadar Nagar Haveli	20	6469	0.00
9	Daman and Diu	10	852	0.00

Sr No.	State	No of Shareholders	Share helds	Percentage*
10	Delhi	12331	6667322639	98.37
11	Goa	212	102952	0.00
12	Gujarat	20505	8857556	0.13
13	Haryana	5142	3375477	0.05
14	Himachal Pradesh	523	434009	0.01
15	Jammu and Kashmir	388	266730	0.00
16	Jharkhand	1446	952648	0.01
17	Karnataka	5642	2605453	0.04
18	Kerala	1633	1043303	0.02
19	Madhya Pradesh	4221	2120032	0.03
20	Maharashtra	23628	57548560	0.85
21	Manipur	60	95220	0.00
22	Meghalaya	24	8640	0.00
23	Mizoram	7	10693	0.00
24	Nagaland	33	18923	0.00
25	Orissa	1247	685002	0.01
26	OTHERS	1281	1676155	0.02
27	Pondicherry	73	46231	0.00
28	Punjab	6448	5299203	0.08
29	Rajasthan	11723	4496316	0.07
30	Sikkim	8	1912	0.00
31	Tamil Nadu	6169	2476941	0.04
32	Tripura	59	57568	0.00
33	Uttar Pradesh	9599	5934054	0.09
34	Uttarakhand	932	588208	0.01
35	West Bengal	8286	5177287	0.08
	Total	**132706**	**6777786447**	

* 0.00% refers to values less than 0.01%

23. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or are disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority have been obtained and is provided below:

cs Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary

62/12 ,2nd Floor, Old Rajendra Nagar,
New Delhi- 110060
Mobile:; 98-100-82385, 99-100-82385
e-mail: koley.s@gmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)

(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

For The Financial Year Ended 31st March 2022

The Members of
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi- 110 008

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having registered office at 21, Rajendra Place, New Delhi- 110 008 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Suchitta Koley
Company Secretary
FCS 1647; CP No.: 714
UDIN: F001647D000328886

Place: New Delhi
Date: 16th May 2022

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2022 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For M/S Ghiya & Co Chartered Accountants FRN: 001088C CA Ashish Ghiya Partner M.No. 427062 UDIN: 22427062AJFWPA6880 Place: New Delhi	For M/s Shiv & Associates Chartered Accountants FRN: 009989N CA Manish Gupta Partner M. No. 095518 UDIN: 22095518AJFZEZ4548 Place: New Delhi
For M/S Chaturvedi & Co. Chartered Accountants FRN: 302137E CA R.K. Nanda Partner M.No. 510574 UDIN: 22510574AJFVWH2712 Place: New Delhi	For M/s Manohar Chowdhry & Associates Chartered Accountants FRN: 001997S CA Sandeep Mogalapalli Partner M. No. 221848 UDIN: 22221848AJGAYR6193 Place: New Delhi

Dated: May 19, 2022

Place: New Delhi

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2021-22 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2021 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/.

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi
(S Krishnan)

Dated: 19.05.2022
Managing Director & Chief Executive Officer

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2021-22

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:

   1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.

   1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

	For Punjab & Sind Bank	For Punjab & Sind Bank
Place: New Delhi	(Vinay Kumar Mehrotra)	(S Krishnan)
Dated: 19.05.2022	Chief Financial Officer	Managing Director & Chief Executive Officer

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	N.A.
2.	Name of the Company	PUNJAB & SIND BANK
3.	Registered Address	Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
4.	Website	https://punjabandsindbank.co.in/
5.	E-mail ID	complianceofficer@psb.co.in
6.	Financial Year reported	2021-22
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Finance
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1.Deposits 2.Loans & Advances 3.Remittances & Collections
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company a) Number of International Locations (Provide details of major 5) b) Number of National Locations	a) NIL b) 1 Field General Manager Office, 24 Zonal Offices and 1530 Branches.
10.	Markets served by the Company-Local/State/National/ International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	Paid up Capital (INR)	Rs. 6,777.79 crore
2.	Total Business (INR)	Rs.1,72,524.10 crore
3.	Total profit after Taxes (INR)	Rs.1,039.05 crore
4.	Total spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	0.06%
5.	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	Please refer table below

Sl No	Activities	Amount
1	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund to SLBC, HP for purchase of Oximeter for COVID-19 patients and face mask for Medical/ para medical staff by Chandigarh Zone	Rs. 50,000/-
2	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund for Atal Incubation Centres - Rambhau Mhalgi Prabodhini (AICRMP) to nurture, handhold and support New Age Entrepreneurs for New India.	Rs. 25,00,000/-
3	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund for donation of 2 wheel chairs by B/O Sangrur, Patiala Zone under FGM Chandigarh	Rs. 10,000/-
4	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund to Delhi 1 Zone as payment contribution to Lead Bank North East District, Delhi for Vaccination camp	Rs. 10,343/-
5	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund to FGM Chandigarh for the event – "75 yrs. of Azadi ka Amrit Mahotsav" organized by Municipal Corporation, Chandigarh	Rs. 3,04,230/-

6	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund to Kendriya Vidyalaya R.K Puram, New Delhi for contribution of 65 inch LCD infrared optical panels and accessories.	Rs. 2,10,170/-
7	Allocation of CSR fund to Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee for maintenance of schools managed by SGPC, FGM Chandigarh	Rs. 10,00,000/-
8	Allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) fund to Chandigarh Smart City Ltd for setting up 4 Water ATM's at public places in Chandigarh by FGM Chandigarh	Rs. 20,00,000/-
	Total	**Rs. 60,84,743/-**

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	**No**
2.	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	**N.A.**
3.	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%)	**N.A.**

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/ policies

No.	Particulars	Details
1.	DIN Number	N.A.
2.	Name	Shri Kollegal V Raghavendra
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR Head

No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	N.A.
2.	Name	Mr Vinay Kumar Mehrotra
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	011-25782928
5.	E-Mail ID	gmaccounts@psb.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

3.	Does the Policy conform to any national/international standards? If yes, specify (50 words)#	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the Company have a specified committee of the Board/Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	https://punjabandsindbank.co.in/								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

#All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by RBI, Ministry of Finance, Constitution of India, legal Acts etc. Hence they conform to national standards.

*** The policies of the Bank are internal documents and are not accessible to the public.**

b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is "NO", please explain why: Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	Not Applicable								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next one year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. Governance related to BR

(a)	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	BR Performance of the Bank is assessed annually
(b)	Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	The Bank publishes the BR Report annually and the hyperlink for viewing it is https://punjabandsindbank.co.in/

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

No.	Question	Reply
1.	Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/No.	Yes, it covers the Bank only. Bank follows guidelines issued by Govt., CVC from time to time. It was in the year 1908, when a humble idea to uplift the poorest of poor of the land culminated in the birth of Punjab & Sind Bank with the far sighted vision of luminaries like Bhai Vir Singh, Sir Sunder Singh Majitha and Sardar Tarlochan Singh. The bank was founded on the principle of social commitment to help the weaker section of the society in their economic endeavors to raise their standard of life. Though decades have gone by but even today Punjab & Sind Bank stands committed to honor the social commitments of the founding fathers. Bank has arrangements regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds as under: 1) Annual Property Returns (APR) are filed by the Officers and 100% scrutiny is carried out. 2) Agreed List and List of Officers of Doubtful integrity is prepared by HO Vigilance Department. 3) It is ensured by HRD Department that the Officers appearing in any of the aforesaid lists are not posted in sensitive assignments. This is monitored by Vigilance Department.
	Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	Not applicable
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	During FY 2021-22, 24069 stakeholder complaints were received, out of which 99.16% of the complaints were closed with the satisfaction of the complainant.

Principle 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

No.	Question	Reply
1.	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities	Bank has implemented Financial Inclusion to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under: **1.** Bank has been allotted total 3192 villages. All 961 Sub Service Areas (SSAs) were formed to cover all 3192 villages. All SSAs are being covered by the Bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. **2.** 357 BCs has been engaged by Bank as on date through Zonal Offices/Branches & Bank has provided them micro-atm and implemented Financial Inclusion Gateway through M/s TCS. E-KYC has been implemented at BC points, which has helped the customers in opening of Aadhaar based accounts & performing various Aadhaar based transactions (i.e. Deposit/Withdrawal/fund transfer) easily with the help of bio metric Authentication. **3.** Bank has set up 151 Aadhaar Enrolment Centers (AECs) (i.e. in 10% of its Branches). These 151 AECs provide Aadhaar Generation/Updation services to general public.
2.	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	**Not Applicable**
3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also provide details thereof, in about 50 words or so.	**Not Applicable**
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability off local and small vendors?	**Not Applicable**
5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	**Not Applicable**

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

No.	Question	Reply
1.	Please indicate the total number of employees	8725 (Clerical & above 8484)
2.	Please indicate the total number of employees hired on temporary/ contractual/casual basis	1
3.	Please indicate the number of permanent women employees	2621 (clerical & above 2584)
4.	Please indicate the number of permanent employees with disabilities	249 (clerical and above 244)
5.	Do you have an employee association that is recognized by Management	Yes • All India PSB Staff Organisation • All India PSB Officer Federation
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	• All India PSB Staff Organisation – 78.48% • All India PSB Officer Federation – 66.80%
7.	Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending as on the end of the financial year.	
8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up- gradation training in the last year? a) Permanent Employees b) Permanent Women Employees c) Casual/Temporary/Contractual Employees d) Employees with Disabilities	 59.31% (5032/8484) 61.49% (1589/2584) Nil 59.01% (144/244)

No.	Category	No. of complaints filed against during the financial year	No. of of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/forced labour/ involuntary labour	Nil	NA
2.	Sexual harassment	4	2
3.	Discriminatory employment	Nil	NA

Principle 4

Business should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

No.	Question	Reply
1.	Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	Yes, Bank has mapped its internal and external stakeholder. Bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
2.	Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?	Yes, the Bank adheres to the RBI guidelines on Priority Sector Lending, lending to small and marginal farmers, lending to weaker section, SHG etc., and government- led initiatives to improve access to financial services and insurance cover for reaching out to disadvantaged, marginalized and vulnerable stakeholders.

3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	**Internal Stakeholders:** **I. SC/ST Employees:** The Bank practices policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category employees such as: a) Pre- promotion training to SC/ST/OBC employees is being imparted in promotion process as per Government Guidelines. b) The Reservations/ relaxations have been given to SC/ST employees in promotion process as per Government guidelines. c) The Bank has Chief Liaison Officer of the rank of General Manager at Head Office for effectively addressing issues / grievances of SC/ST employees. **ii. Persons with disabilities:** The Bank as an employer provides equal opportunities to all its employees. The wages/ salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees. At the time of assignment of duties to employees with disabilities, proper care is taken to ensure that they are able to discharge their duties comfortably, despite their disability. Certain benefits/ considerations are especially extended to persons with disabilities such as convenient place of posting, exemption from rural/ semi-urban posting, payment of conveyance allowance etc. Equal Opportunity policy for Divyangjan: In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 and rules 2017, the Bank strives to ensure that the work environment is free from any discrimination against Divyangjan. Further, the Bank takes all actions to ensure that a conducive environment is provided to divyangjan to enable them to perform their role and excel in the same. The systems and processes to ensure that • The divyangjan employees enjoy the right to equality, live with dignity and respect for his or her integrity equally with others. • To utilize the capacity of the Divyangjan employees by providing appropriate environment. • No divyangjan employees shall be discriminated on the grounds of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim. • No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability (Divyangjan). • The Bank shall take necessary steps to ensure practical and wholesome workplace environment for divyangjan.

		External Stakeholders: Bank has taken various initiatives to increase its lending to the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders as under:- • Bank has waived the processing fee on crop loans under KCC scheme upto Rs.3.00 Lakh at the time of Sanction/Renewal and also rationalized the Annual renewal charges of KCC. • Bank has three RSETIs at Ludhiana, Moga and Faridkot which conducts training programmes for unemployed youth for self-employment. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. • With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at Block level. Presently, bank has 24 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. • To popularize financial inclusion activities, Bank has launched FLC/RSETI Web Portal at Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/.

Principle 5

Business should respect and promote human rights

No.	Question	Reply
1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	The Bank's various policies protecting the Human Rights, directly or indirectly cover only the operations of the Bank. **Prevention of sexual Harassment:** The Bank prohibits sexual harassment at the work place and initiatives have been taken to ensure prompt and expeditious redressal of the grievances of women employees. In compliance of the Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 Bank has constituted Internal Complaints Committee at every Zone. The details of the members of the Internal Complaints Committee at Head Office level are also uploaded on the Bank's intranet site. A special women cell has been created at Head Office to exclusively look after the problems of the women employees, with a view to encourage them to participate more in the mainstream and motivate them towards taking up higher responsibilities.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No stakeholder complaints were received during the year 2021-22 with respect to human rights violation.

Principle 6

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

No.	Question	Reply
1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs/others	The policy covers only the Bank.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming etc.? Y/N, if yes, please give hyperlink for webpage etc.	Yes. Various green initiatives taken by Bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internet banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking. Bank actively participates in digital banking and DBT. Further, the following additional steps have also been taken in this regard: • In terms of Bank's Lending Policy guidelines, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone depleting substances • Bank stipulates and ensures that the borrower client obtains NOC from Central/State Pollution Control Board, in case of manufacturing units emitting toxic pollutants • Bank gives preference to environment friendly projects like Solar Power, Wind Power and Hydro Power Projects. • Bank undertakes drives such as tree plantation on special occasions. • Bank carries out society cleanliness drives under Swachh Bharat Abhiyan. • Payment to borrowers/disbursement of loans is being made by RTGS/NEFT, so as to save paper consumption. In addition, staff related payments, such as salary, benefits, claims, etc. are made online, thereby reducing paper consumption. • Bank actively enters into various renewable consumptions by adopting best automation and power consumption.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Yes/No	Yes. Environmental risk is duly considered in TEV study/ project appraisal, and the same is duly considered at the time of sanction. Also due diligence is done for all loans.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?	Yes, various green initiatives undertaken by the bank include promoting the use of e-mails, core banking solutions, internet banking, mobile banking, ATM etc. to promote paperless banking. Bank actively participates in digital banking and DBT.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on clean technology, energy efficiency, renewable energy etc? Yes/No. If yes, please give hyperlink for web page etc.	The Bank has no such direct project, but the Bank has financed many renewable energy projects including Solar Power, Wind Power and Hydro Power Projects.
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	The Bank is in the service industry and as such does not emit any toxic/ hazardous pollutants. While financing project loans, NOC from Pollution control Boards and Ministry of Environment and Climate change is one of our prominent conditions of credit sanctions.
7.	Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If yes, name only those major ones that your business deals with.	Yes 1. Indian Banks Association (IBA) 2. Indian Institute of Banking & Finance(IIBF) 3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4. National Institute of Bank Management (NIBM) 5. National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM) 6. Banks Board Bureau (BBB)
2.	Have you advocated/ lobbied through above associations or the advancement or improvement of public good? Yes/No. If yes, specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	Bank being member of these associations works directly with policymakers and policy-making associations, especially in evolving the policies that govern the functioning and regulation of banking industry and sustainable development of the banking industry.

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development

No.	Question	Reply
1.	Does the company have specified programmes/ initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If Yes, details thereof.	The Bank has taken various initiatives/ projects to support inclusive growth and equitable development as under: 1. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) - Bank has three RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana districts in Punjab state, established under the aegis of Bank's Trust i.e. **PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment** (PSB Trust for DARE), which conducts training programmes for unemployed youth for self-employment. RSETIs at Moga, Faridkot and Ludhiana districts are working in their own premises. PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment bears all the training expenses of RSETIs. 2. Financial Literacy Centres (FLCs)- With a view to spread financial literacy among people, Financial Literacy Centres (FLCs) have been opened at District level. Presently, bank has 24 FLCs. RBI and SLBC monitor their performance on quarterly basis. The broad objective of the FLCs is to provide free financial literacy/education to people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from the formal financial sector. FLCs also help borrowers in distress

		by formulating their debt restructuring plans and recommend the same to formal financial institutions. FLCs, however, do not act as investment advice centres /marketing centres for products of any particular bank/banks. Counselors refrain from marketing / providing advice regarding investment in insurance policies, investment in securities, value of securities, purchase/ sale of securities, etc., or promoting investments only in bank's own products. Bank has engaged 357 Bank Mitrs in rural areas to provide basic banking services to all (Bank's customer as well as general public) through ICT based technology where brick & mortar branch is not present. These Bank Mitrs are also enabled to source advances (i.e. KCC/GCC) & accept term deposits (FD/RD) from the local customers.
2.	Are the programmes / projects undertaken through in house team/own foundation/ external NGO/government structures/ any other organization?	PSB Trust for Development of Agricultural & rural employment (PSB Trust for DARE) undertake a number of welfare activities for farmer in rural areas. Special camps are being organized to train farmers about latest technology in Dairy Farming, Women Entrepreneurship in rural areas like Dress designing & embroidery work, tie & dye training programme, Beauty Parlour, Jam & pickle making etc. The entire expenses of such training programme are borne by PSB TDARE. Bank has adopted in-house model for engaging Bank Mitrs. The Bank Mitrs are selected & trained by Bank's field functionaries only.
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	During the financial year 2021-22, our RSETIs have conducted 53 training programs wherein 1728 candidates have been trained. Out of 1728 candidates, 1326 candidates belong to SC/ ST category, 908 belong to BPL & 1508 candidates are women beneficiary. Out of 1728 RSETI trained candidates, 1050 candidates have settled during current financial year. 558 candidates have been settled through credit linkage during the year from different Banks. Bank in coordination with 24 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, OD, Digital Banking etc. are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 515 camps were organized in FY 2021-22 wherein 8874 people actively participated. Engaging of Bank Mitrs has provided new Business opportunities for Bank more particularly in the far flung areas which were not covered earlier. Bank Mitrs have been able to provide various key banking services social security schemes such as micro insurance and APY.

4.	What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	Bank contributes out of its CSR fund to PSB TDARE for carrying welfare activities in rural areas. So far Bank has contributed Rs.1.15 Crore for construction of RSETIs building and Rs. 41.81 Lakh for providing various infrastructure facilities in RSETIs for training of rural unemployed youth.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Bank has taken a number of steps for settlement of RSETI trained candidates either through self employment or through credit linkage. Bank's initiatives to impart training & skill upgradation have been popular among rural people.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

No.	Question	Reply
1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year	0.83% i.e. 202 complaints are pending for closure at the end of FY 2021-22.
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA. Remarks (additional information)	The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available on the Bank's Website.
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, if about 50 words or so.	**Nil**
4.	Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?	Yes, Bank is carrying out a survey on customer satisfaction to know the trends.

BASEL- III DISCLOSURES – QUARTER ENDED 31st MARCH 2022

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (A) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group.
(B) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Qualitative Disclosures ((C) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(D) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(E) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted	Not Applicable
(F) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under

Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of Basel III.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank has implemented the Standardized Approach of credit risk, yet the bank shall continue its journey towards adopting Internal Rating Based Approaches.

The Bank has issued Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes / Debentures at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding bonds are listed at the National Stock Exchange Ltd., Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The Bonds have a tenor ranging from 118 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20 % per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. in Lacs
- Portfolios subject to standardized approach @ 9%	378299.84
- Securitization exposures	Nil

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	**Amt. in Lacs**
- Interest rate risk	17416.03
- Foreign exchange risk (including gold)	225.00
- Equity risk	1985.60

Capital requirements for operational risk

	Amt. in Lacs
Basic indicator approach	30185.00

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	18.54%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	12.77%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	14.80%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

a) Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).

c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.

d) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.

e) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.

g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-tomarket value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Out of Order means: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Here, `Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

In addition to above, an account may also be classified as NPA in terms of the following:

Account with temporary deficiencies/irregularities (Refer RBI MC point 4.2.4)

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

The classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. Bank should not classify an advance account as NPA merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements and non-renewal of the limits on the due date, etc. In the matter of classification of accounts with such deficiencies banks may follow the following guidelines:

I) Banks should ensure that drawings in the working capital accounts are covered by the adequacy of current assets, since current assets are first appropriated in times of distress. Drawing power is required to be arrived at based on the stock statement which is current. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than three months. The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than three months, would be deemed as irregular.

A working capital borrowal account will become NPA if such irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of 90 days even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory.

Ii) Regular and ad hoc credit limits need to be reviewed/ regularised not later than three months from the due date/date of ad hoc sanction. In case of constraints such as non-availability of financial statements and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewal/ review of credit limits is already on and would be completed soon. In any case, delay beyond six months is not considered desirable as a general discipline. Hence, an account where the regular/ ad hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction will be treated as NPA.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

The main objective of Credit Risk Management Department is to effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimizing risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Non-Executive Chairman devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by theGeneral Manager/Deputy General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Market Risk Management Cell, ALM cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager/ Deputy General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Large Exposure Framework limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration.
- The Bank accepts a range of collaterals and techniques to mitigate the credit risks to which they are exposed to, provided the collaterals are legally enforceable and the Bank has a priority claim on the sale proceeds of the collaterised assets in the case of obligor's default or occurrence of adverse credit events.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Sr. No.	Category	Amt. in Lacs
1	Fund Based Credit	7038708.60
2	Non Fund Based Credit	366236.58

Geographic Distribution of Advances

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Sr. No.	Category	Amt. in Lacs
1	**Overseas**	
	- Fund Based Credit	Nil
	- Non Fund Based Credit	Nil
2	**Domestic**	
	- Fund Based Credit	7038708.60
	- Non Fund Based Credit	366236.58

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF ADVANCES

INDUSTRY	Funded O/S	Non funded
A. MINING & QUARRYING	2121.62	18876.29
B. FOOD PROCESSING	77073.02	3092.93
C. BEVERAGES & TOBACCO	13887.63	459.44
D. TEXTILES	154828.49	1927.94
E. LEATHER & LEATHER PRODUCTS	12866.51	24.13
F. WOOD & WOOD PRODUCTS	10481.84	1795.34
G. PAPER & PAPER PRODUCTS	13746.32	181.03
H. PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	4376.02	466.91
I. CHEMICALS & CHEMICAL PRODUCTS	38133.66	239.24
J. RUBBER,PLASTIC & ITS PRODUCTS	17680.23	735.14
K. GLASS & GLASSWARE	2441.48	81.14
L. CEMENT AND CEMENT PRODUCTS	4667.97	6015.94
M. BASIC METAL & METAL PRODUCTS	83126.73	8993.51
N. ALL ENGINEERING	49175.32	10133.77
O. VEHCLES/VEHICLE PARTS	23911.07	8694.51
P. GEMS & JEWELLARY	3154.72	0.00
Q. CONSTRUCTIONS	47037.88	23597.42
R. INFRASTRUCTURE	1594863.98	165470.21
S. OTHER INDUSTRIES	14663.58	1408.20
T. Residuary	2603355.37	114043.50
Grand Total	**4771593.44**	**366236.59**

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

(Rupees in Lacs)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	43927.00	152093.00	0.00	0.00	1833.00	21740.00
2 – 7 days	142193.00	54868.00	8355.00	0.00	44.00	3237.00
8 – 14 days	123323.00	48579.00	9643.00	0.00	183.00	5209.00
15 - 30 days	132207.00	150806.00	5000.00	0.00	388.00	9809.00
31 days to 2 months	669990.00	67750.00	51869.00	100136.00	1184.00	15199.00
Over 2 months & up to 3 months	664130.00	131583.00	35009.00	1150.00	710.00	9815.00
Over 3 months & up to 6 months	1351591.00	266378.00	50349.00	2520.00	3222.00	7802.00
Over 6 months & up to 1 year	2311605.00	312180.00	159203.00	4490.00	5007.00	195.00
Over 1 year & up to 3 years	2212964.00	972101.00	415010.00	12337.00	7265.00	1675.00
Over 3 years & up to 5 years	1342251.00	1030989.00	492270.00	50000.00	1796.00	10133.00
Over 5 years	1219520.00	3175328.00	3001379.00	73730.00	0.00	0.00
Total	**10213701.00**	**6362655.00**	**4228087.00**	**244363.00**	**21632.00**	**84814.00**

Liquidity Coverage Ratio for Quarter Ending **31.03.2022**

Disclosure Format

Rs. In Lakhs

		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021		31.03.2022	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		2227975		2669946		2830555		2859230
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	6069460	602322	6188556	614123	6375678	632675	6502449	646525
(i)	Stable Deposits	92470	4623	94646	4732	97853	4893	74400	3720
(ii)	Less stable deposits	5976990	597699	6093910	609391	6277825	627782	6428049	642805
3	Unsecured wholesale funding of which	1026732	477967	970698	464679	872635	411248	976676	453515
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	1026732	477967	970698	464679	872635	411248	976676	453515
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	Additional requirements, of which	306667	65759	334807	82428	421773	104933	365348	98673
(i)	Outflows related to derivative exposures	50976	50976	68216	68216	86818	86818	84244	84244
(ii)	Outflows related to loss of funding on	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	255691	14783	266591	14212	334955	18115	281104	14429
6	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	940300	39790	924183	39098	929583	39269	1099204	47881
8	Total Cash Outflows		1185838		1200328		1188125		1246594
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	136363	0	287153	0	321304	0	307776	0
10	Inflows from fully performing exposures	156603	81440	132817	81305	111789	81745	102739	66236
11	Other Cash Inflows	70654	70654	53207	53207	61353	61353	56677	56677
12	Total Cash Inflows	363620	152094	473177	134512	494446	143098	467192	122913
13	TOTAL HQLA		2227975		2669946		2830555		2859230
14	Total Net Cash Outflows		1033744		1065816		1045027		1123681
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		215.52%		250.51%		270.86%		254.45%
		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 30.06.2021 is 215.52% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-04-2021 to 30-06-2021) against the regulatory requirement of 100%		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 30.09.2021 is 250.51% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-07-2021 to 30-09-2021) against the regulatory requirement of 100%		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 31.12.2021 is 270.86% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-10-2021 to 31-12-2021) against the regulatory requirement of 100%		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 31.03.2022 is 254.45% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-01-2022 to 31-03-2022) against the regulatory requirement of 100%	

Net Stable Funding Ratio for Quarter Ending **31.03.2022**

NSFR Disclosure

Amount in Rs. Lakhs

Sr. No.	Category	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	1yr	Weighted value
1	**Capital: (2+3)**	1468663	0	0	123730	1592393
2	Regulatory capital	1468663	0	0	123730	1592393
3	Other capital instruments	.	.	.	.	.
4	**Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)**	3287777	1590694	1505420	789781	6537886
5	Stable deposits	2387	27483	22201	15423	64890
6	Less stable deposits	3285390	1563211	1483219	774358	6472996
7	**Wholesale funding: (8+9)**	165065	1960477	681683	241610	1484049
8	Operational deposits	0	0	0	0	.
9	Other wholesale funding	165065	1960477	681683	241610	1484049
10	**Other liabilities: (11+12)**	0	0	64657	11828	11828
11	NSFR derivative liabilities	0	0	64657	0	0
12	All other liabilities and equity not included in the above categories				11828	11828
13	**Total ASF (1+4+7+10)**	4921505	3551170	2251760	1166948	9626156
RSF Item						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					140042
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0	0	0	0	0
16	**Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)**	0	1024308	1636015	4162135	4725906
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	0	0	0	0
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	0	131455	0	65727
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to overeigns, central banks and PSEs, of which:	0	1017440	1495233	2316993	3167068
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk				293565	190817
21	**Performing residential mortgages, of which:**		6867	9327	456729	312960
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk				416783	270909
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities				1388412	1180150
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0	270219	137353	3024939	3220879
25	Physical traded commodities, including gold	0				
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs				52303	44458
27	NSFR derivative assets				0	
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted				0	
29	All other assets not included in the above categories		270219	137353	2972635	3176421
30	Off-balance sheet items				1823422	83770
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	0	1294527	1773367	9010495	8170597
32	Net Stable Funding Ratio (%)				.	117.81

Amount of NPAs (Gross) in Lacs:

Sr. No.	Category	Amt. in Lacs
1	Substandard	83313.01
2	Doubtful 1	188308.19
3	Doubtful 2	153605.11
4	Doubtful 3	214969.90
5	Loss	216286.25
	Total	856482.46

Net NPAs

	Amt. in Lacs
Net NPAs)	**174227.00**

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	12.17%
2	Net NPAs to Net advances	2.74%

Movement of NPAs (Gross))31.03.2022 (AUDITED)

	Amt. in Lacs
Opening Balance(Mar'21)	933399.90
Additions	206462.86
Reductions	283380.30
Closing Balance	**856482.46**

Movement of Provisions for NPAs)

		Amt. in Lacs
Sr.No	Provision	**Provisions for NPAs**
	Opening Balance(Mar'21)	**681670.04**
Add	Provisions made during the period (A)	**196475.08**
Less:	Upgraded Accounts	7463.33
	Write-off/ Write-back of excess provisions	104943.08
	Reversal in closed (NPA) accounts	34468.19
	Others	55647.91
	Sub- Total (B)	**202522.51**
	Closing Balance	**675622.61**

Details of write offs & recoveries that have been booked directly to the Income statement

	Amt. in Lacs
Interest Income Recovered- Technically Written Off Cases	7641.08
Miscellaneous Income-Recovery In Technical Write Off A/Cs	26146.74

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. in Lacs
Amount of Non-Performing Investments	43810.95

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. in Lacs
Provisions held for non-performing investments	43341.95

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. in Lacs
Opening Balance as on 01.01.2022	4709.11
Provisions made during the period	498.99
Write-off	0.00
Write-back of excess provisions	12.07
Closing Balance	5196.03

Major Industry Breakup of NPA

Industry	Gross NPA	Provision for NPA
ENERGY	65475.07	61853.41
TRANSPORT	80713.05	57359.22
WATER SANITATION	379.88	336.72
SOCIAL & COMM. INFRASTRUCTURE	34912.19	31215.26
TEXTILES	19066.22	13235.47

Geography wise Distribution of NPA & Provision

			Amt. in Lacs
Industry	**Gross NPA**	**Provision for NPA**	**Provision for Standard Advances**
Domestic	856482.46	675622.62	71461.62
Overseas	0	0	0

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, ACUITE, BRICKWORK,CARE and Infomerics for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel III as defined by RBI.
2. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
3. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
4. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
5. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
6. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
7. The Short-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for short-term exposures.

A mechanism for mapping of internal ratings of short term loans (up to 1 year) with Short Term ratings of External Credit Rating Agencies, on similar lines as risk weight mapping given by RBI, is already in vogue in our bank.

8. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
9. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks paripassuor senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

Ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks paripassuor junior to the rated exposure in all respects.

EXPOSURE AMOUNTS AFTER RISK MITIGATION SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

	Amt. in Lacs
Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	4137675.00
100 % risk weight	707560.00
More than 100 % risk weight	317681.00
Deducted	0.00
TOTAL	5162917.00

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under Basel III are as follows:

   - Collateralised transactions
   - On-balance-sheet-netting
   - Guarantees

2. **Eligible financial collateral:**

   All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

   i. Cash and Certain Deposits.
   ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
   iii. Securities issued by Central and State Governments
   iv. KisanVikasPatra and National Savings Certificates
   v. Life insurance policies
   vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
   vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
   viii. Units of mutual funds subject to conditions
   ix. Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. **Guarantees** Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

iii. When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGTMSEcoverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – Rs.253501.45lacs .

Table DF 6 -SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

1. For Raising Resources

1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.

1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.

1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.

1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.

1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.

1.6 To maximize the returns by churning assets fast.

1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

Exposure (balance outstanding) under Assignment of Standard Pool Assets – **Rs.40454.93 lacs**

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	**Amt. in Lacs**
Interest rate risk;	33770.93
Equity position risk;	7043.26
Foreign exchange risk;	225.00

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management" and "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is collecting "Loss Data" from Zonal Offices/Head Offices and the same is being placed before ORMC for review on quarterly Basis. The Bank has loss data management framework to comply with overall operational risk management of the Bank

Bank is conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) workshop to assess the risk emanating from a particular product or activity as per RCSA framework approved by the Board. The result of RCSA workshop is being placed before ORMC for review. Further Bank is monitoring identified Key Risk Indicators (KRI) on quarterly basis to identify the early warning signals and hence trying to proactively manage/ mitigate the underlying issues and potential losses which is one of the objectives of KRI framework.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the MD and CEO. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Department of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 7. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

a) Earning at Risk

	Amt. in Lacs
At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	6850

B) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) -10.55%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are to be evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions at present.

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure.

Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

Quantitative Disclosures

Bank does not recognize bilateral netting. For reporting purpose total exposure is considered.

		Amt. in Lacs
Particulars	**Notional Amount**	**Current Exposure**
Foreign Exchange Contracts	606822.55	2284.29

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

Table DF 11 – Composition of Capital

Amt. in Lacs

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		**Ref No.**
S.No	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	990976.50	
2	Retained earnings	0	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	316502.46	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	N.A.	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	N.A.	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**1307478.96**	

7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	
9	Intangibles (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets (associated with accumulated losses (net of elegible DTL) to be deducted in full from CET1)	6916.71	
11	Cash-flow hedge reserve	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	Securitisation gain on sale	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	18947.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1000.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	N.A.	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	N.A.	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	N.A.	
22	Amount exceeding the 15% threshold	N.A.	
23	of which: significant investments in the common stock of financials	N.A.	
24	of which: mortgage servicing rights	N.A.	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	N.A.	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c)	N.A.	
26 (a)	Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries 8	N.A.	
26 (b)	Investments in the equity capital of unconsolidated non financial subsidiaries8	N.A.	
26 (c)	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	N.A.	
26 (d)	Unamortised pension funds expenditures	N.A.	

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	N.A.	
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	739380.96	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	11,98,759.00	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group At1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	0.00	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions10)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments	0.00	
41 (a)	Of which : Investment in the Additional Tier I capital of unconsolidated insurance subsidiaries.	0.00	
41 (b)	Of which : Shortfall in the Additional Tier I capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank..	0.00	

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	100000.00	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)	7,30,661.00	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	113730.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	N.A.	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	N.A.	
50	Provisions	52541.64	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	**184913.72**	
52	Investments in own Tier 2 instruments	0	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56 (a)	of which : Investment in the Tier II capital of unconsolidated insurance subsidiaries.		
56 (b)	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	184913.72	

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58)**	915574.73	
60	**Total Risk Weighted Assets (row 60a +row 60b +row 60c)**		
60 (a)	of which: total credit risk weighted assets	4203331.60	
60 (b)	of which: total market risk weighted assets	357405.91	
60 (c)	of which: total operational risk weighted assets Capital ratios and buffers	377316.00	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.77%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.80%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	18.54%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and counter cyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00	
65	of which: capital conservation buffer requirement	2.50	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	7.27	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00	
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financials	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	N.A.	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	N.A.	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.	

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

Tabe DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A08017	INE608A08025	INE608A08033	INE608A08041
3	Governing law(s) of the instrument	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED BY SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012 AND CIR/IMD/DF/18/2013 DATED OCTOBER 29, 2013) AND THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014 AS AMENDED SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2015 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2014-15/25/539 DATED MARCH 24, 2015 AND RBI CIRCULAR NO.RBI/2015-	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE	SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2008/13/127878 DATED JUNE 06, 2008, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2012 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 DATED OCTOBER 12, 2012, AS AMENDED AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
		CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014, AS AMENDED	16/58 DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 DATED 01.07.2015, NOTIFICATION NO. RBI/2015-16/285 DBR.NO.BP.BC.71/21.06.201/2015-16 DATED 14.01.2016, RBI/2015-16/331 DBR.NO.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 DATED 01.03.2016 AND NOTIFICATION NO. DBR.BP.BC.NO.50/21.06.201/2016-17 DATED 02.02.2017.	BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2014 ISSUED VIDE CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014, AS AMENDED	CIRCULAR NO. LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 DATED JANUARY 31, 2014, AS AMENDED
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier I debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in Crore, as of most recent reporting date)	400 CR	1000 CR	237.30 CR	500 CR
9	Par value of instrument	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000	Rs. 1000000
10	Accounting classification	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	19.10.2016	08.05.2017	27.06.2019	04.11.2019
12	Perpetual or dated	Dated	Perpetual	Dated	Dated
13	Original maturity date	19.10.2026	NA	26.10.2029	03.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes - The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years subject to prior RBI approval. The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	Every coupon date thereafter	NA	NA
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.99%	10.90%	9.50%	8.67%
19	Existence of a dividend stopper	No	Yes	No	No

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Fully Discretionary	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	NO
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable	Write-off feature is applicable
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger as per RBI Guidelines	The Bonds issued before October 1, 2021 i.e. before the full implementation of Basel III shall have two prespecified triggers. A lower pre-specified trigger at CET1 of 5.5% of RWAs shall apply and remain effective before October 1,2021From this date the trigger shall be raised to CET1 OF 6.125% of RWAs for all such Bonds.	PONV Trigger as per RBI Guidelines	PONV Trigger as per RBI Guidelines
32	If write-down, full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent	The write down mechanism may be Temporary or Permanent at Bank's Discretion.	Permanent	Permanent

Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	SERIES- XIV =500 crore	PSB AT-1 BONDS:SERIES 1	SERIES- XV =237.30 crore	SERIES- XVI =500 crore
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	A temporary writedown is different from a conversion and a permanent writedowni.e.the original instrument may not be fully extinguished.Generally, the par value of the instrument is written-down (decrease) on the occurrence of the trigger event and which may be written-up (increase) back to its original value in future in conformity with the provisions of the RBI Basel III Guidelines. The amount shown on the balance sheet subsequent to temporary write-down may depend on the precise features of the Bonds and the prevailing accounting standards.	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subordinated to the claims of (a) all depositors,(b) general creditors (c) subordinated debt of the bank other than subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines) ;(d) Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued in future by the Bank; (e) perpetual cumulative preference shares;(f) redeemable non-cumulative preference shares; (g)redeemable cumulative preference shares eligible for inclusion in Tier 2 capital issued and to be issued infuture by the Bank	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank	Subbordinate to claims of all depositors and general creditors of the bank
36	Non-compliant transitioned features	NA	No	NA	NA
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA	NA

Table DF 14 – FULL TERMS & CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

1. BOND ISSUE – XIV Rs 500 Crore

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 500 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XIV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"CRISIL AA\Negative" by CRISIL and "CARE AA-\ Negative" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	October 19, 2026
Coupon Rate	7.99% p.a.
Interest Payment	Annual

Interest Payment Date	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
Trustee	Axis Trustee Services Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re-enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Mode of Subscription	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi.
Issue Opens on	05.10.2016
Issue Closes on	05.10.2016
Pay in Date	19.10.2016
Deemed Date of Allotment	19.10.2016

2. PSB AT-1 BONDS SERIES I- Rs 1000 Crore

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 1000 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Unsecured, subordinated, non-convertible, perpetual taxable bonds which will qualify as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines of the Reserve Bank of India) in the nature of Debentures (the"Bonds")
Nature of Instrument	The Bonds are neither secured nor covered by a guarantee of the Issuer nor related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim of the holders of the Bonds (the "Bondholders") vis- àvis other creditors of the Issuer. The claims of the Bondholders shall be : (i) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual noncumulative preference shares of the Bank, if any; (ii) subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as the term is defined in the Basel III Guidelines); (iii) neither secured nor covered by a guarantee of the issuer nor related entity or any other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis bank creditors. (iv) rank paripassu without preference amongst; (v) unless the terms of any subsequent issuance of bonds/debentures (in the nature of AT1 instruments) by the Bank specifies that the claims of such subsequent bond holders are senior or subordinate to the bond issued under this Disclosure Document or unless the RBI specifies otherwise in its guidelines, the claims of the Bond holders shall be paripassu with claims of holders of such subsequent debentures/bond issuances of the Bank;
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"ICRA A-(hyb)\ Negative" by ICRA and "CARE A\ Negative" by CARE.
Security	Unsecured
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	10 (Ten) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	Perpetual

Put Option	None
Call Option	The call option on the instrument is permissible after the instrument has run for at least five years
Redemption/ Maturity	At PAR
Redemption Date	Perpetual
Coupon Rate	10.90% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annual on May 08, of each year
Trustee	Vistra ITCL (India) Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	Interest at the Coupon Rate (subject to deduction of Income-tax under the provisions of the Income-tax Act 1961, or any statutory modification or reenactment as applicable) will be paid to all the applicants on the application money for the Bonds. Such interest shall be paid from the date of realization of cheque (s)/demand draft (s) and in case of RTGS/other means of electronic transfer interest shall be paid from the date of receipt of funds to one day prior to the Deemed Date of Allotment. The Interest on application money will be computed as per Actual/Actual Day count convention. Such interest would be paid on all the valid applications including the refunds. For the application amount that has been refunded, the Interest on application money will be paid along with the refund orders and for the application amount against which Bonds have been allotted, the Interest on application money will be paid within ten working days from the Deemed Date of Allotment. Where an applicant is allotted lesser number of Bonds than applied for, the excess amount paid on application will be refunded to the applicant along with the interest on refunded money. Income Tax at Source (TDS) will be deducted at the applicable rate on Interest on application money.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made by the Bank by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/credit through direct credit/ NECS/ RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI.
Mode of Subscription	Remittances either through cheque(s)/ demand draft(s) drawn in favour of "Punjab & Sind Bank A/c" and crossed "Account Payee Only" payable at par at place/ centre where the application form is deposited or by way of electronic transfer of funds through funds transfer/ RTGS mechanism for credit in the account of Punjab & Sind Bank IFSC Code PSIB0000606, Rajendra place New Delhi

Issue Opens on	02.05.2017
Issue Closes on	02.05.2017
Pay in Date	08.05.2017
Deemed Date of Allotment	08.05.2017

3. BOND ISSUE – XV Rs 237.30 Crore

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 237.30 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XV) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"Brickwork AA\ Negative" by Brickwork and "CARE AA-\ Negative" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years 4 months from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years 4 months from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	October 26, 2029

Coupon Rate	9.50% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on October 19, of each year till maturity of Bonds
Trustee	Vistra ITCL (India) Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re-enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made through RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Issue Opens on	25.06.2019
Issue Closes on	25.06.2019
Pay in Date	27.06.2019
Deemed Date of Allotment	27.06.2019

4. BOND ISSUE – XVI Rs 500 Crore

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs 500 Crore
Issue Objects	Augmenting overall capital of the Bank for strengthening its capital adequacy as per Basel III, for future growth and for enhancing long-term resources.
Instrument	Listed, Rated, Unsecured, Redeemable, Non-Convertible Fully Paid Up Basel III Compliant Tier 2 Bonds (Series XVI) in the nature of Debentures for inclusion in Tier 2 Capital ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid up, Unsecured. The claims of the Bondholders shall be: (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) is neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claim vis-à-vis Bank creditors.
Issuance/ Trading	In demat mode only
Credit Rating	"CRISIL AA\ Negative" by CRISIL and "CARE AA-\ Negative" by CARE.
Security	Unsecured and Subordinated
Face Value	Rs 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 (one) Bond and in multiples of 1 (one) Bond thereafter
Tenure	10 years 1 months from the Deemed Date of Allotment
Put Option	None
Call Option	None
Redemption/ Maturity	At the end of 10 years 1 months from the Deemed Date of Allotment
Redemption Date	December 03, 2029
Coupon Rate	8.67% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	Annually on May 08, of each year till maturity of Bonds

Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited
Depository	National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL")
Registrar	Link Intime India Private Limited
Interest on Application Money	In respect of applicants who get allotment of Bonds in the Issue, interest on application money shall be paid at the Coupon Rate (subject to deduction of income tax under the provisions of the Income Tax Act, 1961, or any other statutory modification or re-enactment thereof, as applicable) on the aggregate face value amount of Bonds for the period starting from and including the date of realization of application money in Issuer's account upto but excluding the Deemed Date of Allotment. Such interest on application money shall be paid by the Issuer to the allottees within 15 (fifteen) days from the Deemed Date of Allotment.
Settlement	Payment of interest and repayment of principal amount shall be made through RTGS/ NEFT mechanism or any other online facility allowed by the RBI
Issue Opens on	31.10.2019
Issue Closes on	31.10.2019
Pay in Date	04.11.2019
Deemed Date of Allotment	04.11.2019

Table DF 15 – Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions

• Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under objectives including for relationship and strategic reasons.	Bank does not hold any equity investment in banking book with intention to make capital gain.
• Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the Banking Book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investment which is intended to be held till maturity are classified as HTM securities. Investments classified under HTM category are not marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of investments is provided for. Any Loss on sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss. Any gain from sale of investments in HTM category is recognized in the statement of profit and loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserves, to "Capital Reserves" in accordance with RBI guidelines.

Amount in Lacs

	Quantitative Disclosures	
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	-
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: • Publicly traded; and • Privately held.	-
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	-
4	Total unrealised gains (losses)	-
5	Total latent revaluation gains (losses)	-
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	The HTM equity investment in RRB is given treatment as per para 4.4.9.2 of Master circular Basel III Capital Regulations.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure — **31.03.2022**

	Item	(Rs. in Crores)	(Rs. in Lakhs)
1	Total consolidated assets	121067.55	12106754.64
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation		
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure		
4	Adjustments for derivative financial instruments	1334.55	133454.67
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	1540.00	154000.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	5487.66	548765.92
7	Other adjustments		
8	**Leverage ratio exposure**	**127889.76**	**12788975.22**

	Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template		31.03.2022
	Leverage ratio Item framework	(Rs. in Crores)	(Rs. in Lakhs)
	On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	119527.55	11952754.64
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	-6768.18	-676817.95
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	112759.37	11275936.68
	Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1334.55	133454.67
5	Add-on amounts transactions for PFE associated with *all* derivatives		
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework		
7	(Deductions of margin provided receivables assets for cash variation in derivatives transactions)		
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)		
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives		
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)		
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**1334.55**	**133454.67**
	Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	1540.00	154000.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)		
14	CCR exposure for SFT assets		
15	Agent transaction exposures		
16	**Total securities lines 12 to 15) financing transaction exposures (sum of**	1540.00	154000.00
	Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	20407.70	2040769.68
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-14920.04	-1492003.76
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	5487.66	548765.92
	Capital and total exposures		
20	**Tier 1 capital**	7306.61	730661.01
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	121121.57	12112157.27
	Leverage ratio		
22	**Basel III leverage ratio**	6.03%	6.03%

Ghiya & Co. Chartered Accountants	Shiv & Associates Chartered Accountants	Chaturvedi & Co. Chartered Accountants	Manohar Chowdhry & Associates Chartered Accountants
Ghiya Hospital Complex, E-68, Siddarth Nagar, Malviya Nagar, Jaipur – 302017	103, 105, Plot No. 1, Vardhaman Indraprastha Plaza, I.P. extension, Patparganj, Delhi - 110092	Park Centre, 24, Park Street, Kolkata - 700016	27, Subramaniam Street, Abiramapuram, Chennai – 600018, Tamilnadu

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of
Punjab & Sind Bank
Report on Audit of the Financial Statements

OPINION

1. We have audited the financial statements of Punjab & Sind Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and treasury division audited by us and 780 branches and 26 Offices/ Processing Centers audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in financial statements are the returns from 730 branches of the bank which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.82 percent of advances, 26.78 percent of deposits, 6.88 percent of interest income and 25.15 percent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2022;

   b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit; and

   c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

BASIS FOR OPINION

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

EMPHASIS OF MATTER

4. We draw your attention to:

   a) Schedule No.18 (Note 20) to the accompanying financial statements, which describes the uncertainties due to outbreak of Corona Virus (Covid-19) and the management's assessment of its impact on the business operations of the bank.

   b) We draw your attention to Schedule No. 18 (Note. No.14 (i)) to the accompanying financial statements, regarding amortization of estimated additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 236.84 crore. As stated there in, the bank has charged an amount of Rs. 47.37 crore to the Profit & Loss account for the current financial year ended 31st March 2022 and the balance unamortized expense of Rs. 189.47 crore has been carried forward in the Balance Sheet.

Our opinion is not modified in respect of the matters stated above.

KEY AUDIT MATTERS

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	How the matter was addressed in our audit
Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances **(Refer Schedule 9 to the financial statements)** The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) which are governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The classification and provisioning are carried out by the Bank's IT Software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The provisioning for identified NPAs is based on ageing and classification of NPAs, recovery estimates, value of security and is subject to the provisioning norms specified by RBI.	We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the asset's classification and it's provisioning. Our audit approach consisted of testing the design of system for identification of Non-Performing assets to ensure conformity with the guidelines of the RBI in the matter and test checking identification and valuation of Non-performing assets. We have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches audited by us. In respect of the branches, audited by the other branch statutory auditors we have placed reliance on their reports and ensured that changes suggested by the Branch auditors were duly carried out wherever necessary.

In the event of any improper application of the prudential norms/regulatory requirements or consideration of the incorrect value of the security, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We have reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments and reviewed the reports generated from the bank's system. We reviewed advances including stressed advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines/ Judicial pronouncements. Necessary changes were carried out wherever required during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2022.
Classification and valuation of Investments identification and provisioning for Non-Performing Investments. **(Refer Schedule 8 to the financial statements)** Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for trade.	Our Audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines.
Valuation of investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. Considering judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand, regulatory requirements and significance of the amount of investments in the Financial statement, we have identified this as a key audit matter for the current year audit.	We assessed and evaluated the process of identification of NPI's, and corresponding reversal of unrealized income and creation of provision. We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs; Necessary changes were carried out wherever required during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2022.
Assessment of Information Technology (IT) The IT environment of the bank is complex and involves a large number of independent and inter-dependent IT systems used in the operations of the Bank for processing and recording a large volume of transactions at various locations.	We evaluated and understood the CBS system adopted by the Bank. We assessed the operative effectiveness of key automated controls within various business processes. This includes testing the integrity of system interfaces, the completeness and accuracy of data, system reconciliation controls and automated calculations.

As a result, there is high degree of reliance and dependency on such IT systems for the financial reporting process of the bank. Appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data as required, completely accurately and consistently for reliable financial reporting. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines/directions is dependent on working of Core Banking System in the Bank. Therefore, any validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which identifies whether the advances are performing or non-performing and calculation of provisions thereon. Due to the importance of the impact of the IT systems and related control environment on the Bank's financial reporting process, we have identified testing of such IT systems and related control environment as a key matter for the current year audit.	We assessed the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the bank. Reviewed the output and reports generated by the system on sample basis. Where deficiencies were identified, we tested compensating controls or performed alternate procedures. The system needs to be further strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.
Contingent Liabilities and Claims Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law this has been determined as a key Audit Matter.	We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

6. Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and Directors' Report, Business Responsibility Report including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Business Responsibility Report and Directors' Report, including annexure, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,

individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatement in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in: (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work: and (ii) to evaluate the effects of any identified misstatements in the financial statement.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements / information of 780 branches and 26 offices / Processing Centers included in the financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total asset of Rs. 27,606.82 Crore as at 31st March 2022 and total revenue of Rs. 1,093.18 Crores for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements / information of these branches has been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

(a) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in "Annexure A" to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2022.

(b) On the basis of the written representation received from the directors as on 31st March, 2022 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2022 from being appointed as a director in term of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act,2013

(c) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

(d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

13. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by statutory branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/S Ghiya & Co Chartered Accountants FRN: 001088C CA Ashish Ghiya Partner M.No. 427062 UDIN: Place: New Delhi	**For M/s Shiv & Associates** Chartered Accountants FRN: 009989N CA Manish Gupta Partner M. No. 095518 UDIN: Place: New Delhi
For M/S Chaturvedi & CO. Chartered Accountants FRN: 302137E CA R.K. Nanda Partner M.No. 510574 UDIN: Place: New Delhi	**For M/s Manohar Chowdhry & Associates** Chartered Accountants FRN: 001997S CA Sandeep Mogalapalli Partner M. No. 221848 UDIN: Place: New Delhi

Dated : 19th May, 2022.

ANNEXURE"A"TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Punjab & Sind Bank ("the Bank") as of 31st March ,2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the selected bank branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act,1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide

reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has generally, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March,2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 37 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/S Ghiya & Co Chartered Accountants FRN: 001088C CA Ashish Ghiya Partner M.No. 427062 UDIN: 22427062AJGVJF1516 Place: New Delhi	**For M/s Shiv & Associates** Chartered Accountants FRN: 009989N CA Manish Gupta Partner M. No. 095518 UDIN: 22095518AJGVQU7465 Place: New Delhi
For M/S Chaturvedi & CO. Chartered Accountants FRN: 302137E CA R.K. Nanda Partner M.No. 510574 UDIN: 22510574AJGVVT3539 Place: New Delhi	**For M/s Manohar Chowdhry & Associates** Chartered Accountants FRN: 001997S CA Sandeep Mogalapalli Partner M. No. 221848 UDIN: 22221848AJGVWD9697 Place: New Delhi

Dated : 19th May, 2022.

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2022

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES SCHEDULE AS ON AS ON	**SCHEDULE**	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
Capital	1	67777864	40526680
Reserves & Surplus	2	72328029	43103461
Deposits	3	1021370140	961081796
Borrowings	4	24436325	26435500
Other liabilities & Provisions	5	24763106	33671416
TOTAL		**1210675464**	**1104818853**
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	61392384	72085155
Balances with banks & money at call and short notice	7	1489858	11309329
Investments	8	422808739	320227734
Advances	9	636265621	609417022
Fixed Assets	10	15774435	15849119
Other Assets	11	72944427	75930494
TOTAL		**1210675464**	**1104818853**
Contingent Liabilities	12	99122954	62998743
Bills for Collection		8998817	8454006
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.22 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.21 [Audited]
	INCOME			
	Interest earned	13	70958102	69739143
	Other income	14	9593786	9036140
	TOTAL		**80551888**	**78775283**
	EXPENDITURE			
	Interest expended	15	44444954	47119993
	Operating expenses	16	22806029	23934965
	Provisions and contingencies		2910359	35049329
	TOTAL		**70161342**	**106104287**
	PROFIT/LOSS			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		10390546	-27329004
	Profit/ Loss(-) brought forward		-35775467	-7492325
	Share Premium		35775467	0
	Withdrawal from Statutory Reserve		1090000	0
	TOTAL		**11480546**	**-34821329**
	Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		2.56	-35.71
	APPROPRIATIONS			
	Transfer to:			
	Statutory Reserve		2600000	0
	Capital Reserve [Investment]		669880	1033277
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		86176	-87260
	Investment Reserve		0	8121
	Investment Fluctuation Reserve		1864208	0
	Balance carried over to Balance Sheet		6260282	-35775467
	TOTAL		**11480546**	**-34821329**
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

V.K. MEHROTRA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

TIRATH RAJ MENDIRATTA
DIRECTOR

RSHMI KHETRAPAL
DIRECTOR

SHANKAR LAL AGARWAL
DIRECTOR

K.P.PATNAIK
DIRECTOR

M.G.JAYASREE
DIRECTOR

Dr. RAM JASS YADAV
EXECUTIVE DIRECTOR

KOLLEGAL V RAGHAVENDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

S. KRISHNAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR GHIYA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 001088C

(ASHISH GHIYA)
M. NO. 427062
PLACE: NEW DELHI

FOR SHIV & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 009989N

(MANISH GUPTA)
M. NO. 095518
PLACE: NEW DELHI

FOR CHATURVEDI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 302137E

(K NANDA)
M. NO. 510574
PLACE: NEW DELHI

FOR MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001997S

(SANDEEP MOGALAPALLI)
M. NO. 221848
PLACE: NEW DELHI

Place: New Delhi
Dated: May 19, 2022

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital	**100000000**	**100000000**
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:	**100000000**	**100000000**
I.	Equity Share Capital 6,77,77,86,447 (Previous Year 4,05,26,67,964) shares of Rs.10/- each [including 6,65,90,51,093 (Previous Year 3,93,39,32,610) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	**67777864**	**40526680**
	TOTAL	**67777864**	**40526680**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
I	**Statutory Reserves**		
	Opening Balance	10936906	10936906
	Add: Addition during the year	2600000	0
	Less: Deduction during the year	-1090000	0
	Sub Total I	**12446906**	**10936906**
II	**Capital Reserves:**		
	a. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	9184403	9241274
	Add: Addition during the year	89861	0
	Less: Deduction during the year	-75250	-56871
	Sub Total II.a	**9199014**	**9184403**

	b. Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	6789354	5756077
	Add: Addition during the year	669880	1033277
	Sub-Total II.b	**7459234**	**6789354**
iii	**Share Premium:**		
	Opening Balance	48351091	26872069
	Add: Addition during the year	18748816	21483850
	Less: Deduction during the year	-35780122	-4828
	Sub-Total III	**31319785**	**48351091**
iv	**Revenue & Other Reserves**		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.a	**1089003**	**1089003**
	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	276311	219440
	Add: Addition during the year	75250	56871
	Less:Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	**351561**	**276311**
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	1918642	2005902
	Add: Addition during the year	86176	-87260
	Sub-Total IV.c	**2004818**	**1918642**
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	333218	325097
	Add: Addition during the year	0	8121
	Sub-Total IV.d	333218	333218
	e). Investment Fluctuation Reserve		
	Opening Balance	0	0
	Add: Addition during the year	1864208	0
	Sub-Total IV.e	1864208	0
iv	**Balance in Profit & Loss Account**	6260282	-35775467
	Total [I to V]	**72328029**	**43103461**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
a	**I. Demand Deposits**		
	i. From Banks	589421	451001
	ii. From others	40946334	40783129
	II. Savings Bank Deposits	**303748441**	**274069790**
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	1330704	5619536
	ii. From others	674755240	640158340
	TOTAL [I+II+III]	**1021370140**	**961081796**
B	**Deposits of branches in India**	**1021370140**	**961081796**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	0	0
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	2063325	1062500
	iv) Additional Tier - I Bonds	10000000	10000000
	v) Subordinated Debt	12373000	15373000
	II. Borrowings outside India	0	0
	TOTAL [I & II]	**24436325**	**26435500**
	Secured borrowings Included in I & II above	2063325	1062500

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Bills Payable	2680828	2179547
	II. Inter-office adjustments [net]	1401546	1146400
	III. Interest accrued	6876615	7362198
	IV. Deferred Tax Liability	0	0
	V. Others (including provisions)	13804117	22983271
	TOTAL	**24763106**	**33671416**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2798992	2475204
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	43193392	33609951
	ii) in Other Account	15400000	36000000
	TOTAL [I & II]	**61392384**	**72085155**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. In India		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	143177	249263
	b) in other Deposit Accounts	0	2000000

	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	0	8000000
	b) with other institutions	0	0
	SUB-TOTAL [I]	**143177**	**10249263**
	II. Outside India		
	i) In Current Accounts	1346681	1060066
	ii) In Other Deposit Accounts	0	0
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	1346681	1060066
	TOTAL [I & II]	**1489858**	**11309329**
			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities **	270727122	193245712
	ii) Other approved securities	0	14928
	iii) Shares	1529966	1217073
	iv) Debentures & Bonds	147004167	105623670
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	0	0
	vi) Others:		
	a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	3265117	20003210
	b) Units of UTI, other MF	282367	123141
	SUB-TOTAL [I]	**422808739**	**320227734**
	II. Investments outside India	NIL	NIL
	TOTAL [I + II]	**422808739**	**320227734**
	Gross Value	427662537	325184098
	Provision for Depreciation [-]	4853798	4956364
	Net Investments	**422808739**	**320227734**

**** Includes encumbered securities of Rs.510.66 crore [Face Value Rs.524.60 crore] previous year Rs.232.90 crore [Face Value Rs.239.10 crore]**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
A	i) Bills purchased & discounted	6141153	4307067
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	219198688	237045110
	iii) Term Loans	410925780	368064845
	Total	**636265621**	**609417022**
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	489473388	484649643
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	127027702	109463415
	iii) Unsecured	19764531	15303964
	Total	**636265621**	**609417022**
C	**ADVANCES IN INDIA**		
	i) Priority Sector	270615503	251089558
	ii) Public Sector	145973298	146273291
	iii) Banks	13000000	0
	iv) Others	206676820	212054173
	Total	**636265621**	**609417022**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Premises		
	Cost [Opening Balance]	4185371	1529157
	Appreciation in cost on account of revaluation	9355015	9355015
	Sub-Total	13540386	10884172
	Additions during the year		
	Original Cost	30068	2656283
	Revaluation Cost	9274264	0
	Deductions during the year on		
	Original Cost	0	-70
	Revaluation Cost	-9355014	0
	Less Depreciation to date on		
	Original cost	-302863	-227054
	Revaluation cost	-75250	-170611
	Total-I	**13111591**	**13142720**
	II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
	Cost [Opening Balance]	7450085	5743434
	Additions during the year	1188710	1807995
	Deductions during the year	-39113	-101343
	Depreciation to date	-5936838	-4743687
	Total II	**2662844**	**2706399**
	TOTAL I & II	**15774435**	**15849119**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Inter-office adjustments [net]	0	0
	II. Interest accrued	6218050	5480131
	III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	4603797	3918463
	IV. Stationery & Stamps	47058	56927
	V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
	VI. Deferred Tax Asset (Net)	21683448	23159777
	VII. Others $$	40392074	43315196
	TOTAL	**72944427**	**75930494**
$$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.2759.23 crore [Previous Year Rs.3318.05 crore]			

			(000'S OMITTED)
		Rs.	**Rs.**
	SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	**AS ON 31.03.22 [Audited]**	**AS ON 31.03.21 [Audited]**
	I. Claims against the bank not acknowledged as debts	67830	71685
	II. Liability for partly paid investments	558055	746957
	III. Liability on account of outstanding forward	60682255	25747667
	exchange contracts		
	IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
	a) In India	26124279	25982873
	b) Outside India	0	0
	V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1972002	1328705
	VI. Other items for which the bank is contingently liable	9718533	9120856
	TOTAL	**99122954**	**62998743**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	Rs.
		Year Ended 31.03.22 [Audited]	Year Ended 31.03.21 [Audited]
	SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
	I. Interest/discount on advances/ bills	47784124	48654523
	II. Income on investments	20946587	18736718
	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1184293	1140592
	IV. Others	1043098	1207310
	TOTAL	**70958102**	**69739143**

			(000'S OMITTED)
		Rs.	Rs.
		Year Ended 31.03.22 [Audited]	Year Ended 31.03.21 [Audited]
	SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
	I. Commission, exchange and brokerage	1005837	924742
	II. Profit on sale of Investments [net]	3314714	4151028
	III. Profit on Revaluation of Investments	-608071	8121
	III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	-1582	-95
	IV. Profit on exchange transactions [net]	561466	274710
	V. Miscellaneous Income	5321422	3677634
	TOTAL	**9593786**	**9036140**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
		Year Ended 31.03.22 [Audited]	Year Ended 31.03.21 [Audited]
	SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
	I. Interest on deposits	42077019	44526485
	II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	24948	118849
	III. Others	2342987	2474659
	TOTAL	**44444954**	**47119993**

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
		Year Ended 31.03.22 [Audited]	Year Ended 31.03.21 [Audited]
	SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
	I. Payments to and provisions for employees	14533858	16880659
	II. Rent, taxes and lighting	1459762	1396901
	III. Printing and stationery	105087	68294
	IV. Advertisement & publicity	38716	27179
	V. Depreciation on Bank's property	1370904	1021333
	Less: Transfer from Revaluation Reserve	0	0
		1370904	**1021333**
	VI. Directors' fees, allowances and expenses	2023	5372
	VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	85900	113800
	VIII. Law Charges	139733	137832
	IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	116946	77017
	X. Repairs & maintenance	256196	203085
	XI. Insurance	1297940	1087933
	XII. Other expenditure	3398964	2915560
	TOTAL	**22806029**	**23934965**

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory equirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.

2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI as on 31.03.2022 and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.

2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.

2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI as on 31.03.2022 except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. INVESTMENTS

3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.

3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,

i. Government Securities
ii. Other approved securities
iii. Shares
iv. Debentures
v. Subsidiaries / Joint Ventures and
vi. Others

3.3 BASIS OF CLASSIFICATION:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.

3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II as a netting item. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually.

3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.

3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 METHOD OF ACCOUNTING – SETTLEMENT DATE ACCOUNTING

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the de recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

a.	Government of India Securities: and State Government securities.		At rates put out by FIMMDA/PDAI/FBIL
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:		On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI/FBIL with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI/FBIL
c.	Equity Shares:		At market price taken from NSE and BSE for quoted share. For unquoted at Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
d.	Mutual Fund Units, Venture Capital Funds and Security Receipt:		At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:		At carrying cost.

3.10 IN DETERMINING ACQUISITION COST OF INVESTMENTS:

a. Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;

b. Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;

c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.

3.11 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.12 NON PERFORMING INVESTMENTS

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.

3.14 In the event, depreciation booked on account of MTM in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 – "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves".

4. ADVANCES

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under

Category of Assets	Provision Norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.

4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.

4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:-

I). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

ii). If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.

iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5 FLOATING PROVISIONS

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 FIXED ASSETS

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 DEPRECIATION ON FIXED ASSETS

7.1 Depreciation is provided for on -

7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.

7.1.2 Depreciation on fixed Assets is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and Fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.

7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.

7.3 Depreciation attributable to revalued portion of the assets is charged to Profit & Loss Account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve Account to Revenue Reserve Account.

8 REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.

8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.

8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.

8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.

8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 STAFF RETIREMENT BENEFITS

9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund, Silver Jubilee Bonus and Retirement Gifts are provided for on the basis of an actuarial valuation.

9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 TAXES ON INCOME

11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.

11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

A) **Balancing of Accounts and Reconciliation**

i. In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.

ii. Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), pertains prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) have been done up to 31.03.2022 and reconciliation is in progress.

iii. Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2022.

In the opinion of the management, the impact of the above para (i) to (iii), if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

iv. In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2021 and remained outstanding as on 31.03.2022 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

v. Credit entries outstanding in Nostro accounts from 01.10.2011 to 31.12.2011 amounting to Rs. 27,310/- shown in Sundry Creditors Unclaimed (Blocked) Account, Blocked Nostro Sundry account and Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) has been transferred to DEAF account during December 2021 Quarterly closing. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2012 to 31.03.2012 amounting to Rs 31191/- has been transferred to DEAF account during quarter ended March 2022.

Further, the department transfers unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 31.03.2022, un-reconciled credit entries amounting to Rs. 52.26 lakh pertain to the period from 01.04.2012 to 31.03.2016 are outstanding for more than 3 years and hence these entries were transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account).

B) Legal formalities are yet to be completed in respect of 2 Bank's properties having original cost of Rs 2.87 crore and Revaluation amount of Rs. 62.98 crore as on 31.03.2022.

C) **Capital**

During the financial year ended March 31, 2022 Government of India infused Rs.4600 crore towards preferential allotment of Equity shares. Accordingly, the bank has allotted 2,72,51,18,483 equity shares of Rs.10/- each fully paid up for cash at an issue price of Rs.16.88 per equity share (including premium of Rs.6.88 per equity share). Government of India's holding in the bank has increased to 98.25% as on 31st March, 2022.

1. REGULATORY CAPITAL

a) Composition of Regulatory Capital

(Rs. In crore)

Sr. No	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	6307	6243
ii)	Additional Tier 1 capital	1000	1000
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	7307	7243
iv)	Tier 2 capital	1849	1598
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	9156	8841
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	49381	51790
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.77*	12.05%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.80%	13.98%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.74%	3.08%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	18.54%*	17.06%
xi)	Leverage Ratio	6.03%	6.38%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	98.25	97.07
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	2725.12	3351.61

*Capital Adequacy Ratio (BASEL III) is arrived after considering the Net present value (NPV) of Non-Interest bearing Recapitalization Bonds infused as capital by the Govt. of India during FY 2020-21 & 2021-22 without considering the said adjustment the CRAR is 30.05%(CET 1 ratio 24.48%)as on 31st March 2022.Further, th effect of proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of capital adequacy ratio as at 31st March 2022.

b) Draw down from Reserve

A sum of Rs Nil during Financial year ended 31.03.2022 has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

2. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

a) Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2022:

(Rs. In crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	439.27	1520.93	0.00	0.00	18.33	217.40
2 – 7 days	1421.93	548.68	83.55	0.00	0.44	32.37
8 – 14 days	1233.23	485.79	96.43	0.00	1.83	52.09
15 - 30 days	1322.07	1508.06	50.00	0.00	3.88	98.09
31 days to 2 months	6699.90	677.50	518.69	1001.36	11.84	151.99
Over 2 months & up to 3 months	6641.30	1315.83	350.09	11.50	7.10	98.15
Over 3 months & up to 6 months	13515.91	2663.78	503.49	25.20	32.22	78.02
Over 6 months & up to 1 year	23116.05	3121.80	1592.03	44.90	50.07	1.95
Over 1 year & up to 3 years	22129.64	9721.01	4150.10	123.37	72.65	16.75
Over 3 years & up to 5 years	13422.51	10309.89	4922.70	500.00	17.96	101.33
Over 5 years	12195.20	31753.28	30013.79	737.30	0.00	0.00
Total	**102137.01**	**63626.55**	**42280.87**	**2443.63**	**216.32**	**848.14**

b) Liquidity Coverage Ratio — **Rs. In Crore**

		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021		31.03.2022	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	60694.60	6023.22	61885.56	6141.23	63756.78	6326.75	65024.49	6465.25
(i)	Stable Deposits	924.70	46.23	946.46	47.32	978.53	48.93	744.00	37.20
(ii)	Less stable deposits	59769.90	5976.99	60939.10	6093.91	62778.25	6277.82	64280.49	6428.05
3	Unsecured wholesale funding of which	10267.32	4779.67	9706.98	4646.79	8726.35	4112.48	9766.76	4535.15
(I)	Operational Deposits (all counter parties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	10267.32	4779.67	9706.98	4646.79	8726.35	4112.48	9766.76	4535.15
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	Additional requirements, of which	3066.67	657.59	3348.07	824.28	4217.73	1049.33	3653.48	986.73
(I)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	509.76	509.76	682.16	682.16	868.18	868.18	842.44	842.44
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	2556.91	147.83	2665.91	142.12	3349.55	181.15	2811.04	144.29
6	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	9403.00	397.90	9241.83	390.98	9295.83	392.69	10992.04	478.81
8	Total Cash Outflows		11858.38		12003.28		11881.25		12465.94
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	1363.63	0	2871.53	0	3213.04	0	3077.76	0
10	Inflows from fully performing exposures	1566.03	814.40	1328.17	813.05	1117.89	817.45	1027.39	662.36
11	Other Cash Inflows	706.54	706.54	532.07	532.07	613.53	613.53	566.77	566.77
12	Total Cash Inflows	3636.20	1520.94	4731.77	1345.12	4944.46	1430.98	4671.92	1229.13
13	TOTAL HQLA		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
14	Total Net Cash Outflows		10337.44		10658.16		10450.27		11236.81
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		215.52%		250.51%		270.86%		254.45%
		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 30.06.2021 is 215.52% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-04-2021 to 30-06-2021) against the regulatory requirement of 100%		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 30.09.2021 is 250.51% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-07-2021 to 30-09-2021) against the regulatory requirement of 100%		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 31.12.2021 is 270.86% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-10-2021 to 31-12-2021) against the regulatory requirement of 100%		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 31.03.2022 is 254.45% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-01-2022 to 31-03-2022) against the regulatory requirement of 100%	

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

(Rs. In crore)

NSFR DisclosureTemplate						
Particulars		Un-weighted value by residualmaturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to <1yr	≥1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital:(2+3)	14686.63	0	0	1237.30	15923.93
2	Regulatory capital	14686.63	0	0	1237.30	15923.93
3	Other capital instruments	-	-	-	-	.
4	Retail deposits and deposits from small business customers:(5+6)	32877.77	15906.94	15054.20	7897.81	65378.86
5	Stable deposits	23.87	274.83	222.01	154.23	648.90
6	Less stable deposits	32853.90	15632.11	14832.19	7743.58	64729.96
7	Wholesale funding:(8+9)	1650.65	19604.77	6816.83	2416.10	14840.49
8	Operational deposits	0	0	0	0	.
9	Other wholesale funding	1650.65	19604.77	6816.83	2416.10	14840.49
10	Other liabilities:(11+12)	0	0	646.57	118.28	118.28
11	NSFR derivative liabilities	0	0	646.57	0	0
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0	0	0	118.28	118.28
13	**Total ASF(1+4+7+10)**	49215.05	35511.71	22517.60	11669.49	96261.56
Required Stable Funds						
14	Total NSFRhigh -quality liquid assets(HQLA)					1400.42
15	Deposits held at other financial institutions for other financial institutions for operational purposes	0	0	0	0	0
16	Performing loansand securities:(17+18+19+21+23)	0	10243.08	16360.15	41621.35	47259.06
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	0	0	0	0
18	Performing loans to financial institutions secured by non- Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	0	1314.55	0	657.28
19	Performing loans tonon-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0	10174.40	14952.33	23169.93	31670.68
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0	0	0	2935.65	1908.17
21	Performing residential mortgages, of which:	0	68.67	93.27	4567.29	3129.60
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0	0	0	4167.83	2709.09
23	Securities that are notin default and do not qualify as HQLA, including exchange- traded equities	0	0	0	13884.12	11801.50
24	Other assets: (sum of rows 25to 29)	0	2702.19	1373.53	30249.39	32208.79
25	Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	523.03	444.58
27	NSFR derivative assets	0	0	0	0	
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	0	0	0	
29	All other assets notincluded in the abovecategories	0	2702.19	1373.53	29726.35	31764.21
30	Off-balance sheetitems	0	0	0	18234.22	837.70
31	Total RSF	0	12945.27	17733.68	90104.96	81705.97
32	Net Stable Funding Ratio(%)				.	117.81%

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2022

(Rs. in crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	21629.25	0.00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33445.21
Less: Provision for non performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	21629.25	0.00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33445.21
Available for Sale												
Gross	5443.46	0.00	354.13	3195.20	0.00	328.24	9321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9321.04
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	201.14	283.77	0.00	0.47	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
Net	5443.46	0.00	152.99	2911.43	0.00	327.77	8835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8835.66
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	27072.71	0.00	354.13	14984.19	0.00	355.22	42766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42766.25
Less: Provision for non performing investments	0.00	0.00	189.64	243.78	0.00	0.00	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	433.42
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	11.50	39.99	0.00	0.47	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
Net	27072.71	0.00	153.00	14700.42	0.00	354.75	42280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42280.87

Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2021

(Rs. in crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	11385.62	0.00	0.00	7620.18	0.00	10.52	19016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19016.32
Less: Provision for non - performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	11385.62	0.00	0.00	7620.18	0.00	10.52	19016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19016.32
Available for Sale												
Gross	7938.95	1.49	321.41	3237.83	0.00	2002.42	13502.09	0.00	0.00	0.00	0.00	13502.09
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	199.70	295.64	0.00	0.30	495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	495.64
Net	7938.95	1.49	121.71	2942.19	0.00	2002.12	13006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13006.46
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	**19324.57**	**1.49**	**321.41**	**10858.01**	**0.00**	**2012.93**	**32518.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32518.41**
Less: Provision for non- performing	0.00	0.00	189.64	295.64	0.00	0.00	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	485.28
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.30	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
Net	**19324.57**	**1.49**	**121.71**	**10562.37**	**0.00**	**2012.64**	**32022.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32022.77**

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve			
			(Rs. in crore)
	Particulars	**2021-22**	**2020-21**
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	a) Opening balance	495.64	394.28
	b) Add: Provisions made during the year	86.01	102.30
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	96.27	0.94
	d Closing balance	485.38	495.64
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	0.00	0.00
	b) Add: Amount transferred during the year	186.42	0.00
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	186.42#	0.00
iii)	**Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category**	2%	0.00

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the balance sheet.
Amount Transferred to Investment Fluctuation Reserve during the Year 2021-22 is Rs.186,42,07,781.00

c) Sale and transfers to/from HTM category

i) During the year ending March, 22 the Bank has shifted Govt. securities amounting to Rs.1972.66 crore (Face value) (Rs.1951.78 Cr B.V) from "Held till Maturity (HTM)" to "Available for Sale (AFS)" category and Rs. 1769.31 crore (Face Value) (Rs.1808.59 Cr B.V) from "Available for Sale (AFS)" to "Held till Maturity (HTM)" category. During the period, MTM loss of Rs.19.21 crore was booked upfront on shifting of securities from AFS to HTM. However, gain on shifting of securities from HTM to AFS was not booked upfront and gain/loss was recognized on sale of such securities during the year.

ii) The value of shifting/ sales from HTM category (excluding onetime shifting at the beginning of year and sale under pre – announced OMO auctions) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

iii) Gross profit (without netting of Taxes) on sale of securities under HTM categories are transferred to Capital Reserve Account

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-Performing Non-SLR investments

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
a)	Opening balance	485.28	468.36
b)	Additions during the year since 1stApril	34.97	17.05
c)	Reductions during the above period	86.83	0.14
d)	Closing balance	433.42	485.28
e)	Total provisions held	433.42	485.28

ii) Issuer composition of non-SLR investments

Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of ' Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
a)	PSUs	12996.17	8615.9	12764.62	8331.36	0.00	0.00	12787.48	8353.55	12596.83	8073.94
b)	FIs	630.70	951.73	14.60	14.6	0.00	0.00	46.66	46.66	14.60	14.60
c)	Banks	390.32	1525.02	0.00	0	0.00	0.00	270.41	24.90	247.56	0
d)	Private Corporates	1615.85	2049.79	485.23	238.64	494.33	549.60	374.32	286.53	367.76	614.29
e)	Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
f)	Others	60.50	49.91	60.50	49.91	31.79	37.29	60.50	49.91	60.50	49.91
g)	Provision held towards depreciation (including NPA)	485.38	495.64	273.16	229.12	448.22	495.64	263.75	258.97	-262.96	258.18
	Total	15208.16	12696.71	13051.79	8405.39	77.90	91.25	13275.62	8502.58	13024.29	8494.56

e) Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year	Minimum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2022
I) Securities sold under repo				
a) Government securities	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	-	4700.00	2982.49	1540.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

4 Asset quality

a) Classification of advances and provisions held as on 31.03.2022

(Rs. in crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	58477.17	1501.48	4743.66	3088.86	9334.00	67811.17
Add: Additions during the year	23737.40	778.54	1264.58	21.51	2064.63	
Less: Reductions during the year	20392.31	785.39	819.77	1228.65	2833.81	
Closing balance	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.00
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation		647.79	40.30	0.92	689.01	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)		137.40	679.64	194.21	1011.26	
iii) Technical/ Prudential Write-offs		0.00	16.29	1033.14	1049.43	
iv) Write-offs other than those under (iii) above		0.20	83.53	0.38	84.11	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1594.32				6816.70	8411.02
Add: Fresh provisions made during the year	295.13				1964.75	2259.88
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	1177.75				2025.22	3202.97
Closing balance of provisions held	711.70				6756.23	7467.93
Net NPAs						
Opening Balance					2461.95	
Add: Fresh additions during the year					597.96	
Less: Reductions during the year					1317.64	
Closing Balance					1742.27	
Floating Provisions						
Opening Balance	NIL					
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					5058.57	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					1049.43	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					287.05	
Closing balance					5820.95	

4 Asset quality

a) Classification of advances and provisions held as on 31.03.2021

(Rs. in crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	53689.63	2562.35	6006.49	305.73	8874.57	62564.20
Add: Additions during the year	17406.09	1486.69	66.96	3.06	1556.71	
Less: Reductions during the year	12618.54	321.83	657.29	118.16	1097.28	
Closing balance	58477.18	1501.48	4743.66	3088.86	9334.00	67811.18
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation		106.67	41.40	0.00	148.07	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)		214.80	545.70	118.14	878.64	
iii) Technical/ Prudential Write-offs		0.00	0.00	0.00	0.00	
iv) Write-offs other than those under (iii) above		0.36	70.20	0.01	70.57	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	309.96				4138.79	4448.75
Add: Fresh provisions made during the year	1284.45				3101.96	4386.41
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans	0.09				424.05	424.14
Closing balance of provisions held	1594.32				6816.70	8411.02
Net NPAs						
Opening Balance					4684.15	
Add: Fresh additions during the year					1244.79	
Less: Reductions during the year					3466.99	
Closing Balance					2461.95	
Floating Provisions						
Opening Balance	NIL					
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					5210.17	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					0.00	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					151.60	
Closing balance					5058.57	

Ratios & (in per cent)	2021-22	2020-21
Gross NPA to Gross Advances	12.17%	13.76%
Net NPA to Net Advances	2.74%	4.04%
Provision coverage ratio (With TWO)	87.89%	82.89%
Provision coverage ratio (Without TWO)	79.66%	73.62%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Rs. in crore)

Sr. No.	Sector	2021-22			2020-21		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
I)	**Priority Sector**	29068.76	3127.63	11%	27039.94	3454.13	13%
a)	Agriculture and allied activities	10933.87	944.05	9%	10637.51	917.79	9%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4874.73	715.84	15%	4351.80	849.22	20%
c)	Services	8698.56	1122.19	0%	7208.23	1253.02	17%
d)	Personalloans	4561.60	345.55	8%	4842.40	434.10	9%
	Subtotal (I)	29068.76	3127.63	11%	27039.94	3454.13	13%
ii)	**Non-priority Sector**	41318.32	5437.19	13%	40771.23	5879.87	14%
a)	Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
b)	Industry	17762.36	2028.41	11%	16338.44	2545.11	16%
c)	Services	16380.28	3157.40	19%	20142.82	3093.44	15%
d)	Personalloans	7175.68	251.38	4%	4289.97	241.32	6%
	Sub-total (ii)	41318.32	5437.19	13%	40771.23	5879.87	14%
	Total (I +ii)	**70387.08**	**8564.82**	**12%**	**67811.17**	**9334.00**	**14%**

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Rs. in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Assets	134.67	106.00
Total NPAs	0	0
Total Revenue	0.28	0.31

d) Particulars of resolution plan and restructuring

The Bank holds additional standard asset provision in respect of 02 borrower's account in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets" amounting to Rs.53.70 Crore. The details are as under:-

(Rs. In Crore)

Amount of Loans Impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2022, out of (B) classified as NPA (c)	Addl. Provision required for loans covered under RBI Circular (D)	Provision out of (D) already made by 31.03.2022 (E)
152.37	-	-	53.70	53.70

e) Divergence in asset classification and provisioning

In compliance with the Risk Assessment Report (RAR) for the year ended 2020-21, non-performing assets as per report have duly been classified and additional provision has been made. In conformity with RBI Circular No. BR.BP.BC.NO>63/21.04.018/2016-17 dated 18th April 2017 & DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/80/2017 dated July 18, 2017, the required disclosure is detailed below-

(Rs. In Crore)

S.No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2021* as reported by the bank	9333.99
2.	Gross NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	9362.99
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	29.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	2461.95
5.	Net NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	2473.95
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	12.00
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as reported by the bank	6816.70
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2021 as assessed by Reserve Bank of India	6833.70
9.	Divergence in provisioning (8-7)	17.00
10	Reported Profit before Provisions and Contingencies for the year ended March 31, 2021	772.03
11.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021	-2732.90
12.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2021 after considering the divergence in provisioning	-2749.90

*March 31, 2021 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

In the case of stressed loans transferred or acquired, the following disclosures should be made:

Details of stressed loans transferred during the year (to be made separately for loans classified as NPA and SMA)			
(all amounts in Rs. crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Details of loans acquired during the year			
(all amounts in crore)	**From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)**		**From ARCs**
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL		NIL
Aggregate consideration paid	NIL		NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL		NIL

In accordance with RBI circular no.DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, in respect of the details of loans transferred/acquired during the year ended March 31, 2022, the Bank has not transferred and acquired NPA and Special Mention Account (SMA)

Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2022:

Recovery Rating Band	Book Value (Rs. In Crore)
RR1+	Nil
RR1	31.79
RR2	Nil
RR3	Nil
RR4	Nil
RR5	Nil
Rating Withdrawn	Nil
Total	31.79

g) Fraud accounts

Particulars	2021-22	2020-21
Number of frauds reported	159	144
Amount involved in fraud (Rs in crore)	454.59	3825.86
Amount of provision made for such frauds (Rs in crore)*	238.73	3804.08
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (Rs in crore)	0.00	0.00

*Provision of Rs.215.17 crore has already been made in previous years.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

I) A special window under the Prudential Framework was extended vide circular DOR.No.BP.BC /3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 to enable the lenders to implement a resolution plan in respect of eligible corporate exposures, and personal loans, while classifying such exposures as Standard. Banks shall make disclosures in the format prescribed below every half-year, i.e., in the financial statements as on September 30 and March 31, starting from the half- year ending September 30, 2021 till all exposures on which resolution plan was implemented are either fully extinguished or completely slip into NPA, whichever is earlier.

The details of resolution plan implemented under the Resolution framework for COVID-19 related stress as per RBI Circular dated August 6, 2020 are given below (TABLE-A):-

Type of Borrower	(A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(B) Exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan (Rs. in crores)	(C) of (B) aggregate amount of debt that was converted into other securities (Rs. in crores)	(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation (Rs. in crores)	(E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan (Rs. in crores)
(i) Personal loans*	4824	447.81	-	-	54.40
(ii) Corporate persons	4585	743.29	-	-	172.53
Of Which MSME	4565	275.86	-	-	25.86
(iii) Others	522	31.60	-	-	3.75
Total	9931	1222.70	-	-	230.68

Status of accounts in TABLE-A as on 31.03.2022 is given below:

(Rs. In crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (A)	Of (A) aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year
(i) Personal loans	460.57	82.02	0	18.49	363.45
(ii) Corporate persons#	1337.47	72.92	0	57.02	1277.21
Of Which MSME	338.18	72.92	0	10.16	255.91
(iii) Others	34.53	5.62	0	1.76	26.60
Total	1832.57	160.56	0	77.27	1667.26
# as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

*There were NIL Borrower accounts where resolution plans has been implemented and now modified under RBI's resolution framework 2.0 dated May 5, 2021.

(ii) Details of resolution plan implemented under the RBI Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID-19 related stress of individuals and Small Businesses dated May 5, 2021 are given below:-

Sl.No	Description	Individual Borrowers		Small Businesses
		Personal Loans	Business Loan	
(A)	Number of requests received for invoking resolution process under Part A	9791	-	-
(B)	Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	7415	-	-
(C)	Exposure to accounts mentioned at (B) before implementation of the plan. (Rs. In Crores)	648.08	-	-
(D)	of (c), aggregate amount of debt that was converted into other securities. (Rs. In Crores)	-	-	-
(E)	Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation. (Rs. In Crores)	-	-	-
(F)	Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan. (Rs. In Crores)	87.63	-	-

5. Exposures:

a) Exposure to Real Estate Sector

(Rs. In crores)

Category		2021-22	2020-21
I)	**Direct Exposure**		
(a)	Residential Mortgages		
i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	7354.21	7084.69
ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	4105.23	4542.00
	Exposure would also include non fund based (NFB)		
(b)	Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	1242.12	1833.36
(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	-	-
	a. Residential	-	-
	b. Commercial Real Estate	-	-
ii)	**Indirect Exposure**		
	[Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	2858.43*	3209.37*
	Total Exposure to Real Estate Sector	11454.76	12127.42
* includes Rs 1019.83 crore (Previous year Rs. 1040.67 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.			

b) Exposure to Capital Market

(Rs. In crores)

Particulars		2021-22	2020-21
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	374.92	342.20
2	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	1.72	-
3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-

5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	-	7.35
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
8	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	28.71	12.61
	Total Exposure to Capital Market	405.35	362.16

c) Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

d) Unsecured Advances

(Amount Rs. In crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total unsecured advances of the bank		481.30
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.	0	477.29
Estimated Value of such intangible Securities i.e charge over the rights, licenses, authority etc.	0	477.29

e) Factoring Exposures : Nil

f) Intra-Group Exposures

(Amount Rs. In crore)

S. No.	Particulars	2021-22		2020-21	
		Sanc Loan/ Limit	Balance O/s	Sanc Loan/ Limit	Balance O/s
a	Total amount of Intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
b	Total amount of top-20 intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
c	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	NIL	NIL	NIL	NIL
d	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL	NIL	NIL

g) Un-hedged Foreign Currency Exposure

The Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of Rs 0.097 crore as on March 31,2022.

6. a) Concentration of Deposits

(Rupees Rs. In crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Deposits of twenty largest depositors	18724.52	14835.83
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	18.33%	15.44%

b) Concentration of Advances

(Rupees Rs. In crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Advances to twenty largest borrowers	15873.10	15380.41
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	22.55%	22.68%

c) Concentration of Exposures*

(Rupees Rs. In crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	16907.74	21125.35
Percentage of Exposure to the twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	19.53%	27.35%

*Exposure to Central Govt and Central Govt guaranteed have been excluded.

6. d) Concentration of NPAs

(Rupees Rs. In crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Total Exposure to the top twenty NPA Accounts	4109.52	4211.80
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	47.98%	45.12%

7. Derivatives

In derivate segment, Bank only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract is Rs 1334.54 crore.

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Rupees Rs. In crore)

Sr. No	Particulars	2021-22	2020-21
i)	The notional principal of swap agreements	-	-
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligations under the agreements	-	-
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
Iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
v)	The fair value of the swap book	-	-

b) Exchange traded interest rate derivatives

(Rupees Rs. In crore)

Sr. No	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	-	-
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31stMarch 2022 (instrument wise)	-	-
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	-	-
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not' highly effective' (instrument wise)	-	-

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) Qualitative disclosures

Bank has not entered into any derivative transactions in respect of Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives during the year 2021-22. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

(Rupees Rs. In crore)

Sr.No	Particular	2021-22		2020-21	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
b	Marked to Market Positions	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
c	Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
d	Likely impact of one percentage change in interest rate(100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
e	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

d) Credit default swaps

Bank has not entered into any Credit Default Swaps during the year 2021-22.

8. Disclosures relating to securitization

(Numbers/Rs in Crore)

Sr. No	Particulars				2021-22	2020-21
1	No of SPEs sponsored by the bank for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)				NIL	NIL
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs				NIL	NIL
	Total amount of exposures retained by the originator to comply Minimum Retention Requirement (MRR) as on the date of balance sheet.				NIL	NIL
3	a	Off-balance sheet exposures			NIL	NIL
		*	First loss		NIL	NIL
		*	Others		NIL	NIL
	b	On-balance sheet exposures			NIL	NIL
		*	First loss		NIL	NIL
		*	Others		NIL	NIL
4	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR				NIL	NIL
	a	Off-balance sheet exposures			NIL	NIL
		i)	Exposure to own securitizations		NIL	NIL
			*	First loss	NIL	NIL
			*	Others	NIL	NIL
		ii)	Exposure to third party securitizations		NIL	NIL
			*	First loss	NIL	NIL
	b		*	Others	NIL	NIL
		On-balance sheet exposures			NIL	NIL
		i)	Exposure to own securitizations		NIL	NIL
			*	First loss	NIL	NIL
			*	Others	NIL	NIL
		ii)	Exposure to third party securitizations		NIL	NIL
			*	First loss	NIL	NIL
			*	Others	NIL	NIL
5	Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization				NIL	NIL
6	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post- securitization asset servicing ,etc.				NIL	NIL
7	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. a Amount paid b Repayment received c Outstanding amount				NIL	NIL
8	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc				NIL	NIL
9	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.				NIL	NIL
10	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding				3	5

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
Not Applicable	Not Applicable	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	316.65	215.37
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	117.46	103.42
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	4.08*	2.14*
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	430.03	316.65

*Principal

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman*

Sr. No	Particulars		2021-22	2020-21
	Complaints received by the bank from its customers			
1		Number of complaints pending at beginning of the year	96	139
2		Number of complaints received during the year	23973	14449
3		Number of complaints disposed during the year	23867	14492
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	186	248
4		Number of complaints pending at the end of the year	202	96
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman			
5		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	655	793
	5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	620	731
		Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	27	45
	5.2			
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	Nil	Nil
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	Nil	Nil

B) Top five grounds of complaints received by the bank from customers					
Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
	2021-22				
Ground – 1 Internet/ Mobile/ Electronic Banking	8	10287	381%	119	2
Ground – 2 ATM/Debits Cards	62	10151	14.90%	32	3
Ground – 3 Loans and advances	4	717	51.60%	18	6
Ground – 4 Levy of charges without prior notice/excessive charges/ foreclosure charges	Nil	193	188%	5	Nil
Ground – 5 Staffs behaviour	3	118	-26.70%	5	1
Others	19	2507	-7.20%	23	2
Total	96	23973	65.90%	202	14
	2020-21				
Ground – 1ATM/Debits Cards	39	8831	-51.11%	62	3
Ground – 2Internet/Mobile/ Electronic Banking	25	2138	73.96%	8	2
Ground – 3Loans and advances	17	473	5.58%	4	1
Ground – 4 Staffs behaviour	2	161	-13.44%	3	Nil
Ground – 5 Cheques/ drafts/ bills	1	143	217.77%	0	Nil
Others	55	2703	16.82%	19	12
Total	139	14449	-35.18%	96	18

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India

(Rs. in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
A. Penalty imposed by RBI on account of advances sanctioned in contravention of RBI directions for onward lending to group companies / subsidiaries and affiliates by NBFC	1.00	0.00
B. Penalty imposed by RBI on account of unusual cyber securities and incidents of suspected unauthorized internet banking transactions	0.25	0.00

13. Disclosures on Remuneration - Not Applicable

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

(Rs. in crore)

Particular	2021-22	2020-21
I) Interest Income as a percentage to Working Funds	5.80	6.52
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.78	0.84
iii) Cost of Deposits	4.28	5.06
iv) Net Interest Margin	2.80	2.62
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.09	0.72
vi) Return on Assets	0.85%	-2.55%
vii) Business (deposits plus advances) per employee	19.75	18.49
viii) Profit per employee (In Rs. Crore)	0.12	-0.31

b) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. in crore)

	2021-22	2020-21
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	13.14	9.20
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	3.08	2.67
C. Commission on APY	0.80	1.33

c) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Marketing and Distribution Function (Excluding Bancassurance Business)

(Rs. in crore)

	2021-22	2020-21
Commission on Sovereign Gold Bond Scheme	0.85	0.79

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

Bank has sold 2600 units under Priority Sector Lending certificates (PSLCs) to the tune of Rs.650 Crore under Micro Enterprises and earned commission income of Rs.12.30 Crore during the year ended 31.3.2022.

e) Provisions and contingencies

(Rs. in crore)

Provision debited to Profit and Loss Account	2021-22	2020-21
Provisions for NPI	-51.86	102.17
Provision towards NPA	988.96	2677.9
Provision made towards Income tax	147.63	-671.34
Other Provisions and Contingencies (with details)	-793.69	1396.20

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

As part of the Banks strategy to implement IND-AS, Bank had appointed a consultant with considerable experience in the field of implementation of IND-AS. The appointment terms, interalia, also require them to provide guidance to the Bank in matters related to IND-AS and also assist the Bank to comply with the provisions and reporting requirements of statutory authorities in relation to Ind AS. Further, it is also planned to give specialized training to staff so as to build relevant expertise which would ultimately result in smooth implementation of IND-AS as and when implemented.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	2021-22	2020-21
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	136.06	116.01
Ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0	0

h) Not Applicable.

I) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The estimated additional Pension liability on account of revision in family pension was Rs.236.84 crore. RBI vide its Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4thOctober 2021, has permitted all member Banks of Indian Banks Association to amortize the said additional liability over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending 31stMarch 2022, subject to a minimum of 1/5thof the total amount being charged every year. The Bank will amortize the said liability over a period, not exceeding 5 years commencing from the financial year ending 31stMarch 2022, subject to a minimum of Rs.47.37 crore every year. Accordingly, the Bank has charged an amount of Rs.47.37 crore to the Profit & Loss account for the current financial year ended 31st March 2022 and the balance unamortized amount of Rs.189.47 crore has been carried forward.

15. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

15.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

15.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

15.2 AS-9 Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – "Revenue Recognition" of Schedule 17 – Significant Accounting Policies. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

15.3 AS-10 Property Plant & Equipment

During the year 31.03.2022, bank has revalued immovable properties based on the reports obtained from the external independent valuer. The closing balance of revaluation reserve as on 31.03.2022 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs.919.90 crore (Previous year Rs.918.44 crore)

Out of 59 properties owned by the bank (excluding leasehold properties having a lease term up to 30 years), cost of 38 properties are segregated into land and superstructure.

15.4 AS 15 - Employees Benefit

Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) Employees Benefits issued by the ICAI.

The summarized position of post-employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

Changes in the Present value of the Obligation

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	4199.43	3629.86	324.96	278.57	227.27	186.59
Interest cost	265.98	216.20	21.71	17.73	15.41	12.04
Past Service Cost	0	0	0	0	0	0
Current service cost	173.47	167.10	22.47	30.76	21.61	16.69
Benefits paid	(459.09)	(385.24)	(50.96)	(46.23)	(29.36)	(26.25)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	431.16	571.51	1.40	44.13	23.00	38.20
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	4610.95	4199.43	319.58	324.96	257.93	227.27

Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Fair value of Plan Assets as at 1st April	3952.38	3603.70	313.18	275.19	219.38	145.20
Expected return of Plan Assets	317.77	295.86	25.37	21.90	15.84	10.53
Contributions	546.16	436.27	36.73	60.34	55.15	85.55
Benefits paid	(459.09)	(385.24)	(50.96)	(46.23)	(29.36)	(26.25)
Actuarial gain/(loss)	(34.24)	1.79	(3.24)	1.98	1.40	4.35
Fair value of Plan Assets as at 31st March	4322.98	3952.38	321.08	313.18	262.41	219.38
Actual return on Plan Assets	283.53	297.65	22.13	23.88	17.24	14.88

Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	431.16	571.51	1.40	44.13	23.00	38.20
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	34.24	(1.79)	3.24	(1.98)	(1.40)	(4.35)
Net Actuarial loss/(gain)	465.40	569.72	4.64	42.15	21.60	33.85
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	465.40	569.72	4.64	42.15	21.60	33.85
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	4610.95	4199.43	319.58	324.96	257.93	227.27
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	4322.98	3952.38	321.08	313.18	262.41	219.38
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(287.97)	(247.05)	1.50	(11.78)	4.48	(7.89)
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	Nil	Nil	NIL	Nil
Transitional liability recognized during the year	---	---	---	---	----	—
Unrecognized transitional liability	---	---	---	---	---	—
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(287.97)	(247.05)	1.50	(11.78)	4.48	(7.89)

Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Current service cost	173.47	167.10	22.47	30.76	21.61	16.69
Past Service Cost	--	--	--	--	--	–
Interest cost	265.98	216.20	21.71	17.73	15.41	12.04
Expected return on plan assets	(317.77)	(295.86)	(25.37)	(21.90)	(15.84)	(10.53)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	465.40	569.72	4.64	42.15	21.60	33.85
Deferred Pension Expenditure	(189.47)	--	--	--	--	--
Net (Benefit)/ Expense	397.61	657.16	23.45	68.74	42.78	52.05

Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Opening net Liability/(Asset)	247.05	26.16	11.78	3.38	7.89	41.39
Add: Deferred Pension Expenditure	189.47	--	--	--	--	--
Add: Net benefit expense	397.61	657.16	23.45	68.74	42.78	52.05
Less: Contribution paid	546.16	436.27	36.73	60.34	55.15	85.55
Closing liability/(Asset)	287.97	247.05	(1.50)	11.78	(4.48)	7.89
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Closing liability/(Asset)	287.97	247.05	(1.50)	11.78	(4.48)	7.89

Investment percentage maintained by the trust

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Central Government Securities	8.04	10.40	--	--	Nil	Nil
State Government Securities	16.10	23.95	21.65	22.77	Nil	Nil
High Safety Bonds/TDRs	11.71	23.15	21.53	31.20	81.53	100.00
Other investments	64.15	42.50	56.82	46.03	18.47	Nil

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Discount rate	6.70	6.29	7.25	6.94	7.25	6.94
Expected rate of return on plan assets	8.04	8.21	8.10	7.96	7.22	7.25
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases is considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.
Mortality Table	A mortality table, also known as a life table or actuarial table, shows the rate of deaths occurring in a defined population during a selected time interval, or survival rates from birth to death.

Other long term employee benefit (Non funded)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver Jubilee Bonus		Medical Benefits*		Retirement Gifts	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Present Value of Obligation	6.77	6.37	1.23	1.26	0.77	0.76	1.29	1.39
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	6.77	6.37	1.23	1.26	0.77	0.76	1.29	1.39

*As assessed by the management

15.5 AS 17 – Segment Reporting:

Part A : Business Segment

(Rs. in crore)

Particulars	Year Ended	
	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)
1. **Segment Revenue**		
a) Treasury	2365.32	2289.58
b) Corporate/ Wholesale Banking	3179.63	3282.31
c) Retail Banking	2493.31	2292.62
d) Other Banking Operations	16.93	13.02
Total	**8055.19**	**7877.53**

2. **Segment Result**		
a) Treasury	1014.08	963.08
b) Corporate/ Wholesale Banking	474.00	284.56
c) Retail Banking	371.69	198.76
d) Other Banking Operations	16.93	13.02
Total	**1876.70**	**1459.42**
3. Unallocated Expenses	546.61	687.39
4. **Operating Profit**	1330.09	772.03
5. Provisions & Contingencies	143.40	4176.26
6. Income Tax	147.64	-671.33
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0.00	0.00
8. **Net Profit**	**1039.05**	**-2732.90**
Other Information:		
9. **Segment Assets**		
a) Treasury	42863.74	32515.17
b) Corporate/ Wholesale Banking	41987.21	44309.60
c) Retail Banking	32924.40	30949.29
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Assets	3292.20	2707.83
Total Assets	**121067.55**	**110481.89**
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	38911.83	30774.43
b) Corporate/ Wholesale Banking	38116.11	41937.43
c) Retail Banking	29888.87	29292.38
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Liabilities	140.15	114.64
Total Liabilities	**107056.96**	**102118.88**

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B **Geographical Segment:**

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

15.6 AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

Mr. S. Krishnan	Managing Director & CEO w.e.f. 04.09.2020
Mr. Kollegal V Raghavendra	Executive Director w.e.f. 10.03.2021
Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director w.e.f. 21.10.2021
Mr. Ajit Kumar Das	Executive Director w.e.f. 01.04.2020 upto 31.03.2021
Mr. S. Harisankar	Managing Director & CEO w.e.f. 20.09.2018 upto 03.09.2020
Mr. Fareed Ahmed	Executive Director w.e.f. 17.02.2017 upto 31.07.2020

Remuneration Paid to Key management personnel:

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2021-22	2020-21
Mr. S. Krishnan, Managing Director & CEO	33.08	16.58
Mr. Kollegal V Raghvendra, Executive Director	27.26	1.47
Dr. Ram Jass Yadav, Executive Director	12.82	N/A
Mr. Ajit Kumar Das, Executive Director	Nil	26.15
Mr. S. Harisankar, Managing Director & CEO	Nil	12.78
Mr.Fareed Ahmed, Executive Director	Nil	9.12

(Rs. in lacs)

Items/ Related Party	Key Managerial Personnel* (2021-22)	Key Managerial Personnel* (2020-21)
Borrowings	NIL	NIL
Deposits	52.69	134.23
Max During Year	57.51	213.78
Placement of Deposits	NIL	NIL
Advances	NIL	NIL
Investments	NIL	NIL
Non Funded Commitments	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements availed	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements provided	NIL	NIL
Purchase of fixed assets	NIL	NIL
Sale of fixed assets	NIL	NIL
Interest Paid	2.06	3.71
Interest Received	NIL	NIL
Rendering services	NIL	NIL
Receiving of services	NIL	NIL
Management contracts	NIL	NIL

a) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
Loans outstanding	NIL	NIL

15.7 AS 20 - Earning Per Share

(Rs. in crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Net Profit After tax available for equity Shareholders	1039.05	-2732.90
Weighted Average Number of Equity Shares (in crore)	406.01	76.53
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	2.56	-35.71
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

15.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

15.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

15.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI

15.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

(Rupees in Cr)

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	Depreciation on Fixed Assets	-	-	20.36	19.43
2	Special Reserve u/s 36(1) (viii)	-	-	70.06	67.05
3	Provision for NPA on Investments	151.45	169.58		-
4	Provision for Bad & Doubtful Debts (NPAs)	2033.75	1964.86		-
5	Provision for diminution in FV of Restructured Assets	1.50	18.44		-
6	Accumulated loss	72.05	249.58		-
	Total	**2258.75**	**2402.46**	**90.42**	**86.48**

15.9.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

15.9.4 Review made by the bank on reasonable certainty of availability of future taxable income on which timing differences arising on account of provision for bad and doubtful debt, that can be realized and accordingly during the year 2021-22, the Bank has recognized Deferred Tax Asset of Rs. 68.89 crore on the above timing differences.

15.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income aggregating to Rs.541.82 crore (Previous year Rs.595.48 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

15.9.6 The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of The Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the Taxes on Income for the quarter and year ended 31.03.2022 as per the earlier provisions.

15.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

15.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence ,the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

15.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2022, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

15.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

15.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for –

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or

b) Any present obligation from the past events but is not recognized because

- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

15.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rupees in Cr)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	24.58	24.35	1.02	0.93	0.07	0.70	25.53	24.58
Invoked Bank Guarantees	7.62	7.62	0.01	Nil	Nil	Nil	7.63	7.62
L.C Devolved	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

15.14 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

16. Additional disclosures:

(Rupees in Crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2021-22	2020-21
Provision for Non Performing Advances	988.96	2677.90
Provision for Standard Assets	-882.61	1284.36
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	-48.47	39.27
Provision for Non Performing Investments	-51.86	102.17
Provision for Depreciation in the value of Investments	0	0
Other Provisions	137.39	72.57
Provision for Taxation:		
Current Tax	37.76	0
Deferred Tax	147.63	-565.71
MAT Credit Entitlement–Current Year	-37.76	-105.63
MAT Credit Entitlement Reversed	0	0
Previous Year Tax Expenses	0	0
Total	**291.04**	**3504.93**

17. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Guideline given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during FY 2021-22 and payments have been made to the vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, therefore no penal interest had been paid during FY 2021-22.

18. In terms of Reserve Bank of India (RBI) circular DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16, dated July 1, 2015, on 'Basel III Capital Adequacy' and RBI circulars DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on 'Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Liquidity Standard Amendments', Banks are required to make Pillar 3 disclosures including leverage ratio and liquidity coverage ratio under the Basel III framework which are being made available on the Bank's website. The Disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank. These details are being made available on our website htts://punjabandsindbank.co.in

19. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No. DBR. No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR.No.BP.1907/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, the bank is holding the provisioning of Rs.281.56 crores (Previous Year – Rs.481.59 crores) as against the balance outstanding of Rs.281.56 crores (Previous Year – Rs.481.59 crores) as on 31st March, 2022 in respect of NPA borrowal accounts referred in aforesaid circular.

20. The spread of COVID-19 pandemic across the globe has resulted in decline in economic activities. In this situation, bank is gearing up itself on all fronts to meet the challenges. Major challenges for the Bank could be from extended working capital cycles, fluctuating cash flow trends and probable inability of the borrowers to meet their repayment obligations. A definitive assessment of the impact of COVID-19 is dependent upon circumstances and uncertainties as they evolve in the subsequent period. To absorb the shock of impact on its Profit & Loss Account in ensuing quarters, the bank has proactively made an additional provision of Rs.70.65 crore during the quarter ended March 31, 2022. The aforesaid provisions are in addition to the provisions held as per RBI guidelines as regards loan provisions.

21. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2021-22, the Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group borrower in the following cases:-

Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF(%)	Limit / Liability as on 31.03.2022	Exposure (%) w.r.t. Tier-1 Capital as on 31.03.2021
NIL				

22. In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services notification no.CG-DL-E-23032020-218862 dated March 23, 2020 amending the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Bank has appropriated accumulated losses of Rs.3577.55 crore from its available share premium account on 23.08.2021 after complying with the regulatory requirements and after obtaining all necessary approvals.

23. During the year ended March 31, 2022, Government of India vide Gazette Notification No. F. No. 4(17)-B (W&M)/2020 dated 23.02.2022 has infused Rs. 4600 Crore towards Preferential allotment of equity share capital. Further, the bank subscribed an equivalent amount to Non- Interest bearing (Non-Transferable) Special GOI Security which was issued at par and having date of maturity from February 24, 2032 to February 24, 2037 and held under HTM category as per GOI Notification dated 23.02.2022. The aforesaid securities would not be considered as an eligible investment which the bank is required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the bank.

24. The bank has exposure of Rs.75.10 crore in one account which is under litigation and Hon'ble Delhi High court has granted stay on downgrading. The bank has made a provision of 25% for the account which is higher than the required provisions as per IRAC norms.

25. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

	STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRUTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2022																		Amount in Crore		
Sl. No	Type of Restructuring -->		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechansim					Others					Total				
	Asset Classification		Std	Sub Std.	Doubtful	Loss	Total	Std	Sub Std.	Doubtful	Loss	Total	Std	Sub Std.	Doubtful	Loss	Total	Std	Sub Std.	Doubtful	Loss	Total
	Details																				
1	Restructured accounts as on April 1 of the FY (Opening Figures)	No. of Borrower	-	-	-	-	-	7329	734	125	2	8190	5322	1161	24	3	6510	12651	1895	149	5	14700
		Amt O/s	-	-	-	-	-	556.91	81.59	13.52	0.02	652.04	1037.88	120.50	30.60	0.04	1189.02	1594.79	202.09	44.12	0.06	1841.06
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	45.41	14.88	4.71	0.02	65.02	116.24	24.70	29.70	0.04	170.68	161.65	39.58	34.41	0.06	235.70
2#	Fresh Restructuring during the year	No. of Borrower	-	-	-	-	-	2869	369	88	3	3329	6025	298	111	5	6439	8894	667	199	8	9768
		Amt O/s	-	-	-	-	-	475.94	27.3	6.68	2.28	512.2	1367.86	29.58	17.81	3.60	1418.85	1843.8	56.88	24.49	5.88	1931.05
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	46.32	4.49	2.48	2.28	55.57	189.41	5.15	6.02	3.60	204.18	235.73	9.64	8.5	5.88	259.75
3#	Upgradation to restructured std. category during the FY	No. of Borrower	-	-	-	-	-	155	-155			0	424	-424			0	579	-579			0
		Amt O/s	-	-	-	-	-	22.36	-22.36			0	49.75	-49.75			0	72.11	-72.11			0.00
		Prov. thereon						1.35	-1.35			0	4.96	-4.96			0	6.31	-6.31			0.00
4	Restuctured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not to be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amt O/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5#	Dowgradation of restructured accounts during the FY	No. of Borrower	-	-	-	-	-	-1563	1514	31	18	0	-480	455	22	3	0	-2043	1969	53	21	0
		Amt O/s	-	-	-	-	-	-62.11	56.41	2.90	2.80	0	-33.12	31.95	1.15	0.02	0	-95.23	88.36	4.05	2.82	0.00
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	-13.66	10	0.86	2.8	0	-5.86	5.30	0.54	0.02	0	-19.52	15.3	1.4	2.82	0.00
6#	Write-offs of restructured accounts during the FY *	No. of Borrower	-	-	-	-	-	-1422	-556	410	2	-1566	-1036	-716	535	2	-1215	-2458	-1272	945	4	-2781
		Amt O/s	-	-	-	-	-	-195.32	-51.49	31.72	2.44	-212.65	-229.75	-67.73	56.45	3.81	-237.22	-425.07	-119.22	88.17	6.25	-449.87
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	-13.01	-11.99	16.59	2.44	-5.97	-33.10	-19.17	19.18	3.81	-29.30	-46.11	-31.16	35.77	6.25	-35.27
7	Restructured accounts as on March 31 of the FY (Closing Figures)	No. of Borrower	-	-	-	-	-	7368	1906	654	25	9953	10255	774	692	13	11734	17623	2680	1346	38	21687
		Amt O/s	-	-	-	-	-	797.78	91.45	54.82	7.54	951.59	2192.62	64.55	106.01	7.47	2370.65	2990.40	156.00	160.83	15.01	3322.24
		Prov. thereon	-	-	-	-	-	66.41	16.03	24.64	7.54	114.62	271.65	11.02	55.44	7.47	345.58	338.06	27.05	80.08	15.01	460.20
# Excludes the figure of Standard Restructured Advance which do not attract higher provisioning or Risk Weight (If applicable)																						
* Write-off includes the closed accounts, write-off and reduction due to recovery.																						

PUNJAB & SIND BANK
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2021-22	2020-21
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	10390546	-27329004
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	2910359	35049329
Depreciation on Fixed Assets	1370904	1021333
Profit on sale of Assets	1582	95
Interest on Bonds	2313978	2444149
Operating Profit before working capital changes	**16987369**	**11185902**
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	60288344	64406262
Increase / (Decrease) in Borrowings	1000825	-3695000
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-124722	539795
(Increase) / Decrease in Investments	-102552600	-75728453
(Increase)/ Decrease in Advances	-37094573	-53175386
(Increase) / Decrease in Other Assets	-7029853	225852
Direct Taxes Paid (Net of refund)	8539541	-2235780
Cash Flow from Operating Activities (A)	**-59985669**	**-58476808**
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-1206359	-4462179
Profit on sale of Assets	-1582	-95
Cash Flow from Investing Activities (B)	**-1207941**	**-4462274**
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	27251185	33516149
Share Premium received thereon	18748816	21483850
Preferential Issue Expenses	-4655	-4828
Redemption of Subordinated Bonds	-3000000	-2000000
Interest on Bonds	-2313978	-2444149
Cash Flow from Financing Activities (C)	**40681368**	**50551022**
Cash from Operating Activities	-59985669	-58476808
Cash from Investing Activities	-1207941	-4462274
Cash from Financing Activities	40681368	50551022
Increase in Cash & Cash Equivalents	**-20512242**	**-12388060**
Cash and Bank Balances (Opening)	**83394484**	**95782544**
Cash and Bank Balances (Closing)	**62882242**	**83394484**

V.K. MEHROTRA
CHIEF FINANCIAL OFFICER

TIRATH RAJ MENDIRATTA
DIRECTOR

RSHMI KHETRAPAL
DIRECTOR

SHANKAR LAL AGARWAL
DIRECTOR

K.P.PATNAIK
DIRECTOR

M.G.JAYASREE
DIRECTOR

Dr. RAM JASS YADAV
EXECUTIVE DIRECTOR

KOLLEGAL V RAGHAVENDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

S. KRISHNAN
MANAGING DIRECTOR & CEO

For M/S Ghiya & Co
Chartered Accountants
FRN: 001088C

CA Ashish Ghiya
Partner
M.No. 427062
UDIN: 22427062AJGVJF1516
Place: New Delhi

For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants
FRN: 009989N

CA Manish Gupta
Partner
M. No. 095518
UDIN: 22095518AJGVQU7465
Place: New Delhi

For M/S Chaturvedi & CO.
Chartered Accountants
FRN: 302137E

CA R.K. Nanda
Partner
M.No. 510574
UDIN: 22510574AJGVVT3539
Place: New Delhi

For M/s Manohar Chowdhry & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001997S

CA Sandeep Mogalapalli
Partner
M. No. 221848
UDIN: 22221848AJGVWD9697
Place: New Delhi

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer



श्री अम्बरीष कुमार मिश्रा (सी वी ओ)
Sh. Ambrish Kumar Mishra (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers



श्री विनय कुमार मेहरोत्रा
Sh. Vinay Kumar Mehrotra



श्री एस वी एम कृष्णा राव
Sh. S V M Krishna Rao



श्री पंकज द्विवेदी
Sh. Pankaj Dwivedi



श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan



श्री कामेश सेठी
Sh. Kamesh Sethi



श्री रवि मेहरा
Sh. Ravi Mehra



श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar



श्री राजेंद्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar



श्री दिनेश कुमार गोयल
Sh. Dinesh Kumar Goyal



श्री राजेश सी पाण्डेय
Sh. Rajesh C Pandey



श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur
(from 30.5.2022)



श्री चमन लाल शींहमार
Sh. Chaman Lal Shienhmar
(from 30.5.2022)



One Unique App, All Unique Solutions

Internet and Mobile Banking Application

Printed at Navrattan Enterprises, Kirti Nagar, New Delhi-110015

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
फोन: 011-25720849, 25812922
वेबसाइड: https://punjabandsindbank.co.in
ई–मेल: ho.customerexcellence@psb.co.in

Punjab & Sind Bank
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008
Phone: 011-25720849, 25812922
Website: https://punjabandsindbank.co.in
E-mail: ho.customerexcellence@psb.co.in

TOLL FREE : 1800 419 8300

Follow us @PSBIndOfficial